द्वितीय माला, खण्ड १५—अंक ४१

८ अप्रैल, १९५८ (मंगलवार)

लोक-सभा
वाद-विवाद

Chamber Fumigated 18/X/73

2nd Lok Sabha

(Fourth Session)

Preservation Unit 8-5-97
Fumigated On 24.11.83
Parliament Library

(खण्ड १५ में अंक ४१ से अंक ५० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

६२ नये पैसे (देश में) ३ शिलिंग (विदेश में)

34 LSD

द्वितीय माला, खण्ड १५—अंक ४१ से अंक ५०—८ अप्रैल से २२ अप्रैल, १९५८ अंक ४१—मंगलवार, ८ अप्रैल, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न* संख्या १५१५ से १५२२, १५२४ से १५२७, १५३०, १५३३, १५३६, १५३८ से १५४०, १५४२ से १५४४ ४१४३—६७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १५२३, १५२८, १५२९, १५३१, १५३२, १५३४, १५३५, १५३७, १५४१ ४१६७—७०

अतारांकित प्रश्न संख्या २१२० से २१२७, २१२९ से २१४७, २१४९ से २१६२, २१६४ से २१८१, २१८३ से २१८६, २१८८ से २२०० ४१७०—४२०३

सभा पटल पर रखे गये पत्र ४२०३

प्राक्कलन समिति—

छठा तथा सातवां प्रतिवेदन ४२०३

कर्मचारी राज्य बीमा निगम के वार्षिक तिवेदनों के बारे में वक्तव्य ४२०३—०४

अनुदानों की मांगें—

श्रम और रोजगार मंत्रालय ४२०४—५९

दैनिक संक्षेपिका . . . . . ४२६०—६४

अंक ४२—बुधवार, ९ अप्रैल, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न* संख्या १५४५, १५४६, १५४९ से १५५१, १५५३, १५५५ से १५६१, १५६४ से १५७१ और १५७३ से १५७५ ४२६५—९०

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १३ . . . . ४२९१—९३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १५४७, १५४८, १५५२, १५५४, १५६२, १५६३ और १५७२ . . . ४२९३—९६

अतारांकित श्न संख्या २२०१ से २२४७ . . ४२९७—४३१८

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—
उन्नीसवां प्रतिवेदन ४३१८

प्राक्कलन समिति—
आठवां प्रतिवेदन ४३१८

तारांकित प्रश्न के उत्तर की शुद्धि के बारे में वक्तव्य . . ४३१९

अनुदानों की मांगें—
वैदेशिक-कार्य मंत्रालय . . . . ४३१९—६७

दैनिक संक्षेपिका . . . . . ४३६८—७१

अंक ४३—गुरुवार, १० अप्रैल, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—
तारांकित प्रश्न*संख्या १५७६ से १५७८, १५८१ से १५८६, १५८८, १५८९, १५९१, १५९३, १५९४, १५९६, १५९८ और १५९९ ४३७३—९७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—
तारांकित प्रश्न संख्या १५७९, १५८०, १५८७, १५९०, १५९२, १५९५, १५९७, १६०० और १६०१ . . ४३९७—४४००

अतारांकित प्रश्न संख्या २२४८ से २२५२, २२५४ से २२५९ और २२६१ से २२८७ . . . . ४४००—१८

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . . ४४१८—१९

अनुदानों की मांगें . . . . . ४४१९—६२

अणुशक्ति विभाग . . . . . ४४१९—३६

पुनर्वास मंत्रालय . . . . . ४४३६—६२

आसाम में चाय बागानों के बन्द होने के बारे में आधे घंटे की चर्चा . ४४६२—६५

दैनिक संक्षेपिका . . . . . ४४६६—६९

अंक ४४—शुक्रवार, ११ अप्रैल, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न* संख्या १६०३ से १६०५, १६०८, १६११, १६१४ से १६२२, १६२४ और १६१० . . . ४४७१—९२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६०६, १६०७, १६०९, १६१२, १६१३, १६२३ ४४९२—९५

अतारांकित प्रश्न संख्या २२८८ से २३०१ और २३०३ से २३३२ ४४९५—४५१७

सभा-पटल पर रखा गया पत्र ४५१७

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—
गोआ जाने पर लगे प्रतिबन्धों में ढील . . . ४५१७—१८

पृष्ठ

सभा का कार्य ४५१८

अनुदानों की मांगें--

पुनर्वास मंत्रालय ४५१८--४६

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति--

उन्नीसवां प्रतिवेदन ४५४७

राज्यपाल के पद पर रह चुके व्यक्तियों पर प्रतिबन्ध लगाने के बारे में संकल्प ४५४७--५६

संकल्प अस्वीकृत हुआ ४५५६

परीक्षा प्रणाली के पुनर्नवीकरण के बारे में संकल्प . . ४५५६--६९

दैनिक संक्षेपिका ४५७०--७३

अंक ४५--सोमवार, १४ अप्रैल, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न* संख्या १६२५ से १६३०, १६३२, १६३५ से १६३७, १६३९ से १६४२, १६४५, १६४६ और १६४९ . ४५७५--९९

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १६३१, १६३३, १६३४, १६३८, १६४३, १६४४, १६४७, १६४८, १६५० और १६५१ . . ४५९९--४६०३

अतारांकित प्रश्न संख्या २३३३ से २४०९ . . ४६०३--३६

सभा पटल पर रखा गया पत्र ४६३६

अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का स्पष्टीकरण . . . ४६३६

कर्मचारी भविष्य-निधि (संशोधन) विधेयक--पुरःस्थापित ४६३६-३७

अनुदानों की मांगें--

गृह-कार्य मंत्रालय ४६३७--९४

दैनिक संक्षेपिका ४६९५--९९

अंक ४६--मंगलवार, १५ अप्रैल, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न* संख्या १६५२ से १६५५, १६५७, १६५९, १६६१ से १६६७, १६६९, १६७१, १६७२, १६७४ से १६७६ और १६५६ . . . . . ४७०१--२७

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १६५८, १६६०, १६६८, १६७० और १६७३ ४७२७--२९

अतारांकित प्रश्न संख्या २४१० से २४३०, २४३२ से २४५३ और २४५५ से २४५७ . . ४७२९--४७

सभा पटल पर रखे गये पत्र ४७४७–४८
कार्य मंत्रणा समिति—
तेईसवां प्रतिवेदन ४७४८
प्राक्कलन समिति—
नवा तिवेदन ४७४८
संसदीय समितियां—कार्य का सारांश . . . ४७४८
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—
पूर्वी पाकिस्तान-आसाम सीमा पर पाकिस्तानी सीमान्त सेना द्वारा पुनः गोली चलाना ४७४९–५०
तारांकित प्रश्न के अनुपूरक के उत्तर की शुद्धि के बारे में वक्तव्य . ४७५०
संयक्त समिति में नियुक्ति के बारे में प्रस्ताव . . . ४७५१
अनुदानों की मांगें . . . . . ४७५१—९९
गृह-कार्य मंत्रालय . . . . . ४७५१—६२
प्रतिरक्षा मंत्रालय . . . . . ४७६२—९९
दैनिक संक्षेपिका . . . . . ४८००—०३

अंक ४७—बुधवार, १६ अप्रैल, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—
तारांकित प्रश्न* संख्या १६७७, १६७८, १६८१, १६८३, १६८६, १६८८ से १६९३, १६९६ से १७०४ . . ४८०५—३०
अल्प सूचना प्रश्न संख्या १४ . . . . ४८३०—३२
प्रश्नों के लिखित उत्तर—
तारांकित प्रश्न संख्या १६७९, १६८०, १६८२, १६८४, १६८७, १६९४ . . . . . ४८३२—३४
अतारांकित प्रश्न संख्या २४५८ से २४९८ . . ४८३४—५३
श्री शंभू दयाल मिश्र का निधन ४८५३
स्थगन प्रस्ताव ४८५३–५४
सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . ४८५४
अनुपूरक प्रश्न के उत्तर की शुद्धि . . . ४८५५
कार्य मंत्रणा समिति—
तेईसवां प्रतिवेदन ४८५५
अनुदानों की मांगें . . . . . ४८५५—४९०२
प्रतिरक्षा मंत्रालय . . . . . ४८५५—८६
वित्त संत्रालय . . . . . ४८८६—४९०२
दैनिक संक्षेपिका . . . . . ४९०३—०६

अंक ४८—गुरुवार, १७ अप्रैल, १६५८ पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न* संख्या १७०५, १७०७ से १७१६, १७१६ से १७२१ और १७२३ . . . . . ४६०७—२६

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १५ . . . . . ४६२६—३२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १७१७, १७१८, १७२२ और १७२४ से १७२८ . . . . . . ४६३३—३६

अतारांकित प्रश्न संख्या २४६६ से २५२८ . . ४६३६—५२

गर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

बीसवां तिवेदन ४६५२

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना —

पाकिस्तान के प्रतिनिधि का सुरक्षा परिषद् को पत्र . . ४६५२-५३

स्थगन प्रस्ताव—

आसाम की सीमा पर पाकिस्तानी सेनाओं का कथित जमाव . ४६५३—५५

तारांकित प्रश्न संख्या ७३० के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर के स्पष्टीकरण के सम्बन्ध में वक्तव्य ४६५६

अनुदानों का मांगें—

वित्त मंत्रालय . . . ४६५६—६०

दैनिक संक्षेपिका . . . . . ४६६१—६४

अंक ४६—शुक्रवार, १८ अप्रैल, १६५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न* संख्या १७२६ से १७३४, १७३७, १७३८, १७४२, १७४३, १७४५, १७४७ से १७४६, १७५१ से १७५४, १७३६ . . . . ४६६५—५०१८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न* संख्या १७३५, १७३६, १७४०, १७४१, १७४४, १७४६, १७५० . . . . . . ५०१८—२०

अतारांकित प्रश्न संख्या २५२६ से २५६६, २५६८ से २५७१ . ५०२१—३५

प्राक्कलन समिति—

बारहवां और चौदहवां प्रतिवेदन . . . ५०३५

आगामी सप्ताह के लिये सरकारी कार्य . . . ५०३६

विनियोग (संख्या २) विधेयक पुरःस्थापित . . . ५०३६

वित्त विधेयक	पृष्ठ
विचार करने का प्रस्ताव . . .	५०३६–६२
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के बीसवें प्रतिवेदन के सम्बन्ध में प्रस्ताव . . .	५०६२
राज्य-सभा द प्राप्त इंजीनियरों की संस्था विधेयक—पुरःस्थापित .	५०६२–६३
हिन्दू-विवाह (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित . .	५०६३
मुस्लिम विवाह-विच्छेद (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित .	५०६३
हिन्दू सम्पत्ति निर्वर्तन विधेयक—पुरःस्थापित . .	५०६३–६४
हिन्दू उत्तराधिकार (संशो न) विधेयक—पुरःस्थापित . .	५०६४
भारतीय आयकर (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित . .	५०६४
संसद्-सदस्यों के वेतन तथा भत्ते (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित .	५३६४–६५
नाट्य प्रदर्शन (सँशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	५०६५—७५
समवाय (संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताब	५०७५—७८
दैनिक संक्षेपिका	५०७९—८२

अंक ५०—मंगलवार, २२ अप्रैल, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न* संख्या १७५५, १७५७, १७५८, १७६० से १७६२, १७६४, १७६६, १७६५, १७६८ से १७७३, १७७५, १७७८, १७७९, १७८१ और १७८०	५०८३—५१०७
श्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १७५६, १७५९, १७६३, १७६७, १७७४ और १७७७	५१०७—०९
अतारांकित प्रश्न संख्या २५७२ से २६२१ . . .	५११०—३३
श्री अवधेश कुमार सिह का निधन . .	५१३४
सभा पटल पर रखे गये पत्र	५१३४
अतिरिक्त अनुदानों की मांग, १९५४–५५—	
विवरण का उपस्थापन	५१३५
प्राक्कलन समिति—	
दसवां प्रतिवेदन	५१३५

	पृष्ठ
समितियों के लिये निर्वाचन	५१३५–३६
१. प्राक्कलन समिति	५१३५
२. लोक लेखा समिति	५१३५–३६
लोक लेखा समिति में राज्य सभा के सदस्यों को सम्मिलित किये जाने के बारे में प्रस्ताव	५१३६–३७
विनियोग (संख्या २) विधेयक, १९५८—	
विचार करने का प्रस्ताव	५१३७–३८
पारित करने का प्रस्ताव	५१३८
वित्त विधेयक, १९५८—	
विचार करने का प्रस्ताव	५१३८—७८
दैनिक संक्षेपिका	५१७९—८३

नोट:—मौखिक उत्तर वाले श्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

लोक-सभा

मंगलवार, ८ अप्रैल, १९५८

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

रूस के साथ व्यापार

+

†*१५१५. **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री हेडा :
श्री दलजीत सिंह :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५७-५८ के दौरान में भारत का रूस से आयात व निर्यात व्यापार कुछ बढ़ गया है ; और

(ख) साम्यवादी देशों में ऐसे कौन कौन से देश हैं जिनके साथ भारत का प्रतिकूल व्यापारान्तर है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी हां ।

(ख) सोवियत रूस, ज़ेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया, बलगेरिया, पोलैंड, हंगरी, अलबानिया, उत्तरी कोरिया, मंगोलिया जनवादी गणतन्त्र । अंतिम दो देशों के साथ हमारा बहुत कम व्यापार है ।

†**श्री रामेश्वर टांटिया** : १९५६-५७ में रूस से कौन कौन सी मुख्य वस्तुओं का आयात व निर्यात किया गया ?

†**श्री कानूनगो** : रूस से प्राय: लोहा, इस्पात और मशीनरी आयात होता रहा है । निर्यात में लगभग २३ वस्तुएं वहां भेजी जाती रही हैं जिनमें कहवा, काजू, चाय, मसाले, लाख, खालें, चीनी के बर्तन, पटसन उत्पाद आदि हैं ।

†**श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या रूस के साथ हमारा कोई विशेष व्यापारिक समझौता हुआ है ?

†**श्री कानूनगो** : उनके साथ हमारा कोई विशेष व्यापारिक समझौता नहीं हुआ है । जैसे हमने अन्य देशों के साथ व्यापारिक समझौते किये हुए हैं वैसे ही रूस के साथ भी हमारा व्यापारिक समझौता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हेडा** : इस बात को देखते हुए कि साम्यवादी देशों के साथ हमारा व्यापार स्थिर रूप से चलता रहता है क्या सरकार भारत व उन देशों के चलार्थों के बीच कोई अनुपात निश्चित करने का विचार रखती है ?

†**श्री कानूनगो** : अभी हमारा व्यापार स्थिर नहीं हुआ है क्योंकि इस समय हमारी स्थिति प्रतिकूल है ।

†**श्री कुमारन** : क्या यह सच नहीं है कि रूस के साथ हमारा व्यापारान्तर १९५६–५७ में हमारे अनुकूल था तथा यह व्यापारान्तर १९५७-५८ में लोहे तथा इस्पात के भारी आयात के कारण हमारे प्रतिकूल हुआ है क्योंकि हमने इनके आयात की ८० प्रतिशत वस्तुएं रूस से मंगवाई हैं ?

†**श्री कानूनगो** : जब व्यापार कम था तब व्यापारान्तर हमारे अनुकूल था किन्तु जब व्यापार की मात्रा बढ़ गई तब यह हमारे प्रतिकूल होगया क्योंकि आयातों का मूल्य निर्यातों की अपेक्षा कहीं ऊंचा था ।

†**श्री दामानी** : आस्थगित भुगतान के आधार पर रूस से कुल कितने मूल्य की वस्तुओं का आयात किया गया है ?

†**श्री कानूनगो** : मेरे पास इस समय इस बारे में कोई जानकारी नहीं है ।

†**श्री कासलीवाल** : प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर में मंत्री महोदय ने हमें उन देशों के नाम बताये हैं जिनके साथ हमारा प्रतिकूल व्यापारान्तर है । सरकार इस प्रतिकूल व्यापारान्तर को सम बनाने के लिये अथवा अनुकूल बनाने के लिये क्या कदम उठा रही है ?

†**श्री कानूनगो** : हम हमेशा इस के लिये कुछ न कुछ करते रहते हैं । हम इन सब देशों से व्यापारिक प्रतिनिधिमंडलों व पत्र व्यवहार के द्वारा सम्पर्क बनाये रखते हैं । जिस समय हम अपने देश से अधिक वस्तुओं का निर्यात करने की स्थिति में आ जायेंगे, हमारा व्यापारान्तर अपने आप अनुकूल हो जायेगा ।

†**श्री रंगा** : क्या यह सच है कि हमारा इन देशों के साथ दोनों तरफ सरकारी आधार पर व्यापार होता है अथवा हम उन देशों में उनकी सरकार द्वारा स्थापित की गई किन्हीं संस्थाओं के साथ व्यापार करते हैं तथा क्या यह भी सच है कि उनकी सरकारें न केवल हमारे राज्य व्यापार नियम के साथ ही व्यापार करती हैं परन्तु वे हमारे देश के गैर-सरकारी व्यापारियों के साथ भी व्यापार करने का आग्रह करती हैं ?

†**श्री कानूनगो** : हम केवल सरकार द्वारा ही व्यापार नहीं करते । किन्तु अन्य देश केवल अपनी सरकार द्वारा ही व्यापार करते हैं । भारत में यदि गैर-सरकारी व्यापारी भी चाहें, तो उनके साथ बातचीत कर सकते हैं ।

†**श्री रंगा** : क्या यह सच है कि हमारे राज्य व्यापार निगम ने यह सुझाव दिया था कि उनकी सरकारों को केवल निगम के द्वारा ही व्यापार करना चाहिये जैसे कि हम लोग उनके देशों में केवल सरकारी संस्थाओं के द्वारा ही व्यापार करते हैं ?

†**श्री कानूनगो** : हमने कभी इस प्रकार का आग्रह नहीं किया है ।

†**श्री गोरे** : ये देश हमारे देश की किन किन गैर-सरकारी संस्थाओं से व्यापार कर रहे हैं क्या मंत्री महोदय उनमें से कुछ के नाम बताने की कृपा करेंगे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री कानूनगो** : मेरे पास अभी इसकी कोई सूचना नहीं है ।

†**श्री त्यागी** : इनमें पूर्वी देशों में से कितने देश हमारे साथ रुपयों की करेंसी के आधार पर व्यापार कर रहे हैं ?

†**श्री कानूनगो** : मेरे पास इसका ठीक ठीक विवरण तो नहीं है, किन्तु अधिकांश देशों ने हमारे साथ रुपया विनिमय आधार पर व्यापार करने का समझौता किया है ।

औद्योगिक बस्ती, बटाला (पंजाब)

†*१५१६. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अभी तक पंजाब राज्य में बटाला की औद्योगिक बस्ती में कितनी प्रगति हुई है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : इसके लिये ९० बीघा (३५१ कनाल) का एक प्लाट चुना गया है और अब पंजाब सरकार उसके अर्जन के लिये कार्यवाही कर रही है । इसी वित्तीय वर्ष के दौरान में वहां पर औद्योगिक कारखाने, सड़कें, नालियां, आदि बनाने का काम शुरू कर दिया जायेगा ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : यह औद्योगिक बस्ती कब तक बन कर तैयार हो जायेगी ?

†**श्री मनुभाई शाह** : इस वर्ष के अन्त तक ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या इस औद्योगिक बस्ती पर किसी प्रावस्थानुसार व्यय करने की कोई योजना बनाई गई है, यदि हां, तो क्या ?

†**श्री मनुभाई शाह** : इसके लिये कोई प्रावस्था कार्यक्रम नहीं बनाया गया है । सम्पूर्ण बस्ती एक साथ बन कर तैयार होगी । भूमि अर्जित कर ली गई है, इमारतों के निर्माण के लिये ठेके दिये जा रहे हैं तथा सभी उद्योगपतियों को वहां पर कारखाने खोलने के लिये आमन्त्रण भेजे जा रहे हैं । जब सभी सामान्य सुविधाएं मिलने का प्रबन्ध हो जायेगा तो सब कारखाने एक साथ काम शुरू कर सकते हैं ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : वहां पर कौन कौन से विशेष कारखाने बनाये जायेंगे ?

†**श्री मनुभाई शाह** : सामान्यतया इनमें इंजीनियरी की हल्की हल्की वस्तुओं के निर्माण करने के कारखाने, बुनाई व होज़री (बनियान, मोजे आदि) के कारखान तथा ऐसे अन्य कारखाने होंगे ज़िनका कि वहां पर पहले से काफी विकास हो चुका है ।

सीमेंट का मूल्य

†*१५१७. **श्री वि० च० शुक्ल** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४ और १९५५ में देश में उपभोक्ताओं को मिलने वाले सीमेंट की खुदरे में क्या कीमतें थीं ; और

(ख) सीमेंट का वितरण राज्य व्यापार निगम (प्राइवेट) लिमिटेड के हाथ में आने के बाद देश में उपभोक्ताओं को मिलने वाली सीमेंट की खुदरे में क्या कीमतें हो गईं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) तथा (ख). एक विवरण लोक सभा के पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या १]**

†**श्री वि० च० शुक्ल** : विवरण से यह प्रकट होता है कि राज्य व्यापार निगम के हाथ में वितरण आने के बाद सीमेंट के खुदरा मूल्य में प्रति टन पीछे ४.२५ रुपये की वृद्धि हो गई। इस वृद्धि का कितने प्रतिशत भाग राज्य व्यापार निगम के शुद्ध लाभ में दिखाया गया है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : इस विषय में इस सभा में कई बार चर्चा हो चुकी है और यह बताया जा चुका है कि यह वृद्धि आयात कार्यक्रम के कारण की गई थी तथा इस वृद्धि में से बाद में ४ रुपये की राशि को उत्पादन शुल्क के रूप में बदल दिया गया था। जब हमारा आयात कार्यक्रम समाप्त हो गया, हमने एकदम इसकी कीमतें कम कर दीं तथा इस राशि को उत्पादन शुल्क के रूप में बदल दिया। माननीय सदस्य को विवरण से स्पष्ट पता चल जायेगा कि इसकी कीमत ९७.५० रुपये से एकदम ९३.५० रुपये कर दी गई थी तथा ४ रुपये की वृद्धि की राशि को उत्पादन शुल्क के रूप में बदल दिया गया और इस प्रकार सीमेंट पर उत्पादन शुल्क २० रुपये प्रति टन की बजाये २४ रुपये प्रति टन कर दिया गया ।

†**श्री वि० च० शुक्ल** : निगम को सीमेंट के वितरण के व्यापार में कितना लाभ हो रहा है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : यह समय समय पर सभा को बताया जाता रहा है। इसके लिये कोई पृथक लेखा नहीं है। किन्तु सीमेंट के व्यापार में कदाचित् ३५ से ४० लाख रुपये का लाभ दिखाया गया है ।

†**श्री दासप्पा** : क्या निगम को वितरण के लिये कमीशन मिलता है या उसे पिछले दफा की भांति ऊंचे दाम पर सीमेंट बेचने की इजाजत दी गई है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : अभी वही हालत है जो कि पहले थी। निगम समीकृत दामों[१] पर सीमेंट बेचता है तथा उसे किसी विशेष सौदे पर जो कुछ भी हानि व लाभ होता है उसका जिम्मा निगम का होता है। वर्ष के अन्त में देखा जाता है कि कुल मिला कर उसे सब सौदों से लाभ हुआ है अथवा हानि।

†**श्री दासप्पा** : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिल पाया। मैं यह जानना चाहता था कि क्या निगम को कोई कमीशन दिया जाता है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : निगम को कोई पृथक कमीशन नहीं दिया जाता है। किन्तु कई प्रकार के प्रासंगिक भार होते हैं, जैसे कि भाड़ा, परिवहन व्यय आदि, जिनका भार कि निगम वहन करता है। इनके एवज में निगम प्रत्येक स्तर पर प्रति टन पीछे १२ आने या उसके लगभग राशि कमीशन के रूप में रिजर्व रख लेता है, किन्तु इसको पृथक कमीशन नहीं माना जाता। इस प्रकार सीमेंट के लादने व ले जाने का सारा व्यय भार निगम वहन करता है और उसके बदले में जो राशि मिलती है उसकी आय भी निगम को जाती है ।

†**श्री जोकीम आल्वा** : जब सीमेंट बाहर के देशों से, विशेषकर समाजवादी देशों से, सस्ते दामों पर लाया जाता है तब उपभोक्ताओं को उसका लाभ क्यों नहीं पहुंचने दिया जाता ?

†**श्री मनुभाई शाह** : कदाचित् मेरे माननीय मित्र को कुछ भ्रान्ति हो गई है। किसी भी अन्य देश में, चाहे वह समाजवादी है या अन्यथा, हमारे देश की अपेक्षा सस्ता सीमेंट नहीं मिलता। जहां तक आयात किये गये सीमेंट की स्थानीय कीमतों का प्रश्न है, हमारे देश के सीमेंट व उसमें लगभग

---

†मूल अंग्रेजी में ।

[१]Equalised Price.

१६ से १७ रुपये प्रति टन का अन्तर था बल्कि आयात के कारण हमें पिछले $1^1/_2$ वर्षों में अपने यहां की सीमेंट की कीमतें बढ़ानी पड़ी हैं।

†श्री गोरे : यह निगम सीमेंट के लिये कौन सा उपयोगी कार्य कर रहा है ?

†श्री मनुभाई शाह : अब सीमेंट के परिवहन की व्यवस्था काफी ठीक हो गई है। पहले सौराष्ट्र से पंजाब को सीमेंट ले जाना पड़ता था या मद्रास से पूर्वी भारत के प्रदेशों में सीमेंट ले जाना पड़ता था। किन्तु अब हम ने छोटे-छोटे क्षेत्र बना लिये हैं और यथासम्भव किसी भी क्षेत्र में ३०० मील से अधिक दूरी तक सीमेंट नहीं जाने दिया जाता। दूसरा लाभ यह हुआ है कि अब सीमेंट के कारखानों से सीमेंट नियमित रूप से उठता रहता है जबकि स्वतंत्र व्यापार के समय इस दिशा में बड़ी अनियमितता थी।

†श्री रंगा : जब यह कहा जा रहा है कि हमारे यहां अधिक सीमेंट का उत्पादन हो रहा है और हमें अब और सीमेंट आयात करने की कोई आवश्यकता नहीं तो क्या ऐसी दिशा में सीमेंट की कीमतों को कम करने के लिये कोई प्रयत्न किया जा रहा है ?

†श्री मनुभाई शाह : अभी हमारा कोई इरादा नहीं है। बल्कि माननीय सदस्य को ध्यान होना चाहिये कि अभी हाल ही में हमने सीमेंट पर ४ रु० प्रति टन उत्पादन शुल्क बढ़ा दिया है। सीमेंट अभी कम मात्रा में उपलब्ध होने वाले पदार्थों में से है। थोड़े से अधिक उत्पादन से देश की सारी आवश्यकतायें पूरी नहीं हो सकती हैं।

†श्री वि० च० शुक्ल : निगम सीमेंट के उपभोक्ताओं के लिये क्या विशेष सेवायें कर रहा है ?

†श्री मनुभाई शाह : निगम उनकी उसी प्रकार सेवा करता है जैसे कि सामान्य एजेन्ट करते हैं। इसके इलावा इसने अब सीमेंट के परिवहन की समस्या को हल कर दिया है। जबकि पहले कारखानों को इसे उठाने में कठिनाई हो रही थी तथा उपभोक्ताओं को समय पर सीमेंट नहीं मिल पा रहा था उसके स्थान पर अब निगम ने इसकी समस्त वितरण व्यवस्था का समन्वय करके संभरणकर्ताओं व क्रेताओं सभी की कठिनाइयों को दूर कर दिया है और इस प्रकार सीमेंट की वितरण व्यवस्था बड़ी सुगम तथा सुविधाजनक बना दी है।

पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्ति

+

†*१५१८. { **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री मोहम्मद इलियास :
श्री कालिका सिंह : }

क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ सितम्बर, १९५७ से ३१ मार्च, १९५८ तक की अवधि में पूर्वी पाकिस्तान से सीमा पार करके भारत में आये विस्थापित व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है ;

(ख) इसी अवधि में भारत से पूर्वी पाकिस्तान में कितने व्यक्ति गये थे ;

(ग) क्या १९५७ के पहिले छः महीनों की तुलना में पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित व्यक्तियों की बड़ी संख्या में आने में वृद्धि हुई है या कमी हुई है; और

(घ) यदि वृद्धि हुई है, तो इसका कारण क्या है?

†मूल अंग्रेजी में

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) सितम्बर, १९५७ से फरवरी, १९५८ की अवधि में पूर्वी पाकिस्तान से २६०२ व्यक्तियों ने भारत में प्रव्रजन किया था। मार्च, १९५८ के महीने के लिये अभी राज्य सरकारों से आंकड़ों की प्रतीक्षा है।

(ख) १६७।

(ग) पूर्वी पाकिस्तान से प्रव्रजकों के बड़ी संख्या में आने में कमी हुई है।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या सामूहिक आगमन में कमी प्रव्रजन प्रमाग पत्रों की प्राप्ति की प्रक्रिया कठोर कर देने के कारण हुई है?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : प्रव्रजन प्रक्रियायें पुनरीक्षित की गई हैं, परन्तु मेरे विचार में यह कमी प्रव्रजन प्रमाण पत्रों की प्राप्ति की प्रक्रिया कठोर कर देने के कारण नहीं हुई है।

†**श्री महन्ती** : क्या यह सामूहिक आगमन आर्थिक कारणों अथवा साम्प्रदायिक कारणों से हुआ है?

†**अध्यक्ष महोदय** : थोड़ा ऊंचा बोलिये।

†**श्री महन्ती** : क्या इस प्रव्रजन का कारण पूर्वी पाकिस्तान में आर्थिक कठिनाइयां या साम्प्रदायिक परिस्थितियां है? यदि इसका कारण आर्थिक कठिनाइयां हैं तो क्या सरकार की यह नीति है कि अन्य देशों के अल्पसंख्यकों की आर्थिक कठिनाइयों को दूर किया जाये?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : मेरे विचार में इसके बहुत से कारण हैं। वे कारण भी हैं जिनकी माननीय सदस्य ने चर्चा की है और हो सकता है अन्य कारण भी हों। लोगों के समूहों के संबंध में इन मनोवैज्ञानिक तथा आर्थिक प्रवृत्तियों का विश्लेषण करना काफी कठिन है।

†**श्री साधन गुप्त** : इस अवधि में प्रव्रजन के लिये लम्बित प्रार्थना पत्रों की संख्या कितनी थी और वस्तुतः कितने आवेदन पत्र प्रदान किये गये थे?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : १ मार्च, १९५८ को लम्बित आवेदन पत्रों की संख्या ३४,८५८ थी।

†**श्री साधन गुप्त** : कितने प्रदान किये गये हैं?

†**सेठ गोविन्द दास** : क्या माननीय मंत्री को मालूम है कि पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले व्यक्ति सामान्यतः कलकत्ता के सियालदा स्टेशन पर रह रहे हैं और उनकी संख्या कई बार १२,००० से १४,००० हो जाती है? उनकी वहां अत्यधिक भीड़ है और वहां बहुत गन्दगी है। क्या पूर्वी पाकिस्तान से कलकत्ता आने वाले इन व्यक्तियों के पुनर्वास के लिये कोई प्रबन्ध किया जा रहा है?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : क्या इस संबंध में कुछ मैं कहूं? माननीय सदस्य जो कुछ कह रहे हैं वह काफी हद तक सत्य है। यह बहुत दुर्भाग्य की बात है। पिछले कई वर्षों में कई बार सियालदा स्टेशन को साफ किया जा चुका है और इन व्यक्तियों को शिविरों, आदि

---

†मूल अंग्रेजी में

में ले जाया गया था। मुझे ठीक तारीख याद नहीं लेकिन मेरे विचार में पिछले नवम्बर में स्टेशन पर से उन्हें हटाया गया था। इसके बाद यह स्टेशन फिर भर गया था और इसे फिर साफ किया गया था। फिर बाद में यह नहीं भरा है। परन्तु नवम्बर के बाद से शरणार्थियों की पाकिस्तान से आने की संख्या भी अपेक्षतया कम रही है। मेरे विचार में वहां जाने वाले अन्य व्यक्तियों के कारण वहां लोगों की संख्या अधिक है। एक बार वहां जनगणना की गई थी। मालूम हुआ था कि सियालदा स्टेशन पर रहने वाले लोगों में से ५६ प्रतिशत व्यक्ति बिल्कुल भी शरणार्थी नहीं थे। अन्य व्यक्तियों में से अधिकांश ऐसे लोग थे जिन्हें शिविरों या अन्य स्थानों में कई बार ले जाया गया था और वे वापिस आ गये थे। वे मिले जुले लोग हैं। गैर शरणार्थियों के आने पर इसी प्रकार की कठिनाई का सामना करना पड़ता है। हर बार हमने उन्हें हटा कर शिविरों में रखा था। इसलिये सियालदा स्टेशन सभी प्रकार के लोगों के लिये, गैर शरणार्थी लोगों के लिये भी, एक प्रकार का अकर्माधिदेय के लिये एक शिविर बन गया है। यह कठिनाई है।

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री दी० चं० शर्मा।

†**राजा महेन्द्र प्रताप** : क्या मैं माननीय प्रधान मंत्री से मालूम कर सकता हूं....

†**अध्यक्ष महोदय** : शांति, शान्ति ! माननीय सदस्य को यहां प्रक्रिया संबंधी नियमों का पालन करना चाहिये।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या सामूहिक निष्क्रमण की इस समस्या पर वाद विवाद के लिये अनुसचिवीय स्तर पर कोई बैठक बुलाई गई है? और यदि हां, तो अन्तिम बैठक कब हुई थी?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : पहिले कई बैठकें हो चुकी हैं, परन्तु मेरे विचार में $१^{१}/_{२}$ वर्ष से अधिक समय से, सम्भवत: एक वर्ष और नौ महीने से कोई बैठक नहीं हुई है। परन्तु जहां तक सामूहिक निष्क्रमण का संबंध है माननीय सदस्यों ने देखा होगा कि वास्तविक सामूहिक निष्क्रमण में पिछले आंकड़ों की तुलना में कहीं अधिक कमी हुई है।

†**राजा महेन्द्र प्रताप** : क्या माननीय प्रधान मंत्री को मालूम है.....

†**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न। मैं इस प्रश्न के संबंध में कई प्रश्नों की अनुमति दे चुका हूं।

†**श्री जाधव** : इस ओर के सदस्यों को आपकी दृष्टि आकर्षित करना कठिन होता है।

†**अध्यक्ष महोदय** : इस ओर भी काफी सदस्य मेरी दृष्टि आकर्षित करते हैं।

सरकारी होस्टल

†***१५१९. श्री संगण्णा** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली के सरकारी होस्टलों के निवासियों पर बहुत समय से किराये की रकमें बकाया चली आ रही है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के बकाया किराये की कुल रकम कितनी है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) इसका कारण क्या है; और

(घ) वसूली के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाहियां की गई हैं?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) तथा (ख). दिसम्बर, १९५७ के अन्त तक वसूली की बकाया रकम ९६,९९४ रुपये थी । क्योंकि निर्धारित किराये की मासिक राशि औसत से ४१,०४५ रुपये है और एक महीने के लिये देय रकम बाद के महीने में वसूल की जाती है इसलिये यथार्थ बकाया रकम का अंदाजा ५५,९४९ रुपये है। ३९,२९९ रुपये की बकाया रकमें १९५५-५६ तथा १९५६-५७ वर्ष की हैं और शेष राशि उस से पहिले वर्षों की है।

(ग) क्योंकि एस्टेट आफिस को तत्सम्बन्धी सरकारी कंपनियों के लेखा अधिकारियों द्वारा वसूली के संबंध में इतला नहीं मिली है इसलिये वास्तव में बकाया रकमों में से अधिकांश रकमें कागजी बकाया रकमें हैं।

(घ) बकाया रकमों की विभाग-वार सूचियां तैयार की जा रही हैं और संबंधित विभागों से निजी सम्पर्क द्वारा वसूली का ब्यौरा तैयार करने के लिये एक विशेषाधिकारी नियुक्त किया गया है।

†**श्री संगण्णा** : इन बकाया रकमों की वसूली के लिये सरकार द्वारा क्या उपाय अपनाये गये हैं? क्या वे दाण्डिक हैं या कुछ और हैं?

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : यदि आप छानबीन करें तो आप देखेंगे कि बकाया रकमों की राशि अधिक नहीं है। पिछले छः वर्षों में किराये की राशि २९ लाख रुपये से कुछ अधिक होती है और इसमें से वसूल की गई रकम २८,२०,००० रुपये है। यदि आप एक महीने का किराया छोड़ दें तब बकाया रकम ५५,००० रुपये, अर्थात् दो प्रतिशत से कम राशि रह जाती है। हमने एक विशेषाधिकारी नियुक्त किया है जो बकाया रकमों की जल्दी वसूली करने के लिये विभिन्न मंत्रालयों से निजी सम्पर्क स्थापित कर रहा है?

†**श्री लीलाधर कटकी** : क्या ये बकाया रकमें वसूल होने वाली हैं या बई खाते में जायेंगी? अर्थात्, क्या उनकी वसूली के संबंध में कुछ कठिनाई है?

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : वास्तव में वे स्थावर बकाया रकमें नहीं हैं। हम इसलिये ऐसा सोचते हैं क्योंकि उन मे से अधिकांश रकमें ऐसी हैं जिनके संबंध में कागजी समायोजन का कार्य अभी नहीं किया गया है।

शोलापुर स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लिमिटेड

†***१५२०. श्री गोरे** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री ११ फरवरी, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या २ के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या शोलापुर स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लिमिटड तथा कुछ अन्य मिलों के मामलों की जांच करने के लिये जो समिति नियुक्त की गई थी उसने अब अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : जी, नहीं ।

†**श्री गोरे** : क्या यह सच है कि पिछले वर्ष जो सोमानी समिति नियुक्त की गई थी वह अभी तक शोलापुर जाने का समय नहीं निकाल सकी है?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री कानूनगो : मुझे मालूम नहीं है। इस महीने के अन्त तक उनके प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने की आशा है। जांच के लिये शोलापुर जाना आवश्यक नहीं है।

†श्री रामेश्वर टांटिया : क्या इस विशिष्ट मिल को दिया गया सरकारी ऋण बहुत अधिक समय से अभी तक वापिस नहीं किया गया है और क्या मैं जान सकता हूं कि इसकी वसूली के लिये सरकार ने क्या कार्यवाहियां की हैं और वसूली की कितनी आशा है?

†श्री कानूनगो : समवाय ने अब तक का ब्याज दे दिया है। ऋण की रकम अभी तक नहीं लौटाई गई है और अन्य किसी धनी जैसी ही स्थिति हमारी है।

†श्री गोरे : इस बात को देखते हुए कि सरकार ने इस समवाय को १ करोड़ रुपया दिया हुआ है और इस बात को देखते हुये भी कि श्रमिकों की भविष्य निधि में से लगभग ५० लाख रुपये नियमों के अनुसार समय रहते सरकारी कोषागार में जमा नहीं करवाये गये थे, क्या मैं जान सकता हूं कि इस समवाय के विरुद्ध सरकार का क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : जहां तक इस मिल का संबंध है, हर पहलू से इसकी स्थिति काफी खराब है और मैं सदन से कुछ और समय तक प्रतीक्षा करने के लिये कहूंगा। इस महीने के अन्त तक वह समिति अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देगी। कई जटिल समस्यायें हैं और प्रतिवेदन की प्रतीक्षा करना उचित होगा; फिर हम प्रसन्नता से सदन को अपने विश्वास में ले लेंगे।

†श्री गोरे : क्या सरकार को स्वयं श्रमिकों से कोई अभ्यावेदन अथवा कोई योजना प्राप्त हुई है?

†श्री कानूनगो : बम्बई सरकार कुछ योजनाओं पर विचार कर रही है।

†श्री हेडा : नये प्रबन्ध के अधीन बम्बई के एक सफल मिल मालिक को इस मिल का भारसाधक नियुक्त किया गया था। क्या सरकार ने उसके कार्य की जांच की है और यदि हां, तो सरकार की राय क्या है?

†श्री कानूनगो : माननीय सदस्य जो कुछ कह रहे हैं हमें उसकी कोई जानकारी नहीं है।

पश्चिमी बंगाल में चटाई उद्योग

+

†*१५२१. { श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिमी बंगाल में चटाई उद्योग की स्थिति चिन्ताजनक है; और

(ख) यदि हां, तो मुख्य कारण क्या हैं?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री सुबोध हंसदा :** यदि उद्योग की स्थिति चिन्ताजनक नहीं है तो पश्चिमी बंगाल में चटाई उद्योग में सुधार करने की दृष्टि से सरकार का क्या कार्यवाहियां करने का प्रस्ताव है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** वास्तव में माननीय सदस्य द्वारा यही प्रश्न पूछा गया है और हमने इस मामले की जांच की है। यथार्थ में इसकी वैसी स्थिति नहीं है। परन्तु यह हो सकता है कि विशिष्ट संस्थाओं में इसका जितना विकास होना चाहिये उतना विकास न हो रहा हो। यदि माननीय सदस्य इस प्रकार के विशिष्ट मामले बतायें तो हम अवश्य उनकी जांच करेंगे।

†**श्री स० च० सामन्त :** क्या यह सच है कि पश्चिमी बंगाल में जो शिल्पकार उम्दा चटाइयां निर्मित करते थे वे अब इस कारण अन्य व्यवसाय अपना रहे हैं कि उनके उत्पाद के लिये मण्डी नहीं मिल रही है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** वे अपनी शक्तियों को अन्य कार्यों में लगा रहे हैं। इसके अन्य कारण भी हो सकते हैं। परन्तु जहां तक प्रविधि में सुधार करने का संबंध है, हमने एक गवेषणा केन्द्र की स्थापना की है। हमारा एक रूपांकण केन्द्र है और हम सहकारी समिति को सुदृढ़ बना रहे हैं। इसलिये सामान्य रूप से उद्योग की अधिकांशतः बुरी स्थिति नहीं है। यदि कोई वैयक्तिक मामले हैं तो जैसा कि मैं ने अभी कहा है हम निश्चित रूप से उनकी जांच करेंगे।

†**श्री साधन गुप्त :** शिल्पकारों को अपने उत्पाद बेचने के लिये सरकार ने कोई सुविधायें प्रदान की हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह :** जी, हां। विभिन्न निकायों तथा विभिन्न निगमों के इन सभी प्रयत्नों का उद्देश्य उनके लिये देश में तथा विदेश में, दोनों स्थानों पर, मंडियों का प्रबन्ध करना है। सरकार के कई विभाग भी उन्हें खरीद रहे हैं।

भारत का राज्य व्यापार निगम (प्राइवेट) लिमिटेड

†*१५२२. **श्री दामानी :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि निर्यात के लिये उद्दिष्ट हमारे देशीय उत्पाद को, विशेष रूप से जूतों, दस्तकारियों आदि को, विदेश में लोकप्रिय बनाने के लिये विदेशी उपभोक्ताओं के स्वभावों तथा रुचियों को जानने के लिये भारत के राज्य व्यापार निगम (प्राइवेट) लिमिटेड द्वारा क्या प्रयत्न किये गये हैं ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** भारत का राज्य व्यापार निगम जूतों, दस्तकारियों, आदि जैसे देशीय उत्पाद को अधिकांशतः पूर्वी यूरोपीय देशों में भेजने के लिये प्रयत्न कर रहा है जहां व्यापार पर राज्य का एकाधिपत्य है। भारत में पूर्वी यूरोपीय देशों के व्यापार प्रतिनिधियों से निगम द्वारा निरन्तर सम्पर्क बनाये रखा जाता है। यदा-कदा यह उन देशों की आयात संस्थाओं के प्रतिनिधिमंडलों का भी स्वागत करता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

निगम द्वारा की जाने वाली उपरोक्त कार्यवाहियों के अतिरिक्त विदेशों में भारत सरकार के वाणिज्यिक प्रतिनिधियों द्वारा वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के द्वारा समय समय पर निगम को उन देशों के साथ निर्यात व्यापार के विकास की संभावनाओं के संबंध में भी सूचित किया जाता है।

†**श्री दामानी :** १९५७–५८ में दस्तकारियों तथा जूतों के लिये राज्य व्यापार निगम द्वारा कुल कितनी मात्रा के आर्डर बुक किये गए थे और उनमें से कितना माल निर्यात किया गया था ?

†**श्री कानूनगो :** दस्तकारियों तथा जूतों के लिये मेरे पास पृथक आंकड़े नहीं हैं परन्तु कुल आर्डर कई करोड़ रुपये के थे। सच तो यह है कि व्यापार संबंधी मेलों में हमने २,९६,००० रुपये की कीमत के आर्डर बुक किये थे। कुल आर्डर पांच करोड़ रुपये के होंगे।

†**श्री लीलाधर कटकी :** निर्यात की मदें कौन सी थीं और उनका मूल्य कितना था ?

†**श्री कानूनगो :** यह लम्बी सूची है। मैं इसे सभा–पटल पर रख दूंगा।

†**श्री तिम्मय्या :** वे सभी देश जिनसे भारत के मैत्रीपूर्ण संबंध हैं क्या उनमें इन दस्तकारियों के लिये सरकार प्रदर्शनालय खोलेगी ?

†**श्री कानूनगो :** यह इसलिये आवश्यक नहीं है क्योंकि वहां व्यापार पर राज्य का एकाधिपत्य है।

†**श्री पाणिग्रही :** क्या दस्तकारियों के निर्यात में विलम्ब के संबंध में इन देशों से राज्य व्यापार निगम को कोई शिकायत प्राप्त हुई है ?

†**श्री कानूनगो :** अधिकांशतः नौवहन के कारण तथा ऐसे ही अन्य कारणों से आकस्मिक कठिनाइयां हुई हैं।

पटसन का सामान

†*१५२४. **श्री हेडा :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन जूट मिल्स एसोसीयेशन ने पटसन के सामान के लिये न्यूनतम दाम नियत किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो हमारे निर्यात पर इसका क्या प्रभाव हुआ है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) :** (क) जी, हां।

(ख) अभी अन्तिम प्रभावों का परिगणन नहीं किया जा सकता है लेकिन अभी तक कोई प्रतिकूल प्रभाव देखने में नहीं आया है।

†**श्री हेडा :** क्या सरकार को मालूम है कि जब कभी भी खरीदारों की विपणि होती है तब आन्तरिक प्रतिस्पर्धा के कारण कच्चे पटसन के निर्यातकों को हानि होती है ?

†**श्री कानूनगो :** भारतीय जूट मिल्स सन्था की इस कार्यवाही का उद्देश्य इसी बात की रक्षा करना है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हेडा :** क्या सरकार का यह विचार है कि जूट सन्था द्वारा की गई कार्यवाही पर्याप्त है या सरकार इस संबंध में कुछ अन्य कार्यवाहियां करेगी ?

†**श्री कानूनगो :** इस समय इसे पर्याप्त देखा गया है ।

†**श्री कासलीवाल :** क्या इस जूट मिल्स सन्था ने सरकार से सलाह करने के बाद यह न्यूनतम मूल्य नियत किया था या उन्हों ने अपनी इच्छा ही से कार्यवाही की है ?

†**श्री कानूनगो :** उन्हों ने स्वयं अपनी इच्छा से यह कार्यवाही की है । यह जूट मिल सन्था की स्वैच्छिक कार्यवाही है ।

†**श्री रंगा :** पटसन उत्पादकों को कच्चे पटसन के लिये नियत न्यूनतम मूल्य के आश्वासन जैसी जो अनुपूरक कार्यवाहियां की जानी हैं क्या यह कार्यवाही भी उन से किसी प्रकार से संबंधित है ?

†**श्री कानूनगो :** पटसन के लिये मूल्य का कोई संविहित निश्चयन नहीं है लेकिन पटसन आयोग द्वारा पटसन उत्पादों की कीमत का कच्चे पटसन की कीमत से जो अनुपात बताया गया था उसे उचित रूप से बनाये रखा जाता है ।

†**श्री रामेश्वर टांटिया :** क्योंकि निर्मित वस्तुओं के मूल्य की तुलना में कच्चा पटसन कहीं सस्ते दामों पर बेचा जा रहा है इसलिये क्या सरकार मिलों को न्यूनतम दाम पर कच्चा पटसन खरीदने की सलाह दे रही है ?

†**श्री कानूनगो :** पटसन आयोग द्वारा निर्मित वस्तुओं की कीमत का कच्चे पटसन की कीमत से जो अनुपात बनाया गया था उसे उचित रूप से बनाये रखा जाता है ।

†**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :** क्या पटसन के लिये न्यूनतम दाम नियत करने के संबंध में कृषि मंत्रालय ने कोई सिफारिश की है ?

†**श्री कानूनगो :** जब पटसन आयोग के प्रतिवेदन पर विचार किया गया था और संकल्प पारित किया गया था उस समय यह देखा गया था कि ऐसा करना आवश्यक नहीं है ।

पाकिस्तान में भारतीय नजरबन्द

†*१५२५. { **श्रीमती इला पालचौधरी :**
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार का ध्यान ५ मार्च, १९५८ को कराची में नेशनल असैम्बली के सामने पाकिस्तान के गृह-मंत्री के इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है जिस में उन्हों ने कहा था कि पाकिस्तान सुरक्षा अधिनियम के अधीन दो भारतीय राष्ट्रजन पाकिस्तान में नजरबन्द हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में वास्तविक तथ्य क्या हैं; और

(ग) इन दोनों भारतीय राष्ट्रजनों की रिहाई के लिये अब तक क्या कार्यवाहियां की गई हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) जी हां ।

(ख) पाकिस्तान में तीन व्यक्ति नजरबन्द हैं जिन के नाम हैं सर्वश्री बेली राम, लाल चन्द और अयोध्या नाथ ।

सर्वश्री बेली राम और लाल चन्द भारत में निष्क्रमण के लिये जून १९५३ में डी० ए० वी० कालिज पारनयन शिविर में दाखिल हुए थे । २२ अक्तूबर १९५३ को उन्हें पाकिस्तान पुलिस द्वारा जासूसी करने के अपराध में गिरफ्तार किया गया था और तब से वे पाकिस्तान सुरक्षा अधिनियम के अधीन पाकिस्तान में नजरबन्द हैं ।

भारत सरकार को मार्च १९५७ में श्री अयोध्या नाथ की पत्नी से यह सूचना मिली थी कि वह पाकिस्तान में कैद हैं ।

(ग) कराची में हमारे उच्चायोग ने पाकिस्तान सरकार के साथ श्री अयोध्या नाथ के मामले पर बातचीत की थी परन्तु उस सरकार ने उस स्थान तथा जिले के बारे में जानकारी मांगी थी जहां श्री अयोध्या नाथ को गिरफ्तार अथवा नजरबन्द किये जाने की बात प्रतिवेदित की गई थी । उन की पत्नी से यह जानकारी प्राप्त करने के प्रयत्न सफल सिद्ध नहीं हुए हैं । अब क्योंकि पाकिस्तान के गृह-कार्य मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य से यह बात फिर सिद्ध हो गई है कि श्री अयोध्या नाथ पाकिस्तान में नजरबन्द हैं इसलिये कराची में हमारे उच्चायोग द्वारा फिर इस मामले को उठाया जा रहा है।

लाहौर में हमारे उप-उच्चायुक्त ने मार्च १९५५ में सर्वश्री बेलीराम तथा लालचन्द के मामले में पश्चिमी पाकिस्तान सरकार के साथ बातचीत की थी । उन्हें सूचित किया गया था कि उन के मामलों पर उचित ध्यान दिया गया है लेकिन उन्हें नजरबन्द रखने का निर्णय किया गया है ।

†**श्रीमती इला पालचौधरी** : क्योंकि प्रेस समाचारों में यह कहा गया है कि पाकिस्तानी जेलों में जो व्यवहार किया जाता है वह वैसा नहीं है जैसा कि किया जाना चाहिये इसलिये क्या पाकिस्तान जेल में किये जाने वाले व्यवहार के संबंध में हमें कोई जानकारी प्राप्य है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : पाकिस्तान जेलों में व्यवहार के संबंध में जो कुछ प्रेस में कहा गया है उस से अधिक हमें कुछ जानकारी नहीं है ।

†**श्री हेम बरुआ** : माननीय उपमंत्री ने अभी कहा है कि पाकिस्तान सरकार ने हमें सूचित किया है कि उन्हें नजरबन्द रखा जा रहा है । क्या पाकिस्तान सरकार ने उन व्यक्तियों को नजरबन्द करने के अपने निर्णय के सम्बन्ध में हमें कारण बताये हैं ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : उत्तर में पहले ही बताया जा चुका है कि उन्हें जासूसी के आरोप में नजरबन्द किया गया है ।

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन** : क्या कराची में हमारे उच्चायुक्त ने नजरबन्दी के कारणों की जांच की है और क्या वह कम से कम इस बात से सन्तुष्ट हैं कि ऐसे कुछ आधार हैं जिन पर उन्हें नजरबन्द किया जा सकता है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : मेरे विचार में नहीं; यह ठीक नहीं है । संबंधित उच्चायुक्त इन मामलों के प्रति उन का ध्यान दिला सकते हैं । परन्तु वह पाकिस्तान सरकार को सभी कागज आदि दिखाने पर विवश नहीं कर सकते हैं । यह सौजन्यता का मामला है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दावों का सत्यापन

†*१५२६. **पंडित ठाकुर दास भार्गव :** क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है जो ऐसे बन्धकधारी थे जिन के कब्जे में ६० वर्ष से अधिक समय से भूमि थी और जिन के दावों को पहिले ग्रहण नहीं किया गया था और बाद में जिन्हों ने अपने दावों की पड़ताल करवाई थी; और

(ख) १९५५ के विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) नियमों के नियम ९६ (२) तथा (१) के उपबन्धों के अधीन पुनर्वास अनुदानों के लिये कितने दावों की पड़ताल की जा चुकी है ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर) :** (क) तथा (ख). जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथा समय सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव :** क्या (क) तथा (ख) में जिन व्यक्तियों की चर्चा की गई है उन में से किसी को कोई प्रतिकर दिया गया है ?

†**श्री पू० शे० नास्कर :** जैसा कि मैं ने कहा था जानकारी एकत्रित की जा रही है और वह सभा-पटल पर रख दी जायेगी । उस के बाद माननीय सदस्य पूर्व-सूचना दे सकते हैं ।

काफी का निर्यात

†*१५२७. **श्री जीनचन्द्रन् :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि काफी की निर्यात कीमत कम हो गई है और १९५७ के बाद के ६ महीनों में काफी की बहुत ही कम मात्रा बेची जा सकी थी;

(ख) अन्तर्देशीय विपणि पर इस का जो प्रभाव होगा उसे देखते हुए मूल्यों को गिरने से रोकने के लिये क्या सरकार क्या कार्यवाहियां करेगी; और

(ग) क्या काफी के निर्यात व्यापार के वर्तमान ढंग को बदलने के लिये सरकार किसी नये प्रस्ताव पर विचार कर रही है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) :** (क) १९५७ के अन्तिम छः महीनों में काफी के निर्यात दाम गिर गये थे और फरवरी १९५८ में निर्यात सम्बन्धी पहली दो बिक्रियों में बहुत ही कम मात्रा बेची गयी थी ।

(ख) विश्व-विपणि में मूल्यों की प्रवृत्ति के अनुसार ही निर्यात बिक्रियों के संबंध में दाम सुनिश्चित किये जाते हैं । माल को बिक्री के लिये प्राद्वातः मुक्त कर के और बिक्री के समय विश्व मूल्य को ध्यान में रख कर प्रस्तावों को स्वीकार कर के यथासम्भव अच्छे से अच्छे दाम प्राप्त करने के लिये प्रयत्न किये जाते हैं ।

(ग) काफी के लिये अच्छे दाम प्राप्त करने के लिये निर्यात बिक्री की नई रीतियों के संबंध में प्रस्ताव विचाराधीन हैं ।

---

†गूल अंग्रेजी में

†**श्री जीनचन्द्रन :** काफी के निर्यात मूल्य में भारी कमी को देखते हुए क्या सरकार काफी के निर्यात शुल्क पर कुछ छूट देने का विचार करेगी ताकि यह उद्योग विदेशी मंडियों में अच्छी तरह मुकाबला कर सके ?

†**श्री कानूनगो :** स्थिति इतनी बुरी नहीं है। हमारा विचार है कि हम जिन नये तरीकों के बारे में सोच रहे हैं उस से इस का निर्यात बढ़ जायेगा क्योंकि हम यह तरीका अन्य देशों में लगातार घटती हुई कीमतों को सोच विचार कर निकाल रहे हैं।

†**श्री अय्याकण्णु :** क्या सरकार ने उन संविदाओं में जो कि काफी बोर्ड द्वारा की गयी हैं काफी की निर्यात कीमतों को कम करने के प्रश्न पर कोई विचार किया है जैसी कि बागान जांच समिति ने सिफारिश की थी ?

†**श्री कानूनगो :** बागान जांच समिति ने ऐसा कोई परामर्श नहीं दिया है, किन्तु जैसा कि मैं पहले बता चुका है, हम निर्यात बिक्री की पद्धति में कुछ परिवर्तन करने का विचार कर रहे है। इस से अपने देश में तथा विदेशों में दोनों स्थानों पर काफी की वास्तविक बिक्री पर बोर्ड का नियन्त्रण रहेगा।

†**श्री शिवनंजप्पा :** क्या यह सच है कि मद्रास की किसी फर्म का काफी के निर्यात के व्यापार में एकाधिकार है तथा वह ७५ प्रतिशत कहवे का निर्यात करती है ?

†**श्री कानूनगो :** यह सच नहीं है। किन्तु इस में कोई सन्देह नहीं कि नीलाम में बोली बोलने वाले निर्यातकों की संख्या सीमित है। हम अन्य निर्यातकों को नीलाम में बोली बोलने के लिये आगे बढ़ने के लिये उत्साहित कर रहे हैं।

†**श्री आचार :** क्या सरकार विदेशों में इस के लिये नयी मंडियों की खोज करने के लिये कोई प्रतिनिधिमंडल भेजने का विचार रखती है ?

†**श्री कानूनगो :** हम केवल ०.२७ प्रतिशत काफी कहवे का निर्यात करते हैं। इसलिये इस प्रकार का कोई प्रतिनिधिमंडल भेजने का कोई लाभ नहीं है।

फैनी नदी

†*१५३०. **श्री बांगशी ठाकुर :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत और पाकिस्तान के बीच फैनी नदी के बारे में कोई समझौता हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो क्या ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) :** (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†**श्री बांगशी ठाकुर :** क्या यह सच नहीं है कि महाराजा के जमाने में त्रिपुरा का फैनी नदी के द्वारा होने वाले निर्यात, आयात नौपरिवहन व मछलियां पकड़ने के व्यापार आदि पर नियन्त्रण था और इस बारे में केवल एक ही शर्त थी—निर्यात-शुल्क, चाहे वह त्रिपुरा राज्य के इलाके में जमा हो अथवा चिटगांव के पहाड़ी क्षेत्रों के इलाकों से मिले, त्रिपुरा सरकार व ब्रिटिश सरकार के बीच इस प्रकार बांटा जायेगा कि उस में से १० आने का भाग त्रिपुरा सरकार को मिलेगा और ६ आने का ब्रिटिश सरकार को ? यदि हां, तो क्या अब भी इस व्यवस्था का पालन होता है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : यह प्रश्न सीमा के समझौते के सम्बन्ध में है, इस का निर्यात, आयात अथवा मूल्यों से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

†**श्री च० का० भट्टाचार्य** : प्रश्न यह है कि क्या सरकार इस नदी के सम्बन्ध में त्रिपुरा राज्य द्वारा भोगे जाने वाले अधिकारों को अब भी बहाल रखे हुए हैं ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : यही तो विवाद का विषय है । विभाजन से पहले हम त्रिपुरा राज्य की सीमा नदी के मध्य से मानते थे किन्तु पाकिस्तान सरकार का यह कहना है कि सम्पूर्ण नदी सीमा रेखा है ।

†**श्री बांगशी ठाकुर** : क्या यह सच नहीं है कि महाराजा इन अधिकारों का बहुत देर से उपयोग कर रहे थे ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : हमारा भी यही कहना है । किन्तु पाकिस्तान सरकार इस को स्वीकार नहीं कर रही है ।

प्रधान मंत्री की तिब्बत यात्रा

+

†*१५३३. **श्री भक्त दर्शन :**
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीनी गणराज्य की सरकार ने उन्हें तिब्बत आने का निमंत्रण दिया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह निमंत्रण स्वीकार कर लिया गया है ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) जी हां ।

(ख) जी हां, लेकिन अभी तिब्बत जाने की तारीख तै नहीं हुई है ।

†**श्री भक्त दर्शन** : क्या तिब्बत यात्रा में केवल लासा जाने का निमंत्रण मिला है या कैलाश मानसरोवर तथा तिब्बत के दूसरे भागों में भी जाने का विचार है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : इस सिलसिले में कैलाश मानसरोवर की कोई चर्चा नहीं हुई है ।

श्री भक्तदर्शन : अभी कुछ दिनों पहिले प्रधान मंत्री जी ने एक पत्रकार सम्मेलन अर्थात् प्रेस कान्फ्रेन्स में यह बताया था कि इस देश के कार्याभार से वे कुछ शिथिल हो रहे हैं । मैं जानना चाहता हूं कि क्या तिब्बत यात्रा का एक उद्देश्य यह भी है कि भारत की गर्मी से बच कर तिब्बत की ठंड में जा कर कुछ दिन विश्राम किया जाय ?

†**श्री पाणिग्रही** : क्या हमारे प्रधान मंत्री तिब्बत जाते हुए सिक्किम तथा भूटान ठहरने का विचार रखते हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मुझे यह प्रश्न समझ में नहीं आया। सिक्किम कोई विदेशी देश नहीं है। मैं कई बार वहां जाता हूं। अभी मैं कुछ समय पहले भी वहां गया था। जब कभी मैं तिब्बत जाता हूं, अगर मैं सड़क के मार्ग द्वारा जाऊं तो मुझे सिक्किम में से हो कर जाना पड़ता है क्योंकि तिब्बत का वही एक मात्र मार्ग है और सिक्किम उसके रास्ते पर पड़ता है जहां तक भूटान का सम्बन्ध है मुझे वहां के महाराजा से ४ वर्ष पहले वहां आने का निमंत्रण मिला हुआ है मेरी इच्छा भी है कि मैं वहां जाऊं। किन्तु वहां जाने में बहुत समय लग जाता है। जितना समय विमान द्वारा सारे विश्व का चक्कर लगाने में लगता है उस से भी कहीं अधिक समय वहां पहुंचने में लगता है। इस का कारण यह है कि वहां पर कोई सड़कें नहीं हैं और न ही वहां कोई हवाई अड्डा है। मुझे वहां पहुंच कर लौटने मात्र में ३ सप्ताह लग जायेंगे। और मैं फिर भी उस देश के किस भी भीतरी भाग में नहीं जा पाऊंगा। मुझे इतना समय नहीं मिलता है। फिर भी मैं किसी दिन वहां जाने की आशा रखता हूं।

श्री ब्रजराज सिंह : तिब्बत यात्रा में कितने दिन ठहरने का कार्यक्रम बनाया गया है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : कोई कार्यक्रम नहीं बना है, लेकिन ख्याल था कि शायद सात, आठ या दस दिन वहां लग जायें।

हिमाचल प्रदेश में हस्तशिल्प

†*१५३६. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार द्वितीय पंचवर्षीय अवधि के दौरान में हिमाचल प्रदेश के हस्तशिल्पों के विकास के लिये वित्तीय सहायता देने का कोई विचार रखती है; और

(ख) यदि हां, तो इस अवधि में उसे कुल कितना रुपया दिये जाने का विचार है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी हां।

(ख) इस कार्य के लिये हिमाचल प्रदेश के लिये ३ लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है।

†**श्री दलजीत सिंह** : हिमाचल प्रदेश में हस्तशिल्प के विकास के लिये बनाई गई योजना की क्या रूपरेखा है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : इस में बांस के सामान, मिट्टी के बर्तनों व लकड़ी के कार्यों आदि के विकास की योजनायें हैं। इन की बड़ी लम्बी चौड़ी संख्या है। हमारा अनुभव यह है कि हिमाचल-प्रदेश में हस्तशिल्पों का इतनी तेजी से विकास नहीं हो रहा है जितनी तेजी से कि होना चाहिये।

जंगपुरा में फ्लैटों का दिया जाना

†*१५३८. **श्री याज्ञिक** : क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जंगपुरा एक्सटेंशन की स्थानीय दूकानदार संथा से कोई ऐसा अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिस में उन्हों ने जंगपुरा एक्सटेंशन में दूकानों के ऊपर बनाये गये फ्लेटों के वहां के दूकानदारों के अलावा अन्य बाहर वालों को दिये जाने के विरुद्ध शिकायत की हो;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार कितने फ्लैट बाहर के लोगों को दिये गये हैं;

(ग) कितने फ्लैटों का दिया जाना अभी बाकी है; और

(घ) क्या यह फ्लैट उन्हीं दूकानदारों को दिये जायेंगे जिन की दूकानों के ऊपर वे बने हुए हैं ?

†मूल अंग्रेजी में

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर)** : (क) जी हां ।

(ख) केवल दो ।

(ग) ग्यारह ।

(घ) यह फ्लैट उन में से केवल ऐसे दूकानदारों को दिये जायेंगे जिन को कि रहने के लिये पहले कोई स्थान नहीं दिया गया हो या जो अगर उन्हें पहले कहीं और कोई मकान दिया जा चुका हो तो उस मकान को छोड़ने को तैयार हों ।

†**श्री याज्ञिक** : क्या यह सच है कि इन दुकानों में से एक ऐसा दूकानदार है जिस का कि १३ सदस्यों का एक बहुत बड़ा परिवार है परन्तु उसे अपनी दूकान के ऊपर का फ्लैट नहीं दिया गया है और उस के बदले में जिस व्यक्ति को वह मकान दिया गया है उस का कहीं छोटा परिवार है तथा उस के पास अन्य दूकानें व मकान भी हैं ?

†**श्री पू० शे० नास्कर** : जंगपुरा एरिया में ३८ ऐसे फ्लैट थे । इन में से २ दूकानदार ऐसे थे जिन्हें कि अपने ऊपर के फ्लैट पाने का हकदार नहीं समझा गया । इन में से एक दूकानदार ऐसा था जिसने अपनी दूकान किसी को किराये पर दे रखी थी और दूसरा ऐसा था जिस के पास अन्यत्र रहने का स्थान था । जब तक वह दूसरा स्थान नहीं छोड़ता तब तक हम उस को उस की दूकान के ऊपर वाला मकान नहीं दे सकते हैं ।

†**श्री याज्ञिक** : ऐसा कहा जाता है कि मकानों को एलाट करते समय जिन लोगों का बहुत बड़ा परिवार होता है, अर्थात् परिवार में ६ या सात व्यक्तियों से भी अधिक होते हैं, उन्हें दूसरा मकान दिया जाता है किन्तु यहां पर एक व्यक्ति को मकान दिया गया है जिस के पास कि कई अन्य दूकानें व मकान हैं तथा जिस का परिवार भी छोटा सा है ।

†**श्री पू० शे० नास्कर** : हम एक परिवार को मकान देते हैं । माननीय सदस्य बहुत से मकान देने की बात कर रहे हैं जो कि यहां पर सम्भव नहीं है ।

†**श्री याज्ञिक** : क्या सरकार को ज्ञात है कि दूकानदारों व उन लोगों में जिन को कि उन की दूकानों के ऊपर फ्लैट दिये गये हैं एक झगड़ा उठ खड़ा हुआ है ? इन सब कठिनाइयों को दूर करने के लिये उस क्षेत्र में शान्ति व्यवस्था की पूरी तरह तहकीकात की जानी चाहिये ।

†**श्री पू० शे० नास्कर** : हमें कोई ऐसी सूचना नहीं मिली है ।

†**श्री वाजपेयी** : क्या यह सच है कि ऐसे लोगों को फ्लैट दिये गये हैं जिनकी कि बाजार में कोई दूकान नहीं है और दूसरी ओर ऐसे लोगों की मांग की कोई सुनवाई नहीं की गई है जिनकी वहां दूकानें हैं ?

†**श्री पू० शे० नास्कर** : मूल निश्चय जंगपुरा तथा दो या तीन अन्य क्षेत्रों के बारे में किया गया था । यदि माननीय सदस्य को किसी विशेष मामले की जानकारी है तो वह हमें बता सकते हैं । उसकी जांच की जायेगी ।

बर्मा में भारतीय

†***१५३९. श्री रामनाथन् चेट्टियार** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बर्मा में भूमि के राष्ट्रीयकरण से कितने भारतीय राष्ट्रजनों पर प्रभाव पड़ा है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इस अधिनियम के अन्तर्गत भारतीय राष्ट्रजनों को कुल कितना मुआवजा दिया जायेगा ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) बर्मा के भूमि राष्ट्रीयकरण अधिनियम का कितने भारतीय राष्ट्रजनों पर प्रभाव पड़ा है इसके संबंध में जानकारी नहीं मिल सकती है क्योंकि बर्मा सरकार का भूमि राष्ट्रीयकरण विभाग भारतीयों के संबंध में कोई पृथक् आंकड़े नहीं रखता है।

(ख) अनुमान है कि इस अधिनियम के अन्तर्गत भारतीय राष्ट्रजनों को कुल ४·६ करोड़ क्याट का मुआवजा देय है।

†**श्री रामनाथन् चेट्टियार** : इस अधिनियम के अन्तर्गत भारतीयों को जो ४.६ करोड़ क्याट देय हैं उसमें से उनको कितनी राशि का भुगतान किया जा चुका है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : हमारे रंगून स्थित दूतावास को भूमि राष्ट्रीयकरण मुख्य मुआवजा अधिकारी द्वारा गैर सरकारी रूप से यह सूचना दी गई है कि १३ सितम्बर, १९५७ तक राष्ट्रीयकृत भूमियों के संबंध में १६८ भारतीय राष्ट्रजनों को २,७२,५२६ क्याट का मुआवजा दिया गया।

†**श्री रामनाथन् चेट्टियार** : यह अधिनियम १० वर्ष पूर्व पास किया गया था तथा इस अधिनियम से प्रभावित भारतीय राष्ट्रजनों की बड़ी खराब हालत है। इन सब बातों को देखते हुए भारत सरकार बर्मा सरकार पर उनको यथासम्भव शीघ्र मुआवजा देने के बारे में दबाव डालने के लिये क्या कदम उठाना चाहती है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : हम केवल शिष्टाचारपूर्वक बर्मा सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित कर सकते हैं।

†**श्री जयपाल सिंह** : उपमंत्री महोदया ने भाग (क) के उत्तर में यह कहा है कि भारतीय राष्ट्रजनों की कोई पृथक् सूची नहीं रखी गई हैं। यदि यह बात सही है तो उन्होंने भाग (ख) के आंकड़े कैसे मालूम किये हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : वह पहले बता चुकी हैं कि उन्हें यह सूचना अनौपचारिक रूप से मिली है।

†**श्री जयपाल सिंह** : देय राशि के आंकड़े निश्चित अंकों में दिये गये हैं। यदि पहली बात के आंकड़े नहीं हैं तो दूसरी बात के आंकड़े भी नहीं बताये जा सकते।

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : हमें भारतीय राष्ट्रजनों द्वारा धारित उस भूमि के संबंध में आंकड़े मिल गये थे जिसका कि राष्ट्रीयकरण कर लिया गया है।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : भाग (ख) में बताये गये आंकड़े बर्मा सरकार के एक प्रेस टिप्पण में प्रकाशित किये गये थे।

†**श्री जयपाल सिंह** : मैं बिल्कुल भिन्न बात पूछना चाहता हूँ, यदि सभा के नेता...

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री महोदय ने बताया है कि उनके पास अर्जित भूमियों की एक सूची है। यह बात अधिनियम द्वारा प्रभावित व्यक्तियों से सर्वथा भिन्न है। मंत्री महोदय के कथन का यही अभिप्राय है कि मुआवजा भूमि के हिसाब से दिया जाता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : हमारे पास इस संबंध के आंकड़े हैं कि चेट्टियारों के पास कुल कितने एकड़ ऐसी भूमि थी जिसका कि अब राष्ट्रीयकरण कर लिया गया है। हमने उसी आधार पर उसके मूल्य का हिसाब लगा लिया है।

†**श्री हेम बरुआ** : माननीय मंत्री ने मुआवजे के जो आंकड़े अभी बताये हैं क्या उनमें केवल उन्हीं भारतीय राष्ट्रजनों को दिया गया मुआवजा सम्मिलित है जिनकी भूमियों का १९५३–५४ तथा १९५४–५५ में राष्ट्रीयकरण किया गया था ?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि क्या यह राशि केवल १९५३ तथा १९५४ में अर्जित की गई भूमियों के मुआवजे की ही राशि है अथवा इसमें इनके बाद अर्जित की गई भूमियों का मुआवजा भी शामिल है ? वह भूमि का ब्यौरा नहीं जानना चाहते।

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : जिन भूमियों का १९५५–५६ और १९५६–५७ में राष्ट्रीय–करण किया गया है उनके संबंध में भी मुआवजा प्राप्त करने के लिये आवेदन पत्र देने के लिये कहा गया है।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि उपमंत्री महोदया ने लगभग ४ करोड़ क्याट को जिस राशि का उल्लेख किया है क्या उसमें केवल १९५३–५४ में अर्जित की गई भूमियों का मुआवजा ही शामिल है अथवा उसमें बाद में, जैसे १९५६–५७ में, अर्जित की गई भूमियों का मुआवजा भी शामिल है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : यह १६ मार्च, १९५७ तक की अवधि के सम्बन्ध में है।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : जो आंकड़े हम बता रहे हैं ये वे आंकड़े हैं जो कि एक बर्मी मंत्री द्वारा प्रेस को बताये गये हैं। यह प्रेस वक्तव्य १६ मार्च, १९५७ को जारी किया गया था। इसलिये यह अनुमान लगाया जाता है कि इसमें राष्ट्रीयकरण की जाने वाली कुल कृषि भूमि, उसके ऐवज में दिया जाने वाला मुआवजा तथा उसमें से चेट्टियारों द्वारा अधिकृत भूमि और उनको दिये जाने वाले कुछ मुआवजे आदि के बारे में जो आंकड़े बताये गये हैं वे उस तारीख तक के ही होंगे।

†**श्री पलनियाण्डी** : इस बात को देखते हुए कि इससे मद्रास के एक विशेष वर्ग पर प्रभाव पड़ रहा है क्या प्रधान मंत्री इस मामले को शीघ्र निपटाने की दृष्टि से मध्यस्थता करने के लिये तैयार होंगे ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं इस प्रश्न का पहले ही उत्तर दे चुका हूं। इस अधिनियम का बहुत से लोगों पर प्रभाव पड़ रहा है जिनमें वे लोग भी हैं जिनकी ओर माननीय सदस्य ने निर्देश किया।

†**श्री रामनाथन् चेट्टियार** : इस अधिनियम का कुल कितने एकड़ धान भूमि पर, जो कि भारतीय राष्ट्रजनों के कब्जे में है, प्रभाव पड़ा है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : लगभग २३,४३,७५५ एकड़ भूमि पर।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : ये आंकड़े उस भूमि के हैं जो चेट्टियारों के कब्जे में है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री रामनाथन् चेट्टियार** : मैं यह जानना चाहता था कि सभी भारतीय राष्ट्रजनों के पास कुल मिला कर कितने एकड़ ऐसी भूमि थी ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मेरे माननीय सहयोगी ने जो आंकड़े बताये हैं वह केवल चेट्टियारों की भूमि के हैं। क्या इस सब भूमि में धान ही की खेती होती है अथवा नहीं इसके संबंध में मैं कुछ नहीं बता सकता। सम्भवतः यह अधिकांशतः धान वाली भूमि ही होगी।

क्रोम अयस्क का निर्यात

†*१५४०. **श्री वि० च० शुक्ल** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हाल ही में क्रोम अयस्क के निर्यात के लिये कौन-कौन सी नई मंडियां ढूंढ़ी गई हैं ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : चीन, नार्वे और स्विटजरलैंड।

†**श्री वि० च० शुक्ल** : इन नई मंडियों को कुल कितने मूल्य का क्रोम अयस्क निर्यात किया जाता है ?

†**श्री कानूनगो** : मेरे पास मूल्य के आंकड़े तो नहीं हैं किन्तु मात्रा के आंकड़े अवश्य हैं। इन मंडियों को लगभग २२,४०० टन क्रोम अयस्क निर्यात किया गया है।

†**श्री वि० च० शुक्ल** : इन मंडियों के पता लगने से पहले कितना क्रोम अयस्क निर्यात किया जाता था ?

श्री कानूनगो : ४८,००० टन।

भूदृश्य समिति रिपोर्ट[1]

+

†*१५४२. **श्रीमती इला पालचौधरी :**
श्री स० म० बनर्जी :
श्री तंगामणि :
श्री प्रभात कार :
डा० राम सुभग सिंह :

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय द्वारा बनाई गई भूदृश्य समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं ; और

(ग) क्या उस रिपोर्ट की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय द्वारा बनाई गई भूदृश्य समिति एक स्थायी समिति है और यह यदा-कदा अपनी बैठकें करती रहती है तथा मंत्रालय को अपनी सिफारिशें देती रहती है। इसलिये इसके लिये अपनी रिपोर्ट भेजने का प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Landscape Committee Report.

(ख) समिति की कई बैठकें हुई हैं। इनमें इसने सरकारी नर्सरियों के सुधार, विभिन्न सरकारी बस्तियों व उनके आसपास के बाहरी भागों में वृक्षरोपण, अनुपयोगी वृक्षों को उखाड़ कर उनके स्थान पर उपयोगी वृक्ष लगाने, बागों व बगीचों का सुधार करने, इंडिया गेट के पास सेन्ट्रल विस्टा व बच्चों के पार्क का सुधार करने के संबंध में अनेक सिफारिशें की हैं।

(ग) प्रश्न (क) में दिये गये उत्तर को देखते हुए यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†**श्रीमती इला पालचौधरी :** इस समिति के बारे में समाचारपत्रों में प्रकाशित समाचारों को देखते हुए क्या यह समिति केवल दिल्ली के सुधार के प्रश्न पर ही विचार करेगी अथवा भारत के अन्य नगरों के सुधार के प्रश्न पर भी विचार करेगी ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा :** यह केवल नई दिल्ली व इसके आसपास के इलाकों के बारे में ही विचार करती है।

श्री भक्त दर्शन : क्या इस कमेटी के सामने कुछ ऐसे तथ्य व आंकड़े रखे गये हैं कि दिल्ली के कौन से इलाके ज्यादा बदसूरत हैं और ज्यादा गन्दे हैं ताकि वे पहले खूबसूरत बनाये जायें।

†**श्री अनिल कु० चन्दा :** समिति के अधिकांश सदस्य केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग से संबंधित हैं। इसलिये मुझे आशा है वे इस बात का अवश्य ज्ञान रखते होंगे।

†**श्री दासप्पा :** इस समिति का चेयरमैन कौन है ? क्या वह भूदृश्य, बागबानी, उत्तल बागबानी[1] अथवा किसी ऐसी ही विद्या की कोई जानकारी रखते हैं ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा :** मंत्रालय के सचिव ही इस समिति के सभापति हैं ?

†**श्री दासप्पा :** क्या उनको भूदृश्य बागबानी की कोई जानकारी है ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा :** समिति में कई ऐसे सदस्य हैं जो बागबानी आदि का बड़ा शौक व अनुभव रखते हैं।

†**श्री दासप्पा :** ऐसे कौन-कौन सदस्य हैं जो कि इसका ज्ञान रखते हैं ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा :** उन्होंने इसकी कोई परीक्षा नहीं पास की है। इसलिये मैं यह नहीं कह सकता कि पारिभाषिक अर्थों में वे अर्ह हैं अथवा नहीं। श्री सी० डी० देशमुख, कुन्ती बतरा तथा भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद के श्री रंधावा इस समिति के सदस्य हैं।

†**श्री दासप्पा :** मैं केवल इतना जानना चाहता हूँ कि क्या इनमें कोई इस कार्य के लिये अर्ह व्यक्ति है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी) :** जी हां।

†**अध्यक्ष महोदय :** चार प्रश्न पूछने की अनुमति दी जा चुकी है। अगला प्रश्न।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Terrace Gardening.

न्यूजीलैंड में भारतीय

+

† १५४३. { **श्रीमती इला पालचौधरी :**
श्री न० रा० मुनिस्वामी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) न्यूजीलैंड में कितने भारतीय रह रहे हैं;

(ख) क्या यह सच है कि न्यूजोलैंड की सरकार ने इस वर्ष १०० भारतीयों को वहां प्रव्रजन करने की अनुमति दी है तथा अगले वर्ष के लिये भी इतने ही भारतीयों को वहां जाकर बसने की अनुमति दी है ;

(ग) क्या प्रव्रजकों की यह अनुमति परस्पर आधार पर दी गई है तथा इसको क्या शर्तें हैं ;

(घ) क्या इस समय जो भारतीय न्यूजीलैंड में रह रहे हैं उनके साथ रंगभेद की नीति बरती जाती है ;

(ङ) क्या वहां के भारतीय उतने अच्छे जीवन स्तर से रह रहे हैं जितनी कि उनसे आशा की जाती है ; और

(च) क्या प्रवजकों को दो वर्ष के बाद वहां की नागरिकता प्राप्त करने की सुविधाएं दी जायेंगी ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) :** (क) १८००

(ख) तथा (ग). भारत सरकार को इस संबंध में कोई सूचना नहीं।

(घ) न्यूजीलैंड में भारतीयों से कोई भेद–भाव नहीं बरता जाता।

(ङ) जी हां।

(च) (ख) तथा (ग) भागों के उत्तर को देखते हुए ये प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता।

†**श्रीमती इला पालचौधरी :** क्या न्यूजीलैंड में कोई ऐसे विशेष व्यक्ति हैं जो इन १०० प्रव्रजकों के साथ व्यापार आदि प्रारम्भ करने को तैयार हैं ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन :** जैसा कि मैं पहले कह चुकी हूँ, भारत सरकार को इस विषय में कोई जानकारी नहीं है कि १०० व्यक्तियों को न्यूजीलैंड में प्रव्रजन की अनुमति दी गई है इसलिये यह प्रश्न ही नहीं पैदा होता।

†**सेठ गोविन्द दास :** क्या यह सच है कि न्यूजीलैंड व इसके पड़ोस के देश आस्ट्रेलिया में जन घनता ४ से ६ प्रति वर्ग मील है जबकि भारत में यह ३०० से भी अधिक है। ऐसी दशा में जब कि ये सब देश राष्ट्रमंडल के देश हैं, क्या उनसे इस प्रकार की कोई बातचीत करने का प्रयत्न किया जा रहा है जिससे कि भारत के अधिक लोग न्यूजीलैंड व आस्ट्रेलिया में जाकर आबाद हो सकें ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : जहां तक प्रश्न के पहले हिस्से का ताल्लुक है, माननीय सदस्य की जानकारी ठीक है। किन्तु जहां तक जनसंख्या को सन्तुलित करने का प्रश्न है, हमारी जानकारी में अभी कोई ऐसा प्रयत्न नहीं किया जा रहा है।

†**सेठ गोविन्द दास** : मैं यह जानना चाहता था कि जब ये सब देश राष्ट्रमंडल में है तब क्या उनसे कोई ऐसी बातचीत करने की सम्भावना नहीं हो सकती जिससे कि हमारे देश के लोग काफी संख्या में वहां जाकर बस सकें?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : इसका राष्ट्रमंडल से कोई संबंध नहीं है। हम सब स्वतंत्र देश हैं तथा एक दूसरे से स्वतन्त्रता से बातचीत कर सकते हैं। हम परिस्थितियों के अनुसार किसी भी प्रश्न पर चर्चा कर सकते हैं अथवा जैसा चाहें कर सकते हैं। इसमें राष्ट्रमंडल का कोई सवाल नहीं उठता।

†**श्री जयपाल सिंह** : क्या मैं जान सकता हूँ कि जबलपुर के माननीय सदस्य जो अभी न्यूजीलैंड गये थे वहीं क्यों नहीं रह गये?

†**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न।

श्री भक्त दर्शन : अभी हाल में न्यूजीलैंड के प्रधान मंत्री भारत आए थे। क्या उनके साथ वहां रहने वाले भारतीयों की समस्याओं के सम्बन्ध में परामर्श हुआ और क्या उन्होंने आश्वासन दिया है कि उनकी हालत दुरुस्त की जायगी?

श्री जवाहरलाल नेहरू : किस बात का आश्वासन?

श्री भक्त दर्शन : क्या उन्होंने न्यूजीलैंड में रहने वाले भारतीयों की स्थिति में सुधार करने के सम्बन्ध में कोई आशा दिलाई है?

श्री जवाहरलाल नेहरू : भारतीयों की स्थिति वहां बहुत अच्छी है। आश्वासन किस बात का दिलायें वह?

†**अध्यक्ष महोदय** : वह पहले कह चुके हैं कि वे अच्छी तरह रह रहे हैं।

दिल्ली में औद्योगिक प्रशिक्षण

+

†*१५४४. **श्रीमती इला पालचौधरी** :
श्री स० म० बनर्जी :
श्री तंगामणि :
श्री प्रभात कार :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने दिल्ली में औद्योगिक प्रशिक्षण विकास की योजना अन्तिम रूप से तैयार कर ली है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका विस्तृत विवरण क्या है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रम और रोज़गार तथा योजना मंत्री के सभा-सचिव (श्री ल० ना० मिश्र)** : (क) जी हां ।

(ख) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण की सुविधाओं की विस्तार योजना के अन्तर्गत नई दिल्ली में पूसा स्थित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में १९२ सीटें और बढ़ाने की स्वीकृति दे दी गई है। दिल्ली में २४ और सीटें बढ़ाने के बारे में दिल्ली प्रशासन के प्रस्तावों की प्रतीक्षा की जा रही है ।

इसके अतिरिक्त दिल्ली में औद्योगिक कर्मचारियों के लिये सायं कक्षाओं में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये १०० और सीटें बढ़ाने की स्वीकृति भी दी गई है ।

†**श्रीमती इला पालचौधरी** : पुनर्वास मंत्रालय से लिये गये छः "कार्य एवं प्रशिक्षण केन्द्रों" का पुनर्गठन कार्य कब तक समाप्त हो जायेगा ?

†**श्री ल० ना० मिश्र** : उनको हमने हाल ही में पुनर्वास मंत्रालय से लिया है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : सब प्रश्न समाप्त हो गये हैं । पांच मिनट और बाकी हैं । जो सदस्य अनुपस्थित हैं, उन्हें दुबारा पुकारूंगा । श्री नरदेव स्नातक, श्री तंगामणि, श्री अजित सिंह सरहदी, श्री त० ब० विट्ठल राव, श्री हाल्दर, श्री नागी रेड्डी, श्री न० रा० मुनिस्वामी, श्री स० म० बनर्जी ।

†**श्री पाणिग्रही** : क्या हमें उत्तर मिल सकता है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : नहीं । माननीय सदस्य उपस्थित नहीं हैं ।

†**श्री रंगा** : श्रीमान जी, १५३४ ।

†**अध्यक्ष महोदय** : नहीं ।

श्री गोरे उठे—

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं किसी भी प्रश्न की अनुमति नहीं दूंगा जो किसी दूसरे सदस्य के नाम में है क्योंकि वे उपस्थित हों या अनुपस्थित उनको सभा में अपने प्रश्न के उत्तर दिये जाने का अवसर प्राप्त होता है । उन्होंने अपनी ओर से किसी दूसरे सदस्य को प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया है । मैंने कई बार इजाजत दे दी है । अब मैं ऐसा नहीं करूंगा । अब सभा अन्य कार्य को लेगी ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

आकाशवाणी में नये कलाकार

*१५२३. **श्री नरदेव स्नातक** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी के विभिन्न कार्यक्रमों में नई प्रतिभाओं को लाने के लिये क्या प्रयत्न किये गये हैं ; और

(ख) इस विषय में गैर-सरकारी संस्थाओं, समाचार-पत्रों तथा पत्र-पत्रिकाओं से कहां तक लाभ उठाया गया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) और (ख). एक विवरण सभा की मेज़ पर रखा जा रहा है । [**देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या २**]

---

†मूल अंग्रेजी में

द्वितीय पंचवर्षीय योजना का 'मुख्य भाग'[१]

†*१५२८. **श्री तंगामणि** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निवेली थरमल स्टेशन, निवेली उर्वरक कारखाना, निवेली ब्रिकेट प्लान्ट को योजना के 'मुख्य भाग' में सम्मिलित कर लिया गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो क्या वे योजना काल में पूरे हो जायेंगे ;

(ग) अब तक कितनी प्रगति हुई है ; और

(घ) १९५८–५९ के लिये प्रत्येक को कितना धन आवंटित किया गया है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)** : (क) से (घ). सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या ३]**

निष्क्रान्त सम्पत्ति पर अनधिकृत कब्जा करने वाले शरणार्थी

†*१५२९. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अम्बाला में ९ मार्च, १९५८ को एक घोषणा की गयी थी कि ३१ दिसम्बर, १९५५ से पहले निष्क्रान्त सम्पत्ति पर शरणार्थियों का अनधिकृत कब्जा इस शर्त्त पर नियमित कर दिया जायेगा कि वे तमाम देय का भुगतान कर दें ; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह रियायत सारे पंजाब पर लागू होगी ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर)**: (क) जी, हां ।
(ख) जी, हां ।

सिंगरेनी कोयला खान श्रमिक संघ, कोठागुदियम

†*१५३१. **श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश के सिंगरेनी कोयला खान श्रमिक संघ, कोठागुदियम, के इस आवेदन पत्र पर कोई निर्णय कर लिया गया है कि सिंगरेनी कोयला खान कम्पनी लिमिटेड के कर्मचारियों पर उपदान योजना और वाहन-भत्ता अनुदान लागू करने का प्रश्न एक औद्योगिक न्यायाधिकरण को सौंपा जाये ; और

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) और (ख). समझौता पदाधिकारी ने बताया है कि एक परस्पर संयत समझौता नहीं हो सका । उनका प्रतिवेदन ३१ मार्च को मंत्रालय में प्राप्त हुआ था और विचाराधीन है ।

मैच फैक्टरीज़ एसोसियेशन आफ साउथ इंडिया

†*१५३२. **श्री हाल्दर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैच फैक्टरीज़ एसोसियेशन आफ साउथ इंडिया (दक्षिण भारत दियासलाई कारखाना सन्था) ने ७५ दियासलाई कारखानों को बन्द कर देने का निश्चय कर लिया है ;

---

† मूल अंग्रेजी में

[१] Core of the Second Five Year Plan.

(ख) क्या यह भी सच है कि इन कारखानों के बन्द किये जाने के परिणामस्वरूप लगभग ५०,००० श्रमिक बेरोजगार हो जायेंगे ; और

(ग) यदि हां, तो इस विषय में सरकार ने क्या पग उठाये हैं या उठाने का विचार है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (ग). सविस्तार जानकारी मांगी गई है।

प्रायात तथा निर्यात नियंत्रक

†*१५३४. **श्री नागी रेड्डी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश के लिये आयात तथा निर्यात नियंत्रक या उपनियंत्रक का एक पृथक कार्यालय रखने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो यह प्रस्ताव कब क्रियान्वित होगा ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) और (ख). आन्ध्र प्रदेश में विशाखापटनम में आयात तथा निर्यात नियंत्रक का एक कार्यालय अगस्त, १९५६ से पहले से ही काम कर रहा है।

दक्षिण अफ्रीका में जाति भेद-भाव

†*१५३५. **श्री न० रा० मुनिस्वामी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने दक्षिण अफ्रीका में जाति भेद-भाव के नये कानून लागू किये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो वह किस प्रकार के हैं ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभासचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) और (ख). दक्षिण अफ्रीका भेद-भाव के नये-नये कानून लागू करना निरन्तर प्रक्रिया प्रतीत होती है । प्रतिवेदनों के अनुसार दक्षिण अफ्रीकी सरकार ने अब कपड़ा उद्योग में सब प्रवीण स्थान श्वेत कर्मचारियों के लिये सुरक्षित रखने का निश्चय किया है ।

कपड़े का स्टाक

†१५३७. **श्री स० म० बनर्जी :**
श्री तंगामणि :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानपुर की विभिन्न मिलों में कपड़े की ८०,००० गांठें बिना बिकी पड़ी हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस भारी स्टाक को निकालने के लिये क्या पग उठाये गये हैं ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) कानपुर की मिलों में १५ मार्च, १९५८ को कपड़े की ७१,४९२ गांठों का स्टाक था ।

(ख) (१) १४ दिसम्बर, १९५७ से दरम्याने कपड़े पर ३ नये पैसे उत्पादन शुल्क कम कर दिया गया था । १८–३–५८ से सब प्रकार के कपड़े पर उत्पादन शुल्क में कमी की घोषणा कर दी गई है । इससे आशा है कि इस उपाय से मिलों के जमा स्टाक में कमी हो जायेगी ।

† मल अंग्रेजी में

(२) उत्तर प्रदेश सरकार ने भी कपड़े और सूत के लाइसेंसों में उदारता दिखा कर, लाइसेंस की फीस में कमी करके और कपड़े के निर्बाध लाने ले जाने की अनुमति दे कर स्टाक की निकासी में सहायता देने का प्रयत्न किया है ।

फास्फोरस बैक्टरीन का निर्माण

†*१५४१. **श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार रूसी सहयोग से फास्फोरस बैक्टरीन के निर्माण के लिये एक संयंत्र स्थापित करने के प्रश्न पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो परियोजना का क्या ब्यौरा है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है ।

विवरण

रूसी संसदीय प्रतिनिधि मंडल के नेता, म० आर० पी० लोबानोव ने (जो रूस में कृषि विज्ञान अकादमी के भी चेयरमैन हैं) जब वे हाल ही में भारत में थे, फास्फोरिक बैक्टरीन उत्पादों के तैयार करने के लिये एक वहत् पैमाने पर कारखाना स्थापित करने के लिये कुछ सुझाव दिये। ये सुझाव विचाराधीन हैं और कोई विशिष्ट योजना तैयार नहीं की गयी है।

केन्द्रीय रेशम बोर्ड

२१२०. **श्री म० ला० द्विवेदी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय रेशम बोर्ड के सचिवालय में प्रचार शाखा खोलने में क्या प्रगति हुई है तथा रेशम उद्योग के बारे में उसके द्वारा अब तक क्या साहित्य प्रकाशित किया गया है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : केन्द्रीय रेशम बोर्ड की प्रचार शाखा मई, १९५७ से चल रही है। इस शाखा द्वारा प्रकाशित किये गये साहित्य में ये चीजें शामिल हैं :— रेशम सम्बन्धी मासिक चिट्ठी जो अब मुद्रित होती है और जिसमें भारत तथा विदेशों के रेशम उद्योग में हुई महत्वपूर्ण गतिविधियों की जानकारी होती है, एक विशेष लेख जिस में उद्योग की १९५७ में हुई प्रगति का सिंहावलोकन और बाजार के रुख का विश्लेशण किया गया था और जो बंगलौर के "डैकन हरैल्ड" तथा बम्बई के "कामर्स" नामक पत्रों में छपा था ; और भारत की राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था में रेशम उद्योग के स्थान पर एक विशेष लेख जो कि न्यूयार्क में अक्तूबर, १९५७ में हुई अन्तर्राष्ट्रीय रेशम कांग्रेस के लिये तैयार किया गया था । यह शाखा रेशम उद्योग पर त्रमासिक बूलेटिन, पुस्तिकाएं, पैम्फलेट, पर्चे तथा प्रेसनोट भी प्रकाशित करती है। इनके अलावा यह बंगलौर के रेशम बाजार के मूल्य सम्बन्धी रुखों आदि की दैनिक, साप्ताहिक, मासिक और वार्षिक मार्केट रिपोर्टें भी प्रकाशित करती है। इस शाखा के कार्यक्रम में रेशम उद्योग की एक डायरेक्टरी तथा भारत में रेशम उद्योग के विकास से संबंधित वह रिपोर्ट प्रकाशित करना भी शामिल है जो जापानी प्राणि-शास्त्री डा० ताजीमा ने दी थी जो १९५७ में इस देश में आये थे ।

† मूल अंग्रेजी में

कास्टिक सोडे का उत्पादन

२१२१. **श्री म० ला० द्विवेदी:** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने कारखाने बिजली (इलेक्ट्रोलिसिस) से कास्टिक सोडा तैयार करते हैं ;

(ख) उनकी उत्पादन क्षमता कितनी है और उसे बढ़ाने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ; और

(ग) क्या उन कारखानों को सस्ते दाम पर बिजली देने की कोई योजना है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लालबहादुर शास्त्री): (क) तेरह। लेकिन एक फर्म इलैक्ट्रोलिसिस तथा कैमीकल दोनों प्रणालियां काम में ला रही है।

(ख) इनकी उत्पादन क्षमता ४४,४७५ टन प्रति वर्ष है। इलैक्ट्रोलिसिस प्रणाली से उत्पादन करने के लिये ९१,७३० टन की अतिरिक्त क्षमता स्थापित करने के लाइसेंस दिये जा चुके हैं।

(ग) जी, नहीं। बिजली के दाम स्थान स्थान पर अलग-अलग होते हैं और कुछ कारखानों के तो बिजली पैदा करने के अपने स्टेशन हैं। कुछ कारखाने जल विद्युत् स्टेशनों के पास हैं, जहां बिजली की दरें कम हैं।

कई मंजिला भवन

२१२२. **श्री म० ला० द्विवेदी** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किंग एडवर्ड रोड और क्वीन विक्टोरिया रोड पर बनाये गये कई मंजिलों वाले भवनों में बिजली की लिफ्टें और ऐयर कंडीशनिंग प्लांट कब तक चालू हो जायेंगे ; और

(ख) उपरोक्त भवनों में इस काम की क्या प्रगति है ?

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी): (क) और (ख). किंग एडवर्ड रोड और क्वीन विक्टोरिया रोड पर कई मंजिलों वाले दोनों भवनों में दस दस लिफ्टें लगाने का सुझाव है। पहले भवन में ६ लिफ्टें चालू हैं, ३ लिफ्टों की मई १९५८ तक तैयार हो जाने की आशा है और शेष एक लिफ्ट जुलाई, १९५८ तक तैयार हो जायेगी। क्वीन विक्टोरिया रोड वाले भवन में ४ लिफ्टें चालू हैं, एक की अप्रैल में, २ की मई में और एक एक जून, जुलाई और अगस्त १९५८ में चालू हो जाने की आशा है।

विदेशी मुद्रा की कमी के कारण इन भवनों में सेन्ट्रलाइज्ड ऐयर कंडीशनिंग लगाने के सुझाव को स्थगित कर दिया गया है। परन्तु कुछ कमरों में कई छोटी ऐयर कंडीशनिंग मशीनें लगा दी गई हैं।

सरकारी मकान

२१२३. **श्री म० ला० द्विवेदी** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वैस्टर्न कोर्ट, कांस्टीट्यूशन हाउस, पटौदी हाउस और रायसीना रोड होस्टल में कितने लोगों के लिये स्थान है ;

(ख) इनमें से प्रत्येक में अभी कितने आदमी रहते हैं और उनसे कितना किराया वसूल होता है ;

(ग) इन होस्टलों में सफाई, नौकरों तथा फनीचर आदि पर सालाना कितना खर्च किया जाता है ;

(घ) इन होस्टलों से सरकार को प्रति वर्ष कितना लाभ या हानि होती है ;

(ङ) इन होस्टलों में सरकारी कर्मचारियों के अतिरिक्त कितने व्यक्तियों को आवास स्थान दिया गया है ; और

(च) किस आधार पर ऐसे व्यक्तियों को जो सरकारी कर्मचारी नहीं हैं वहां आवास-स्थान दिया गया है ?

निर्माण आवास, और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी) : (क)से(ग). सभा की मेज पर एक विवरण रख दिया गया है। **[देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या ४]**

(घ) १९५६–५७ में ३९७१८७ रुपये खर्च हुए और निर्धारित धनराशि ५३४८९८ रुपये थी ।

(ङ) ९२ ।

(च) गैर-सरकारी कर्मचारियों के वर्गीकरण से खुद बखुद कारण का पता चलता है । इन निवासियों में संसद् सदस्य और सरकारी अफसरों के अतिथि, प्रान्तीय स्वायत्त संस्थाओं के कर्मचारी या अर्ध सरकारी निकायों के कर्मचारी, विदेशी विद्यार्थी, विदेशी दूतावासों में नियुक्त अधिकारी, प्रेस संवाददाता, अफसर जो कि अलाटमेंट हो जाने के बाद रिटायर हो चुके हैं, आदि शामिल हैं।

भवन निर्माण के बारे में गवेषणा

२१२४. **श्री म० ला० द्विवेदी** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न अनुसंधानशालाओं द्वारा भवन निर्माण के विषय में गवेषणा के लिये जो समस्यायें चुनी गई हैं वे किन किन विषयों पर हैं ;

(ख) इस विषय में अब तक क्या प्रगति हुई है ; और

(ग) किन संस्थाओं द्वारा इन समस्याओं पर गवेषणा की जा रही है ?

निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा): (क) उन ३२ समस्याओं का विवरण, जिनमें से कि १६ कार्यवाही के लिए चुनी जा चुकी हैं, सभा-पटल पर रख दिया गया है।

(ख) और (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है **[देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या ५]**

सरकारी अतिथि-शाला

२१२५. **श्री म० ला० द्विवेदी**: क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोटा हाउस की सरकारी अतिथि शाला में १९५६ में कितने व्यक्ति ठहराये गये ;

(ख) सरकार ने उन पर कितना खर्च किया ;

(ग) सरकार को किराये आदि से कितनी आय हुई ; और

(घ) भोजन के लिये क्या व्यवस्था है और उन का क्या मूल्य रखा गया है ?

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी) : (क) २७२। इस संख्या में सरकारी कर्मचारी शामिल नहीं हैं जिन्हें अतिथि-शाला में उस समय ठहरा दिया जाता है जब सरकारी मेहमानों के लिये स्थान की आवश्यकता नहीं होती ।

(ख) ७,५९२/१२/– रुपये सरकारी मेहमानों के भोजन पर ।

(ग) सरकारी मेहमानों से भोजन का मूल्य और निवासस्थान का किराया नहीं लिया जाता। ऊपर (क) में बताये गये सरकारी कर्मचारियों से वसूल की गई रकम १५०९५ रुपये थी ।

(घ) भोजन का प्रबन्ध अतिथि-शाला का केटरर करता है ।

डोलोमाइटिक चूने का निर्माण

२१२६. **श्री म० ला० द्विवेदी** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डोलोमाइटिक चूने के निर्माण में अब तक क्या प्रगति हुई है ;

(ख) इस के लिये प्रयोगात्मक केन्द्र की स्थापना के बारे में क्या प्रगति हुई है ;

(ग) डोलोमाइटिक चूना किन किन वस्तुओं से तैयार किया जाता है और क्या वे वस्तुएं देश में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं ;

(घ) यह चूना तैयार करने के लिये कौन सी मशीनों अथवा किस प्रकार की भट्टियों की आवश्यकता होती है ; और

(ङ) क्या इस के लिये कोई वस्तु अथवा उपकरण विदेशों से आयात करने पड़ेंगे ?

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी) : (क) भारत में अभी तक डोलोमाइटिक चूना नहीं बनाया जाता है ।

(ख) इस मामले में सलाह देने के लिये सरकार टेक्निकल कोपोरेशन मिशन के द्वारा एक विदेशी विशेषज्ञ की सर्वसिज प्राप्त करने के लिये कार्यवाही कर रही है। विशेषज्ञ की रिपोर्ट के आधार पर प्रयोगात्मक केन्द्र स्थापित करने के प्रश्न पर विचार किया जाएगा ।

(ग) डोलोमाइटस और मैगनेजियम लाइमस्टोनस । यह दोनों वस्तुएं भारत में काफी मात्रा में उपलब्ध हैं ।

(घ) और (ङ). केवल विशेषज्ञ की रिपोर्ट के आधार पर ही इन मामलों पर विचार किया जा सकता है ।

खादी की खरीद

२१२७. **श्री म० ला० द्विवेदी** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संभरण तथा उत्सर्जन महानिदेशालय द्वारा १९५७-५८ में मिल के बने कपड़े के स्थान पर कितना खादी का कपड़ा खरीदा गया ; और

(ख) गत वर्ष की तुलना में इसकी स्थिति क्या है ?

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी): (क) १-४-५७ से लेकर ३१-१-५८ तक ५६.६ लाख रुपये कीमत पर २६,५८,४८६ गज खादी का कपड़ा और ५,८०,००० अन्य खादी की वस्तुएं जैसे चादरें तौलिये आदि खरीदी गई हैं । यह अन्दाज़ा है कि इसके अलावा लगभग १५ लाख रुपये कीमत की मांगें जो कि मिल चुकी हैं मार्च १९५८ के अन्त से पहले पूरी की जाएंगी ।

(ख) १९५६-५७ में ६९.१ लाख रुपये कीमत पर २८,६९,७०७ गज खादी का कपड़ा और ८,१०,२२३ अन्य खादी की वस्तुएं खरीदी गई। आशा है कि आर्थिक वर्ष १९५७-५८ में खरीदारी की कुल कीमत पिछले वर्ष की खरीदारी की कीमत से कुछ अधिक होगी ।

इंडिया सप्लाई मिशन, वाशिंगटन

२१२९. **श्री म० ला० द्विवेदी** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडिया सप्लाई मिशन वाशिंगटन में १९५६-५७ में कितने कर्मचारी काम करते थे ;

(ख) इन कर्मचारियों के पद वेतन और कार्य क्या हैं ; और

(ग) क्या भारतीय राजदूत का उन पर कोई नियंत्रण रहता है ?

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी) : (क) ९५, एक इण्टरमीडिएट क्लर्क के अतिरिक्त जिसको केवल ३ महीने के लिये रक्खा गया था ।

(ख) विवरण जिसमें इन कर्मचारियों के पद और वेतन दिये गये हैं सभा-पटल पर रख दिया गया है। **[देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या ६]** है। इन कर्मचारियों में से एक राजपत्रित अफसर ५ क्लर्क और एक आशुलिपिक प्रशासन के कार्य के लिये नियुक्त हैं । शेष कर्मचारी भारत सरकार की ओर से सामान और आनाज प्राप्त करने तथा उसे जहाज द्वारा भेजने और टेक्निकल कोर्पोरेशन कार्यक्रम पब्लिक ला (सार्वजनिक विधि) ४८० तथा अन्य अमेरिका सरकार के सहायता समझौतों के अन्तर्गत खरीदारी करने से सम्बन्धित कार्य को कर रहे हैं ।

(ग) जी हां ।

खान विभाग में निरीक्षक

२१३०. **श्री म० ला० द्विवेदी** : क्या **श्रम और रोज़गार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खान विभाग में निरीक्षकों की जो कमी है उसे दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(ख) योग्य उम्मीदवार न मिलने के कारण स्वीकृत ४३ निरीक्षकों के स्थान पर केवल २२ निरीक्षक नियुक्त किये गये थे और इस प्रकार जो शेष स्थान रह गये हैं उनकी पूर्ति के लिये क्या व्यवस्था की गई है ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) और (ख). शेष स्थानों को भरने के लिये यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन योग्य उम्मीदवारों को चुनने की कोशिश कर रही है ।

राजस्थान के लिये खान श्रमिक कल्याण निधि सलाहकार समिति

२१३१. **श्री म० ला० द्विवेदी** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में खान श्रमिक कल्याण निधि सलाहकार समिति का पुनर्गठन हो चुका है;

(ख) यदि हां तो इस का संगठन किस प्रकार का है और समिति के सदस्य कौन कौन हैं; और

(ग) यदि प्रश्न के उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो इस के क्या कारण हैं ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) शायद अभ्रक खान श्रम कल्याण फंड सलाहकार समिति से मतलब है । यदि हां, तो उत्तर 'ना' में है । मामला विचाराधीन है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) समिति उन कई संबंधित वर्गों की सलाह लेकर बनाई जानी है जिन्हें कि उसमें प्रतिनिधित्व देना है ।

बाल-मन्दिरों में काम करने वाले कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण

२१३२. **श्री म० ला० द्विवेदी** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयला खानों के बाल मन्दिरों में काम करने वाले कार्यकर्ताओं को किन किन विषयों की शिक्षा दी जाती है; और

(ख) उन्हें कितना वेतन तथा भत्ता दिया जाता है ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) शिक्षा निम्नलिखित विषयों में दी जाती है :—

(१) प्रारम्भिक शरीर विज्ञान आदि ।

(२) पथ्य (उपयुक्त भोजन) ।

(३) घर की सफाई ।

(४) घरेलू कार्य ।

(५) माता-पिता के प्रति व्यवहार ।

(६) सामान्य बच्चे का विकास और विभिन्न अवस्थाओं में उस की जरूरतें ।

(७) नवजात शिशुओं की देखभाल ।

(८) बच्चों की उस अवस्था में देखभाल जब वे घुटनों के बल चलने लगते हैं ।

(९) प्रारम्भिक मनोविज्ञान ।

(१०) प्रथम सहायता और शिशु पालन आदि ।

(११) बच्चों की छोटी मोटी बीमारियां, बीमारी की जांच और इलाज ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(१२) सांसर्गिक और संक्रामक रोग ।

(१३) किंडरगार्टन सामान ।

(१४) शिशु-गृह का सामान ।

(१५) शिशु-गृह कार्य-क्रम ।

(२६) औद्योगिक स्वास्थ्य विज्ञान ।

(१७) रिकौर्ड रखना, रिपोर्ट लिखना और हिसाब रखना ।

व्यावहारिक शिक्षा और प्रदर्शनों का प्रबन्ध किया जाता है; और ऐसी दूसरी संस्थाओं में, जैसे जच्चा और बच्चा कल्याण केन्द्रों, अस्पतालों, दवाखानों, बच्चों के माता-पिता के घरों में जाने का प्रबन्ध भी किया जाता है ताकि उन की कार्यदशाओं का अध्ययन किया जा सके ।

(ख) प्रशिक्षण काल में प्रत्येक प्रशिक्षार्थी को प्रतिमास ४० रुपये का वजीफा दिया जाता है ।

बाल-मंदिर

२१३३. **श्री म० ला० द्विवेदी** : क्या **श्रम और रोज़गार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक कितनी खदानों में बाल-मन्दिर बनाये जा चुके हैं;

(ख) इन बाल-मन्दिरों से कितने बच्चों को लाभ पहुंच रहा है;

(ग) इन पर कितना व्यय किया जाता है; और

(घ) इन बाल-मन्दिरों में किस प्रकार का कार्य किया जाता है ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) ३३० ।

(ख) १६२१५ ।

(ग) शिशु-गृहों की व्यवस्था की कोयला खदान मालिकों की कानूनन जिम्मेवारी है । इस लिये सूचना प्राप्त नहीं कि उन पर कितना व्यय किया गया है ।

(घ) जब मातायें काम पर रहती हैं तो छः वर्ष से कम उम्र के बच्चों की देख-भाल की जाती है । उन्हें खाना खिलाया जाता है और विभिन्न अवस्थाओं पर उन के स्वास्थ्य तथा विकास की जांच की जाती है । बच्चों और उनकी माताओं की जांच कोयला खानों के चिकित्सा अफसर करते हैं और उन के इलाज का प्रबन्ध कोयला खान अधिकारियों द्वारा किया जाता है ।

कोयला खानों में स्नानागार

२१३४. **श्री म० ला० द्विवेदी** : क्या **श्रम और रोज़गार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितनी कोयला खानों में स्नानागार बनाये जा चुके हैं ;

(ख) इनमें कितने मज़दूरों के स्नान का प्रबन्ध है ;

(ग) इनके बनाने पर कितना व्यय हुआ है ; और

(घ) इस व्यय में से सरकार ने कितना धन दिया है और खदान मालिकों ने कितना ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) १८३ कोयला खानों में स्नानागार बनाये गये हैं ।

(ख) लगभग २ लाख ।

(ग) कोयला खानों में स्नान-गृह बनाना कोयला खदान प्रबन्ध-वर्ग की कानूनन ज़िम्मेवारी है । सूचना प्राप्त नहीं कि उनके बनाने पर कितना धन खर्च हुआ ।

(घ) कोयला खान श्रम कल्याण फंड से १,०६,७२३ रुपये की सहायता दी गई ।

बिहार तथा आन्ध्र के कोयला क्षेत्रों में मलेरिया

२१३५. **श्री म० ला० द्विवेदी** : क्या **श्रम और रोज़गार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार तथा आन्ध्र के कोयला क्षेत्रों में मलेरिया की रोकथाम के लिये क्या सुरक्षात्मक उपाय किये गये हैं ;

(ख) इस कार्य के लिये कितने कर्मचारी रखे गये हैं ;

(ग) उन पर कितना धन व्यय होता है ; और

(घ) वर्ष १९५६–५७ और १९५७–५८ में इन क्षेत्रों में कितने मजदूर मलेरिया से पीड़ित हुये ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) मलेरिया फैलने के मौसम में याने हर साल जून से नवम्बर तक कीट नाशक दवा छिड़की जाती है । बाकी महीनों में मच्छरों के बच्चों को मारने की कार्रवाई भी कुछ सीमा तक की जाती है । बिहार कोयला क्षेत्रों में मज़दूरों को प्रोफ़ीलैक्सिस दवा पैलोड्रीन के साथ दी जाती है ।

(ख) बिहार कोयला क्षेत्र के लिये १४६ मलेरिया क्षेत्र कार्य-कर्ता नियुक्त हैं । आंध्र प्रदेश में मेसर्स सिंगरेनी कोलियरीज़ कम्पनी आवश्यक कर्मचारियों और सामान का प्रबन्ध करती है और मलेरिया नाशक कार्रवाई उनकी देख-रेख में की जाती है । इसके लिये कोयला खान श्रमिक कल्याण फंड संस्था केवल कीट विनाशक दवाइयां देती है ।

(ग) १९५६–५७ में २,५३,०३५ रुपये ।

(घ) १९५६–५७	१९५७–५८
११,९७३	६,४०९ (३० नवम्बर, १९५७ तक)

फरीदाबाद विकास बोर्ड

†२१३६. **श्री वें० प० नायर** : क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फरीदाबाद विकास बोर्ड पर अब तक कुल कितनी धनराशि खर्च की जा चुकी है ;

(ख) क्या धन किसी जमानत पर दिया गया था ; और

(ग) फरीदाबाद विकास बोर्ड की क्या वैधानिक संस्थिति है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर)** : (क)

(१) **ऋण**	**लाख रुपयों में**
बस्ती के निर्माण के लिये . .	२९३.८६
औद्योगिक विकास और रोज़गार व्यवस्था के लिये .	१३४.६४
कुल .	४२८.५०

(२) **अनुदान**	
चिकित्सा एवं शिक्षा सुविधाओं के लिये .	५९.१५
स्थापना के अतिरिक्त बस्ती के आवर्ती व्यय के लिये	८६.३९
स्थापना के लिये .	१३.०६
बूढ़े और दुर्बलों को सहायता के लिये	३७.२८
कुल	१९५.८८

(ख) मंजूरी की शर्तों के अन्तर्गत, ऋण फ़रीदाबाद विकास बोर्ड की आस्तियों में से पहले चुकाया जायेगा।

(ग) जैसा कि इस समय है, बोर्ड एक स्वायत्त शासी निकाय है जिसमें सरकारी सदस्यों का बहुमत है।

औद्योगिक उपक्रम

†२१३७. **श्री राम कृष्ण** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९५१ के अन्तर्गत कितने नये औद्योगिक उपक्रमों को, जो १९५७–५८ में स्थापित हुये हैं, उद्योगवार लाइसेंस दिये गये हैं ; और

(ख) उस ही कालावधि में कुल कितने औद्योगिक उपक्रमों का, उद्योग वार, विस्तार हुआ ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) और (ख). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या ७]**

यूरेनियम अयस्क

†२१३८. **श्री प्र० गं० देव** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में यूरेनियम अयस्क की खोज करने के लिये सरकार ने क्या पग उठाये हैं ;

(ख) उन विशेष औज़ारों का क्या ब्यौरा है, जो या तो भारत में बनाये जाते हैं या विदेशों से आयात किये जाते हैं ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या सरकार की देश में सर्वेक्षण कार्य और खोज में शीघ्रता करने के लिये किसी इनाम की घोषणा करने की कोई योजना है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) अणुशक्ति विभाग का अणु खनिज डिवीज़न १९५० से देश में यूरेनियम अयस्क के निक्षेप का पता लगाने के लिये सविस्तार और क्रमबद्ध सर्वेक्षण और खोज कार्य कर रहा है । विभिन्न राज्यों में इस कार्य पर इस समय ६ भूतत्वीय क्षेत्र दल और ११ छिद्र करने वाले (ड्रिलिंग) यूनिट लगे हुये हैं । छिद्र करने और अन्य उपायों के बाद जहां लाभदायक मात्रा में अयस्क होने का पता लगा है, उन क्षेत्रों में प्रारंभिक खनन भी किया गया है ।

गैर-सरकारी पूर्वेक्षकों और खान मालिकों को भी 'गीगर मुलर काउन्टरों' को निःशुल्क देकर और उनकी 'सर्विसिंग' करके, उनके द्वारा भेजे गये नमूनों की जांच करके और उपयुक्त निक्षेपों के विकास के लिये निःशुल्क प्रविधिक परामर्श देकर, यूरेनियम अयस्क समेत अणु खनिजों के लिये गवेषणा करने में सहायता देने के लिये उत्साहित किया जा रहा है ।

(ख) इस कार्य के लिये अपेक्षित लगभग सारे औज़ार जैसे रेडियेशन सर्वे मीटर, काउन्टिंग रेट मीटर्स, स्केलिंग यूनिट, पावर सप्लाई, पल्स हाइट, गीगर मुलर ट्यूब लौगिंग और रेडियो, ऐसे उपकरण, इत्यादि भारत में अणुशक्ति विभाग के अन्तर्गत प्रयोगशालाओं में बनाये जाते हैं ।

बहुत बढ़िया किस्म के भाग, बाल्व्स, ट्रांजिस्टर्ज जो इन औज़ारों और सिन्टिल्लेशन क्रिस्टल, के निर्माण में काम आते हैं, टैस्टिंग उपकरण जैसे टैस्ट मीटर, ओसिलोस्कोप्स, मेजरिंग ब्रिज और डोसीमीटर इत्यादि विदेशों से आयात किये जाते हैं । भारत में बने भागों को शनैः शनैः अधिक स्तर पर प्रयोग किया जा रहा है और भारतीय निर्माताओं को किस्म सुधारने के लिये उत्साहित किया जा रहा है ।

(ग) पता लगाये गये अयस्क निक्षेपों के वर्ग और साइज़ के अनुसार १०० रुपये से लेकर १०,००० रुपये तक के पुरस्कारों की पहले ही घोषणा की जा चुकी है । इस सम्बन्ध में जारी किये गये दो प्रेस नोटों की प्रतियां पटल पर रखी जाती हैं । **[देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या ८]**

दियासलाई का उत्पादन

†२१३९. **श्री तंगामणि** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६–५७ और १९५७–५८ में ८ के श्रेणी के शक्ति चालित दियासलाई कारखानों में दियासलाई का कुल कितना उत्पादन हुआ ;

(ख) कुटीर क्षेत्र में कारखानों से १९५६–५७ और १९५७–५८ में कुल कितना उत्पादन हुआ ;

(ग) कुटीर क्षेत्र में क, ख, ग, और घ वर्ग के कारखानों में प्रत्येक में कितना उत्पादन हुआ; और

(घ) चालू वर्ष में प्रत्येक वर्ग में कुल कितने कारखाने हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) से (घ). सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या ९]**

---

†मूल अंग्रेज़ी में

निष्क्रांत सम्पत्ति

†२१४०. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निष्क्रान्त सम्पत्ति प्रशासन अधिनियम १९५० की धारा २७ (१ क) के अन्तर्गत महा अभिरक्षक (कस्टोडियन जनरल) द्वारा निर्णय के लिये कितने मामले लम्बित हैं ; और

(ख) इन मामलों पर निर्णय करने में कितना समय लगेगा ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर)** : (क) ३१ मार्च १९५८ को १३ मामले लम्बित थे ।

(ख) १० मामलों में सुनवाई की तारीख़ निश्चित कर दी गयी है और इन मामलों के अगले दो या तीन महीनों में निपट जाने की आशा है । ३ मामले उच्चतम न्यायालय में न्याया-धीन हैं ।

निष्क्रांत सम्पत्ति

†२१४१. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि निष्क्रान्त सम्पत्ति प्रशासन अधिनियम, १९५० की धारा ५४ के अन्तर्गत निर्णय के लिये कितने मामले लम्बित हैं ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर)** : कोई भी नहीं ।

आसाम के चाय बागान

†२१४२. **श्री बि० चं० प्रधान** : क्या **श्रम और रोज़गार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आसाम के चाय बागान में उड़ीसा राज्य के कितने परिवार काम कर रहे हैं और १९५७ में कितने परिवारों को सेवा से मुक्त किया गया ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : १९५७ में आसाम के चाय बागानों में काम करने के लिये २३०२ श्रमिकों को उड़ीसा से भरती किया गया और ६०१७ व्यक्तियों को (जिनमें वे भी सम्मिलित हैं जिन्हें पहले भरती किया गया था) वापस भेजा गया । परिवारों की संख्या के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

कपड़ा बनाने की मशीनें

†२१४३. **श्री वें० प० नायर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५७–५८ में कपड़ा उद्योग द्वारा कितने मूल्य का सामान बाहर से मंगाया गया ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : १९५७ के आरम्भ से सितम्बर १९५७ के अन्त तक कपास, रूई, रेयन और ऊनी माल व कपड़ा बनाने की मशीनों के आयात का कुल मूल्य ९१७४.३२ लाख रुपये है । इसके बाद की जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

भैषज्य निर्माण[1]

†२१४४. **श्री वें० प० नायर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भैषज्य जांच समिति के प्रतिवेदन के दिये जाने के बाद भैषज्य निर्माण में विदेशी सार्थों पर निर्भरता में कमी करने और ऐसी निर्भरता को कम करने के लिये भारतीय और विदेशी सार्थों में सहकारिता करारों को पुनरीक्षित करने के लिये सरकार ने क्या पग उठाये हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : भैषज्य जांच समिति के प्रतिवेदन के दिये जाने के बाद से, भारत में भैषज्य उद्योग के विकास के लिये कई पग उठाये गये हैं :—

१. वर्तमान निर्माताओं को आधारभूत रसायनों से मिलते जुलते पदार्थों से उत्पादन करने के लिये उत्साहित किया जा रहा है ।

२. नये निर्माताओं को यथाशीघ्र आधारभूत औषधियों का सरकार द्वारा निश्चित कार्यक्रम के अनुसार उत्पादन करने के आधार पर उत्पादन करने की आज्ञा दी जा रही है ।

३. इस योजना काल में आधारभूत रसायनों से मिलते जुलते रसायनों के केवल वर्तमान ही नहीं अपितु नये यूनिटों की आवश्यकता को संतोषजनक रूप में पूरा करने के लिये क्रियान्वित करने के लिये योजना बनायी जा रही है ।

४. पिम्परी में पेनिसिलीन के निर्माण को बढ़ाने के लिये और उस स्थान पर यथा सम्भव शीघ्र स्ट्रेप्टोमाइसीन के लिये एक यूनिट की स्थापना के लिये भी पग उठाये गये हैं ।

५. उपयुक्त अभिकरणों द्वारा विशेषज्ञ अध्ययन पर आधारित संश्लेषित औषधियों, एन्टीबायोटिक्स इत्यादि को अधिक मात्रा में आधारभूत प्रक्रम से अधिक उपयुक्त तरीक़े से निर्माण करने के लिये स्थापना पर विचार किया जा रहा है।

जहां तक भारतीय और विदेशी सार्थों के सहकारिता करारों के पुनरीक्षण का सम्बन्ध है, जब कभी भी ऐसे करार पुनरीक्षण के लिये आते हैं या नये करार अनुमोदन के लिये आते हैं, यह बात ध्यान में रक्खी जाती है कि जहां तक सम्भव हो उनकी शर्तें भैषज्य जांच समिति की सिफारिशों के अनुरूप हो ।

कोल-तार उत्पाद

†२१४५. **श्री वें० प० नायर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १९५७–५८ में कोल-तार के प्रत्येक उत्पाद की अधिष्ठापित उत्पादन क्षमता और वास्तविक उत्पादन के आंकड़े देते हुये यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय उनके निर्माण की क्या स्थिति है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : अपरिष्कृत कोल-तार का जो कि कोक कोयला गैस के उत्पादन के लिये किये गये कोयले के प्रांगारण में उपोत्पाद के रूप में तैयार किया जाता है अग्रेतर 'डिस्टिलेशन' किया जाता है और उससे क्रव्यप-व्यापन (क्रिमोसोट) उतैलेन्य (नैफथेलीन) रोड तार और निराल (पिच) जैसे अधिक मूल्यवान उत्पाद तैयार किये जाते हैं ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[1]Manufacture of Pharmaceuticals,

इन चीज़ों का उत्पादन 'डिस्टिलेशन' के लिये 'तार' की उपलब्धता से सम्बन्ध है। इस्पात समवायों द्वारा 'तार' का अपनी इस्पात भट्टियों में ईंधन के रूप में उपयोग किये जाने के कारण 'तार' का संभरण सीमित है।

१९५७ में उत्पादित विभिन्न कोल तार डिस्टिलेशन उत्पाद निम्न प्रकार थे :

	वस्तुयें	१९५७ में उत्पादन
१.	क्रिमोसोट आइल (हल्का)	५२९,९२७ गैलन
२.	क्रिमोसोट आइल (भारी)	७०५,९०८ गैलन
३.	रोड तार	२६,८९५ टन
४.	पिच	४,२४० टन

(अधिष्ठापित क्षमता के कोई पृथक आंकड़े नहीं हैं क्योंकि उत्पादन डिस्टिलेशन के लिये उपलब्ध क्रूड कोल तार की मात्रा पर निर्भर है)

५.	**अधिष्ठापित क्षमता**	**१९५७ में उत्पादन**
	परिष्कृत नैफ्थलीन १,४२८ टन	८१६ टन

मुद्रण उद्योग

†२१४६. **श्री वें० प० नायर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में मुद्रण उद्योग में अनुमानत: कितने कर्मचारी हैं और अब तक कितनी पूंजी विनियोजित की गई है ;

(ख) उद्योग के लिये प्रति वर्ष कितने मूल्य की मुद्रण मशीनों के आयात की आवश्यकता होती है ; और

(ग) १९५७–५८ में भारत में कितने मूल्य की मुद्रण मशीनें बनायी गयीं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) मुद्रण उद्योग में केन्द्रीय और राज्य सरकारों के और गैर-सरकारी क्षेत्रों के मुद्रण यूनिट सम्मिलित हैं। इस उद्योग में कर्मचारियों की संख्या और विनियोजित पूंजी के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ख) द्वितीय योजना काल में इस उद्योग के लिये मशीनों की आवश्यकता लगभग ३ करोड़ रु० की आंकी गयी है।

(ग) १९५७ में भारत में लगभग १,४६,००० रुपये के मूल्य की मुद्रण मशीनें बनायी गयीं। तथापि इस देश में अधिक मशीनों के निर्माण के लिये अधिक योजनायें आरम्भ करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं। कुछ योजनायें प्राप्त भी हो गयी हैं और विचाराधीन हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

सुगन्धित रसायनों का निर्माण

†२१४७. **श्री वें० प० नायर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सौन्दर्य प्रसाधन और अन्य उद्योगों के लिये आवश्यक कोई सुगन्धित रसायन भारत में बन रहे हैं;

(ख) यदि हां तो कितने मूल्य के रसायन बन रहे हैं ; और

(ग) १९५६–५७ और १९५७–५८ में कुल कितने मूल्य के सुगन्धित रसायनों का आयात किया गया ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) जी हां । सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें देश में बने ऐसे रसायनों का ब्यौरा है । [**देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या १०**]

(ख) २८,५०,००० रुपये ।

(ग) सुगन्धित रसायनों को आयात व्यापार वर्गीकरण में जो दिसम्बर १९५६ तक लागू था नहीं दिखाया गया है । अतः जनवरी १९५७ से पहले के आयात के आंकड़े देना सम्भव नहीं है । जनवरी से सितम्बर १९५७ तक कुल १,३२,७१,००० रुपये के मूल्य के ऐसे रसायनों का आयात किया गया ।

औषधि और भैषज्यनिर्माण कारखाने

†२१४९. **श्री वें० प० नायर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीन औषधि और भैषज्य निर्माण कारखानों की स्थापना करने का प्रस्ताव इस समय किस स्थिति में है ;

(ख) किन-किन देशों से वित्तीय अथवा प्रविधिक सहायता मिलने की आशा है ; और

(ग) भैषज्य उद्योग के लिये क्षारिय पदार्थ निकालने के लिये यदि कुछ योजना हो तो वह क्या है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) से (ग). इस मामले पर अब भी बातचीत चल रही है और अभी अंतिम स्थिति के बारे में कुछ भी बताना संभव नहीं है ।

औषधि और भैषज्य कारखाने

†२१५०. **श्री वें० प० नायर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों से यह इस सम्बन्ध में अपने विचार बताने का अनुरोध किया गया है कि वह सरकारी क्षेत्र में खोले जाने वाले प्रस्तावित औषधि और भैषज्य कारखानों को किन-किन स्थानों पर खोला जाये ;

(ख) यदि हां, तो किन-किन राज्यों ने यह अनुरोध किया है कि ये कारखाने उनके क्षेत्रों में खोले जायें और

(ग) इस बात का निश्चय किन बातों के आधार पर किया जायेगा कि इन कारखानों को किन स्थानों पर खोला जाये ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) से (ग). इस योजना पर विचार अभी प्रारम्भिक स्थिति में ही है और इस सम्बन्ध में विचार आरम्भ करने में अभी कुछ समय लगेगा कि इन कारखानों को किन स्थानों पर खोला जाये ।

हिन्दुस्तान एण्टीबायोटिक्स (प्राइवेट) लिमिटेड, पिम्परी,

†२१५१. **श्री वें० प० नायर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिम्परी की हिन्दुस्तान एण्टीबायोटक्स (प्राइवेट) लिमिटेड, में पेन्सिलीन और उस से निकलने वाली एण्टीबायोटिक्स के अलावा कुछ अन्य एण्टीबायोटक्स के नर्माण का कोई कार्यक्रम चल रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो टैट्रासाइकलन्स के लिये क्या लक्ष्य रखा गया है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** (क) स्ट्रैप्टोमाइसिन और डाहाइटो-स्ट्रैप्टोमाइसिन के निर्माण के लिये विदेशी फर्मों से बातचीत चल रही है ।

(ख) ट्रैट्रासाइक्लिन्स के लिये अभी लक्ष्य निश्चित नहीं हुए हैं ।

हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स (प्राइवेट) लिमिटेड, पिम्परी

†२१५२ **श्री वें० प० नायर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान एण्टीबायोटिक्स (प्राइवेट) लिमिटेड, पिम्परी को १९५६–५७ और १९५७–५८ में कितने मूल्य के आयात किये गये कच्चे माल की आवश्यकता हुई ;

(ख) उपर्युक्त वर्षों में प्रत्येक में फैक्टरी में कुल कितनी-कितनी बिक्री हुई ; और

(ग) उपर्युक्त वर्षों में से प्रत्येक में प्रत्येक महत्वपूर्ण मद का कितना-कितना उत्पादन हुआ ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)**: (क) जानकारी एकत्र की जा रही है और लोक-सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ख) १९५६–५७ . . ५४ लाख रुपये

१९५७–५८ . . . १८० लाख रुपये

(ग) पूरी तरह तैयार और प्रमाणित पैन्सलीन "जी" का, जो उस फैक्टरी में बनाई जाने वाली एक मात्र महत्वपूर्ण मद है, कुल उत्पादन निम्नलिखित है :—

१९५६–५७ . . . ९९ लाख मेगायूनिट

१९५७-५८ . . . २१० लाख मेगायूनिट से कुछ अधिक ।

भारतीय मानक सम्मेलन

†२१५३. **श्री वें० प० नायर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने १९५७ के दिसम्बर में मद्रास में हुए भारतीय मानक सम्मेलन के सम्बन्ध में कुछ राशि व्यय की है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इस सम्मेलन में कितने सरकारी अधिकारियों ने भाग लिया ; और

(ग) सम्मेलन में भाग लेने के लिये उन्होंने कितना यात्रा भत्ता और कितना दैनिक भत्ता मांगा था और कितना उन्हें दिया गया ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) से (ग). जानकारी एकत्र की जा रही है और लोक-सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

भारतीय मानक संस्था

†२१५४. **श्री वें० प० नायर :** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १५ मार्च, १९५८ तक भारतीय मानक संस्था ने कितनी मदों के बारे में यह प्रमाण पत्र जारी किये हैं कि वह निर्धारित प्रतिमानों के अनुरूप हे ; और

(ख) इनमें से कितने प्रमाण पत्र सरकार द्वारा चलाये जाने वाले परीक्षा गृहों या प्रयोग-शालाओं म नमूनों की जांच के बाद दिये गये थे ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) यह मान लिया जाता है कि जानकारी उन वस्तुओं की संख्या के बारे में मांगी गई है जिनके लिये भारतीय मानक संस्था (प्रमाणीकरण चिह्न) अधिनियम, १९५२ के अधीन मानक चिन्हों के प्रयोग के लिय विभिन्न निर्माताओं को प्रमाण पत्र दिये गये हैं । एसी वस्तुओं की संख्या २२ हैं ।

(ख) जिन लाइसेन्स धारयों के नमूनों की परीक्षा सरकारी परीक्षा गृहों अथवा प्रयोगशालाओं में की गई थी उनकी संख्या २७ है ।

चमड़ा उद्योग

†२१५५. **श्री वें० प० नायर :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) चमड़ा उद्योग को वर्ष में कुल कितने मूल्य के रंगों की जरूरत होती है और भारत में इस समय कितने रंग बनते हैं ; और

(ख) भिन्न भिन्न देशों को कच्चे चमड़े, खाल और कमाये हुए चमड़े का निर्यात करने के लिये यदि कोई कार्यवाही की गई हो तो वह क्या है और उससे अब तक क्या फल प्राप्त हुए हैं ।?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)**:(क) निश्चित जानकारी उपलब्ध नहीं है । अनुमान है कि वर्ष में २०,००,००० रुपये के मूल्य के रंगों की आवश्यकता पड़ती है और यह अधिकांशत: आयात द्वारा पूरी की जाती है ।

(ख) लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है ।

विवरण

(ख) कमाये हुए चमड़े और खालों तथा चमड़े के सामान के निर्यात को बढ़ाने के लिये नियुक्त की गई चमड़ा निर्यात संवर्द्धन परिषद् ने इस देश में आने वाले विदेशी व्यापारियों शिष्ट मण्डलों की यात्रा का लाभ उठा कर उन देशों में भारतीय चमड़े और चमड़े के सामान की बिक्री की सम्भावनाओं का पता लगाया ।

---

†मूल अंग्रेजी में

२. जर्मन बाजारों म भारतीय चमड़े और खालों और चमड़े के सामान के सम्बन्ध में अभिरुचि पैदा करने के लिये चमड़ा निर्यात संवर्द्धन समिति के एक सदस्य को उस भारतीय व्यापारिक शिष्ट मण्डल में शामिल कर लिया गया था जो जर्मनी भेजा गया था।

३. पौलैण्ड स्वीडन, मार्साई आदि में अन्तर्राष्ट्रीय मेलों और प्रदर्शनियों में कमाये गये चमड़े और खालों के चुने हुए नमूने प्रदर्शित किये गये।

४. कुछ देशों जैसे स्वीडन, इटली, ईराक और सोवियत रूस आदि से जो व्यापारिक करार हुए हैं उनमें इन मदों को शामिल कर लिया गया है।

कैल्शियम कारबाइड

†२१५६. **श्री वें० प० नायर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में १९५७–५८ में वास्तव में कुल कितने केल्शियम कारबाइड का उत्पादन हुआ; और

(ख) इसी अवधि में औद्योगिक इस्तेमाल के लिये केल्शियम कारबाइड से अन्तर्वर्ती पदार्थों का कितना उत्पादन हुआ ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** (क) ३३५६ टन (अप्रैल १९५७––फरवरी १९५८)

(ख) बिल्कुल नहीं।

माइकानाइट

†२१५७. **श्री वें० प० नायर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय माइकानाइट के औद्योगिक इस्तेमाल क्या–क्या हैं ;

(ख) यदि इस वस्तु का कुछ आयात किया जाता है तो वर्ष में कितना आयात होता है ;

(ग) माइकानाइट बनाने के लिये अनुमानतः घटिया किस्म के कितने अभ्रक का निर्यात किया जाता है ; और

(घ) यदि देश में कुछ उत्पादन होता हो तो वह कितना है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** (क) माइकानाइट का उपयोग मुख्य रूप से बिजली उद्योग में विसंवाहन संबधी विसंवाहन पदार्थ के रूप में किया जाता है।

(ख) केवल जनवरी १९५७ के बाद से ही माइकानाइट के आयात से भी आंकड़ों का वर्गीकरण किया जा रहा है। १९५७ में जनवरी से सितम्बर तक कुल २,२९३ रुपयों के मूल्य के ३७२ पौंड माइकानाइट का निर्यात किय गया।

(ग) घटिया किस्म के अभ्रक के––जिसे खुले टुकड़ों के नाम से जाना जाता है जनवरी १९५७ से पहले के निर्यात के आंकड़े उपलब्ध नहीं है । १९५७ में जनवरी से सितम्बर के बीच कुल १,९६,४३,०७३ रुपये के मूल्य के ९७,४७७ हंडरवेट का निर्यात किया गया।

(घ) यह लगभग २२,००० पौंड प्रति वर्ष का है।

---

†मूल अंग्रेजी में

सीमेन्ट

†२१५८. **श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) १९५७ की पहली तिमाही में सीमेंट के उत्पादन और उसकी खपत में कितनी वृद्धि हुई है ; **और**

(ख) सीमेन्ट के उत्पादन के लिये १९५७ में और १९५८ की पहली तिमाही में कुल कितने मूल्य की मशीनों का आयात किया गया ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) सीमेन्ट के उत्पादन और खपत के आंकड़े निम्नलिखित हैं :

	उत्पादन (लाख टनों में)
१९५५	४५
१९५६	५६

किसी भी वर्ष में कुल उत्पादन और आयात को जोड़कर उसमें से निर्यात को निकाल देने से जो शेष रहे, उसे उस वर्ष की खपत माना जा सकता है। इस आधार पर यह आंकड़े इस प्रकार हैं :

वर्ष	खपत (लाख टनों में)
१९५५	४४
१९५६	५०
१९५७	५९

१९५८ के संबंध में अंतिम आंकड़े उपलब्ध नहीं है।

(ख) १९५७ में जनवरी से सितम्बर तक १,६४,५७,००० रुपयों के मूल्य की सीमेन्ट बनाने वाली मशीनों का आयात किया गया सितम्बर, १९५६ के बाद की अवधि के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं ।

दौड़ों में भाग लेने वाले घोड़ों का आयात

†२१५९. **श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७ में दौड़ों में भाग लेने वाले कुल कितने घोड़ों का आयात किया गया; और

(ख) इसमें कुल कितनी विदेशी मुद्रायें लगी ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) और (ख). दौड़ों में भाग लेने वाले घोड़ों में आंकड़े व्यापारिक वर्गीकरण में पृथक नहीं दिखाये जाते । फिर भी इस अवधि में आयात किये गये घोड़ों की संख्या और कीमत इस प्रकार है:

संख्या	कीमत (हजार रुपयों में)
१०७	७६६

---

†मूल अंग्रेजी में

पश्चिमी बंगाल में कुटीरोद्योग

†२१६०. **श्री स० चं० सामन्त :**
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री घोषाल :
श्री सुबिमन घोष :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के आरम्भ के बाद से पश्चिमी बंगाल राज्य ने सहकारिता के आधार पर कितने कुटीरोद्योग चलाये हैं ;

(ख) इस प्रयोजन के लिये अब तक कितने अनुदान और ऋण मिले हैं ;

(ग) तेल पेरने के कितने केन्द्र खोले गये हैं और यह कहां कहां पर हैं; और

(घ) इनमें से कितने न खाये जाने वाले तेलों के लिये हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) से (घ). लोक सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें अपेक्षित जानकारी दी हुई है। **[देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या ११]**

कपड़ों का निर्यात

†२१६१. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७-५८ में कुल कितने कपड़ों का निर्यात किया गया है ;

(ख) १९५६-५७ के निर्यात की तुलना में यह कैसा बैठता है; और

(ग) इनसे कितनी विदेशी मुद्रायें वसूल हुई हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** :(क) से (ग). लोक सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है। इससे यह स्पष्ट हो जायेगा कि १९५७-५८ के निर्यात १९५६-५७ के निर्यात की तुलना में अनुकूल ही बैठते हैं।

विवरण

वर्ष	सूती कपड़े के निर्यात का परिमाण (लाख गजों में)		वसूल की गयी विदेशी मुद्रायें (लाख रुपयों में)	
१९५६		७४३.८४		५६९८.६९
१९५७ जनवरी—				
सितम्बर—६९८.२४			५१७२.२८	
अक्तूबर —			*	
दिसम्बर—१९०.९०*		८८९.१४	१२३७.३७	६४०९.६५

†मूल अंग्रेजी में

*भेजने के लिये पास किया गया।

चीन में भारतीय व्यापार प्रदर्शनी

†२१६२. { श्री दी० चं० शर्मा :
श्री कालिका सिंह :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चीन में भारत की व्यापार प्रदर्शनी के सिलसिले में कुल कितना व्यय हुआ है ;

(ख) यह प्रदर्शनी किन-किन स्थानों पर हुई ;

(ग) प्रत्येक स्थान पर यह कितनी कितनी अवधि तक चली; और

(घ) चीन से भारत के निर्यात व्यापार के लिये नये क्षेत्र खोलने में यह प्रदर्शनी किस सीमा तक सफल हुई है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) पेकिंग की पूर्णतः भारतीय प्रदर्शनी के सिलसिलें में हुआ और संभावित व्यय इस प्रकार है :

किया गया व्यय			अनुमानित व्यय	जोड़
	१९५६-५७ रुपये	१९५७-५८ रुपये	रुपये	
भारत से बाहर	कुछ नहीं	११,००,१०३.००	कुछ नहीं	११,००,१०३.००
भारत में	८०,०००·००	५,२०,३५३.००	२९,५४४.००	६,२९,८९७.००
जोड़:	८०,०००·००	१६,२०,४५६.००	२९,५४४.००	१७,३०,०००.००

(ख) केवल पेकिंग में।

(ग) पेकिंग में १९ सितम्बर से १९ अक्तूबर, १९५७ तक।

(घ) यदि सॉवेनिर की बिक्री और प्रदर्शनी में की गयी पूछ-ताछ से अंदाज लगाया जाय तो चीन से भारत का निर्यात व्यापार बढ़ने की आशा है।

हिमाचल प्रदेश में खेल के सामान का निर्माण

२१६४. **श्री पद्म देव** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में खेल का सामान बनाने के कितने केन्द्र हैं ;

(ख) इन केन्द्रों में कितने व्यक्ति प्रशिक्षिण पा रहे हैं; और

(ग) इन केन्द्रों में अब तक खेल का कितना सामान बनाया गया है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) एक भी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

†मूल अंग्रेजी में

जापान को लौह अयस्क का निर्यात

†२१६५. **श्री वि० चं० शुक्ल :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५७–५८ में जापान को १३ लाख टन लौह अयस्क का संभरण करने का जो ठेका हुआ था उसमें से भारत के राज्य व्यापार निगम (प्राइवेट) लिमिटेड ने ३१ दिसम्बर, १९५७ तक कुल कितने अयस्क का संभरण किया है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** ५,२०,७४२ टन।

चाय सुखाने वाली और सी० टी० सी० मशीनें[1]

†२१६६. **श्री मोहम्मद इलियास :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री लोक–सभा पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह दिखाया गया हो कि :

(क) अब तक इस देश में चाय सुखाने वाली कुल कितनी मशीनें बनाई गयी हैं;

(ख) चाय सुखाने वाली एक मशीन की कीमत कितनी है ;

(ग) इस देश में कितनी क्रशिंग, टियरिंग और कर्लिंग (सी० टी० सी०) मशीनें बनायी गयी हैं;

(घ) एक सी० टी० सी० मशीन की कीमत कितनी है;

(ङ) इस देश में भारतीय नियंत्रण वाले कितने निर्माता चाय की मशीनें बना रहे हैं ;

(च) इस देश में योरोपीय नियंत्रण वाले कितने निर्माता चाय की मशीनें बना रहे हैं, और

(छ) स्थिति में सुधार करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही करने का विचार किया है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** (क) २९

(ख) चाय सुखाने वाली एक मशीन की कीमत ५५,१०० रुपये से ९८,९७५ रुपये तक होती है।

(ग) ५२

(घ) ३१,८०० रुपये प्रति।

(ङ) से (छ). भारत में दो फर्में चाय तैयार करने वाली मशीनें बनाने में लगी हैं। दोनों ही इस देश में पंजीबद्ध हैं और भारतीय नियंत्रण में हैं। सरकार देश में चाय की मशीनों के और भी उत्पादन को प्रोत्साहन देने का प्रयास कर रही है।

विदेशी उच्चपदधारियों की भारत यात्रा

†२१६७. **श्री संगण्णा :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कारण है कि विशिष्ट विदेशी आगंतुकों के लिये उड़ीसा की यात्रा को कभी प्रोत्साहन नहीं दिया जब हीराकुड बांध और रूरकेला का इस्पात का कारखाना वहीं पर स्थित हैं; और

(ख) क्या उड़ीसा सरकार से भी कभी इस मामले में परामर्श किया गया था ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Tea Driers and C.T.C. (crushing tearing and curling) Machines.

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) जो विशिष्ट विदेशी जन भारत आते हैं वह सामान्यतया दिल्ली में उतरते हैं और उनके पास बहुत सीमित समय होता है। उनका कार्यक्रम तैयार करते समय यह मुख्य उद्देश्य ध्यान में रहता है कम से कम समय में अधिक से अधिक स्थान उन्हें दिखा दिये जायं ताकि यात्रा में समय नष्ट न हो। यही कारण है कि इन लोगों को उड़ीसा या किसी ऐसे अन्य राज्य में नहीं ले जाया जाता जो दिल्ली से बहुत दूर हैं।

(ख) इस बारे में पहले किसी भी राज्य से परामर्श नहीं किया जाता कि किसी विशेष विदेशी जन को उस राज्य में लाया जाये या नहीं।

कूचा नटवां (दिल्ली)

†२१६८. **राजा महेन्द्र प्रताप** : क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कूचा नटवां (दिल्ली) बहुत ही संकरा है और उसके दोनों ओर कपड़े के व्यापारी और फेरीवाले सामान बेचने के लिये बैठे रहते हैं ;

(ख) क्या सरकार को कूचे में रहने वाले परिवारों से कोई शिकायत मिली है जिन्हें उसमें से होकर गुजरने में कठिनाई होती है; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर)** : (क) जी हां, यह गली १२ फुट चौड़ी बताई जाती है।

(ख) जी हां।

(ग) विस्थापित स्टाल वालों को वहां से हटाकर उन्हें व्यापार के लिये दूसरा स्थान देने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है। विस्थापित स्टाल वाले पुनर्वास मंत्रालय में यह अनुरोध लेकर आये थे कि चांदनी चौक के आसपास कुछ निष्क्राम्य सम्पत्तियां उन्हें बेच दी जायें ताकि वे उन को गिराकर अपने लिये बाजार बनवा लें। यह प्रस्ताव मान लिया गया था। इन सम्पित्तियों का रक्षित मूल्य स्टाल वालों ने जमाकर दिया है और आशा है कि इन सम्पत्तियों के स्वामित्व के अधिकार जल्दी ही उन्हें हस्तांतरित कर दिये जायेंगे।

अंश पूंजी

†२१६९. **श्री हेडा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५४–५५, १९५५–५६, १९५६–५७ में और १९५७–५८ के प्राक्कलनों में गैर–सरकारी क्षेत्र में नये समवायों की शक्ल में और पुराने समवायों में पूंजी बढ़ने से अंश पूंजी में कितनी वृद्धि हुई है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : उपलब्ध जानकारी का विवरण लोक–सभा पटल पर रखा जाता है **[देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या १२]**

†मूल अंग्रेजी में

लेखक

२१७०. **श्री प० ला० बारूपाल :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा प्रकाशित किये जाने वाले पाक्षिक और मासिक पत्रों में प्रकाशित होने वाले लेखों के लिये लेखकों को वर्ष १६५६ और १६५७ में कुल कितना पारिश्रमिक दिया गया; और

(ख) यह पारिश्रमिक कितने लेखकों को दिया गया ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा मन्त्रालय की पाक्षिक और मासिक पत्रिकाओं के लिये १६५६ में रु० ३४,६७३ और १६५७ में रु० ४०,३३१ दिये गये।

(ख) इस मन्त्रालय द्वारा १६५६ में ८६६ और १६५७ में १२२७ लेखकों को उनके लेखों के लिये फीस दी गयी।

बागान श्रमिक गृह-निर्माण योजना

†२१७१. **श्री भगवती :**
श्री बसुमतारी :

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम में बागान मालिकों से बागान श्रमिक गृह-निर्माण योजना के अधीन आवेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां तो इन आवेदनों की संख्या क्या है और यह कितनी राशि के लिये हैं ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा) :** (क) जी हां।

(ख) १५.३.५८ तक राज्य सरकार को १,३५,२०० रुपये के लिये दो आवेदन मिले थे।

यहूदियों का इज़रायल को प्रव्रजन

†२१७२. **श्री रामेश्वर टांटिया :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक भारत से कितने यहूदियों ने इज़रायल को प्रव्रजन किया है; और

(ख) १६५६ और १६५७ में कितने यहूदियों ने इज़रायल को प्रव्रजन के लिये आवेदन किया था तथा कितने यहूदियों के प्रव्रजन की अनुमति दी गई है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** (क) और (ख). १६५६ और १६५७ में बम्बई नगर से इज़रायल को प्रव्रजन करने के लिये क्रमशः २६२ और ६६६ यहूदियों ने आवेदन किया था। जहां तक इन तिथियों के पूर्व और पश्चात् प्रव्रजित यहूदियों की संख्या का सम्बन्ध है, बम्बई राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और यथासमय में सभा-पटल पर रख दी जायगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

भविष्यनिधि की राशि का गबन

†२१७३. **श्री मोहम्मद इलियास :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह ज्ञात है कि जो समवाय कर्मचारी भविष्यनिधि, अधिनियम, १९५१ के अन्तर्गत आते हैं उनमें से कुछ समवाय भविष्यनिधि की राशि का गबन कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसके ब्यौरे क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा ऐसे समवायों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क), (ख) और (ग). कर्मचारी भविष्यनिधि अधिनियम, के अन्तर्गत आने वाले कुछ कारखाने । संस्थापन भविष्यनिधि के अंशदान का भुगतान समय रहते नहीं करते या जिन कारखानों को छूट दी गई है वे केन्द्रीय सरकार की भविष्यनिधि की प्रत्याभूतियों में समय रहते राशि का विनियोग नहीं करते । ऐसी अवहेलना की स्थिति में कर्मचारी भविष्यनिधि अधिनियम, १९५२ की धारा ८ के अन्तर्गत जमीन की बकाया लगान वसूल करने के की जाने वाली कार्यवाही की जाती है और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कर्मचारी भविष्यनिधि योजना, १९५१ की कंडिका ७६ के साथ पठित कर्मचारी भविष्यनिधि योजना अधिनियम, १९५१ की धारा १४ के अन्तर्गत फौजदारी कार्यवाही की जाती है ।

कर्मचारी भविष्यनिधि अधिनियम, १९५१ और उसके अधीन बनाई गई योजना के अन्तर्गत आने वाले ६२७२ कारखाने/संस्थापनों में से ४१८ के विरुद्ध विभिन्न न्यायालयों में वसूली और/अथवा अभियोजना कार्यवाही ३१ दिसम्बर, १९५७ तक निलम्बित थी । कार्यवाही के बारे में मंजूरी के लिये कुछ आवेदन भी सम्बन्धित राज्य सरकारों के विचाराधीन थे ।

काफी के विकास सम्बन्धी कार्यक्रम

†२१७४. **श्री जीनचन्द्रन् :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत काफी के विकास सम्बन्धी कार्यक्रमों के बारे में ३१ मार्च, १९५८ के अन्त तक की गई प्रगति का एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** एक विवरण लोक–सभा पटल पर रखा जाता है **[देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या १३]** ।

अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस

†२१७५. **श्री स० म० बनर्जी :**
श्री तंगामणि :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस को उचित प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो किस तारीख से?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के सम्मलनों के लिये श्रमिकों के प्रतिनिधि अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के संविधान के अनुसार चुने जाते हैं जिस में यह कहा गया है कि गैर–सरकारी प्रतिनिधि और सलाहकार ऐसे संगठनों की सम्मति से चुने जाते हैं जो श्रमिक जनों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व करते हों। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का प्रतिवर्ष गठन करते समय चार भारतीय संगठनों (भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, हिन्द मजदूर सभा और यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस) को एक सर्वसम्मत तालिका देने को कहा जाता है। किसी सर्वसम्मत तालिका के सुझाव में भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जिसके श्रमिक सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है और जो उनका सर्वाधिक प्रतिनिधित्व करता है, द्वारा जिन व्यक्तियों की सिफारिश की गई हो उन्हें सम्मेलन के लिये श्रमिकों का प्रतिनिधि बना दिया जाता है।

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की समितियों में श्रमिकों के प्रतिनिधियों का चुनाव भी उसके उपर्निर्दिष्ट संविधान के अनुसार किया जाता है और सम्बन्धित उद्योग श्रमिकों के सर्वाधिक प्रतिनिधिक संगठन को श्रमिकों के प्रतिनिधि चुनने का अक्रधिकार दिया जाता है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

होसुर (मद्रास) की रेशम-कृमि पालन संस्था

†२१७६. **श्री बालकृष्णन्** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास राज्य की होसुर की रेशम–कृमि पालन संस्था को कोई सहायता दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो संस्था की किस प्रकार की सहायता की गई है?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) जी, हां।

(ख) संस्था में कार्यान्वित की जा रही निम्न योजनाओं के लिये मद्रास सरकार को अनुदान रूप में २६,१३५ रुपये की रकम की मंजूरी दी गई है:—

	रुपये
(१) वातानुकूलन सुविधायों की व्यवस्था करना।	१३,६३५
(२) शहतूत के पत्तों के परिरक्षण की रीतियों में सुधार करना।	४,०००
(३) 'इनक्यूबेशन चैम्बर्स' की अधिष्ठापना।	८,५००

डिफेन्स कोलोनी

†२१७७. **श्रीमती सुचेता कृपालानी** : क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डिफेन्स कालोनी (नई दिल्ली) में एक हस्पताल के लिये भूमि रक्षित की गई है;

(ख) यदि हां, तो हस्पताल की इमारत कब निर्मित करने का प्रस्ताव है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या यह सच है कि पार्श्ववर्ती स्थानों में रहने वाले लोगों द्वारा इस समय डिफेन्स कालोनी की खाली जमीन का शौचालयों के रूप में उपयोग किया जा रहा है और इस से बस्ती के निवासियों को बहुत असुविधा हो रही है; और

(घ) यदि हां, तो बस्ती निवासियों की सहायता के लिए अब तक क्या कार्यवाहियां की गई हैं ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर)** : (क) जी हां ।

(ख) दिल्ली प्रशासन की सलाह के साथ इस प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

(ग) तथा (घ). कोटला मुबारिकपुर गांव के निवासियों के लिये नई दिल्ली नगरपारिका ने कुछ सामुदायिक शौचालय निर्मित किये हैं । इस मामले में स्थानीय पुलिस अधिकारियों से सहायता करने के लिये भी कहा गया है । आशा है कि बस्ती में और मकान निर्मित होने पर यह अनुभास और दूर हो जायेगा ।

उत्तर प्रदेश में विस्थापित व्यक्ति

२१७८. **श्री सरजू पाण्डे** : क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार के सहायता एवं पुनर्वास विभाग की औद्योगिक सलाहकार समिति ने विस्थापितों द्वारा चलाये जाने वाले छोटे उद्योगों के लिये ऋण मांगा है ; और

(ख) यदि हां तो कितना ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर) : (क) तथा (ख). राज्य सरकारों को १०,००० रुपये/५,००० रुपये तक की लागत के छोटे/घरेलू उद्योगों की योजनाओं को मंजूर करने का अधिकार दिया गया है । इस रकम से अधिक लागत की योजनाओं को केन्द्रीय सरकार के पास भेजा जाता है । अपने अधिकारों के अन्तर्गत कर्जे की योजनाओं को मंजूर करने के लिये उत्तर प्रदेश सरकार ने २५,००० रुपये कर्ज मांगे थे और ये उन्हें दिसम्बर १९५७ में दे दिये गये थे । राज्य सरकार ने इंडस-ट्रियल एडवाइजेरी कमेटी की सिफारिशों के मुताबिक अब तक ४ विस्थापित उद्योगपतियों के लिये १६,००० रुपये मंजूर किये हैं ।

हथकरघा उद्योग

†२१७९. **श्री इलयापेरूमाल** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हथकरघा उद्योग के विकास के लिये मद्रास राज्य को ऋण तथा अनुदान रूप में कोई राशि आवंटित की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि आवंटित की गई है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) तथा (ख). ७२८.१० लाख रुपये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सिंगरेनी कोयला-खान समवाय के श्रमिकों के लिये क्वार्टर

†२१८०. **श्री त० ब० विट्ठलराव** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिंगरेणी कोयला-खान समवाय के ऐसे श्रमिकों की संख्या कितनी है जिनके निवास-स्थान खानों से बहुत दूरी पर स्थित हैं ;

(ख) क्या उनके लिये क्वार्टरों की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की गई है ; और

(ग) क्या कोयला खान श्रम कल्याण निधि में से क्वार्टरों का निर्माण करते समय इन खानों के समीप क्वार्टर निर्मित करने के लिये प्राथमिकता देने की बात सरकार के विचाराधीन है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) २०० ।

(ख) जी हां । खान मालिकों का और मकान निर्मित करने का प्रस्ताव है ।

(ग) जी हां ।

सिलाई की मशीनों का निर्यात

†२१८१. **श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७–५८ में भारत में निर्मित सिलाई की मशीनें किन देशों को निर्यात की गई हैं ; और

(ख) इन के लिये भविष्य में निर्यात सम्बन्धी कार्यक्रम क्या है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)**: (क) आस्ट्रेलिया, लंका, उगाण्डा, केनया, नार्थ रोडेशिया, टांगानीका, ब्रिटिश गियाना, घाना, नाइजेरिया, सिरालियोने, पूर्वी पाकिस्तान, सिंगापुर तथा नेपाल को सिलाई की मशीनें निर्यात की गई हैं ।

(ख) अक्तूबर १९५७ से सितम्बर १९५८ की अवधि के लिये १९५६–५७ के मूल वर्ष निर्यात के अतिरिक्त ४२ लाख रुपये के मूल्य की ३५,००० सिलाई की मशीनों का एक निर्यात लक्ष्य नियत किया गया है ।

मनीपुर में विस्थापित व्यक्ति

†२१८३. **श्री ले० अचौ सिंह** : क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे विस्थापित व्यक्तियों की संख्या कितनी है जिनका सरकार ने उत्तरदायित्व स्वीकार नहीं किया है और जिन्होंने मनीपुर में पुनर्वास सम्बन्धी सुविधायों के लिये आवेदित किया है ; और

(ख) सरकार ने जिन ५०० कृषि-परिवारों का उत्तरदायित्व स्वीकार किया था उन में से कितने विस्थापित व्यक्तियों को भूमि पर बसाया जा चुका है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर)** : (क) कुछ समय पहिले की गई एक परिगणना के अनुसार इस प्रकार के ६०२ परिवारों ने विस्थापित व्यक्ति होने का दावा किया था। इन में से केवल १३२ परिवारों के पास यह सिद्ध करने के लिये लिखित प्रमाण था कि वे सदाशय विस्थापित व्यक्ति थे।

(ख) सरकार ने जिन ५०० परिवारों का उत्तरदायित्व स्वीकार किया था उन में से ४१८ परिवार किसान थे और उन सभी को भूमि पर पुनर्वासित किया जा चुका है।

उड़ीसा की द्वितीय पंचवर्षीय योजना

†२१८४. **डा० सामन्तसिंहार** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य में क्रियान्विति के लिये द्वितीय पंच वर्षीय योजना का वह अंश कौन सा है जिसके बारे में यह समझा जा सके कि वह 'योजना का मुख्य भाग' परिभाषा के अन्तर्गत आता है ; और

(ख) उस पर कुल कितनी रकम खर्च की जायेगी ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)** : (क) तथा (ख). द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उड़ीसा राज्य में क्रियान्विति के लिये निम्न परियोजनायें 'योजना के मुख्य भाग' की परिभाषा के अन्तर्गत आती हैं :—

	प्राक्कलित व्यय (लाख रुपये में)	
१. रूरकेला इस्पात संयंत्र	१७,०००	
२. तालचर में राज्य की कोयला खानों का विस्तार	१,२०	
३. हीराकुड द्वितीय चरण	१४,३२	
४. रेलवे कार्यक्रम के अधीन निर्माण-कार्य।		
(१) मनोहरपुर–रूरकेला रूरकेला–नागपुर और नरगुंडी-खुर्दा लाइनों पर दोहरी लाइन की व्यवस्था करना।		ये कार्य रेलवे के निर्माण कार्यक्रम में शामिल हैं और इन निर्माण-कार्यों पर खर्च की जाने वाली कुल रकम का ब्यौरा पृथक रूप से प्राप्य नहीं
(२) राजखारसवां-थारसागुडा लाइनों पर बिजली से रेल चलाना।		
(३) रूरकेला–तालदिह–डुमारो और नोयामण्डी बांसपानी लाइनों का निर्माण।		

कर्मचारी राज्य बीमा योजना

†२१८५. **श्री पद्म देव :**
श्री दलजीत सिंह :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में कर्मचारी राज्य बीमा योजना लागू की गई है ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इसे किन स्थानों पर लागू किया गया है ;

(ग) जब से कर्मचारी राज्य बीमा योजना कार्यान्वित की गई है तब से हिमाचल प्रदेश में क्षेत्र-वार श्रमिकों तथा नियोजकों द्वारा पृथक रूप से कितनी रकम दी गई है ; और

(घ) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक है तो इसका कारण क्या है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) दिल्ली प्रदेश में (जिसमें दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य भारत, अजमेर और भोपाल शामिल हैं) नियोजकों ने ३१–१२–५७ तक ८७,३२,३६५ रुपये दिये थे । हिमाचल प्रदेश में नियोजकों के अंशदान के सम्बन्ध में पृथक रूप से जानकारी प्राप्य नहीं है । क्योंकि हिमाचल प्रदेश में अभी योजना लागू नहीं की गई है इस लिये उस क्षेत्र में अभी वहां के श्रमिकों को अंशदान नहीं देना होता है ।

(घ) योजना कई चरणों में लागू की जा रही है । अब उन क्षेत्रों में इसे लागू किया जा रहा है जहां १,५०० से ५,००० श्रमिक संकेन्द्रित हैं । क्योंकि हिमाचल प्रदेश में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है इस लिये उस राज्य में योजना को लागू किये जाने के सम्बन्ध में विचार करने में कुछ समय लगेगा ।

नांगल फर्टिलाइज़र्स एण्ड कैमिकल्स (प्राइवेट) लिमिटेड

†२१८६. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नांगल फर्टिलाइज़र्स एण्ड कैमिकल्स (प्राइवेट) लिमिटेड में अनुसूचित जातियों के लिये रक्षित सभी पदों की अब पूर्ति की जा चुकी है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इस का क्या कारण है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) जी नहीं ।

(ख) सर्व प्रथम उपयुक्त रूप से यह उम्मीदवार आवेदित नहीं कर रहे हैं, और दूसरे समवाय यथासम्भव ऐसे विस्थापित गांव निवासियों को नौकर रखने के लिये वचनबद्ध है जिनकी जमीनें परियोजना के लिये अर्जित की गई थीं । फिर भी अनुसूचित जातियों में से यथासम्भव व्यक्ति लिये जाने के लिये सदैव प्रयत्न किये जाते हैं ।

पंजाब में हथकरघे

†२१८८. { **श्री दलजीत सिंह** :
श्री साधूराम :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय पंजाब में कितने हथकरघे चलाये जा रहे हैं ;

(ख) इन करघों को सहकारी क्षेत्र में लाने की दिशा में क्या प्रगति हुई है और पंजाब में इस क्षेत्र के अन्तर्गत करघों की संख्या कितनी है ; और

(ग) १६५७–५८ में पंजाब में इस उद्योग को केन्द्रीय सरकार द्वारा सहायता रूप में कितनी रकम दी गई थी और १६५८–५६ में कितनी रकम देने का प्रस्ताव है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) फरवरी, १९५८ तक पंजीबद्ध किये गये हथकरघों की संख्या ३७,५९० थी परन्तु इन में से कितने काम कर रहे हैं, इस सम्बन्ध में ठीक जानकारी प्राप्त नहीं है ।

(ख) ३१–१२–५७ को सहकारी क्षेत्र में हथकरघों की संख्या १२,४४५ थी जबकि ३१–३–५५ में उनकी संख्या ६,३८६ थी ।

(ग) १९५७–५८ में केन्द्रीय सहायता के रूप में २,९७,६१४ रुपये दिये गये थे और १९५८–५९ में ५,००,००० रुपये की रकम देने का प्रस्ताव है ।

पंजाब में विस्थापित व्यक्तियों के लिये मकान

†२१८९. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में विस्थापित व्यक्तियों के लिये बनाई गई बस्तियों में अब तक विस्थापित व्यक्तियों को कितने मकान आवंटित किये गये हैं अथवा बेचे गये हैं ; और

(ख) यदि अभी तक कुछ मकान आवंटित नहीं किये गये हैं या बेचे नहीं गये हैं तो ऐसे मकानों की संख्या कितनी है ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर)** : (क) तथा (ख). जानकारी एकत्रित की जा रही है और लोक-सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

पंजाब में रेशम कृमि पालन का विकास

†२१९०. **श्री हेम राज** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले चार वर्षों में पंजाब सरकार को रेशम कृमि पालन के विकास के लिये कितनी रकम दी गई है ; और

(ख) इसी अवधि में कितनी रकम मांगी गई थी ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) तथा (ख). निम्न अनुदानों की मंजूरी दी गई थी :—

वित्तीय वर्ष	मंजूर की गई रकम
	रुपये
१९५४–५५	१०,८५०
१९५५–५६	४६,०७४
१९५६–५७	५८,८५२
१९५७–५८	८२,४१५
जोड़	१,९८,१९१

†मूल अंग्रेजी में

बताया गया है कि १,९८,१९१ रुपये की कुल मंजूर की गई राशि में से राज्य सरकार ने उपरोक्त वर्षों में वास्तव में ७१,६२६ रुपये खर्च किये थे। राज्य सरकारों द्वारा भिन्न समयों पर विभिन्न योजनायें भेजी जाती हैं और इस लिये यह बताना सम्भव नहीं है कि कुल कितनी राशि की मांग की गई थी ।

पंजाब में चमड़ा सहकारी समितियां

†२१९१. **श्री दलजीत सिह:** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में चमड़ा सहकारी समितियां किन स्थानों पर स्थित हैं ;

(ख) वे किस प्रकार की वस्तुयें तैयार करती हैं ; और

(ग) केन्द्र द्वारा अब तक उनकी किस प्रकार की सहायता की गई है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)**: (क) से (ग) पंजाब सरकार से जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायगी ।

कागज़ मिलें

†२१९२. **श्री दलजीत सिह :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कागज़ तैयार करने वाले कारखानों की संख्या कितनी है और उनका वार्षिक उत्पादन कितना है ; और

(ख) क्या द्वितीय पंच वर्षीय योजना में सरकार का कुछ नई कागज मिलों को लाइसेंस देने का प्रस्ताव है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) देश में कागज तथा गत्ता बनाने वाले कारखानों की संख्या उन्नीस है और १९५७ में उनका उत्पादन २,१०,१२६ टन था ।

(ख) १२ बड़े पैमाने की इकाइयों और ११ छोटे पैमाने की इकाइयों को पहिले ही लाइसेंस दिये जा चुके हैं । यदि नये प्रस्ताव प्राप्त हुये तो उनके गुण दोष के आधार पर उन पर विचार किया जायगा ।

पंजाब में बुनकर सहकारी समितियां

†२१९३. **श्री दलजीत सिंह :**
श्री साधू राम :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में कितनी बुनकर सहकारी समितियां गठित की गई हैं ;

(ख) ऐसी कितनी सहकारी समितियों को भारत के रक्षित बैंक से ऋण प्राप्त करने की सुविधायें प्राप्य हैं ?

(ग) पंजाब में अब तक कितने हथकरघे विद्युत् चालित करघों में परिवर्तित किये जा चुके हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) ५२६ ।

(ख) किसी को नहीं ।

(ग) जानकारी प्राप्य नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पंजाब को केन्द्रीय सहायता

†२१९४. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्वितीय पंच वर्षीय योजना के अधीन १९५८-५९ के लिये पंजाब सरकार को केन्द्रीय सहायता देने के लिये राशि का अन्तिम रूप से निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो वह राशि कितनी है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)** : (क) जी, हां।

(ख) १६·३ करोड़ रुपये ।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवार

†२१९५. **श्री कुम्भार** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री २१ मार्च, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या १५४१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि ३१ दिसम्बर, १९५७ की समाप्ति पर चालू रजिस्टरों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के पृथक रूप से कितने स्नातकों के नाम दर्ज थे और उन में से अब तक कितने उमीदवारों को राज्य-वार केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों के विभागों में नियोजित किया जा चुका है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : जानकारी प्राप्य नहीं है ।

रेशमी वस्तुओं का निर्यात

†२१९६. **श्री पांगरकर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १३ मार्च, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या १२४५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५७–५८ में विदेशों में किस प्रकार की भारतीय रेशमी वस्तुओं का अधिक उपभोग किया गया था ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : आलोच्य अवधि में, अर्थात् अप्रैल-सितम्बर, १९५७ में विदेशों में जिस प्रकार की भारतीय रेशमी वस्तुओं का अधिक उपभोग किया गया था वे निम्न थीं :—

१. ९० प्रतिशत से अधिक रेशम वाले रेशमी वस्त्र ।

२. रेशमी साढ़ियां ।

३. ५० प्रतिशत से कम रेशम वाले वस्त्र ।

४. अन्य रेशमी वस्त्र ।

जूते बनाने का उद्योग

†२१९७. **श्री दलजीत सिंह :**
श्री साधू राम :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५६-५७ में पंजाब राज्य में जूते बनाने के उद्योग के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी सहायता दी गई थी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : १९५६–५७ में पंजाब राज्य में जूते बनाने के उद्योग के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई सहायता नहीं दी गई थी। तथापि १९५६–५७ में फेन्सी चमड़ा उद्योग के विकास के लिये पंजाब सरकार को उसकी एक योजना के सम्बन्ध में २,३२,८०० रुपये के ऋण की मंजूरी दी गई थी।

पोलैंड के साथ व्यापार

†२१९८. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या १९५७–५८ में भारत के पोलैण्ड के साथ व्यापार में कोई वृद्धि अथवा कमी हुई है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : १९५७–५८ में भारत तथा पोलैण्ड के बीच व्यापार में वृद्धि हुई है। अप्रैल––सितम्बर, १९५७ की अवधि में भारत का पोलैण्ड के साथ २·७२ लाख रुपये का व्यापार हुआ था जब कि १९५६ की तदनुरूप अवधि में केवल १५७ लाख रुपये का व्यापार किया गया था।

छोटे पैमाने के उद्योगों के उत्पादों के लिये थोक डिपो

†२१९९. **श्री साधू राम** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में छोटे पैमाने के उद्योगों द्वारा उत्पादित सामान की बिक्री के लिये १९५७–५८ में थोक माल के कितने डिपो खोले गये हैं;

(ख) पंजाब में १९५८–५९ में कितने डिपो खोलने का प्रस्ताव है;

(ग) वे कहां पर स्थित होंगे;

(घ) पिछले छः महीनों में डिपो पर कुल कितना आवर्तक तथा अनावर्तक व्यय किया गया है; और

(ङ) उन से कितनी आय हुई थी ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)**: (क) १९५७–५८ में लुधियाना में एक ऊनी हौजरी-एवं-कच्चे माल का डिपो स्थापित किया गया है।

(ख) शून्य।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(घ) तथा (ङ). थोक माल के डिपुओं का प्रशासन विकेन्द्रित किया गया है और सहायक निगमों को सौंप दिया गया है। १९५७–५८ के लिये लेखे को अन्तिम रूप दिये जाने के बाद डिपो पर किये गये खर्च तथा उन से होने वाली आय के आंकड़े बता दिये जायेंगे।

ग्राम्य भवन निर्माण योजनायें

†२२००. **श्री हेम राज** : क्या **निर्माण, आवास और सम्भरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७–५८ के लिये विभिन्न राज्यों को, राज्य-वार, कितनी ग्राम्य भवन-निर्माण परियोजनायें आवंटित की गई हैं; और

(ख) उन के चुनाव की रीति क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) लोक सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें अपेक्षित जानकारी दी गई है। **[देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या १४]**

(ख) ग्राम्य भवन निर्माण परियोजनाओं से संबंधित योजना की प्रतियां संसदीय पुस्तकालय में प्राप्य हैं और उस योजना की कंडिका ६ में बताई गई कटौती के अनुसार राज्य सरकारों द्वारा गांवों का चुनाव किया जायेगा।

सभा-पटल पर रखा गया पत्र

काफी नियमों का संशोधन

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : मैं काफी अधिनियम, १९४२ की धारा ४८ की उपधारा (३) के अन्तर्गत काफी नियम, १९५५ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक २९ मार्च, १९५८ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १८४ की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० ६४९/५८]**

प्राक्कलन समिति

छठा तथा सातवां प्रतिवेदन

†**श्री ब० गो० मेहता** (गोहिलवाड़) : मैं "भारतीय रेलों का कार्य-संचालन" और "रेलवे द्वितीय पंचवर्षीय योजना" के बारे में क्रमशः सत्रहवें तथा अट्ठारहवें प्रतिवेदनों (प्रथम लोक-सभा) में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में प्राक्कलन समिति का छठा और सातवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम के वार्षिक प्रतिवेदनों के बारे में वक्तव्य

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : श्रीमान्, २६ मार्च, १९५८ को जब कर्मचारी राज्य बीमा निगम का १९५६-५७ का वार्षिक प्रतिवेदन तथा १९५५-५६ के लेखा परीक्षित लेखे लोक सभा पटल पर रखे गये थे उस समय मेरे माननीय मित्र श्री मुरारका ने कहा था कि यद्यपि कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम की धारा ३६ के अधीन निगम द्वारा बनाये गये आय-व्ययक को भी सभा पटल पर रखा जाना आवश्यक था, परन्तु अब तक ऐसा नहीं किया गया। श्री चे० रा० पट्टाभिरामन् ने भी कुछ आपत्तियां उठाई थीं। ठीक स्थिति इस प्रकार है :

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम की धारा ३६ और कर्मचारी राज्य बीमा (केन्द्रीय) नियम, १९५० के नियम ३१(७) के अनुसार निगम के आय-व्ययक प्राक्कलनों को प्रति वर्ष संसद् के समक्ष रखा जाता है और संसद् द्वारा केन्द्रीय सरकार का आय-व्ययक स्वीकार किये जाने के पश्चात् सरकारी गजट में प्रकाशित किये जाते हैं। १९५६-५७ के आय-व्ययक प्राक्कलनों को १०

† मूल अंग्रेजी में

[श्री आबिद अली]

मई, १९५६ को लोक-सभा की पटल पर रखा गया था तथा ९ जून को सरकारी गजट में उनका प्रकाशन किया गया था । १९५७–५८ के आय-व्ययक प्राक्कलनों को १२ सितम्बर, १९५७ को सभा की पटल पर रखा गया था और १९ अक्तूबर को सरकारी गजट में प्रकाशित किया गया था । इसी प्रकार १९५८–५९ के आय-व्ययक प्राक्कलन केन्द्रीय सरकार के आय-व्ययक प्राक्कलनों के संसद् द्वारा स्वीकृत हो जाने पर पटल पर रख दिये जायेंगे ।

१९५४ ५५ के लिये निगम का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षित लेखे १७-८-५७ को लोक सभा पटल पर रखे गये थे । अभी तक वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षित लेखे साथ ही संसद् के समक्ष रखे जाते रहे हैं । क्योंकि लेखा परीक्षित लेखों को अन्तिम रूप देने में समय लगता है इसलिये दोनों पत्रों को एक साथ रखने की प्रथा समाप्त कर दी गयी है ।

अनुदानों की मांगें––जारी

श्रम और रोजगार मंत्रालय––जारी

†**अध्यक्ष महोदय :** सभा में अब श्रम और रोजगार मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर और आगे चर्चा होगी । इसके लिये आवंटित ६ घटों में से ४ घंटे तथा ४२ मिनट शेष हैं । इन मांगों पर प्रस्तुत कटौती प्रस्तावों की सूची माननीय सदस्यों में ७ अप्रैल को परिचालित कर दी गई थी । मैं माननीय श्रम मंत्री से ४ बजे उत्तर देने के लिये कहूंगा ।

श्रम और रोजगार मंत्रालय की विभिन्न मांगों पर निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :—

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव की संख्या	कटौती प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
७२	१४४०	श्री प्रभात कार	गैर-प्रतिनिधि संघों द्वारा किये गये समझौतों को लागू करना ।	राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाये
७२	९२२	श्री घोषाल	कृषि श्रमिकों पर न्यूनतम मजूरी अधिनियम के उपबन्धों को लागू न करना ।	१०० रुपये
७२	१२५०	श्री म० म० बनर्जी	सभी औद्योगिक कर्मचारियों पर न्यूनतम मजूरी अधिनियम लागू करने की आवश्यकता ।	१०० रुपये

†मूल अंग्रेजी में

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव की संख्या	कटौती प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
७२	१२५१	श्री स० म० बनर्जी	सभी मज़दूरों के परिवार सदस्यों के लिये कर्मचारी राज्य बीमा योजना लागू करने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
७२	१२५२	श्री स० म० बनर्जी	काम दिलाऊ दफ्तरों का कार्य-कलाप ।	१०० रुपये
७२	१२५३	श्री स० म० बनर्जी	पन्द्रहवें श्रम सम्मेलन की सिफारिशों को लागू करने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
७२	१२५४	श्री स० म० बनर्जी	विभिन्न कपड़ा मिलों में काम-बन्दी पर नियंत्रण न रख सकना ।	१०० रुपये
७२	१२५५	श्री स० म० बनर्जी	केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों में समझौता पदाधिकारियों तथा प्रादेशिक श्रम आयुक्तों (केन्द्रीय) का कार्य ।	१०० रुपये
७२	१२५६	श्री स० म० बनर्जी	एक उद्योग में एक संघ बनाने का औचित्य ।	१०० रुपये
७२	१२५७	श्री स० म० बनर्जी	खान मज़दूरों का दुर्घटनाओं से संरक्षण न कर सकना ।	१०० रुपये
७२	१२५८	श्री स० म० बनर्जी	परिवहन उद्योग में मजूरी बोर्ड की नियुक्ति की आवश्यकता ।	१०० रुपये
७२	१२५९	श्री स० म० बनर्जी	कर्मचारी राज्य बीमा निगम का कार्य संचालन ।	१०० रुपये
७२	१२६०	श्री स० म० बनर्जी	अखिल भारतीय कार्मिक संघ कांग्रेस को अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में प्रतिनिधित्व देने की आवश्यकता ।	१०० रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव की संख्या	कटौती प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
७२	१२६१	श्री स० म० बनर्जी	चमड़ा उद्योग के मज़दूरों के लिये एक मजूरी बोड की नियुक्ति की आवश्यकता ।	१०० रुपये
७२	१२६२	श्री स० म० बनर्जी	विभिन्न उद्योगों में संघों को मान्यता देना ।	१०० रुपये
७२	१२६३	श्री स० म० बनर्जी	कपड़ा तथा जूट उद्योगों में वैज्ञानिकन के प्रभाव ।	१०० रुपये
७२	१४२३	श्री प्रभात कार	कर्मचारी राज्य बीमा निगम का कार्य-संचालन ।	१०० रुपये
७२	१४२४	श्री प्रभात कार	देश में बढ़ती हुई बेकारी को रोकने में असफलता ।	१०० रुपये
७२	१४२५	श्री प्रभात कार	औद्योगिक मज़दूरों को शिक्षित बनाने के लिये प्रभावोत्पादक कार्यवाही न करना ।	१०० रुपये
७२	१४२६	श्री प्रभात कार	परिवहन मज़दूरों के लिये एक मजूरी बोर्ड नियुक्त करने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
७२	१४२७	श्री प्रभात कार	उपयुक्त विधान द्वारा संघों को मान्यता देने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
७२	१४२८	श्री प्रभात कार	भारतीय राष्ट्रीय कार्मिक संघ कांग्रेस से असम्बद्ध संघों के साथ व्यवहार ।	१०० रुपये
७२	१४२९	श्री प्रभात कार	विभिन्न राज्यों में काम दिलाऊ दफ्तरों का कार्य-संचालन ।	१०० रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव की संख्या	कटौती प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
७२	१४३०	श्री प्रभात कार'	पन्द्रहवें श्रम सम्मेलन की सिफारिशों को लागू करने की आवश्यकता।	१०० रुपये
७२	१४३१	श्री प्रभात कार	मज़दूरों के परिवार सदस्यों के लिये कर्मचारी राज्य बीमा योजना की सुविधाओं को लागू करने की आवश्यकता।	१०० रुपये
७२	१४४१	श्री प्रभात कार	पश्चिम बंगाल के बैंक कर्मचारियों द्वारा की गई हड़ताल के बारे में सरकार का रवैया।	१०० रुपये
७२	१४४२	श्री प्रभात कार	उद्योगों में सभी स्तरों पर संयुक्त सलाहकार बोर्ड की आवश्यकता।	१०० रुपये
७२	१४४३	श्री प्रभात कार	बैंकिंग उद्योग में लाभांश विवाद को निबटाने के लिये एक त्रिदलीय सम्मेलन की आवश्यकता।	१०० रुपये
७२	१४४४	श्री प्रभात कार	खान मजदूरों की काम की दशा सुधारने की आवश्यकता।	१०० रुपय
७२	१४४५	श्री प्रभात कार	वर्तमान विधियों की कमियों को दूर करने के लिये एक वृहद श्रम विधान की आवश्यकता।	१०० पये
७२	१४४६	श्री प्रभात कार	खानों के मजदूरों की असुरक्षा	१०० रुपये
७२	१४४७	श्री प्रभात कार	संविहित दायितों का उल्लंघन करने के लिये मालिकों के विरुद्ध कार्यवाही न करना।	१०० रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव की संख्या	कटौती प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
७२	१४६०	श्री प्रभात कार	विभिन्न सामान्य बीमा समवायों को बन्द करना ।	१०० रुपये
७२	१४६१	श्री प्रभात कार	उच्चतम न्यायालय के निर्णय के पश्चात् पत्रकारों के पारि-श्रमिकों में कमी को न रोक सकना ।	१०० रुपये
७२	१४६२	श्री प्रभात कार	पत्रकारों की मजूरी को ठीक करने के लिये शीघ्रता से कार्यवाही न कर सकना ।	१०० रुपये
७२	१४६३	श्री प्रभात कार	कैथोलिक बैंक आफ इंडिया, चंगनाचेरी के पंचाट को लागू न कर सकना ।	१०० रुपये
७२	१४६४	श्री प्रभात कार	सभी बैंकों में अधिक समय तक काम करने के भत्ते की गणना के बारे में पंचाट को लागू न कर सकना ।	१०० रुपये
७२	१४६५	श्री प्रभात कार	पंजाब नेशनल बैंक आफ इंडिया तथा सेन्ट्रल बैंक में पदोन्नतियों के बारे में पंचाट लागू करने में असफलता ।	१०० रुपये
७२	१४६६	श्री प्रभात कार	कलकत्ते में बैंकिग तथा बीमा क्षेत्र में समझौता पदाधिकारी (केन्द्रीय) का कार्य ।	१०० रुपये
७२	१४६७	श्री प्रभात कार	बैंकिग उद्योग में लाभांश विवाद को निबटाने के लिये कार्य-वाही न कर सकना ।	१०० रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव की संख्या	कटौती प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
७२	१४६८	श्री प्रभात कार	केन्द्रीय समझौता पदाधिकारियों का कार्य ।	१०० रुपये]
७२	१४६९	श्री प्रभात कार	प्रादेशिक श्रम आयुक्तों का कार्य	१०० रुपये
७२	१४७०	श्री प्रभात कार	श्रम सम्मेलनों तथा संयुक्त परामर्शदात्री संस्थाओं में अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संस्थाओं को प्रतिनिधित्व देने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
७२	१४७१	श्री प्रभात कार	पंचाटों को लागू न कर सकने के लिये मालिकों के विरुद्ध कार्यवाही न करना ।	१०० रुपये
७२	१४७२	श्री प्रभात कार	लायड्स बैंक के गोदाम कीपरों के मामलों में पंचाट लागू करने में असफलता ।	१०० रुपये
७२	१४७३	श्री प्रभात कार	लायड्स बैंक लिमिटेड, पंजाब नेशनल बैंक लिमिटेड, तथा इलाहबाद बैंक लिमिटेड के सुपरवाइजरों के मामलों में पंचाट लागू करने में असफलता ।	१०० रुपये
७३	४०५	श्री घोषाल	खान दुर्घटनाओं को न रोक सकना	१०० रुपये
७३	४०६	श्री घोषाल	बम्बई की बल्लरशाह कोयले की खानों द्वारा कोयला न्यायाधिकरणों के पंचाटों को लागू न करना ।	१०० रुपये
७३	४०७	श्री घोषाल	खान निरीक्षणालय में भ्रष्टाचार न रोक सकना ।	१०० रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव की संख्या	कटौती प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
७३	५२९	श्री घोषाल	. खानों में दुर्घटनाओं को न रोक सकना ।	१०० रुपये
७४	१३७	श्री घोषाल	. पश्चिम बंगाल के मज़दूर वर्ग के निर्वाह-व्यय देशनांक का मूल्यांकन न कर सकना ।	१०० रुपये
७४	४०८	श्री घोषाल	पश्चिम बंगाल में बेकारी की समस्या को न सुलझा सकना ।	१०० रुपये
७४	४०९	श्री घोषाल	. सभी पंजीबद्ध संघों को मान्यता न देना ।	१०० रुपये
७४	४१०	श्री घोषाल	. काम मूल्यांकन की अवैज्ञानिक पद्धति को न रोक सकना ।	१०० रुपये
७४	४११	श्री घोषाल	. सरकारी कर्मचारियों के अपंजी-बद्ध संघों के सदस्य बनने के बारे में प्रतिबन्ध लगाने वाले आदेश को भंग न कर सकना ।	१०० रुपये
७४	४१२	श्री घोषाल	. व्यक्तिगत व्यवसायिक विवादों को औद्योगिक विवादों के अधीन लाने में असफलता ।	१०० रुपये
७४	४१३	श्री घोषाल	. पश्चिमी बंगाल में सब उद्योगों के शिशिक्षुओं की सेवा की सुरक्षा के लिये उपबन्ध करने में असफलता ।	१०० रुपये
७४	४१४	श्री घोषाल	. पश्चिमी बंगाल के उद्योगों में शिशिक्षु के नाम से श्रमिकों के शोषण को रोकने में असफलता ।	१०० रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव की संख्या	कटौती प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
७४	४१५	श्री घोषाल	उद्योगवार तथा क्षेत्रवार श्रमिकों और मध्य वर्ग के लोगों के निर्वाह व्यय के प्रमाणिक देशनांक तैयार करने में असफलता ।	१०० रुपये
७४	४१६	श्री घोषाल	श्रमिक प्रतिकर अधियनियम के उपबन्ध के अनुसार प्रतिकर की दरें पुनरीक्षित करने में असफलता ।	१०० रुपये
७४	४१७	श्री घोषाल	चाय ज़िले श्रमिक सन्था के कर्मचारियों के लिये समझौते की व्यवस्था का उपबन्ध करने में असफलता ।	१०० रुपये
७४	४१८	श्री घोषाल	बिहार, पश्चिमी बंगाल और आसाम के संयुक्त स्टीमर समवायों के कर्मचारियों की श्रम सम्बन्धी स्थिति पर विचार करने के लिये एक जांच समिति स्थापित करने में असफलता ।	१०० रुपये
७४	४१९	श्री घोषाल	पश्चिमी बंगाल के एक सार्थ बंगाल केमिकल में श्रम विवादों में हस्तक्षेप करने में असफलता ।	१०० रुपय
७४	५३०	श्री घोषाल	समझौते की कार्यवाही में देरी	१०० रुपय
७४	५३१	श्री घोषाल	करारों के पंचाट का प्रवर्तन न करना ।	१०० रुपय

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव की संख्या	कटौती प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
७४	६६६	श्री घोषाल	रेलवे स्टेशनों के पोर्टरों पर न्यूनतम मजूरी अधिनियम के उपबन्ध लागू करने में असफलता ।	१०० रुपये
७४	६६७	श्री घोषाल	अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के लिये प्रतिनिधियों का राजनैतिक आधार पर चुना जाना ।	१०० रुपये
७४	६६८	श्री घोषाल	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के प्रवर्तन में त्रुटियां दूर करने में असफलता ।	१०० रुपये
७४	६६९	श्री घोषाल	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के अधीन भविष्य निधि की राशि का भुगतान शीघ्र करने में असफलता ।	१०० रुपये
७४	६७०	श्री घोषाल	कर्मचारियों की शिक्षा की योजना को कार्यान्वित करने में असफलता ।	१०० रुपये
७४	६७१	श्री घोषाल	श्रम सम्बन्धी सभी मामलों में सरकार द्वारा आई० एन० टी० यू० सी० को अनुचित महत्व दिया जाना ।	१०० रुपये
७४	७६२	श्री घोषाल	संघों को पंजीबद्ध करने में देरी	१०० रुपये
७४	६७३	श्री घोषाल	सभी उद्योगों में मजूरी बोर्ड बनाने में असफलता ।	१०० रुपये
७४	६७४	श्री घोषाल	न्यूनतम मजूरी अधिनियम को कृषि श्रमिकों पर लागू न करना ।	१०० रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव की संख्या	कटौती प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
७४	६७५	श्री घोषाल	काम दिलाने में काम दिलाऊ दफ्तरों की असफलता ।	१०० रुपये
७४	६७६	श्री घोषाल	कारखाना अधिनियम के अधीन दोषी कारखानों को दण्ड देने में असफलता ।	१०० रुपये
७४	६७७	श्री घोषाल	पश्चिमी बंगाल के कारखानों में ठेकेदारों द्वारा काम करवाने की प्रथा को रोकने में असफलता जिस के परिणामस्वरूप श्रम सम्बन्धी नियमों की उपेक्षा होती है ।	१०० रुपये
७४	६७८	श्री घोषाल	महिला कर्मचारियों को प्रसूति सम्बन्धी लाभ उदारतापूर्वक देने में असफलता ।	१०० रुपये
७४	७९१	श्री घोषाल	कलकत्ता के मेकलायड एण्ड कम्पनी के रेलवे कर्मचारियों के पुराने विवादों को सुलझाने में असफलता ।	१०० रुपये
७४	७९३	श्री घोषाल	न्यायाधिकरण के सेवा निवृत्त न्यायाधीशों को न्यायाधिकरणों में वकालत करने से रोकने में असफलता ।	१०० रुपये
७४	१४३३	श्री प्रभात कार	पश्चिमी बंगाल, कानपुर और बम्बई में मिलों के बन्द होने को रोकने में असफलता ।	१०० रुपये
७४	१४३४	श्री प्रभात कार	वस्त्र उद्योग में श्रमिकों की छंटनी बन्द करने में असफलता ।	१०० रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव की संख्या	कटौती प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
७४	१३३५	श्री प्रभात कार	औद्योगिक श्रमिकों के औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ के अफीम संरक्षण देने की आवश्यकता ।	१०० पये
७४	१४३६	श्री प्रभात कार	शिक्षित बेरोज़गारों की समस्या हल करने में असफलता ।	१०० रुपये
७४	१४३७	श्री प्रभात कार	न्यायाधिकरणों के भूतपूर्व न्यायाधीशों को न्यायाधिकरणों में वकालत करने से रोकने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
७४	१४३८	श्री प्रभात कार	कलकत्ता के श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण में काम करने वाले कर्मचारियों को श्रम और रोज़गार मंत्रालय के विभिन्न विभागों में खपा लेने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
७४	१४३९	श्री प्रभात कार	कपड़े की मिलों की काम बन्दी रोकने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
७४	१४४८	श्री प्रभात कार	मंत्रालय के पास भेजे गये मामलों को निबटाने में देरी ।	१०० रुपये

†**अध्यक्ष महोदय** : ये कटौती प्रस्ताव सभा के समक्ष हैं ।

†**श्री इलियापेरुमाल** (चिदाम्बरम-रक्षित-अनुसूचित जातियां) : औद्योगिक श्रमिकों के लिये तो कुछ किया गया है किन्तु कृषि श्रमिकों के लिये कुछ नहीं किया गया ; । मैं इन्हीं के बारे में कुछ कहना चाहता हूं ।

†मूल अंग्रेजी में

१८५० के आर्थिक इतिहास में तो इन का वर्णन भी नहीं था किन्तु १८८२ में ७५ लाख कृषक घोषित किये गये थे और १९३१ की जन गणना के अनुसार यह संख्या ३३० लाख तक पहुंच गई थी। कुछ अर्थ शास्त्री इन्हें चार श्रेणियों अर्थात् मजूर, भूमिहीन श्रमिक, कम भूमि वाले श्रमिक और गुलाम अथवा अर्द्ध-स्वतन्त्र श्रमिकों के विभाजित करते हैं। काम की दृष्टि से उन की दो श्रेणियां हैं--कभी कभी काम पर लगाये जाने वाले और मौसम में काम करने वाले अथवा दीर्घकालीन श्रमिक। इन में ५५ प्रतिशत पुरुष, ४० प्रतिशत स्त्रियां और ५ प्रतिशत बच्चे हैं।

उन्हें वर्ष भर में १८० से १९० दिन तक काम मिलता है और मजूरी बहुत कम है जिस के फल-स्वरूप उन के परिवारों का निर्वाह नहीं हो सकता।

न्यूनतम मजूरी अधिनियम के अन्तर्गत औद्योगिक श्रमिकों के बीवी बच्चों के लिये तो उपबन्ध है और यदि कोई १४ वर्ष से कम आयु के बच्चे को काम पर लगाता है तो नियोक्ता को दंड दिया जाता है। किन्तु कृषि श्रमिकों के बीवी बच्चों के लिये कोई उपबन्ध नहीं है और उन के बच्चों को सारा सारा जमींदार के पास काम करना पड़ता है जिस से वे बेचारे प्राथमिक शिक्षा से भी वंचित रह जाते हैं।

जमींदार कृषि श्रमिकों के बहुत कम वतन देते हैं और किसानों तथा श्रमिकों दोनों का शोषण कर रहे हैं किन्तु न्यूनतम मजूरी अधिनियम उन पर लागू नहीं किया जा रहा। यदि सरकार द्वितीय योजना के उपबन्धों के अनुसार भूमि के अधिकार की सीमा निर्धारित कर दे तभी खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि हो सकती है। माननीय मंत्री से मेरा निवेदन है कि वे बताए कि विभिन्न राज्यों में न्यूनतम मजूरी अधिनियम को कृषि श्रमिको पर क्यों लागू नही किया जा रहा।

हम समाज की समाजवादी व्यवस्था की तो बात करते हैं किन्तु जब तक धन और भूमि-अधिकार की अधिकतम सीमा निर्धारित न कर दी जाए तब तक समाजवादी व्यवस्था नहीं पैदा हो सकती।

अन्त में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री सभी कार्य क्षेत्रों में न्यूनतम मजूरी अधिनियम को लागू करवायें, भूमि केवल किसानों को दी जाए जो स्वयं काम करते हों और सरकार की कृष्य भूमि जो यूं ही पड़ी है भूमि हीन मज़दूरों को दी जाए।

†**श्री एन्थनीपिल्ले** (मद्रास उत्तर): मैं सभा का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि श्रम मंत्रालय जो वचन देता है उन का पालन नहीं करता अतः श्रमिकों के सभी भागों में असंतोष फैला हुआ है।

गत निर्वाचनों से कुछ समय पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कार्मिक संघ कांग्रेस ने नारा उठाया था कि क्योंकि औधिगिक जन संख्या बढ़ गई है और उद्योगों को अधिक लाभ हो रहा है अतः श्रमिकों के वेतन में १५ प्रतिशत वृद्धि होनी चाहिये। हिन्द मज़दूर सभा और अखिल भारतीय कार्मिक संघ कांग्रेस ने भी इस नारे का समर्थन किया है। अतः सरकार को श्रमिकों की मांग पूरी करनी चाहिये। वस्तुतः उनकी मांग ऐसी है कि उसे पूरा करते हुए सरकार केवल अपने अश्वासनों का ही पालन करेगी।

सरकार ने यह आश्वासन दिया था कि भविष्य निधि में अंशदान ६¼ की बजाए ८¼ कर दिया जाएगा किन्तु अब माननीय मंत्री ने एक प्रश्न के उत्तर में कहा है कि यह देखना होगा कि ऐसे भुगतान की क्षमता अथवा नहीं। यह बात उन्होंने पहले क्यों नहीं सोची। मैं आग्रह करता हूं कि कुछ उद्योंगो में निश्चय ही यह अंशदान देने की क्षमता है अतः कम से कम उन उद्योंगो में तो यह व्यवस्था कर देनी चाहिए!

†मूल अंग्रेजी में

[श्री इलियापेरुमाल]

इसी प्रकार यह आश्वासन दिया गया था कि वाणिज्यिक कर्मचारियों के लिये भी कर्मचारी भविष्य निधि की योजना लागू की जायेगी किन्तु यह वचन अभी तक पूरा नहीं किया गया।

कई मंत्रियों आदि कार्मिक संघों ने कई बार कहा है कि श्रमिक प्रतिकर अधिनियम जैसे पुराने अधिनियम में संशोधन करना चाहिये और गत वर्ष वार्षिक प्रतिवेदन में यह कहा गया था कि इस प्रश्न की जांच की जा रही है किन्तु अभी तक कुछ नहीं किया गया। कलकत्ता और बम्बई में खंडभाव योजना लागू की गई है किन्तु प्रतिकर अधिनियम में संशोधन नहीं किया गया जब कि स्थिति यह है कि गोदी के श्रमिकों में बहुत दुर्घटनायें हो रही हैं। इसी तरह गोदी श्रमिक विनियम अधिनियम में संशोधन करने का भी आश्वासन दिया गया था किन्तु उस वचन का पालन नहीं किया गया।

सभी राजनैतिक दल इस बात पर एकमत हैं और कांग्रेस ने तो कुछ महीने हुए यह संकल्प भी पारित किया था कि कम से कम जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों को राजनैतिक कार्यों में भाग लेने का अधिकार दिया जाये। इंगलैंड में तो तीन चौथाई असैनिक कर्मचारियों को भी यह अधिकार प्राप्त है। किन्तु यहां जीवन बीमा निगम की सेवा सम्बन्धी शर्तों में यह उपबन्ध कि राजनीति में काम करने वाले व्यक्ति को पदच्युत किया जा सकता है।

हम ने कारखाना अधिनियम १९४८ में पारित किया था किन्तु १० वर्ष बीत जाने पर भी अभी तक इस सम्बन्ध में नियम नहीं बनाये गये कि बड़े कारखानों में कितने चिकित्सा कर्मचारी होने चाहियें कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम में रोग की रोकथाम सम्बन्धी कोई उपबन्ध नहीं है। श्रमिकों को सभी प्रकार की सुविधायें दिये बिना देश का उत्थान नहीं बढ़ सकता। मैं ने सरकार से पूछा था कि कारखाना अधिनियम के अधीन नियम बनाने में क्यों देर लगाई जा रही है मुझे कई मास के पश्चात् यह उत्तर मिला था कि इस सम्बन्ध में विशेष अधिनियम बनाया जा रहा है। मुझे इस आश्वासन के पालन में भी आशंका है।

श्रम जीवी पत्रकारों के वेतन आदि के सम्बन्ध में मैं ने गत वर्ष श्रम मंत्रालय की मांगों पर बोलते हुए यह आशंका प्रकट की थी कि इस की व्यवस्था बैंकिंग उद्योग की तरह बना दी जायेगी। वैसा ही हुआ है और उच्चतम न्यायालय ने रूढ़िवादी दृष्टिकोण को अपनाते हुए भुगतान की क्षमता पर ही अधिक बल दिया है जिस से वे केवल श्रमजीवी पत्रकार वरन् सभी श्रेणियों के श्रमिकों में असंतोष फैलेगा।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य उच्चतम न्यायालय के निर्णय की इस प्रकार आलोचना नहीं कर सकते और उसे रूढ़िवादी नहीं कह सकते क्योंकि न्यायालय तो केवल विधि की व्याख्या करता है। हम जो चाहें विधि बना सकते हैं और हमारी विधि की ही भाषा शिथिल हो सकती है। आप न्यायालय के निर्णय की आलोचना नहीं कर सकते।

†**श्री एन्थनी पिल्ले** : मैं आप से असहमत हूं क्योंकि अन्य लोकतन्त्रात्मक देशों में . . .

†**अध्यक्ष महोदय** : हमारे लोकतन्त्रात्मक देश का संचालन संविधान के अनुसार होता है। न्यायालय नियम नहीं बनाते विधान मंडल का यह अधिकार उन्हें नहीं दिया जा सकता। उच्चतम न्यायालय को विधि की व्याख्या करने का पूरा अधिकार है जो अधिकार अमरीका में न्यायालयों को दिये गये हैं वे यदि यहां दे दिये जायें तो संसद् का कोई काम नहीं रहेगा अतः उन का अधिकार तो केवल विधि की व्याख्या करना ही होना चाहिये। जब कभी वे व्याख्या करें हम विधि में संशोधन कर सकते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री एन्थनी पिल्ले** : मैं इस से सहमत न होते हुए भी आप के निर्णय को स्वीकार करता हूं।

मजूरी बोर्ड का काम तो यह है कि विभिन्न उद्योगों में एक रूप मजूरी लागू करना। किन्तु जब औद्योगिक विवाद अधिनियम के अधीन विभिन्न उद्योगों के मजूरी सम्बन्धी विवाद न्यायाधिकरण के पास जाते हैं तो प्रत्येक उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता का ध्यान रखा जाता है। वस्तुतः एक रूप मजूरी के होते हुए उक्त क्षमता का ध्यान नहीं रखना चाहिये।

मेरा यह सुझाव यह है कि जब नियोक्त मजूरी बोर्ड की सहायता के लिये अपेक्षित आंकड़े देने के लिये तैयार नहीं जिस के आधार पर वे मजूरी निर्धारित कर सकें तो और मजूरी बोर्ड स्थापित नहीं करना चाहिये वरन् एक विधि द्वारा मजूरी निर्धारित कर देनी चाहिये। यदि कोई नियोक्ता वह मजूरी न दे सके तो उसे न्यायाधिकरण के पास जाने की अनुमति होनी चाहियें और न्यायाधिकरण को कुछ काल के लिये अन्तरिम मजूरी निर्धारित करने का अधिकार होना चाहिये।

औद्योगिक श्रमिकों के लिये आवास व्यवस्था के बारे में मुझे यह कहना है कि जो मकान अब तक बनाये गये हैं वे सर्वथा अपर्याप्त हैं और नियोक्ताओं को गृह-निर्माण के लिये २५ प्रतिशत सहायता देने से भी कुछ नहीं बनेगा। यदि मद्रास सरकार के सुझाव के अनुसार औद्योगिक आवास सहकारी समितियों को ५० से ६० प्रतिशत तक ऋण दिया जाये तो मुझे आशा है कि औद्योगिक आवास की समस्या बहुत हद तक हल हो जायेगी।

†**श्री मं० रं० कृष्ण** (करीमनगर-रक्षित-अनुसूचित जातियां): मैं भी अन्य साथियों की तरह श्रम मंत्रालय की इस बात के लिये अभ्यर्थना करता हूं कि उन्हों ने देश के श्रमिकों के हित में कुछ ठोस काम किया है और श्रमिक प्रबन्ध कर्मचारी बीमा योजना, और कर्मचारी अनिवार्य भविष्य निधि योजनाओं में भाग लेने लगे हैं।

हम जानते हैं कि औद्योगिक श्रमिक और कृषि श्रमिक देश की रीढ़ की हड्डी के समान हैं और उन्हीं पर देश की प्रगति निर्भर है। आशा है कि श्रमिक भी यह अनुभव करेंगे कि चाहे उन की सारी मांगें पूरी नहीं की गयीं किन्तु मंत्रालय ने इस सम्बन्ध में बहुत कुछ किया है और उन की और सहायता करने के लिये तैयार है। अतः इन परिवर्तित परिस्थितियों में श्रमिक भी देश की प्रगति के लिये पूरी सहायता देंगे।

जिन उद्योगों में श्रमिकों को प्रबन्ध में भाग दिया गया है उन्हें केवल लाभ कमाने पर ही ध्यान नहीं रखना चाहिये वरन् उत्पादन बढ़ाने की ओर ध्यान देते हुए यह प्रमाणित कर देना चाहिये कि श्रमिकों के प्रबन्ध द्वारा देश के कल्याण हेतु कार्य हो सकता है क्योंकि उत्पादन पर न केवल वे निर्भर करते हैं वरन् अन्य श्रमिक भी निर्भर करते हैं।

श्रमिकों को बीमे आदि के लाभ आदि देने के सम्बन्ध में यह कहना चाहता हूं कि रेलवे कर्मचारियों को सेवा निवृत्त होते समय काफी रुपया मिल जाता है किन्तु उन्हें यह पता नहीं होता कि उस धन राशि को किस काम में लगायें। अतः मेरा सुझाव है कि प्रत्येक उद्योग में पथ प्रदर्शन केन्द्र बनाये जायें जहां उन्हें पूंजी विनियोजन के बारे में बताया जाय।

प्रतिवेदन में बताया गया है कि देश में कृषि श्रमिकों की संख्या जानने के लिये आंकड़े एकत्र किये जा रहे हैं और ३६,००० गांवों में इस सम्बन्ध में कुछ किया जा रहा है। मेरा निवेदन है कि यह देश कृषि प्रधान है और बहुत से मजदूरों के परिवारों को जमींदार के लिये दिन भर काम करने के पश्चात् भी इतना नहीं मिलता जिस से उन की मूल आवश्यकतायें पूरी हो सकें। अतः सरकार को

---

† मूल अंग्रेजी में

[श्री मं० र० कृष्ण]

उन की मजूरी निर्धारित करनी चाहिये जिस से कृषि उत्पाद के मूल्य निर्धारण में भी सहायता मिलेगी जब तक कृषि श्रमिकों की न्यूनतम मजूरी निर्धारित नहीं की जाती तब तक जमींदारी उत्पादन आदि की योजनायें केवल कागजी योजनायें रहेंगी ।

प्रतिरक्षा मंत्रालय के श्रेणी ४ के कर्मचारी अर्थात् रसोइये, भंगी आदि को प्रातः ५ बजे से सांय ८ बजे तक काम करना पड़ता है किन्तु श्रम मंत्रालय अथवा प्रतिरक्षा मंत्रालय ने अभी तक इस बारे में कुछ नहीं किया इन लोगों की ओर श्रम मंत्रालय को ध्यान देना चाहिये ताकि उन्हें अनुभव हो कि यह मंत्रालय विभागीय श्रमिकों की भी देख रेख करता है ।

सेवा नियोजन कार्यालय केवल नगरों में ही है किन्तु इन से नगर के लोगों को भी सहायता नहीं मिल रही और गांव वालों के लिये तो वे कुछ कर ही नहीं रहे । विदेशों के सेवा नियोजन कार्यालय न केवल शिक्षित और स्वस्थ होंगे लोगों की ही सेवा प्राप्ति में सहायता करते हैं वरन् अपंग लोगों की भी सहायता करते हैं । किन्तु हमारे कर्मचारियों को नगरों के बेरोजगार लोगों के लिये ही कुछ करना चाहिये ।

बहुत से विभागों में अनुसूचित जातियों के लिये रक्षित जगहें अभी तक नहीं भरी गई किन्तु सेवा नियोजन कार्यालय के पास इस सम्बन्ध में आंकड़े ही नहीं होते । मैं चाहता हूं कि श्रम मंत्रालय राज्य सेवा नियोजन कार्यालय को निदेश दे कि ये तथ्य अपने पास रखा करें ।

सेवा नियोजन कार्यालय केवल रिक्तियां पंजीबद्ध करने का कार्यालय नहीं होना चाहिये किन्तु उसे प्रशिक्षण का भी प्रबन्ध करना चाहिये । वे वर्ष में दो बार ऐसे पाठ्यक्रम चला सकते हैं जिस से बहुत से लोगों को लाभ होगा और सेवा नियुक्त होने पर जो काम सीखने में उन्हें काफी समय लगता है उसे पहले ही सीख लेने से वे सहायक प्रमाणित होंगे और साथ ही इस सुविधा से अधिक लोग केवल सरकारी सेवा पर निर्भर नहीं करेंगे वरन् और मिशल्प आदि से जीविका कमाने लगेंगे ।

मैं ने सुना है कि सेवा नियोजन कार्यालय अनुसूचित जातियों के लिये रक्षित जगहों का ध्यान नहीं रखते अतः श्रम मंत्रालय को ऐसी कार्यवाही करनी चाहिये जिस से ये कार्यालय न केवल अनुसूचित जातियों के प्रति वरन् सभी के प्रति न्याय करें ।

†**श्री सोमानी** (दौसा) : गत वर्ष श्रम मंत्रालय ने बहुत हां प्रगति की और सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रों के उद्योगों में श्रमिको को भी प्रबन्ध में सम्मिलित किया गया । इस विचार को वास्तविकरूप दिया गया । शनैः शनैः यह चीज अन्य उद्योगों में भी जारी होगी और मुझे पूर्ण आशा है इस से औद्योगिक सम्बन्धों में पर्याप्त अन्तर पड़ेगा ।

आज हमारे देश की सब से बड़ी आवश्यकता वही है कि श्रमिकों तथा नियोंजनों के सम्बन्ध अच्छे रहें और काम ठीक ढ़ंग से चले । तभी हमारा उत्पादन बनेगा ।

अनुशासन संहिता जिस का अनुमोदन दोनों पक्षों ने किया है उस से निश्चित रूप से ही झगड़े कम होंगे । इस संहिता का उद्देश्य ही यह है कि समस्त झगड़ों को बचाया जाय और उपायों का संचालन बड़े ही ठीक ढंग से किया जाय ।

किन्तु अभी से हम यह नहीं कह सकते कि श्रमिकों के प्रबन्ध में भाग लेने तथा अनुशासन संहिता से वांछनीय परिणाम निकलेंगे । सारी बात तो इस चीज पर आधारित है कि इन्हें क्रियान्वित किस तरह से किया जाता है । जब दोनों पक्ष अपने अपने कर्तव्यों को निभायेंगे तभी सफलता होगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दूसरे मैं यह कहूंगा कि श्रम मंत्रालय को रोजगार की स्थिति के बारे में भी कुछ न कुछ करना चाहिये। अभी कपड़े के कारखाने एक एक कर के बन्द होने लगे थे किन्तु मंत्रालय चुपचाप उन्हें देखता रहा और आखिर सरकार ने कार्यवाही की। वास्तव में इस प्रकार की कार्यवाही पहले की जानी चाहिये थी ।

अभी शोलापुर में दो कारखाने बन्द हो गये हैं जिन से वहां का आर्थिक जीवन ही अस्त व्यस्त हो गया है। किन्तु श्रमिकों ने स्वेच्छा से अपने वेतन में थोड़ी कटौती स्वीकार कर ली है। क्योंकि अन्यथा कारखाना घाटे में चलता। मैं समझता हूं कि यह काम बड़ी बुद्धिमत्ता का है और सब ने इस की सराहना की है ।

श्रीमान् तथ्यों का पूर्ण पता न होने के कारण लोगों को काफी गलत धारणा रहती हैं। इन कारखानों के काम की जांच कई निकाय करते हैं। अतः हमारे श्रमिक नेतागणों को समझना चाहिये कि यदि कोई कारखाना घाटे में चले तो वह नहीं चल सकता। यदि यह बात ध्यान में रखीं जाये तो कभी भी गलत धारणा न होगी ।

वास्तव में आज सारे उद्योग ही भार तले दबे हैं और इस पर उन का कोई वश नहीं है। वास्तव में सारे लोगों को उत्पादन वृद्धि में योग देना चाहिये। अतः श्रम मंत्रालय को अब ज्यादा स्तर्क रहना चाहिये ।

अब मैं कर्मचारी राज्य बीमा नियोजन के बारे में भी कहूंगा। राज्य बीमा निगम में १९५६–५७ में आय व्यय से अधिक है अर्थात् ३·२५ लाख है। ३१ मार्च, १९५७ को निगम का विनियोजन सरकारी बन्धकों में ११.०१ करोड़ रुपया था। मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह योजना चिकित्सा सहायता के लिये है या अधिक विनियोजन के लिये। इस की व्यवस्था होनी चाहिये। सुना है कि हाल ही में चन्दा बढ़ाने की प्रस्थापना भी है। जब इतना लाभ हो तो चन्दा बढ़ाना किस प्रकार है।

इस योजना के अन्तर्गत जो चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था है वह सन्तोषप्रद नहीं है और उस के बारे में शिकायतें आ रही हैं। मैं आशा करता हूं कि मंत्रालय इस सम्बन्ध में उचित पग उठा कर इस योजना के उद्देश्य की पूर्ति करेगा ।

†**श्री राजेन्द्र सिंह** (छपरा) : श्रीमान्, श्रम मंत्रालय का कार्य अत्यन्त असन्तोषप्रद है और इस कार्य की जितनी आलोचना की जाये उतनी थोड़ी है ।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् हम ने भारत में लोकतन्त्रात्मक तरीकों से विकास की योजना बनाई किन्तु श्रम मंत्रालय ने इस बात को बिगाड़ कर रख दिया ।

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में इन्हों ने एक विचित्र प्रकार के व्यक्ति को लगा दिया है जिस का नाम श्री वासवादा है। उसे श्रमिकों के बारे में कुछ भी पता नहीं। आज वह समस्त रेलवे श्रमिकों का प्रतिनिधि बनता है। यदि श्री नन्दा सच्चे लोकतन्त्रबादी हैं तो वह उस बात पर जमानत लें। यदि श्री वासवादा चुने जायें तो मैं यहां से त्यागपत्र दे दूंगा। किन्तु वह इस बात को कभी भी न मानेंगे। इन की तुलना हिटलर तथा स्टालिन से की जा सकती है।

इसी प्रकार से सीमेंट उद्योग के मजूरी बोर्ड में भी भारतीय राष्ट्रीय व्यापार संघ के सदस्य रखे गये हैं । किन्तु पता है डालमियानगर में क्या हुआ। वहां मजदूरों ने गोविन्द मिश्र को लात मार दी और बसन्त सिंह को नेता चुना है। किन्तु उसकी पूछ नहीं है। पिटठुओं को आगे लाया जाता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री राजेन्द्र सिंह]

रूडकेला में भी ऐसा ही अमानुषिक कार्य हुआ है। वहां जनवरी में ४००० मजदूरों ने हड़ताल की थी वे स्थायी होना चाहते थे। किन्तु इन्होंने श्री महताब की पुलिस से सहयात ली...

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य को वहां के मंत्रियों की आलोचना यहां नहीं करनी चाहिये। उनका श्रम से कोई सम्बन्ध नहीं है। इन बातों को यहां न कहा जाये।

†**श्री राजेन्द्र सिंह** : वहां पर बस्तियां जैसे शान्तिप्रिय श्रमिक नेता को भी गिरफतार कर लिया गया क्या उससे कोई खतरा था ? क्या वह भारत की प्रगति नहीं चाहते। हम भारत के लिये सब कुछ दे सकते हैं।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

इसके अतिरिक्त उनके साथियों को धमकियां दी गई। उनकी स्त्रियों तक को तंग किया गया किन्तु भारतीय राष्ट्रीय श्रम संघ वालों ने भी हड़ताल कर रखी थी। उन्हें कुछ न कहा गया। मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि यह मतभेद क्यों किया जाता है।

यदि श्रम मंत्री भी हिटलर की भांति आतरण करेंगे तो वह गिरेंगे। उनका अहित होगा।

वेतन बृद्धि के बारे में कहा गया है कि यह तदर्थ निर्णयों के आधार पर नहीं की जा सकती। आप इस प्रकार हर काम में विलम्ब करना चाहते हैं। सभी श्रमिक २५ प्रतिशत की बृद्धि की मांग करते हैं। आप को यह खतरा है कि इससे मुद्रास्फीति होगी। किन्तु यह गलत बात है।

१९४५ में वास्तविक वेतन ७४.९ था और १९५४ में १०२.६ शुद्ध लाभ १९४५ में २३४ था और १९५४ में ३१४.२। इस से पता चलता है कि लाभ तो बहुत ज्यादा बढ़े हैं और वेतन कम।

आज जो औद्योगिक शन्ति है वह तुम्हारी संगीनों के डर से है। आप उस दीर्घा में बैठने वाले लोगों के दवाब से शासन करते हैं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य को उस दीर्घा का उल्लेख नहीं करना चाहिये। जब वह स्वयं किसी पर दया नहीं दिखा रहे फिर कैसे उसकी याचना करते हैं।

†**श्री राजेन्द्र सिंह** : खैर आप तैर रहे हैं किन्तु डूबने का दिन दूर नहीं। यदि आप बचना चाहते हैं तो २५ प्रतिशत वेतन बृद्धि मजदूरों के वेतन में की जानी चाहिये।

श्रीमती लक्ष्मीबाई (विकाराबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर लेबर और एम्प्लायमेंट के बारे में चर्चा हो रही है उस के सम्बन्ध में मैं दो चार सुझाव देना चाहती हूं। लेबर जिस को हिन्दी में मजदूर कहते हैं उन नें से जो लोग फैक्ट्री में काम करते हैं उन के लिये सब कानून बनते हैं और बड़े बड़े आदमी उन के लिये ही सोचते हैं। हमारे मिनिस्टर भी बड़े तजुर्बेकार हैं और गरीबों के ऊपर रहम रखने वाले हैं लेकिन वे भी जब कोई गड़बड़ी आती है तो फैक्ट्री के मजदूरों की बात सुन कर, उन के वासते हमेशा कानून बदलते हैं। जब भी कोई अमेंडमेंट (संशोधन) आता है तो उस में उन्हीं को सहूलियत मिलती है। वह देना अच्छा है, लेकिन अभी जैसा हमारे दो एक आनरेबल मेम्बर्स ने कहा हमारे देश में किसान करोडों की तादाद में हैं। उनका आज कोई मजदूर नहीं समझता है क्योंकि उन के पास बोलने के लिये मुंह नहीं है। जो चिल्लाते नहीं हैं, उन की बात आप कभी नहीं सुनते, उन के लिये कोई कानून लाने की कोशिश नहीं करते। यह बहुत दुःख की बात है।

---

†मूल अंग्रेजी में

अभी अभी मुझे बिहार जाने का मौका मिला। वहां कितने ही गांवों में किसानों को काम नहीं मिलता है। अगर कहीं मिलता है तो ऐसी जगहों पर जहां पर पानी भी नहीं मिलता पीने के लिये। वहां एक एक खान्दान में दस, दस पंद्रह पंद्रह आदमी रहते हैं। सीधे सादे लोग, पढ़े लिखे नहीं, चालाक नहीं। वे दूसरे गांवों में चले जाते हैं काम के लिये। मैं ने कई जगहों पर देखा है, सैंकड़ों लोग चले जा रहे हैं। इस को देख कर मुझे बड़ा दर्द होता है। पूछने पर वे लोग कहते हैं क्या करें, हम लोगों को काम नहीं मिलता है। उन के वास्ते हम कभी नहीं सोचते हैं, उन किसानों को जो खेत में काम करते हैं, हम काम देने की कोशिश नहीं करते। इस की तरफ सरकार को ध्यान देना पड़ेगा और कुछ न कुछ उपाय सोचना पड़ेगा। वे बेचारे रात दिन काम करते हैं, कभी उन को घर बैठने का मौका नहीं मिलता, उन को छुट्टी भी नहीं मिलती। ऐसे जो लोग हैं, जो सच्चे दिल से खेतों पर काम करते हैं, उन के वास्ते आप कुछ देते नहीं। असल बात यह है कि मालिकों और किसानों में कभी झगड़ा नहीं होता, कभी दोनों के मनमुटाव की मिसाल नहीं मिली, इस तरह से वे काम करते हैं। यहां पर हम क्या देखते हैं कि ज्यादा पे मांगते हैं। ज्यादा काम करते हैं या नहीं, यह मालिक को मालूम नहीं। फैक्ट्रियों के मालिक और लेबर में कभी भी दोस्ती नहीं रहती है। मालिक हमेशा सोचता है कि ज्यादा काम देना है और लेबर सोचता है कि उसे ज्यादा मजदूरी लेनी है। दोनों में झगड़ा होता है और उन के बीच में बड़े बड़े लोग आते हैं। ज्यादा तजुब्रकार, पढ़े लिखे लोग उन के झगड़े में पड़ कर बीच में अपना लाभ उठाने के वास्ते कोशिश करते हैं, ऐसा खुल्लम खुल्ला देखने में आता है। लेकिन जो करोड़ों लोग खेतों पर काम करते हैं मुंह बन्द कर के करते हैं, सच्चे दिल से करते हैं, उन के पास कोई नहीं जाता, उन के आराम को देखने वाला कोई नहीं है। यह कितना बड़ा फर्क है, इस को जरा हमारे मिनिस्टर साहब को अपने दिल में रखना चाहिये। जो सच्चे दिल से काम करते हैं उन को आराम नहीं, लेकिन जो हमेशा लड़ाई झगड़ा करते हैं, ज्यादा तंग करते हैं, उन के लिये हमेशा कानून उन के साथ है, लीडर भी उन के साथ हैं।

मालिक और लेबर के बीच में क्यों गड़बड़ हो रही है इस के बारे में मैं कुछ बोलना चाहती हूं। जो लीडर्स होते हैं, पोलिटिकल पार्टीज (राजनीतिक दल), होती हैं, वह अपनी पोलिटिकल पावर के वास्ते सिर्फ वहां जा कर, लोगों को भड़का कर गवर्नमेंट को अपने कानून में सुधार लाने के लिये मजबूर करते रहते हैं। गुजिश्ता साल में मैं ने बहुत से सुझाव रक्खे थे कि हैबर में काम करने वाले लीडर्स बहुत तजुर्बेकार नहीं हैं। देश की भलाई सोचने वाले और सर्वोदय की भावना रखने वाले लोग अगर उन में काम करें तो हमारे लिये बहुत अच्छा रहेगा। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे और लोग बगावत करते रहेंगे, तब तक उत्पत्ति ज्यादा नहीं होगी और हमारा काम भी नहीं बनेगा। मालिकों और लेबर दोनों में झगड़ा होता है, यह देश के लिये अच्छा नहीं है।

मैं अपने तजुर्बे से कह सकती हूं कि लेबर में आज भी सैलरीज बहुत कम हैं, मुनाफा ज्यादा होता है। जब हम फैक्ट्री एरियाज में जा कर देखते हैं तो हकीकत में बड़ा दुःख होता है। वहां पर एक छोटे से मजदूर को दो, ढ़ाई रुपया रोज से कम नहीं मिलता, कभी कभी ज्यादा काम करने पर चार रुपया तक मिल जाता है, लेकिन वहां जाने पर ऐसा लगता है मानो चार रु० रोज भी उन के लिये कम हैं। चार रुपये रोज लेते हुए भी उन को खाने और कपड़े का आराम नहीं। बात यह होती है कि जो फैक्ट्री एरियाज होती हैं उन में सामान और गिजा की चीजों को छोड़ कर भी दूसरी चीजें बहुत मंहगी होती हैं। हमें सोचना चाहिये कि यहां जो सामान एक पैसा में मिलता है वही वहां चार या पांच पैसे में मिलता है। यहां पर हमारे किसानों को ८ आ० रोज मिलता है। हालांकि वह उस में मुश्किल से रहता है, उसे काम वहीं मिलता है, लेकिन इस के बजाय भी वह फैक्ट्री में कार्य करने वाले लोगों से अच्छा रहता है। खसूसन जो कोल माइन्स (कोयला खानों) में काम करने वाले लोग हैं, उन की हालत बहुत खराब है। हम ने उन के बाल बच्चों और बीवियों को देखा। उन में बदसूरती है, बच्चों में ताकत नहीं, हड्डी निकली रहती हैं, दिल में अच्छी भावना नहीं, और देश की भलाई की बात जानते

[श्रीमती लक्ष्मी बाई]

नहीं, जितना पैसा उन को मिलता है, उसे खत्म कर देते हैं। मैं कुछ मालिकों से भी मिली। वह कहते हैं कि हम को पैसा ज्यादा देना पड़ता है और कुछ बचता नहीं है। इसलिये वह भी नाराज हैं। तो इस तरह से दोनों मालिकों और मजदूर नाराज हैं। पर इस का मुख्य कारण यह है कि खानों के क्षेत्रों में मंहगाई बहुत ज्यादा है। इस बारे में मैं कुछ सुझाव सरकार के सामने रखना चाहती हूं। जो लोग माइन्स पर लेबर के रूप में रहते हैं, चाहे उन माइन्स की मालिक सरकार हो या कोई और हो, उस को उन काम करने वालों के लिये गिजा का और जीवन की दूसरी आवश्यक चीजों का ऐसा प्रबन्ध करना चाहिये कि वे चीजें उन को वाजिब मूल्य पर मिल सकें। आज कल अवस्था यह है कि आप तो यह समझते हैं कि मजदूर बहुत पैसा ले रहे हैं लेकिन उन का काम नहीं चलता। आप उन की जितनी ही तनख्वाह बढ़ाते हैं उतना ही मारकेट मंहगा होता चला जाता है। ऐसा मैं महसूस करती हूं इस के वास्ते कुछ करना चाहिये। आप को चीप ग्रेन शाप्स (सस्ते अनाज की दुकानें) खोलनी चाहियें। मैं ने तो हैदराबाद में देखा सिंगरेनी कोलियरी में भी देखा कि जितना पैसा मजदूरों को मिलता है वह बरबाद होता है। वह सुख से नहीं रह पाते। इसलिये वे और ज्यादा पैसा चाहते हैं और इसी लिये स्ट्राइक होते हैं।

इस का एक परिणाम यह भी होता है कि ताल्लुकों में मामूली लेबर जो कि किसानों का काम करती है, वह यह सोचती है कि हम भी खानों में जा कर काम करें, क्योंकि वहां पैसा ज्यादा मिलता है। किसानों के मजदूर भी यह चाहते हैं कि उन को भी ज्यादा पैसा मिले। इस वजह से गांवों में भी असन्तोष पैदा होता है। कुछ गांवों के लोग इन खानों में पैसा ज्यादा लेने के लिये काम करने जाते हैं पर वहां पर जा कर वे देखते हैं कि उन का जीवन कितना मंहगा पड़ता है और तब वापस लौट आते हैं। तो इस तरह से किसानों में भी असन्तोष पैदा होता है। इस का भी कुछ उपाय करना चाहिये। एक जगह की गलती से दूसरी जगह भी गलती हो रही है।

मुझे इस बात से बहुत खुशी हुई है कि आप ने माइन्स में वैलफेयर फंड (कल्याण निधि) खोल रखा है। लेकिन उस का जिस ढ़ंग से उपयोग होना चाहिये उस ढ़ंग से नहीं हो रहा है। जिस के नाम से वह वसूल किया जाता है उस के लिये खर्च नहीं हो रहा है। आप वैलफेयर सेंटर में बहुत ज्यादा तनख्वाह दे कर काम करने वाले रख रहे हैं। लेकिन हालत यह है कि अगर कोई टीचर है वह चाहे पढ़ने वाले आवें न आवें अपनी तनख्वाह ले लेती हैं। मेरा सुझाव यह है कि इस वैलफेयर फंड में से जो कि आप ६ आना लेते हैं, कम से कम तीन आना मजदूरों के लिये गिजा, कपड़ा आदि उचित दामों पर मुहय्या करने पर खर्च करें। इन चीजों के माइन्स के पास डिपो खोलें, तो इससे मजदूरों को बहुत सुविधा हो सकती है। ऐसा करने से लेबर में संतोष रहेगा और वे मालिकों के विरुद्ध बगावत भी नहीं करेंगे।

मैं ने यह भी देखा है कि कारखानों में खुसूसन मजदूरों के दिमाग में कुछ ऐसा ख्याल है कि कानून उन के मुआफिक है और इसलिये कुछ ज्यादा आजादी से रहते हैं और बगावत करने की कोशिश करते हैं। इस मनोवृत्ति को रोकने के लिये हम ने कोई काम नहीं किया है। अगर यह मनोवृत्ति उन की ठीक की जा सके तो उन की जिन्दगीं में सुख और शान्ति मिल सकती है। हम उन की काम पर श्रद्धा रखने के लिये कुछ नहीं कर रहे हैं। इस की कोशिश होनी चाहिये। पुराने जमाने में अशोक महाराज ने बुद्ध भगवान के उपदेश फैलाने के लिये करोड़ों रुपया खर्च कर के देश देश में लोग भेजे थे। उन्हों ने इस काम के लिये सारी दुनिया में मिशन भेजे थे। हम को भी अपने गांवों में रहने वाले और कारखानों में काम करने वाले मजदूरों के बीच में कोई ऐसे चरित्रवान लोग भेजने चाहियें ताकि वे लोग इन लोगों का चरित्र ऊंचा उठा सकें।

मैं ने सुना है कि आप ने वैलफेयर फंड में लाखों रुपया जमा कर लिया है। लेकिन आप उस का इस्तैमाल किस तरह से कर रहे हैं। आप के पास एडवरज़ाइजमेंट (विज्ञापन) करने का डिपार्टमेंट

सस्ता है। आप अपने काम के लिये एडवरटाइज़मेंट कर के आदमी लेते हैं, जो पास हो जाता है उस को ले लेते हैं। लेकिन लेबर में काम करना कोई मामूली बात नहीं है। आप को तो इस काम के लिये बहुत तजरबेकार और ऊंचे चरित्र वाले लोगों को लेना चाहिये। और मजदूरों के लिये गिज़ा और कपड़े आदि का सस्ते मूल्य की दुकानों में प्रबन्ध करना चाहिये।

मैं एक दो मिनट और लेना चाहती हूं। एक भाई बहिनों के बारे में बोल रहे थे। मैं देखती हूं कि जब कोई और बात नहीं मिलती तो बहिनों की बातों को ले आते हैं। यह बहुत बुरी बात है। मैं किसी लीडर का नाम नहीं लेना चाहती। हालत यह है कि बहिनों के मामले में यह होता है कि अगर कहीं चिड़िया भी उड़ गयी तो यह कहा जाता है कि भैंस उड़ गई है। अखबारों में बहिनों के बारे में इस तरह की बातें बहुत लिखी जाती हैं। यहां पर भी कुछ गड़बड़ हुई थी और आध घंटे का डिसकशन भी हुआ था। इस के बारे में भी मैं कुछ सुझाव रखना चाहती हूं। आम तौर से यह होता है कि यद्यपि कोई बड़ी बात नहीं होती लेकिन उस को यहां पर बहुत बड़ा कर के बताया जाता है। मैं मंत्री महोदय से यह कहना चाहती हूं कि जब कभी ऐसी बातें बहिनों के बारे में उन के पास आवें तो उन बातों की की अच्छी तरह से एन्क्वायरी करने के बाद उन यहां पार्लियामेंट में लाया जाय। यह नहीं होना चाहिये कि बाहर किसी ने कुछ लिखा दिया और उस चीज को यहां उठाया गया और उसका जवाब दिया गया मैं इस के विरुद्ध प्रोटेस्ट (विरोध) करती हूं। यह बहुत बुरी बात है। कुछ अमरीकी महिलाओं ने गांधी जी से पूछा था कि हिन्दुस्तान में कितनी स्त्रियों ने स्वराज्य लेने में काम किया तो उन्हों ने कहा कि लाखों स्त्रियों ने इस में काम किया है बल्कि उन्हों ने कहा कि हमारे काम का ७५ प्रतिशत तो स्त्रियों और बहिनों के प्रेम और मुहब्बत से हुआ है। हम को किसी छोटे से इंडिविजुअल केस को ला कर यहां पर उस की चर्चा नहीं करनी चाहिये। यह बहुत बुरी बात है आयन्दा जब कभी आप के सामने बहिनों के बारे में माइन्स का अगर कोई मामला आवे तो उस का सवाल जवाब करने के पहले उस की अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर लेनी चाहिये। इस के पहले इस मामले को यहां नहीं लाना चाहिये।

बस मैं यही सुझाव आप के सामने रखना चाहती हूं और आप ने जो मुझे समय दिया उस के लिये धन्यवाद देती हूं।

†**डा० राम सुभग सिंह** (सहसराम): माननीय सदस्य ने जो बातें कहीं और श्रम मंत्री को हिटलर से उपमा दी ये बड़ी विचित्र बातें हैं। जहां तक रोजगार का प्रश्न है सरकार लोगों की भावनाओं को अभी तक बदल नहीं सकी है। लोग घर पर काम करना पसंद नहीं करते। इसलिये श्रम मंत्रालय को आज के नवयुवकों की मनोभावना में परिवर्तन करना चाहिये।

औद्योगीकरण की सब से बही समस्या विवादों की है और यह समस्या शनैः शनैः कम होती जा रही है। इस प्रकार बहुत सा समय नष्ट होता है। मंत्रालय को इस में भी प्रभावपूर्ण कार्यवाही करनी चाहिये।

पंचाटों आदि की क्रियान्विति को देखने के लिये एक विशेष विभाग बनाया गया है और मुझे आशा है कि इस की सहायता मिलने पर पारस्परिक झगड़े कम होंगे। मैं यह आशा भी करता हूं कि श्रमजीवी पत्रकारों के बारे में भी न्यायपूर्ण कार्यवाही की जायेगी। यदि इसे हल न किया गया तो स्थिति गंभीर हो जायेगी। पत्रकारों को पहले वाले वेतन मिल रहे है अतः मंत्रालय को उन की स्थिति सुधारने के लिये तुरन्त कार्यवाही करनी चाहिये। जब तक नया वेतन बोर्ड नियुक्त न किया जाये तब तक सरकार नियोजकों का वेतन बढ़ाने के लिये राजी करे।

---

†मूल अंग्रेजी में

[डा० राम सुभग सिंह]

१९५२ में औद्योगिक आवास योजना आरम्भ हुई थी और सरकार ने उस के लिये २५,६९,००,००० रुपये मंजूर किये थे किन्तु इस की गति बड़ी मन्द रही है और अब तक केवल १७.१५ करोड़ रुपया प्रयोग किया गया है। ६६,००० मकान बने हैं। कोयला खानों के श्रमिकों पर यह लागू ही नहीं है। सरकार को उन के लिये भी कुछ न कुछ करना चाहिये। उपकर की रकम प्रयोग की जा सकती है।

भूली क्षेत्र में जो मकान बने हैं उन में से २५ प्रतिशत में लोग गये ही नहीं क्योंकि मकान बड़ी दूरी पर हैं। इसी प्रकार से अभ्रक श्रमिकों के मकानों की दिशा है। वहां भी प्रगति बड़ी ही कम है।

चाय आदि के बागान में भी १०लाख के लगभग श्रमिक काम करते हैं। उन की दशा खराब है। बेचारों के पास मकान नहीं और कुछ भी नहीं। अंग्रेज उन से बड़ा अत्याचारपूर्ण व्यवहार करते हैं; सरकार ने योजना बनाई कि इन के लिये भी मकान बने और प्रतिवर्ष ८ प्रतिशत निर्माण कार्य हो। किन्तु मुझे पता लगा है कि अभी तक एक मकान भी नहीं बना। मैं माननीय मंत्री से वास्तविक जानकारी चाहता हूं। इसी कारण कई चाय बागान बन्द हैं। माननीय मंत्री को इस की जानकारी पहले दे दी गई थी यदि सरकार स्वयं नहीं चाहती तो राज्य सरकार को ही इस के लिये कहे।

धनबाद तथा झरिया क्षेत्र में भी मजदूर पूरी तरह निराश हैं। मेरी प्रार्थना है कि वहां की जांच की जाये तथा लोगों की शिकायतों को दूर किया जाये।

इस के पश्चात् देश में विभिन्न प्रकार के कृषक मजदूर हैं। उन की दशा सुधारने का काम भी किया जाये।

श्री दामानी (जालोर) : उपाध्यक्ष महोदय, आप ने जो मुझे बोलने का मौका दिया है, इस के लिये मैं आप का आभारी हूं।

अगर हम गए साल की मिनिस्ट्री आफ़ लेबर एंड एम्पलायमेंट (श्रम तथा रोजगार) की वार्षिक रिपोर्ट पढ़ें और उस की कार्यवाहीयों की ओर ध्यान दें, तो हम को काफ़ी सन्तोष होगा। गत वर्ष फ़िफ़टीन्थ इंडियन लेबर कांफ़रेंस के अधिवेशन में देश की इंडस्ट्रीज़ के विकास व उन्नति के लिए तथा वर्कर्ज और मैनेजमेंट (प्रबन्ध) के हित में जो जो महत्वपूर्ण निर्णय किए गए हैं, वे काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगें। खास तौर से मैनेजमेंट में वर्कर्ज के भाग लेने का निर्णय बहुत महत्व का है और मैं आशा करता हूं कि अगर मैनेजमेंट और वर्कर्ज दोनों मिल जुल कर और कनसर्न के हित को ज्यादा ध्यान में रख कर काम करेंगे, तो इस प्रयोग में बहुत बड़ी सफलता मिलेगी।

श्रीमान्, गवर्नमेंट ने पिछले साल इंडस्ट्रियल डिस्पूट्स एक्ट (औद्योगिक विवाद अधिनियम) और पेमेंट आफ़ वेजिज़ एक्ट (वेतन भुगतान अधिनियम) में जो संशोधन किए हैं, उन के द्वारा वर्कर्ज के हितों की काफ़ी रक्षा होगी। पेमेंट आफ़ वेजिज़ एक्ट में संशोधन किए जाने से अब चार सौ रुपए माहवार तक पाने वाले वर्कर्ज़ को भी उसका पूरा लाभ मिलेगा।

इंडस्ट्री में वेज बोर्ड (वेतन बोर्ड) कायम करने के प्रिन्सिपल को मान ही लिया है और टैक्स-टाइल और शूगर इंडस्ट्रीज़ (उद्योग) में वेज बोर्ड कायम हो गए हैं। इस सम्बन्ध में मेरा यह सुझाव है कि वेज बोर्ड्ज़ में वेजिज़ का निश्चय करते समय एफ़िशेन्सी पर ज्यादा ध्यान दिया जाय और वर्कर्ज़ के काम और इंडस्ट्री की पेइंग कैपैसिटी इत्यादि को देख कर ही वेजिज़ तय की जायें, जिससे इंडस्ट्री का उत्पादन भी बढ़े और मज़दूरों को भी ज्यादा मज़दूरी मिले और एफ़िशेन्सी में भी वृद्धि हो। ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं और इन की तरफ़ ध्यान दिया जाय।

लेबर लाज़ के विषय में मैं यह कहना चाहता हूं कि अब लेबर लाज़ काफ़ी काम्प्लीकेटिड हो गए हैं। इस लिए लेबर लाज़ (श्रमविधियों) का सरलीकरण होना ज़रूरी है। यह भी आवश्यक है कि हरेक रिजनल लैंगुएज में उन का अनुवाद किया जाय और उन की भाषा सरल होनी चाहिए, जिससे साधारण व्यक्ति उन को समझ सकें और हर एक बात के लिए वकीलों और सालिसिटर्ज़ के पास दौड़ना न पड़े ।

वर्कर्ज़ के लिए मिनिमम एज तो निर्धारित कर दी गई है, लेकिन उन की रिटायरिंग एज के बारे में कोई निर्णय नहीं हुआ है। इंडस्ट्री में साठ, पैंसठ, सत्तर, पचत्तर वर्ष के वर्कर काम करते हैं। इस एज में उन की एफ़िशेन्सी (दक्षता) कैसे हो सकती है ? इस के अतिरिक्त इस तरह नवयुवक वर्कर्ज़ को जगह नहीं मिल सकती है। इस लिए मेरा सुझाव है कि एक रिटायरिंग एज भी नियत कर दी जानी चाहिये जब कि वर्कर्ज़ रिटायर हो सकें ।

डिसिप्लिन के विषय में बहुत काफ़ी शिकायतें आ रही हैं। आप पेपर्ज़ में पढ़ते होंगे और देखते भी होंगे कि वर्कर्ज़ में डिसिप्लिन की किस कद्र कमी होती जा रही है। आए दिन सुपीरियर स्टाफ़ पर वर्कर्ज़ के हमले होते हैं। अभी हाल में ही बम्बई में ऐसी घटना हुई है कि सुपीरियर स्टाफ़ को कत्ल कर दिया गया। इस तरह के कामों से और डिसिप्लिन न होने से मैनेजमेंट होना मुश्किल होता है। इस लिए इस तरफ ज्यादा सख्ती से कार्यवाही करनी चाहिए और ज्यादा कड़े कानून बनाने चाहिए, जिससे सुपरवाइज़री स्टाफ़ की रक्षा हो सके और मज़दूरों में ज्यादा से ज्यादा डिसिप्लिन आ सके। कोड आफ डिसिप्लिन बन जाने पर यह कमी दूर हो जायगी।

ट्रेड यूनियन्ज़ के श्रम संघ विषय में यह कहना चाहता हूं कि उन का होना बहुत ज़रूरी है और वे मज़बूत हों, यह भी वर्कर्ज़ के लिए काफ़ी ज़रूरी है, लेकिन आज-कल हम देखते हैं कि ट्रेड यूनियन्ज़ मज़दूरों के हितों का ध्यान रखने के अलावा पालिटिक्स में भाग लेती हैं और मज़दूरों के हितों पर कम नज़र रखती हैं। जैसा कि मैं ने अभी कहा है, ट्रेड यूनियन्ज़ मज़बूत हों और मज़दूरों के हितों का ध्यान रखें, लेकिन इसके साथ ही साथ यह भी आवश्यक है कि वे कनसर्न्ज़ की कैपेटिसी का भी ख्याल रखें। ऐसा न हो कि वे इस बात को दृष्टि में न रखें कि कनसर्न की कैपेसिटी क्या है और हर बात में ज्यादा इनसिस्ट करें। उन लोंगो को व्यावहारिक ढंग से काम करना चाहिए और उस में पालिटिक्स नहीं आना चाहिए ।

इस सम्बन्ध में शोलापुर की लेबर यूनियन (श्रम संघ) ने जो कार्य किया है, वह काफ़ी प्रशंसनीय है। वहां पांच मिलें थी, जिन में से दो बड़ी बड़ी मिलें बन्द हो गई थीं और तीन मिले नुक्सान में चल रही थी। वहां की लेबर यूनियन ने डी० ए० में कटौती मन्जूर कर के अच्छा एग्ज़ैम्पल दिखाया है और उस के लिए वह धन्यवाद की पात्र है। इस के फलस्वरूप एक मिल फिर चालू हो गई है और दो तीन हज़ार मज़दूर काम पर लग गए हैं । दूसरी मिल के चालू होने की बात चल रही है और आशा है कि वह भी चालू हो जायगी। देश की दूसरी लेबर यूनियन्ज़ को भी इसी तरह कार्य करना चाहिए और प्रेक्टीकल बातों पर दृष्टि रख कर इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जहां पर गुंजाइश न हो वहां मैनेज़मेंट के साथ मिल कर काम किया जाय। इस प्रकार देश की इंडस्ट्री की ज्यादा उन्नति होगी।

मुझे एग्रीकल्चरल लेबर के बारे में भी कुछ कहना है। एग्रीकल्चर में काफ़ी संख्या में मज़दूर काम कर रहे हैं। अभी तक उन के लिए कोई कार्य नहीं किया गया है। उन के लिए भी मिनिमम वेज और काम की दशाओं के बारे में कायदे बनाए जाने चाहिए ।

इस के साथ अन्त में मैं आप को धन्यवाद देता हूं ।

†**श्री घोषाल** (उलुबेरिया) : हम सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था में औद्योगिक श्रम का महत्व बढ़ रहा है। पर इसके लिये अधिक उत्पादन तथा औद्योगिक शान्ति की आवश्यकता है। पर औद्योगिक शान्ति महजदूरों पर जबरदस्ती थोपी नहीं जानी चाहिए जैसे कि अभी शोलापुर मिल में किया गया है।

सर्वप्रथम मजूरी की समस्या है। आज यद्यपि सरकार ने मजूरी के लिए न्यूनतम मजूरी अधिनियम आदि पारित कर दिये हैं पर वे सब कागज पर ही हैं। अतः सरकार को वास्तविक रूप से मजदूरों की मदद के लिए आना पड़ेगा। हमें राष्ट्रीय न्यूनतम मजूरी के सिद्धान्त निश्चित करने चाहिए। न्यूनतम मजूरी तो भिन्न-भिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न है अतः राष्ट्रीय न्यूनतम मजूरी को निर्धारित किया जाना बहुत आवश्यक है। यदि उत्पादन वृद्धि की गति को बनाये रखना है तो यह बहुत आवश्यक है। देश में उत्पादन बढ़ा है। १९५१ को यदि आधार वर्ष माना जाया तो १९५७ में १४७.२ उत्पादन हो गया है। राष्ट्रीय आय भी १०,०३० करोड़ रुपये से बढ़कर १०,२२८ करोड़ रुपये हो गयी है। पर प्रति व्यक्ति आय बढ़ने के बजाय घटी ही है। अमरीका में प्रति व्यक्ति आय ७८५ रु० है, ब्रिटेन में ३६३ रु० है जब कि भारत में २१रु० प्रति मास है। रहन सहन के व्यय के देशनांक देखें तो पता लगता है कि १९४९ के बाद १९५७ तक चीजों के मूल्य लगभग घट-बढ़ कर एक से ही रहे है अतः महंगाई भत्ते को मूल वेतन में मिला दिया जाना चाहिए। जहाँ तक लाभांशों का प्रश्न है सभी प्रकार के लाभांशों को वेतन का एक अंश समझा जाना चाहिए और वेतन का स्वरूप निर्धारित करते समय सभी प्रकार के लाभांशों का ध्यान रखा जाना आवश्यक है।

सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजना की बात लीजिए। १९५२ से अब तक सरकार इस पर २५.५९ करोड़ रुपये, ९०,३०० मकानों में लिए व्यय कर चुकी है पर अभी तक कुल ६६,७०० मकान बन पाये हैं। नियोजक व राज्य सरकारे दोनो इस काम में बाधायें डाल रही हैं। पश्चिमी बंगाल सरकार ने भी केन्द्र से मिली राशियों का उपयोग नहीं किया। बागान मजदूर आवास योजना के लिए केन्द्र से मिली राशि का तो एक पैसा भी उपयोग नहीं किया गया। दूसरी योजना में सरकार ने बागान मजदूर आवास योजना के लिए २ लाख रुपये की व्यवस्था की है। पर वह सारी राशि पड़ी हुई है। अतः माननीय मंत्री को ऐसा कोई उपाय करना चाहिए ताकि राज्य सरकारें इस राशि का समुचित उपयोग करें।

जो मकान बने हैं वे मजदूरों की मिलों, कारखानों या काम करने की जगह से काफी दूर हैं और उनका किराया भी काफी अधिक है अतः मजदूर उनका उपयोग नहीं कर रहे हैं। एक बात ध्यान देने की है कि मशीनों का नयी प्रविधि के कारण तरह तरह की दुर्घटनायें बहुत हो रही हैं। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अधीन बीमा की उन्नति संतोषजनक नहीं है। १९५६-५७ के लिए २० लाख व्यक्तियों का बीमा करने का लक्ष्य था पर केवल ११.२२ लाख मजदूरों का बीमा किया जा सका। फिर यह भी कठिनाई है कि नियोजक अपना पूरा अंशदान नहीं दे रहे हैं। इस बीमा योजना के चालू होने के बाद नियोजक मजदूरों की सुरक्षा के संबंध में बहुत उदासीन हो गये हैं। वे दुर्घटना होने पर बीमा कार्यालय को सूचना दे देते हैं। दुर्घटनाग्रस्त सूचना मात्र दे देते हैं। दुर्घटना ग्रस्त व्यक्ति को अस्पताल तक भी नहीं भेजवाते। अतः इस बात का प्रबन्ध किया जाना चाहिए कि उनकी सुरक्षा के लिए नियोजक अधिक ध्यान दें।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्रम विधानों के संबंध में मैं यह कहना चाहता हूँ कि केवल वही मामले न्यायाधिकर के पास भेजे जाते हैं जिन को संघ या बहुसंख्यक मजदूर न्यायाधिकरण में ले जाये। पर आज हमारे देश में मजदूर बहुत असंगठित हैं अतः उनका बहुमत किसी बात पर तैयार हो, यह बात कठिन होती है। अतः बेचारे मजदूर अपने मामले को निबटाने की मांग बिल्कुल नहीं कर पाते। अतः इस त्रुटि को दूर किया जाना चाहिए।

बिना वेतन के मुअत्तल करने की बात के बारे में न्यायाधिकरण ने स्वयं कहा है कि यह कोई दण्ड नहीं है जो दिया जाय। पर जब मामला न्यायधिकरण में चला जाता है तो उसके निबटने में कई-कई महीने लग जाते हैं। बाद में निर्णय होने पर न्यायाधिकरण कह देता है कि हमारा काम समाप्त हो गया और नियोजक मजदूरों को निकाल देते है और मुअत्तली की अवधि का भी वेतन नहीं देते। अतः इस वैधानिक त्रुटि को अवश्य दूर किया जाना चाहिए।

कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, १९२३ में बना था। उस समय इसमे जो उपबन्ध रखे गये थे वह उस समय की आर्थिक अवस्था को देख कर रखे गये थे। अब आर्थिक अवस्था बदल गई है अतः अब इन उपबन्धों में संशोधन करने की आवश्यकता है।

श्री काशीनाथ पांडे (हाता): उपाध्यक्ष महोदय, पेशतर इसके कि मैं अपनी और बातें आपके सामने रखूं, अभी थोड़ी देर हुई विरोधी दल के एक माननीय सदस्य ने एक बात कही है जिसका जिक्र मैं कर देना चाहता हूं। उन्होंने सीधे तौर पर लेबर मिनिस्टर पर काफी आक्षेप किया है। न केवल उन्होंने आक्षेप ही किया है बल्कि यह भी कहा है कि वे हिटलर मसोलिनी या स्टालिन के समान हैं और अगर कोई इस लायक है कि उसका इम्पीचमेंट हो तो वह लेबर मिनिस्टर हैं। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि उन्होंने इस सम्बन्ध में खास तौर पर आइ० एन० टी० यू० सी० का नाम लिया है और इस सम्बन्ध में उन्होंने कहा है कि दूसरे संगठनों के मुकाबले में इस संस्था को प्रेफ्रेंशल ट्रीटमेंट मीट आउट किया जा रहा है। इसके लिए उन्होंने कहा है कि लेबर मिनिस्टर और लेबर मिनिस्ट्री इम्पीचमेंट के काबिल है। अभी हाल ही का एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं और आपको बतलाना चाहता हूं कि किस तरह से विरोधी दलों के चिल्लाने पर हमारे लेबर मिनिस्टर साहब ने आई० एन० टी० यू० सी० के साथ अन्याय किया है और कर रहे हैं। अभी हाल ही में गवर्नमेंट ने प्रोडक्टिविटी काऊंसिल बनाई है और उसकी जो सैंट्रल आर्गेनाइजेशन हैं, उनमें किन किन लोगों को और किन किन संस्थाओं के नुमाइंदों को लिय गया है। आई० एन० टी० यू० सी० की सदस्य संख्या पंद्रह लाख है और बाकी की जो तीन संस्थायें या संगठन हैं, उन सबको अगर मिला दिया जाए तो भी उनकी इतनी सदस्य संख्या नहीं बनती है। इस प्राडक्टविटी काउंसिल में आई० एन० टी० यू० सी० के चार आदमी लिए गए हैं औ दो दो आदमी हिन्द मजदूर सभा तथा ए० आई० टी० यू० सी० के लिए गए हैं और एक यू० टी० यू० सी० का लिया गया है। जहां तक इस आखिरी संस्था का सम्बन्ध है उसकी कुल सदस्य संख्या सारे हिन्दुस्तान में कितनी है, यह मैं नहीं जानता हूं और यह भी विचारणीय हो सकत है कि उसको कितना रिप्रिजेंटेशन दिया जाना चाहिए। इस काउंसिल में चार तो आई० एन० टी० यू० सी० के सदस्य आए और तीनों विरोधी दलों के कुल मिलाकर पांच सदस्य आए। जो एक्सीक्यूटिव बोर्ड बना है उसमें हमारी संस्था का तो एक आदमी है और विरोधी पक्षों की जो आर्गेनाइजेशंस हैं उनके तीन आदमी हैं, उनमें से एक एक आदमी लिया गया है। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि ऐसे समय में जबकि आपका अनुभव यह है कि देश में तरह तरह जो मजदूर संगठन हैं और किस तरह से वे व्यवहार करते हैं और किस तरह से आपको

[श्री काशी नाथ पांडे]

अपनी योजना को सफल बनाने के लिए वे इमदाद दे रहे हैं, उस सबका लिहाज रखना चाहिये था। अगर प्राडक्टिविटी काउंसिल जैसी महत्वपूर्ण कमेटी में तीन तीन ऐसे आदमी आते हैं जो कि आपकी पालिसी में विश्वास नहीं करते हैं तो कहां तक यह कहा जा सकता है कि वहां जा कर वे आपका जो परपज़ है उसको सर्व करेंगे। इस तरह से क्या वह परपज जिसके लिए इनकी स्थापना की गई है, सर्व होगा? इस वास्ते भी मैं यह कहना चाहता हूं कि अन्याय मेरे साथ हो रहा है है कि विरोधी दल वालों साथ।

इसी तरह से मैं आपको कहना चाहता हूं कि जब विदेशों में डेलिगेशन भेजने की बात होती है तो भी मेरी संस्था को ओवरलुक कर दिया जाता है। आप जानते हैं कि आइ० एन० टी० यू० सी० की सदस्य संख्या पन्द्रह लाख है और तमाम विरोधी संस्थाओं को अगर मिला भी दिया जाय तो भी उनकी इतनी सदस्य संख्या नहीं हो सकती है। ऐसी सूरत में देखा गया है कि कई मर्तबा विरोधी लोगों को कई कमेटियों के सिलसिले में विदेशों में भेजा गया है जब कि केन्द्रीय संस्थायें आई० एन० टी० यू० सी० के मुकाबले में सदस्य संख्या के लिहाज़ से नगण्य हैं। इस वास्ते मैं कहना चाहता हूं कि लेबर मिनिस्टर साहब को केवल विरोधी दलों के चिल्लाने मात्र से ही आई० एन० टी० यू० सी० के साथ अन्याय नहीं करना चाहिये।

एक माननीय सदस्य ने फ्रेंचाइज़ का भी ज़िक्र किया है। इस सम्बन्ध में मैं एक बात मंत्री महोदय के नोटिस में लाना चाहता हूं। आज ऐसी यूनियनों का बाहुल्य हो रहा है जो यह कहती हैं कि चूंकि आई० एन० टी० यू० सी० का सालाना चन्दा तीन रुपये है वहां हमारा चन्दा आठ आने ही है और तुम हमारे सदस्य बन जाओ। मज़दूर इस बात को नहीं समझते हैं और न वे दूसरी जो बातें हैं उनको ही समझते हैं। इस लिये वे ऐसी संस्थाओं के सदस्य बन जाते हैं। ऐसी सूरत में अगर आप,कहें कि फ्रेंचाइज़ हो तो यह साफ़ है अगर कोई आदमी यह कहेगा कि हमारी संस्था में एक पैसा चन्दा भी नहीं देना होगा तो तमाम आदमी उसके मेम्बर बन जायेंगे और वे उसके हक़ में जायेंगे। यह बात तो बाद में मालूम होगी कि कौन सी संस्था मज़दूरों को अधिक फायदा पहुंचाती है। इस तरह के वाक़यात हो चुके हैं। शूगर इंडस्ट्री में फ्रेंचाइज़ हुआ था और उसमें यह बात देखने में आई थी। उस फ्रेंचाइज़ के लिये एक यह शर्त थी कि किसी भी दल का कोई भी सदस्य प्रचार करने के लिये मज़दूरों के पास नहीं जायगा। लेकिन इसके बावजूद भी माननीय श्री शि० ला० सक्सेना ने अनशन कर दिया और तमाम जो विरोधी पार्टियां थीं उन्होंने मिल कर प्रचार करना शुरू कर दिया कि सक्सेना साहब मर रहे हैं इनको यदि बचाना है तो इसको वोट दो। यूनियनें आर्गेनाइज्ड लेबर की संस्थायें होती हैं और जो ट्रेड यूनियन के मैम्बर होते हैं वे ही ट्रेड यूनियन के सदस्य हो सकते हैं। जहां पर आर्गेनाइज्ड लेबर की स्ट्रेंथ की जांच करनी हो वहां पर आप नान-मैम्बर्स और मैम्बर्स सभी को इकट्ठा कर दें तो यह कहां तक व्यावहारिक हो सकता है कहां तक फेर हो सकता है यह सोचने की बात हो जाती है। यह शूगर इंडस्ट्री में हुआ है। विरोधी दल फ्रेंचाइज़ की मांग करते हैं इस लिये मैं आपको कहता हूं कि आप इस मांग को प्रेशर में आकर मंजूर न कर लिया करें। अगर इस तरह की मांगों को आपने मंजूर करना शुरू कर दिया तो एक ऐसी चीज़ पैदा हो जायगी कि आगे चल कर मज़दूर आर्गेनाइज़ ही नहीं रह सकेंगे और इस मूवमेंट को एक धक्का लगेगा।

अब मैं वेज बोर्डस के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। यह विषय बहुत महत्व का है। जब से प्रेस वेज बोर्ड के मामले का सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है तब से मुझे बहुत डर हो गया है कि कहीं उसके बाद शूगर इंडस्ट्री और टैक्सटाइल इंडस्ट्री के लिये जो दो वेज बोर्ड बने हुये हैं उनके बारे में आपने यह कहा है कि उनको इंडस्ट्री की पेइंग केपिसिटी को देखना चाहिये उससे कहीं नुकसान न हो जाय। इस पेइंग केपेसिटी के बारे में मुझे यह कहना है कि इस पेइंग केपेसिटी का

आधार क्या हो क्या आपने इसका फैसला किया है ? पेइंग केपेसिटी किस की देखी जाय जो सब से कमज़ोर यूनिट है या जो प्राफिट कमा रहा है या जो घाटे में चल रहा है ? एक ही जगह को जैसे कानपुर को ही आप ले लें। वहां पर फ़र्ज़ कीजिये दस मिले हैं हर एक कच्चा माल एक ही जगह से मंगाती है फ्रेट भी सब को वही देना पड़ता है सब का ले-आफ भी वही है मज़दूरों की तनख्वाह भी वही है इसके बावजूद भी एक फैक्ट्री नफा दिखाती है तो दूसरी घाटा। अब आप पेइंग केपेसिटी में किस को आधार मान कर चलेंगे घाटे वाली फैक्ट्री को या नफे वाली को ? जो फैक्ट्री नुक्सान दिखाती है वह उन फैक्ट्रियों के मुनाफ़े को भी मार देती हैं जो नफा दिखला रही होती हैं तथा वहां पर काम करने वाले मज़दूरों के इंटिरेस्ट्स को भी नुकसान पहुंचाती हैं। आपने यह कहा है कि तनख्वाह निश्चित करने के पहले वह इस बात को देख ले कि कम से कम फैमिली तीन यूनिट की होनी चाहिये ७२ गज़ कपड़ा उसको मिलना चाहिये तीन यूनिट पर जितनी कैलरी डा० एकरायड ने बताई है उसकी उनको ज़रूरत और है वह उनको मिलनी चाहिये कितना खाना मिलना चाहिये इत्यादि। ये सब आधार होने चाहियें। दो इम्पार्टेन्ट चीज़ें हैं जो इंडिकेट नहीं की गयी हैं। कांग्रेस गवर्नमेंट ने छठी क्लास तक बच्चों की फीस माफ कर दी है और अब उनको फीस नहीं देनी पड़ती है। लेकिन किताबों की खरीद पर तो उनको पैसा खर्च करना ही पड़ता है और उसके लिये कोई व्यवस्था की गई हो ऐसी कोई इंडिकेशन नहीं मिलती है। इसके अलावा बहुत सी फैक्ट्रियां ऐसी हैं जहां पर मैडिकल ट्रीटमेंट के लिये कोई इंतिजाम नहीं है या जहां आपकी एम्पलायीस् स्टेट इंश्योरेंस स्कीम लागू नहीं हुई है। कम से कम वहां पर मैडिकल बैनिफिट्स या उनके दवा दारू का भी कोई प्रबन्ध होना चाहिये। अभी तक तो मैं समझता हूं इस ओर ध्यान नहीं दिया गया है। अतः मेरा निवेदन यह है कि इन चीज़ों की भी ध्यान में रखा जाना चाहिये वेज फिक्स करते समय। साथ ही साथ पेइंग केपेसिटी उसकी ली जानी चाहियें जो नफा दिखला रही है न कि उसकी जो घाटे में चल रही है। ये जो घाटा दिखा रही हैं ये मज़दूरों की वजह से नहीं बल्कि मिसमैनिजमेंट की वजह से दिखा रही है। उसकी वजस से मज़दूरों को नहीं मारा जाना चाहिये। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वेज के बारे में अगर यही आधार हो सकता है कि मार्जिन आफ प्राफिट किस फैक्ट्री का कितना है तो मैं कहना चाहूंगा कि मजदूरों को भी फेयर वेज नहीं मिल सकती है। टैक्सेशन इनक्वायरी कमेटी तथा दुनिया भर के लोग बैठे लेकिन किसी को यह मालूम नहीं पड़ा कि नफा कितना है ? वेज बोर्ड भी यह मालूम नहीं कर सकता है कि नफा कितना है। इसको मालूम करना बहुत मुश्किल है। इसलिये अगर आप वेज दिलाने के हक़ में हैं और चाहते है कि उनको वेज मिले तो जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है उसको आपको मद्देनज़र रखना होगा और उसके बाद आपको एक आधार निकालना पड़ेगा ताकि मज़दूरों को फेयर वेज मिल सके।

प्रेस के सम्बन्ध में एक वेज बोर्ड बना था और शायद दूसरा बनेगा। बाद में भी जो शक्ल सामने आयें उसके खिलाफ़ लोग सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। इस वास्ते सब बातों का पहले से ही आपको खयाल करना होगा। सुप्रीम कोर्ट में हम अपने केस को उस तरह से पेश नहीं कर सकते हैं जिस तरह से कि दूसरे लोग कर देते हैं। वे बड़े बड़े लोगों को एनगेज कर लेते हैं और हम में इतनी शक्ति नहीं होती है कि हम अपने केस को अच्छी तरह से रख सकें। इस वास्ते जो बुनियादी चीज़ है उसको अगर शुरू से ही आप अपने सामने नहीं रखते हैं तो दूसरे वेज बोर्डस का भी वही हशर हो सकता है जो प्रेस वेज बोर्ड का हुआ है।

इसके बाद अब मैं दो एक्ट्स के बारे में कहना चाहता हूं। इसमें कोई शक नहीं है कि लेबर मिनिस्ट्री बड़ी विजिलेंट रही है और जब कभी भी कोई डिफैक्ट्स उसकी नज़र में आये हैं उनको उसने दूर करने की कोशिश की है। एक परमानेंट मजदूर के बारे में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट में यह आधार रखा गया है कि २४० दिन यानी वर्किंग डेज़ उसके पूरे होने चाहिये तब वह लीव विद

[श्री काशी नाथ पांडे]

वेज और ले आफ के पीरियड को भी ले सकता है। २४० दिन काम करने के बाद उसको अर्नड लीव लेने का हक़ होता है लेकिन ले आफ और विद वेज इनक्ल्यूड नहीं होते हैं।

इस लिये यह दोष इसमें ऐसा है जिसको कि हम चाहते हैं कि उसका सुधार हो।

मैं माननीय श्रम मंत्री से एक अर्ज़ और करना चाहता हूं। हमारे मंत्री महोदय एक अर्से तक मज़दूर फील्ड में काम कर चुके हैं और मज़दूरों की दिक्कतों को भी समझते हैं। आज टेक्सटाइल मिल्स में एक हाहाकार सा मचा हुआ है। कानपुर काटन मिल, म्योर मिल और एथर्टन वेस्ट मिल में बड़ी गड़बड़ चल रही है। क़ायदे के मुताबिक़ अगर साल भर में ४५ दिन का क्लोज़र हो जाता है तब मज़दूर पैसा पाने का हक़दार हो जाते हैं। मैक्सिमम ४५ दिन को आधार मान कर मज़दूरों को साढ़े बाईस दिन की तनख्वाह मिलनी चाहिये लेकिन मिलओनर्स इस तरह से उनको स्कैटर करते हैं कि वह ४५ दिन पूरे नहीं होने पाते हैं और फैक्टरीज़ में मिल ओनर्स ऐसा कर रहे हैं कि हफ्ते में एक दिन की मज़दूर की हाज़िरी लगाते हैं और क़ायदा यह बना रक्खा है कि मज़दूर को बाकी पांचों रोज़ मिल में हाज़िर होना पड़ेगा और हाज़िरी देनी पड़ेगी चाहे मैनेजमेंट काम दे या न दे। अब आप सोच सकते हैं कि इस तरह से हफ्ते में उसकी एक दिन की हाज़िरी होती है और उस दिन की तनख्वाह होती है बाक़ी ५ दिन तक उसको सिर्फ इसलिये हाज़िरी भरवाने के लिये जाना पड़ता है कि कहीं उसका नाम इस आधार पर काट न दिया जाय कि वह फैक्टरी में हाज़िर नहीं है हालांकि उसको उन दिनों काम पर नहीं लगाया जाता है।

अभी हमारे भाई ने जो कुछ कहा उसे सुन कर मुझे ताज्जुब हूआ। हमारे भाई का ताल्लुक फैक्टरियों से है तो मेरा ताल्लुक़ मज़दूरों से है। वे यह कहते हैं कि शोलापुर की एक टैक्सटाइल मिल में मिलमालिकों और मज़दूरों के बीच में जो समझौता हुआ है वह बहुत बढ़िया है और उससे सब को सबक़ लेना चाहिये.....

श्री ब्रजराज सिंह (फ़िरोज़ाबाद) : पार्टी तो वही है।

श्री काशीनाथ पांडे : लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमें मज़दूरों की मजबूरियों का फायदा नहीं उठाना चाहिये। आखिर शोलापुर में ऐसा समझौता क्यों हुआ है ? उसकी वजह बिलकुल साफ़ है और वह यह है कि मज़दूर खाने के बग़ैर मर रहे हैं और वह ऐसा समझौता नहीं करेगा तो क्या करेगा। लेकिन हमारा कर्तव्य है कि ऐसे वक्त में हम लोगों को गिरने से बचायें। अगर हम ऐसा क़दम नहीं उठा सकते तो हम मज़दूरों की रक्षा नहीं कर सकते। मैं श्रम मंत्री महोदय से कहूंगा कि जैसे वह उदार हृदय आदमी हैं वे इस बात को सीरियसली देखें। अभी तो मैं यह समझता हूं कि सरकार से टैक्टिकल मिस्टेक हो गई। गवर्नमेंट ने एक्साइज़ ड्यूडी में टेक्सटाइल इंडस्ट्री को १५ करोड़ रुपये की माफ़ी दी है और उचित तो यह था कि इस १५ करोड़ की छूट देने के बाद लेबर मिनिस्टर महोदय मिल्स के मैनेजमेंट्स को बुला कर बात करते और उनको कहते कि देखो भाई हम तुमको यह छूट दे रहे हैं अब तुम भी मज़दूरों के साथ रिआयत करो इस तरह की कलैक्टिव बारगेनिंग अगर उनसे की जाती तो मैं समझता हूं कि उससे बहुत से मजदूरों की जान बच जाती। आज जो मिलें बन्द हो रही हैं उससे मज़दूरों में असन्तोष पैदा हो रहा है और उसके कारण उनमें बेरोज़गारी फैल रही है। इसलिये मैं समझता हूं कि इस चीज़ के ऊपर सरकार को पहले ध्यान देना चाहिये।

जहां तक एम्प्लीमेंटेशन आफ एवार्डस की बात है उसके सम्बन्ध में बहुत से माननीय सदस्य यहां पर कह चुके हैं लेकिन मुझे ऐसा मालूम होता है कि मज़दूर फील्ड से चूंकि उनका विशेष ताल्लुक़ नहीं है इसलिये वह ऐसी बात कहते हैं। मैं ने यह देखा है कि जब से अभी हाल में जो इंडियन

लेबर कान्फ्रेंस हुई थी उसमें एक सैल आफिसर्स बनाया गया है जिसका कि काम ही यह देखना है कि हर सूबे में वह इस चीज़ को देखे कि कौन सा एवार्ड ऐसा रह गया है जो कि एम्पलीमेंट नहीं हुआ। हर सूबे में और हर आर्गेनाइज़ेशन के पास गवर्नमेंट का लेटर गया है कि कौन से ऐसे एवार्डस हैं जो कि अभी तक उनके वहां एम्प्लीमेंट नहीं हुये हैं। अब जहां एवार्ड के खिलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में अपील हो गई है वहां पर गवर्नमेंट अलबत्ता एम्प्लोमेंटेशन आफ एवार्ड के लिये कोई कदम नहीं उठा सकती है। वह तो अपने गुड आफ़िसेज़ इस्तेमाल करके दोनों दलों को बुला कर उनके बीच में एक समझौता करा सकती है। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने मामला पेंडिंग हो और गवर्नमेंट एवार्ड के एम्पली-मेंटेशन के लिये दबाव डाले यह नामुमकिन है और ऐसा करना अनुचित होगा और यही दिक्कत सरकार के सामने है।

अन एम्पलायमेंट के बारे में मुझे जो कहना है वह यह है कि हमारे माननीय नन्दा जी न केवल लेबर मिनिस्टर हैं बल्कि प्लानिंग मिनिस्टर भी हैं। अक्सर मैं सुनता हूं कि रेलवे में २ लाख आदमी हो गये और दूसरी इंडस्ट्रीज़ में इतने आदमी हो गये। मेरा कहना यह है कि इसके बारे में सरकार के पास यह आंकड़े होने चाहिये कि जितने आदमी फैक्टरियों में इस प्लानिंग के पहले काम कर रहे थे उनमें से कितने आदमी इस वक्त एम्पलायड हैं और कितने निकाले गये और वह निकाले गये तो क्यों निकाले गये। उधर से जो आदमी खाली होते जायें उनको इधर उधर भरते जायें तो यह डिप्रेशन हम को कहीं नहीं ले जा सकता। हमको इस दिशा में कोई सक्रिय कदम उठाना चाहिये ताकि मज़दूरों की रक्षा हो और मज़दूरों में अनएम्पलायमेंट न फैले और उनको काम मिले। सरकार यदि इसके लिये कोई सक्रिय प्रयत्न कर सकती है तो उसको ज़रूर करना चाहिये और ऐसा करना बड़ी अच्छी बात होगी।

वर्क्समेन कम्पेंसेशन ऐक्ट के बारे में मैं ने एक मर्तबा पहले भी अपील की थी और आज फिर उसको दुहराता हूं कि इसमें बड़े सुधार की ज़रूरत है। यह बाबा आदम के ज़माने का ऐक्ट चला आ रहा है और उसमें कोई सुधार नहीं हो रहा है। हमसे एक मर्तबा सरकार ने कहा कि इस पर विचार हो रहा है। एक तो जो पार्टस् लिये गये हैं वे इनकम्पलीट हैं और अधूरे हैं और इसलिये उस ऐक्ट के रहते हुये मज़दूरों के साथ न्याय नहीं हो सकता। बहुत से ऐसे अंग हैं जो कि फैक्टरी के अन्दर कट जाते हैं और उनका कहीं पर कोई ज़िक्र नहीं है और इसलिये उस बेचारे को कोई मुआविज़ा नहीं मिलता है। इसलिये मैं समझता हूं कि अब समय आ गया है जब कि कम्पेंसेशन ऐक्ट में ऐसा सुधार कर दिया जाना चाहिये जिससे मज़दूरों को लाभ हो सके।

प्राविडेंट फंड के बारे में मुझे यह निवेदन करना है कि शुगर फैक्टरीज़ में रिटेनिंग एलाउन्स को वेज नहीं मानते। इस सम्बन्ध में मैं बतलाना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में खेतान एनक्वायरी कमेटी बैठी थी जिसके कि चेअरमैन श्री डी० पी० खेतान एक मिल मालिक थे। उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में यह माना है कि रिटेनिंग एलाउन्स वेज है। इसी तरीक़े से लेबर एपैलेट ट्राइब्युनल ने अपने फैसले के अन्दर में जिसमें कि हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज रह चुके हैं कहा है कि रिटेनिंग एलाउन्स वेज है और उस पर प्राविडेंट फंड कटना चाहिये। बहुत सी फैक्टरियों में इस ऐक्ट के लागू होने के पहले रिटेनिंग एलाउन्स पर प्राविडेंट फंड कटता था लेकिन जब से यह स्कीम आई मालूम नहीं क्या क्लैरिफिकेशन हुआ और क्या बात हुई जो प्राविडेंट फंड कटना बन्द हो गया है। मेरा यह निवेदन है कि उस सम्बन्ध में ऐसा आदेश दिया जाय जिससे कि उसका कटना चालू हो जाय ताकि मज़दूरों को उससे लाभ मिल सके। अब मैं और अधिक समय नहीं लेना चाहता और मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : बहुत कृपा है । सुबह मालूम नहीं था कि डिप्टी मिनिस्टर साहब भी वक्त चाहेंगे । उनसे पूछा गया तो उन्होंने सिर्फ मिनिस्टर साहब का नाम लिया । अब चूंकि वे भी बोलना चाहते हैं इसलिये यह वक्त भी मेम्बर साहबान के वक्त में से निकलना है । मैं माननीय सदस्यों से दरख्वास्त करूंगा कि अगर वह १० १० मिनट लें तो बहुत अच्छा होगा ।

†**श्री भगवती** (दरांग) : समाजवाद कोई सैद्धान्तिक अध्ययन की वस्तु नहीं है । समाजवाद एक सामाजिक व्यवस्था है । हमारे देश में समाजवाद की स्थापना की घोषणा की गयी है । मज़दूर इससे बहुत खुश हैं । औद्योगिक शान्ति की बातें हम यहां बैठे बैठे बहुत करते हैं पर अनेक बातें ऐसी होती हैं जिनसे औद्योगिक शान्ति नष्ट हो जाती है । विभिन्न पंचाटों तथा करारों द्वारा मज़दूरों का बहुत भला हो रहा है । सरकार ध्यान दे कि किन किन उद्योगों में इन पंचाटों और करारों को लागू नहीं किया गया है ।

समाज का अर्थ है अधिक उत्पादन और समान वितरण । मजदूर अधिक उत्पादन के लिये प्रयत्नशील हैं पर उनके साथ वितरण में भी न्याय होना चाहिये । उनकी उचित मजूरी की मांग न्यायपूर्ण है । मुझे बहुत दुख है कि बागानों के लिये प्रस्तावित मजूरी बोर्ड की स्थापना स्थगित कर दी गयी है । इस सम्बन्ध में सरकार को ध्यान देना चाहिये कि बागानों के सम्बन्ध में मजूरी बोर्ड अवश्य स्थापित किया जाय ।

रोज़गार की बात लीजिये । योजना आयोग का अनुमान था कि दूसरी योजना काल में लगभग १५३ लाख व्यक्तियों के लिये रोज़गार की व्यवस्था होने की आशा है पर अभी तक केवल ८० लाख व्यक्तियों के रोज़गार की व्यवस्था हो पाई है । साथ ही चिन्ताजनक बात है कि कपड़े की मिलों के बन्द होने से हजारों लोग बेरोज़गार हो गये हैं । आसाम में चाय बागानों में २२,००० व्यक्ति बेरोज़गार हो गये हैं । अतः इस समस्या को जल्दी से जल्दी हल करने के लिये सरकार को कोशिश करनी चाहिये ।

आसाम तेल कम्पनी में लगभग ५,००० मज़दूर ठेके पर काम कर रहे हैं । चूंकि यह कम्पनी वेतन भुगतान और न्यूनतम मजूरी अधिनियम के अन्तर्गत नहीं है अतः वहां मज़दूरों को कोई लाभ नहीं होता । अतः सरकार विशेष अधिसूचना निकाल कर इस कम्पनी को भी इन अधिनियमों के उपबन्धों के अन्तर्गत लाया जाये तभी मज़दूरों के हितों की रक्षा हो सकेगी ।

श्री वालकृष्ण वासनिक (भंडारा—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : उपाध्यक्ष महोदय समय की कमी होने के बाद भी आपने जो मुझे इस लेबर और एम्प्लायमेंट मिनिस्ट्री की डिमान्ड पर बोलने का समय दिया इसके लिये मैं अत्यन्त आभारी हूं ।

आप जानते हैं कि इस मिनिस्ट्री का संचालन करने वाले श्री नन्दा जी स्वयम् एक ट्रेड यूनियनिस्ट हैं और इस नाते वे मज़दूरों के दिल और दिमाग से उन की ज़रूरतों को काफी अच्छी तरह से जानते हैं । इस के लिये मैं ही नहीं परन्तु अपोजीशन के कुछ सदस्य भी ऐसे पाये जाते हैं कि हालांकि वे उन को स्टैलिन और हिटलर की संज्ञा देते हैं फिर भी वे ट्रेड यूनियनिस्ट होने के नाते उन को बधाई देते हैं और उनसे अपेक्षा करते हैं कि वे जो उन का दृष्टिकोण है उस के अनुसार कार्य करें । वैसे तो जिस दृष्टिकोण से लेबर मिनिस्टर साहब कार्य करते हैं और इस मिनिस्टरी का संचालन करते हैं वह दृष्टिकोण जो अपोजीशन के सदस्य हैं उन के दृष्टिकोण से अत्यन्त भिन्न है और जब यह दोनों दृष्टिकोण अत्यन्त भिन्न हैं तब जो अपोजीशन के सदस्य हैं उन के दृष्टिकोण से काम हो सकेगा ऐसा मुझे नहीं लगता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

यह जो मिनिस्ट्री है वह एम्प्लायमेंट का भी कुछ काम करती है और जो रिपोर्ट हमारे सामने पेश हुई है उस में हम को यह बताया गया है कि पिछले वर्ष में ३४ अधिक एम्पप्लायमेंट एक्सचेंजेज का निर्माण किया गया जिस का परिणाम यह हुआ कि २१ परसेंट लाइव रजिस्टर पर जो एम्प्लायमेंट सीकर्स थे उनकी संख्या अधिक हो गई है। परन्तु २१ परसेंट लाइव रजिस्टर पर उन की संख्या अधिक होने के बावजूद भी जब हम देखते हैं कि ३४ एम्प्लायमेंट एक्सचेंजेज खुलने के बाद लोगों को कितनी नौकरियां मिलीं तो पता चलता है कि सन् १९५६ में १ लाख ८९ हज़ार ८५५ प्लेसमेंट्स हुये हैं सन् १९५७ में १ लाख ९२ हज़ार ८३१ प्लेसमेंट्स हुयें हैं। इस का मतलब यह है कि ३४ नये एम्प्लायमेंट एक्सचेंजेज के खुल जाने के बाद लगभग केवल ३००० लोगों को ही एक साल में नौकरियां मिल सकी हैं। इन ३४ एम्प्लायमेंट एक्सचेंजेज के खुलने के बाद इस देश में बेकार लोग कितने हैं इन के खुलने से उन का फायदा कितना हुआ है ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह ३००० लोग ३४ एम्प्लायमेंट एक्सचेंजेज में ही रक्खे गये होंगे।

श्री बालकृष्ण वासनिक : इस ढंग से यदि काम हो तो वह अनएम्प्लायमेंट के सवाल को हल करने के लिये कोई हितकारी काम होगा ऐसा मुझे नहीं लगता है।

यहां पर शेड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों को एम्प्लायमेंट देने के सम्बन्ध में जो कार्य किया गया है उसके बारे में भी मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। आप जानते हैं कि पिछले वर्ष यद्यपि लाइव रजिस्टर पर शेड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों की संख्या ७३ हजार, ९१५ थी, उनका प्लेसमेंट २८ हजार और ८७ हुआ। परन्तु इस वर्ष यानी सन् १९५७ में यद्यपि उनकी संख्या लाइव रजिस्टर पर ९२ हजार ९३२ थी, फिर भी उनका प्लेसमेंट सन् १९५६ की अपेक्षा सन् १९५७ में कुछ कम हो गया। वह २७ हजार ३७२ हो गया है। इसका मतलब यह नहीं है कि जो प्लेसमेंट सन् १९५७ में हुआ वह सन् १९५६ की अपेक्षा ज्यादा कम हो गया है, ऐसी कोई बात नहीं है, फिर भी शेड्यूल्ड कास्ट्स की ही ऐसी कटेगरी दिखती है कि जिनके सम्बन्ध में प्लेसमेंट पिछले वर्ष की अपेक्षा कुछ कम हो गया है। जहां तक मुझे लगता है, जो परसेन्टेज शेड्यूल्ड कास्ट्स को एम्प्लायमेंट देने के सम्बन्ध में माना जाता है उसको पूरा कर देने की कोशिश हुई तो ऐसी गलतियां नहीं हो सकती हैं।

तीसरी बात मुझे एम्प्लायमेंट एक्सचेंजेज के सम्बन्ध में कहनी है और वह यह है कि जो जाब ओपेनिंग्स एम्प्लायमेंट सीकर्स के लिये थ्रू एक्सचेंज अवेलेबल हुई हैं उनको यदि आप देखेंगे और जो पलेसमेंट हुये हैं उन की संख्याओं को देखेंगे तो तो उन दोनों में आपको काफी अन्तर दिखाई देगा। सन् १९५६ में अगर जाब ओपेनिंग्स थ्रू एक्सचेंज २ लाख ९६ हजार, ६१८ हुई थीं तो प्लेसमेंट्स १ लाख ८९ हजार, ८५५ ही हुए थे। आप देखेंगे कि सन् १९५७ में जाब ओपेनिंग्स २ लाख ९७ हजार, १८८ हुई थीं और प्लेसमेंट्स १ लाख ९२ हजार ८३१ हुए थे।

इसका मतलब यह हुआ कि एक तिहाई जगहें एम्प्लायमेंट एक्सचेंजज के द्वारा भरी नहीं जाती हैं यद्यपि वह जाबस् एम्प्लायमेंट एक्सचेंजेज के द्वारा रजिस्टर की जाती हैं और उन जाब्स के लिये वर्कर्स एम्प्लायमेंट एक्सचेंजेज के द्वारा मांगे जाते हैं। तो इस बात की भी कोशिश करनी चाहिये कि जितनी नौकरियां एम्प्लायमेंट एक्सचेंजेज में रजिस्टर होती हैं उतनी सब नौकरियां लोगों को मिलें। यदि ऐसा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को नौकरी दिलवाने वाले दफ्तर नौकरियां दिलवा सकते हैं ऐसा मेरा विश्वास है।

दूसरी बात मुझे बीड़ी मजदूरों के वेतन में जो डिसपैरिटी है उसके सम्बन्ध में कहनी है। २७ फरवरी, सन् १९५७ को मैंने और हमारे जो डिप्टी मिनिस्टर साहब श्री हजारनवीस साहब हैं उन्होंने लेबर मिनिस्टर साहब से मुलाकात की थी और उस मुलाकात में हमने कहा था

[श्री बालकृष्ण वासनिक]

कि अलग अलग राज्यों में बीड़ी उद्योग में मिनिमम वेजज़ में काफी डिसपैरिटी है। इसके कारण यह होता है कि जहां पर ज्यादा वेजेज होती हैं वहां से बीड़ी का उद्योग बन्द हो कर दूसरी वेतन वाली जगहों में चला जाता है और वहां पर कारखाने खुलते हैं, और इस प्रकार से बम्बई राज्य के भंडारा जिले के बहुत से कारखाने बन्द हो गये और धीरे धीरे दूसरे राज्यों में नये नये कारखाने खुल रहे हैं। मुझे विश्वसास है कि श्रम मंत्रालय को इसकी जानकारी है, और इसके लिये श्रम मंत्री जी ने हमें यह आश्वासन दिया था कि गत मार्च महीने में सम्बन्धित राज्यों की एक सभा बुलायी जायेगी और यह जो अलग अलग राज्यों में वेतन में असमानता है इसको दूर करने के बारे में विचार किया जायेगा। किन्तु मुझे ऐसा लगता है कि पिछले महीने में यह सभा नहीं हुई क्योंकि डिप्टी ला मिनिस्टर साहब को जो कि उसमें बुलाये जाने वाले हैं थे नहीं बुलाया गया। इसलिये मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि इस सभा को जल्द बुलायें। आजकल यह हो रहा है कि एक जगह उद्योग बन्द हो जाता है तो मजदूर बेकार हो जाते हैं और वह उद्योग दूसरी जगह चला जाता है। मैं चाहता हूं कि सम्बन्धित राज्यों की सभा जल्दी से बुलायी जाये जो कि इस सवाल को हल करे और बीड़ी उद्योग के लिये राष्ट्रीय मिनिमम वेजेज़ निश्चित की जायें।

†**श्री पलनि याण्डी** (पेरम्बलूर): उपाध्यक्ष महोदय, श्रम मंत्रालय ने जो कुछ भी प्रगति की हैं उसके लिये हमारे श्रम मंत्री तथा श्रम उपमंत्री बधाई के पात्र हैं। साम्यवादी दल के कुछ माननीय सदस्यों ने माननीय मंत्री व उपमंत्री की कुछ आलोचना की है। पर यदि वे त्रिचूर मिल की घटना को देखें तो उन्हें मालूम हो जायेगा कि वे स्वयं किस प्रकार के काम कर रहे हैं। इन्टक के साथ पक्षपात करने की बात का आरोप निराधार है।

वस्त्र, चीनी और सीमेण्ट उद्योग के लिये मजूरी बोर्ड स्थापित किये गये हैं यह बड़ी प्रसन्नता की बात है पर ध्यान रहे कि इन मजूरी बोर्डों के पंचाटों व निर्णयों का हाल श्रमजीवी पत्रकार मजूरी बोर्ड के निर्णय का सा न होने पावे। इसके लिये सरकार को कुछ न कुछ उपाय अवश्य करना चाहिये ताकि नियोजक इन पंचाटों को अच्छी तरह लागू करें। कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम के उपबन्धों का संशोधन किया जाना चाहिये। न्यूनतम मजूरी अधिनियम जिप्सम उद्योग पर भी लागू किया जाना चाहिय।

सीमेण्ट उद्योग की त्रिदलीय समिति के सम्बन्ध में हमारी शिकायत है। राज्य सरकारों ने त्रिदलीय समितियां बनाई थीं उनके प्रतिवेदन केन्द्रीय त्रिदलीय समिति के पास भेज दिये गये थे पर इस केन्द्रीय समिति ने अभी तक अपना प्रतिवेदन नहीं दिया है। सरकार को चाहिये कि इस सम्बन्ध में जल्दी प्रतिवेदन की मांग करे।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना में प्रत्येक वेतन कार्यालय में लगभग २०,००० बीमाधारियों को आवंटित किया गया है। वहां क्लर्कों की संख्या ५ है। ५ क्लर्क इतना काम संभाल नहीं पाते अतः अनावश्यक विलम्ब होता है। मद्रास राज्य में अभी श्रम मंत्री ने नियोजकों व कर्मचारियों के प्रतिनिधियों तथा राज्य बीमा के पदाधिकारियों का एक सम्मेलन बुलाया था। इस सम्मेलन ने मांग की कि प्रत्येक वेतन कार्यालय को केवल १०,००० बीमाधारी आवंटित किये जायें। आशा है कि सरकार इस मांग को स्वीकार कर लेगी क्योंकि इससे काम अच्छा होगा और समय भी बरबाद नहीं होगा। सरकार के सामने एक समस्या है कि इस बीमा योजना को पहले सब कर्मचारियों तक पहुंचाया जाये तो पहले, जो इस योजना में है, उनके परिवार वालों को इसमें

†मल अंग्रेजी में

सम्मिलित किया जाये। मेरा तो विचार है कि पहले यह योजना सभी कर्मचारियों तक पहुंचायी जानी चाहिये या फिर राज्य सरकारों की इच्छा पर छोड़ दिया जाना चाहिये।

गैर-सरकारी भविष्य निधि योजना में कर्मचारी विवाह व मकान बनवाने जैसे कामों के लिये निधि में से ऋण भी ले सकता था पर राज्य भविष्य निधि योजना के अधीन नियमों की कड़ाई के कारण उसे इन कामों के लिये ऋण नहीं मिलता। विशेषतया मकानों की समस्या को ध्यान में रखते हुये ऋण की व्यवस्था होना बहुत आवश्यक है।

सरकारी सहायता प्राप्त आवास योजना के सम्बन्ध में कोई प्रगति नहीं हो रही है क्योंकि व्यवस्था यह है कि ३५ प्रतिशत नियोजक देंगे और २५ प्रतिशत सरकार देगी और ५० प्रतिशत सरकारी ऋण होगा। पर नियोजक २५ प्रतिशत नहीं दे पाते। अतः इसमें संशोधन करके यह व्यवस्था होनी चाहिये कि सरकार ३० प्रतिशत सहायता व ६० प्रतिशत ऋण दे। इस प्रकार इस प्रयोजन के लिये आवंटित धन का उपयोग होगा और अधिक मकान बन पायेंगे।

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन** (मुकन्दपुरम्) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि १५वें भारतीय श्रम सम्मेलन में मजदूर, प्रबन्ध तथा सरकार के बीच कुछ मूलभूत सिद्धान्तों के सम्बन्ध में समझौता हुआ था। पर अभी तक उनको कार्यान्वित नहीं किया गया। मैं पूछता हूं कि इसका क्या कारण है? आज मजदूर असन्तुष्ट क्यों हैं? यदि सरकार द्वारा निर्धारित नीति को कार्यान्वित करने में कोई बाधा आती है तो उसे अवश्य दूर किया जाना चाहिये चाहे कानून की शरण क्यों न लेना पड़े। औद्योगिक पंचाटों के सम्बन्ध में न्यायनिर्णय की व्यवस्था में बहुत अजीब सी स्थिति है। मामले सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचाये जाते हैं। यद्यपि म सर्वोच्च न्यायालय की आलोचना नहीं करता पर इतना मैं अवश्य कहूंगा कि पंचाट सम्बन्धी मामलों पर सर्वोच्च न्यायालय को निर्णय नहीं देना चाहिय। मजूरी बोर्ड तथा औद्योगिक न्यायाधिकरण द्वारा दिये गये पंचाट के बारे में सर्वोच्च न्यायालय को यह नहीं कहना चाहिय कि लाभांश इतना दिया जाये या इतना न दिया जाये। अतः इन पंचाटों पर न्यायालय का निर्णय नीति की कार्यान्विति में बाधक है।

श्रमजीवी पत्रकार मजूरी बोर्ड के पंचाट पर उच्चतम न्यायालय ने जो निर्णय दिया है उससे सभी लोगों को चिन्ता हो रही है। अतः कर्मचारियों की रक्षा के लिये औद्योगिक न्यायाधिकरणों का मार्ग प्रशस्त करने के लिये सरकार को इस सम्बन्ध में कार्यवाही करनी चाहिये। यदि संविधान मे संशोधन करन की आवश्यकता हो तो अवश्य परिवर्तन किया जाये।

१५वें भारतीय श्रम सम्मेलन में उपसमिति नियुक्त की गई थी। उसकी सहायता से नियोजकों एवं सरकार के बीच मजदूरों की अनुशासन संहिता के बारे में कुछ समझौता हुआ था। पर आज जब हम उस अनुशासन संहिता को कार्यान्वित करना चाहते हैं तो सरकार क्यों पीछे हट रही है। क्या सरकार कह सकती है कि वह अपने कर्त्तव्य पर निर्भर कर रही है? इस सम्बन्ध में मैं कोचीन पत्तन के सरकारी क्षेत्र का उदाहरण दूंगा। वह इस सम्बन्ध में सरकार की ओर से बड़ी धाधागर्दी की गई है। कम से कम मजदूरों का हक तो उन्हें मिलना ही चाहिये।

कुछ उद्योगों के लिये मजूरी बोर्ड नियुक्त कर दिये गये हैं। मैं पेट्रोलियम उद्योग की बात लेता हूं। स उद्योग के मजदूरों को कई न्यायाधिकरणों के पास अपने मामले भेजने पड़े। तीन-चार मामले उच्चतम न्यायालय में भी पड़े हुये हैं। इस प्रकार मजदूरों का बहुत सा समय और धन बरबाद हो रहा है। जब औद्योगिक विवाद अधिनियम में न्यायाधिकरणों की तिहरी

†मूल अंग्रेजी में

[श्री नारायणन् कुट्टि मेनन]

व्यवस्था है तो मैं माननीय श्रम मंत्री से निवेदन करूंगा कि वे ऐसी व्यवस्था करें कि मामले उच्चतम न्यायालय में न जायें और राष्ट्रीय न्यायाधिकरण ही मजदूरों के मामले में निर्णय करे।

अन्त में, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि श्रमिकों के सहयोग के बिना हमारी योजनायें कदापि सफल नहीं हो सकतीं। अतः हमें मजदूरों को सन्तुष्ट करने का भरसक प्रयत्न करना चाहिये।

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : इस वादविवाद में श्रम मंत्रालय के कार्य संचालन के सम्बन्ध में बहुत कम कहा गया है। अधिकांश आलोचनायें राज्य के कार्यक्षेत्र सम्बन्धी बातों के बारे में की गयीं। कल संशोधित धारा ३३ के बारे में कहा गया कि इस धारा का संशोधन हमने इसलिये किया कि हम पर नियोजकों का जोर पड़ा था। संशोधन होने के पहले हमारे पास मजदूरों की बहुत सी शिकायतें आती थीं पर संशोधन के बाद हमें संघों से कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुई हैं क्योंकि इससे मजदूरों को लाभ हुआ है। कार्मिक संघ क्षेत्र से सम्बन्ध माननीय सदस्य यदि संशोधन से पूर्व व संशोधन के बाद की स्थिति की तुलना करेंग तो उन्हे पता लगेगा कि मजदूरों को काफी लाभ हुआ है।

यह शिकायत यह भी की गई कि पंचाटों तथा अन्य सम्बन्धित बातों को लागू न करने के अपराध में हमने किसी भी नियोजन पर मुकदमा नहीं चलाया। पर बात एसी नहीं है। अनेक नियोजकों पर मुकदमे चलाये गये हैं। प्रश्न काल में, इस सम्बन्ध में, मैं समय समय पर आंकड़े देता रहा हूं।

एक माननीय सदस्य ने शिकायत की कि हम इन्टक का पक्षपात करते हैं और हमने पिछले श्रम सम्मेलन में उसे प्रतिनिधित्व दिया था। उन्होंने रेलवे का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि रेलवे संघों को इसमें प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। श्रम क्षेत्र में काम करने वाले अन्य तीन कार्मिक संघों की सदस्य संख्या की तुलना में इन्टक की सदस्य संख्या मंत्रालय के औद्योगिक संबन्ध के अनुसार १९५५ में ९,३०,००० थी। यह सदस्य संख्या १९५६ में ९,७१,००० और १९५७ में ९,३४,००० थी। अन्य तीनों संघों की कुल सदस्य संख्या १९५५ में ७,४४,००० और १९५६ में ७,८५,००० थी।

हिन्द मजदूर सभा से सम्बद्ध माननीय सदस्य नें सीमेण्ट मजूरी बोर्ड की नियुक्ति का उल्लेख करते हुय शिकायत की कि इस बोर्ड में उनकी सभा को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। पर यह कैसे संभव हो सकता था ? डालमियानगर में उनकी सभा के कुछ सदस्य हैं पर यह बोर्ड तो अखिल भारतीय है। सीमेण्ट उद्योग में कितने मजदूर काम करते हैं उसमें से केवल २,००० ही हिन्द मजदूर सभा के सदस्य हैं। इतनी कम सदस्य संख्या वाले किसी संगठन को मजूरी बोर्ड में कैसे प्रतिनिधित्व दिया जा सकता था जब कि मजदूरों के केवल दो प्रतिनिधि लेने थे।

रूरकेला संयंत्र के बारे में माननीय सदस्य ने एक व्यक्ति की गिरफ्तारी का उल्लेख किया। यह गिरफ्तारी कार्मिक संघ सम्बन्धी गतिविधियों के परिणामस्वरूप नहीं हुई थी। यदि कोई भी व्यक्ति कानून भंग करता है और एसी स्थिति उत्पन्न करता है जो उसे नहीं करना चाहिये था— तो राज्य सरकारों के न होते हुय भी— और संयंत्र के लगाने व उसके निर्माण में बाधा डालता

†मूल अंग्रेजी में

है—तो उड़ीसा सरकार को कार्यवाही करनी ही थी । उन्हें इसकी शिकायत नहीं करनी चाहिये । उन्होंने कहा कि स्त्रियों के साथ बुरा बर्ताव किया गया । मैं स्वयं रूरकेला में उपस्थित था और वहां किसी ने भी ऐसी कोई शिकायत नहीं की । अतः यहां लोक सभा में यह कहना कि वहां स्त्रियों के साथ अनुचित व्यवहार किया गया सर्वथा अनुचित है ।

काम दिलाऊ दफ्तरों के बारे में मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि ये दफ्तर न तो किसी को नौकरी दिलाते हैं न नौकरियां बनाते हैं । जब काम दिलाऊ दफ्तर में कोई मांग आती है तो दफ्तर समुचित सूची भेज देता है । अनुसूचित जातियों के उम्मेदवारों को अधिक नौकरियां दिलाने के लिये ये दफ्तर क्या कर सकते हैं ? वैसे आंकड़े काफी संतोषजनक हैं । अन्य लोगों को १० या १२ प्रतिशत नौकरियां मिली हैं पर अनुसूचित जातियों के उम्मेदवारों को ३३ प्रतिशत नौकरियां मिली हैं । फिर भी शिकायत है कि यह न्याय नहीं है ।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मेदवारों की बेरोजगारी के लिये श्रम मंत्रालय जिम्मेदार नहीं है । यदि किसी विशेष मामले में शिकायत हो कि अनुसूचित जातियां अनुसूचित आदिम जाति के उम्मेदवारों के उपलब्ध होने पर भी उन का नाम न भेजा जाता हो या अन्य कोई पक्षपात का मामला हो तो मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाता हूं कि हम तुरन्त कार्यवाही करेंगे कि ऐसी कोई बात न होने पावे । पर शिकायत की कोई गुंजाइश ही नहीं है क्योंकि हम साफ देख रहे हैं कि अनुसूचित जातियों को ३३ प्रतिशत नौकरियां मिली हैं ।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम के सम्बन्ध में माननीय सदस्य को सराहना करनी चाहिये कि निगम के कार्यालय प्रतिदिन ३५,००० व्यक्तियों की देखभाल करते हैं । इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता, कुछ शिकायतें इधर-उधर हो सकती हैं। जब कभी हम दौरे पर जाते हैं तो हम रोगियों से मिलते हैं और पदाधिकारियों से अलग उनसे मिलकर उन से पूछते हैं कि उनको क्या शिकायतें हैं । हम स्थिति को अच्छी तरह जानते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे पदाधिकारी अधिक इमानदारी, अधिक परिश्रम तथा अधिक अच्छी तरह काम करें। मेरा निवेदन है कि यदि माननीय सदस्य के सामने कोई ऐसा मामला आये जिस पर ध्यान देना आवश्यक हो तो वह उस मामले को हमारे पास लायें हम अवश्य उसे ठीक करेंगे ।

निःसंदेह काफी राशि जमा हो गयी है और अस्पताल बनवाने के लिये योजनायें बनाई जा रही हैं । अस्पताल के भवन बनवाये जायेंगे और बहुत बहुमूल्य औजार व यंत्र खरीदे जा रहे हैं । देश के विभिन्न भागों में इस समय हमारे पास ११०० शैय्यायें हैं । पर हम अलग अपने अस्पताल बनवाना चाहते हैं । यह बात सच है कि मद्रास में अस्पताल भवन की दशा संतोषजनक नहीं है । मैं जानता हूं कि भवन खराब है पर भवन खराब होने का मतलब यह तो नहीं है कि अस्पताल तुरन्त बन्द कर दिया जाये । अस्पताल के लिये दूसरा स्थान छांट लिया गया है । भवन बनाया जायेगा और मशीनें व यंत्र खरीदे जायेंगे । जब नये भवन की पूरी तैयारी हो जायेगी तो अस्पताल नये भवन में कर दिया जायेगा । इस बीच ये कर्मचारी मरीजों की अधिकाधिक सेवा करने का प्रयत्न कर रहे हैं ।

राशि काफी इकट्ठा हो गयी है पर हम अभी अंशदान कम करने का खतरा नहीं उठा सकते । नया अस्पताल बनने पर और परिवारों को इस योजना के अन्तर्गत लाने पर आगे के वर्षों में आवर्तक व्यय बढ़ जायेगा तो शायद अंशदान बढ़ाना भी पड़े । कर्मचारियों को कोई शिकायत नहीं करनी चाहिये क्योंकि उनसे जो पैसा लिया जायेगा उसे उनके लाभ के लिये ही व्यय किया जायेगा । यह अन्य किसी काम पर व्यय नहीं किया जायेगा । अतः अंशदान कम करने की मांग का कोई औचित्य नहीं है । यह सारी राशि समुचित ढंग से ही व्यय की जा रही है और व्यय की जायेगी ।

[श्री आबिद अली]

कर्मचारी क्षतिपूर्ण अधिनियम के सम्बन्ध में मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देता हू कि सरकार शीघ्र ही इस अधिनियम का संशोधन करना चाहती है। भविष्य निधि के सम्बन्ध में मैं बताना चाहता हूं कि मजदूरों को दिया जाने वाला भत्ता भी हम उनके भविष्य निधि के लिये सम्मिलित करना चाहते हैं ।

कोयला खानों की दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में मैं बताना चाहता हूं कि १९५७ में सबसे कम दुर्घटनायें हुईं। दुर्घटनायें तो होती ही रहेंगी पर हम प्रयत्न कर रहे हैं कि दुर्घटनायें कम हों और भीषण भी न हों। दुर्घटनायें तो बन्द तभी हो सकती हैं जब खानों को ही बन्द कर दिया जाये अतः कोशिश यह की जा रही है कि दुर्घटनायें कम हों ।

भविष्य निधि में जो कर्मचारियों को ऋण लेने की धारणा को निरुत्साहित करने का प्रयत्न किया जा रहा है। मेरा विचार है कि भविष्य निधि कर्मचारियों के बुढ़ापे के लिये होना चाहिये। विवाह तथा मकान बनाने के लिये ऋण दिये जा सकते हैं पर बहुत सीमित रूप में। अन्यथा सेवा से निवृत होने पर इनको कुछ भी नहीं मिलेगा उनकी भविष्य निधि की राशि ऋण के भुगतान में ही समाप्त हो जायेगी ।

मकानों के संबंध में माननीय सदस्यों को विदित है कि ९८,००० मकानों की स्वीकृति दी गयी थी और ७१,००० मकान बन गये हैं । हम सहकारी समितियों को बढ़ावा देना चाहते हैं अतः उन्हीं के द्वारा मकान बनवाना चाहते हैं । जो माननीय सदस्य कार्मिक संघों में काम करते हैं वे चाहें तो कर्मचारियों को प्रोत्साहित करके उनकी सहकरी समितियां बनवा दें जो कि मकान बनवाने का काम अपने हाथ में ले लें ।

मेरे मित्र डा० राम सुभग सिंह ने कहा कि बागानों में एक भी मकान नहीं बना है पर आंकड़े बताते हैं कि १,४८,००० मकान बनाये जा चुके हैं । बागान श्रम अधिनियम के अनुसार ८ प्रतिशत मकान प्रति वर्ष बनाये जायेंगे । इस अधिनियम का संचालन राज्य सरकारें करती हैं अतः हम यह सुझाव राज्य सरकारों के पास भेज देंगे ।

कारखाना निदेशालय के अधीन डाक्टरों के संबंध में, मैं बताना चाहता हूं कि इस समय १९८ निरीक्षक हैं जिनमें ८ चिकित्सक निरीक्षक भी हैं जब कि १९५४ में इनकी संख्या १६८ थी जिनमें १ चिकित्सक निरीक्षक था । निरीक्षकों की भी संख्या बढ़ रही है आगे निरीक्षक को अधिक प्रभावी बनाया जायेगा ।

कल श्री प्रभात कार ने जो शिकायत की थी उसके संबंध में मैं बताना चाहता हूं कि श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण ने बताया है कि न्यायाधिकरण को नियोजकों से सभी अभिलेख मंगवाने का अधिकार है और बैंकिंग समवाय अधिनियम कर्मचारियों को लाभांश के भुगतान पर कोई रोक नहीं लगाता । इस संबंध में बैंकों ने उच्चतम न्यायालय में अपील की है और मामला उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है । अतः लाभांश के भुगतान के संबंध से आगे कुछ कार्यवाही करना संभव नहीं है । उच्चतम न्यायालय का निर्णय हो जाने के बाद उस निर्णय के अनुसार अग्रेतर कार्यवाही करना संभव हो सकेगा ।

†**श्री प्रभात कार :** (हुगली) : लेकिन इस बीच बैंकिंग समवाय अधिनियम को संशोधित किया जा रहा है । यदि उसका संशोधन कर दिया जायेगा तो उच्चतम न्यायालय को इस मामले का निर्णय करने का अधिकार नहीं रह जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री आबिद अली** : उच्चतम न्यायालय के समक्ष जो भी मामला रखा जायेगा उस पर उसे निर्णय करने का पूरा अधिकार है । हम ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहते हैं जो उच्चतम न्यायालय के निर्णय के कारण गलत ठहराया जाये ।

यह शिकायत की गई कि उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में बहुत मामले भेजे जाते हैं । संभवतया आंकड़ों से माननीय सदस्यों के संदेह दूर हो जायें । यह सच है कि उच्चचतम न्यायालय के समक्ष कुछ बड़े महत्वपूर्ण मामले थे और इन मामलों का बड़ा प्रचार हुआ । यह विचार कि उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में बहुत मामले भेजे जाते हैं ठीक नहीं है । १९५६ में १७,६०० समझौते कराये गये थे और केवल १७ मामले ही उच्चतम न्यायालय तक गये थे । गत वर्ष उच्चतम न्यायालय तक गये मामले कम हो गये थे । केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त न्यायाधिकरणों के बारे में १९५६ में ३ मामले दायर किये गये और १९५७ में कोई भी नहीं । राज्यों के न्यायाधिकरनों के निर्णयों के विरुद्ध कुछ मामले दायर किये गये थे परन्तु १९५७ में केन्द्रीय न्यायाधिकरणों के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में कोई अपील नहीं की गयी ।

कुछ माननीय सदस्यों ने मुझे भारतीय राष्ट्रीय कार्मिक संघ कांग्रेस का पक्षपाती बताया और कहा कि मैं इस संघ की ओर बहुत झुका हुआ हूं । मुझे इस संघ पर गर्व है और मैं इससे प्रेम करता हूं क्यों कि यह संघ मजदूरों का है और मजदूर इससे प्रेम करते हैं । इसने मजदूरों की भलाई के बहुत काम किए हैं । इसने कर्मचारियों को उनका भाग ही नहीं दिलाया है अपितु देश को शक्तिशाली भी बनाया है । समाजवाद निर्धनता से नहीं आ सकता है । और मजदूर जानते हैं कि देश गरीब है । मजदूर जानते हैं कि क्या निर्णय किया गया है और क्या तय किया गया है । यह तथ्य है कि हम समाजवाद स्थापित करेंगे और देश में जो संपन्नता आयेगी उसमें से उनका भाग उन्हें अवश्य मिलेगा ।

माननीय सदस्यों ने कहा कि यदि ऐसा किया गया तो हम ऐसा करेंगे और यदि हम सफल होना चाहते हैं तो हमें यह करना चाहिए । मैं एक उदाहरण देता हूं कि क्या मेरा हाथ कभी ऐसी शर्त लग लगा सकता है कि जब तक मैं खाऊंगा नहीं खाना नहीं पकाऊंगा । हाथ ही खाना पकाते हैं परन्तु वह पेट में मुंह के जरिये जाता है तब ही हाथों को शक्ति मिलती है मजदूर जानते हैं कि आंख हाथ पांव सिर आदि को मिल कर ही काम करना है तथा तभी शरीर को शक्ति मिलेगी । मजदूर इन सब बातों को खूब समझते हैं । यदि कोई किसी भी तरीके में से उनमें गड़बड़ी फैलाने का प्रयत्न करें वह जानते हैं कि वह भारतीय प्रथम हैं और उन्हें राष्ट्र को शक्तिशाली बनाना है । इसी आश्वासन पर उनको अपना भाग अवश्य मिलेगा वह बिना किसी शर्त के काम कर रहे हैं । वे यह नहीं कह सकते कि यदि ऐसा नहीं किया गया तो हम अमुक काम नहीं कर सकते । वे मजदूरों को गलत रास्ते पर चलाने का प्रयत्न कर सकते हैं । परन्तु मजदूर कभी भी उनके चंगुल में नहीं फंस सकते हैं । उन्हें विश्वास हो गया है कि मेरे माननीय मित्रों की नीति से उन्हें कोई लाभ नहीं हो सकता है । जहां तक भारतीय मजदूरों का सम्बन्ध है वह जानते हैं कि उनके कौन कौन मित्र हैं । उनको अब उकसाया नहीं जा सकता है ।

परन्तु भारतीय राष्ट्रीय कार्मिक संघ कांग्रेस से सम्बद्ध होते हुए मेरे लिये यह असम्भव है कि किसी अन्य संगठन से सम्बद्ध होने के कारण किसी के साथ अन्याय करेंगे । मैं यह कभी भी नहीं देख

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री आबिद अली]

सकता कि अन्य किसी संघ के मजदूरों के साथ अन्याय किया जाये क्योंकि मैं भी तो एक मजदूर ही हूं। इसलिये हमारी यह नीति है कि जो कुछ उचित हो वह किया जाये और इस बात का विचार न किया जाये कि अमुक व्यक्ति अमुक संघ का है या किसी और का।

मैं उन माननीय सदस्यों को बता दूं कि उनकी इन बातों से मैं अपने रास्ते से अलग नहीं हो सकता; उनके यह सब प्रयत्न व्यर्थ हैं। वे समझते हैं कि वे ठीक रास्ते पर हैं तो मैं उनसे झगड़ा नहीं करता; और जब मैं समझता हूं कि मैं ठीक रास्ते पर हूं तो उन्हें भी झगड़ा नहीं करना चाहिये। हमारे रास्ते अलग हैं, हमारे उद्देश्य अलग हैं और हमारे साधन अलग हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि जो नीति हमने स्वीकार की है वह अच्छी है क्योंकि यहां सभा में ही उसका स्वागत नहीं किया गया है अपितु देश के मज़दूरों और अन्य लोगों ने भी उसका स्वागत किया है। मैं समझता हूं कि इस नीति के द्वारा हम मज़दूरों को प्रोत्साहित कर सकते हैं तथा अपने उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं। हमारा स्वतन्त्रता प्राप्ति का उद्देश्य यह नहीं था कि लार्ड माउन्टबेटन को यहां से हटा दें और राजेन्द्र बाबू को उनके स्थान पर बिठा दें अपितु जो हमारा उद्देश्य था उसको हमें पूरा करना है। मुझे विश्वास है कि विरोधी दल के माननीय सदस्य इस चीज़ को समझते हैं; मुझे आशा है कि हम अपने प्रयत्नों में अवश्य सफल होंगे।

श्री रा० क० वर्मा : (निमाड़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय मैं लेबर मिनिस्ट्री को धन्यवाद देने के बजाय अपने भारतीय श्रमिकों को सब से पहले मुबारकबाद देता हूं कि हिन्दुस्तान के आजाद हो जाने के बाद उन्होंने कितनी ईमानदारी और मेहनत से अपने लिये ही नहीं बल्कि देश के लिये काम किया है। हम हिन्दुस्तान के आजाद होने के बाद से यदि हड़तालों की संख्या को देखें, अपने उत्पादन को देखें, अपनी प्रोडक्टिविटी को देखें तो आसानी से पता लग सकता है कि भारतीय श्रमिकों ने हिन्दुस्तान के आर्थिक पुनर्निर्माण में भारी योग दिया है। जहां तक गवर्नमेंट का सवाल है मैं ज्यादा तारीफ नहीं करना चाहता हूं क्योंकि मैं भी उसी पार्टी का एक सदस्य हूं। लेकिन एक ईमानदार मजदूर कार्यकर्त्ता होने के कारण और देश तथा विदेशों के मज़दूर आन्दोलन का जो अध्ययन किया है उसके आधार पर इतना कह सकता हूं कि इस गवर्नमेंट ने पिछले दस वर्षों में जितना मजदूरों के लिये किया है उतना किसी गवर्नमेंट यहां तक कि रूस ने भी इतने थोड़े दिनों में नहीं किया।

अगर हम पढ़े हैं तो इतहास को देखें, अगर हमारे आंखें हैं तो हम सामने देखें, कान हैं तो उनसे सुनें लेकिन जो सचाई है उससे इंकार नहीं करना चाहिए। लेकिन दुःख की बात है कि हम हिन्दुस्तान में मजदूर कार्यकर्ताओं के बजाये राजनीतिज्ञ ज्यादा हैं और अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिये मजदूरों का और उनके संगठनों का दुरुपयोग करते हैं। अगर सही हालात देखने हैं तो यह आज हमारे सबके सामने है। मैं भी तीस सालों से मजदूरों में एक मजदूर कार्यकर्त्ता की हैसियत से काम कर रहा हूं और सौभाग्य से मुझे महात्मा गांधी के नेतृत्व में काम करने का मौका मिला है। अहमदाबाद में श्री नन्दा जी के नेतृत्व में मैं लगभग ११ या १२ साल काम किया और जब मुझे दूसरी जगह भेजा गया तो मैं वहां चला गया। मैं यह बताना चाहता हूं कि सन् १९२८ के पहले बम्बई के मजदूरों की पगार अहमदाबाद के मजदूरों की पगार से २० परसेंट ज्यादा थी और सन् १९३६ में हम देखते हैं कि अहमदाबाद के मजदूरों की पगार बम्बई के मजदूरों की पगार से ३० परसेंट ज्यादा हो गयी। तो यह किस आधार पर हुआ ? गाली गलौच या हड़ताल आन्दोलनों से नहीं गवर्नमेंट की कृपा या मेहरवानी से नहीं लेकिन यह सही मजदूर आन्दोलन के आधार पर हुआ। गांधी जी ने हमको यह रास्ता बतलाया था कि तुम राजनीतिज्ञ मत बनो बल्कि सच्चे मजदूर कार्यकर्त्ता बनो। यह ट्रेड यूनियन के लिए बड़ी भारी आवश्यक बात है और मुझे इसका अभिमान है कि हमें इसमें सफलता मिली। गवर्नमेंट की कृपा

से हम ट्रेड यूनियन नहीं चला सकते । अगर हम ट्रेड यूनियन चला सकते हैं तो सही उसूलों के आधार पर और सही नीति के आधार पर । हमें मजदूरों को ज्यादा से ज्यादा दिलाना है और मजदूरों से देश को ज्यादा से ज्यादा दिलाना है । सही ट्रेड यूनियन का यह आधार होना चाहिए । मैं मज़दूर आंदोलनों के बारे में कोई पार्लियामेंट को समझाने नहीं बैठा हूं लेकिन एक मज़दूर कार्यकर्त्ता की हैसियत से मैं अर्ज कर रहा हूं ।

जब १९४२ में गांधी जी के आदेश पर श्री नन्दा जी ने मुझे इन्दौर में भेजा । उस समय इन्दौर में ऐवरेज मिनमिम वेज १६ पये थी, बम्बई में ३४ पये और अहमदाबाद में ३८ पये । आज मैं यह कह सकता हूं कि इन्दौर के मजदूरों का वेतन मैं डियरनैस एलाउंस की बात नहीं करता वह अहमदाबाद और बम्बई से कम नहीं हैं बल्कि अहमदाबाद और बम्बई के बराबर है । तो यह गवर्नमेंट की कृपा से नहीं हुआ सही तरीके से ट्रेड यूनियन मूवमेंट चलाने से । हमने मजदूरों से देश का काम करने को कहा उन्होंने उत्पादन बढ़ाया और अपने अन्दर डिसिप्लिन रखा मारपीट या हड़ताल नहीं की । अगर यह कहा जाये कि यह काम सरकार की कृपा से होता है तो मैं निवेदन करता हूं कि केरल में आप देखें कि वहां क्या हो रहा है । केरल में आज १२ महीने से कम्युनिस्ट सरकार है । इससे पहले वहां पर प्रजा सोशलिस्ट सरकार रही है। वहां पर आप देखें कि टैक्सटाइल मजदूरों की दशा क्या है । यह चीज़ मैं आपके सामने रखना चाहता हूं और जो बढ़ बढ़ कर बातें करते हैं उन्हें बताना चाहता हूं कि उनके राज्य में जो टैक्सटाइल मजदूर हैं उनको क्या वेतन मिलता है । मैं थोड़े में निवेदन करना चाहता हूं । मैं इन्दौर के और केरल त्रिचूर के टैक्सटाइल मजदूरों के वेतन की तुलना करके आपको बतलाना चाहता हूं । त्रिचूर में सीताराम स्पिनिंग एंड वीविंग मिल में वेलब्रेकर को २५ रुपया मिलता है जब कि इन्दौर में ४३ रुपया मिलता है मिविसंग स्प्रेडर को त्रिचूर में २१ पया मिलता है पर इन्दौर में ३८ पया मिलता है सक्चर व दिनिशचर स्कचर को त्रिचूर में २० रुपया मिलता है इन्दौर में ३४ पया मिलता है, कार्ड लेप केरियर को त्रिचूर में २० रुपया मिलता है इन्दौर में ४३ रुपया मिलता है केन मैन को त्रिचूर में २० रुपया मिलता है तो इन्दौर में ४० रुपया मिलता है ग्राइंडर को त्रिचूर में २५ रुपया मिलता है तो इन्दौर में ५० पया मिलता है । स्ट्रीयर को त्रिचूर में २४ रुपया मिलता है तो इन्दौर में ४९ रुपया मिलता है रिर्ग फेम डाफर को त्रिचूर में १४ रुपया मिलता है तो इन्दौर में ३० रुपया मिलता है ड्राइंग टेंटर को त्रिचूर में २५ पया मिलता है तो इन्दौर में ५३ रुपया मिलता है। स्लेविंग टेंटर को त्रिचूर में २६ रुपया मिलता है तो इन्दौर में ५३ रुपया मिलता है इंटर टेंटर को त्रिचूर में २४ रुपया मिलता है तो उसको इंदौर में ५३ रुपया मिलता है । इसी प्रकार अन्य कामी श्रीमान अगर में इस तरह से एक एक को बताने बैठूं तो उसके लिये काफी समय चाहिये । आज केरल में कम्युनिस्टों का राज्य है । वे वहां १२ महोने से राज्य कर रहे हैं । यहां पर वे कहते हैं कि यह सरकार ऐसा काम कर रही है और वैसा कर रही है किन्तु केरल में क्या लेकिन सही बात यह है कि सरकार कुछ करने वाली नहीं है । सरकार तभी करेगी जब हम अपना अच्छा संगठन बनायेंगे हम देश का हित सोचेंगे और मजदूरों का हित सोचेंगे । तब हमें गवर्नमेंट की सहानुभूति चाहिये और गवर्नमेंट के साथ साथ आम जनता है जो कि माल को खरीदती है उसकी भी सहानुभूति हमें चाहिये । तभी हमारा आन्दोलन आगे बढ़ सकता है । केवल अगर हम मजदूर की ही बात करे तो ठीक नहीं । यह जरूरी है कि इस हाउस के अन्दर गवर्नमेंट हमारे लिये कानून बनाये और गवर्नमेंट ने बहुत से कानून बनाये हैं । गवर्नमेंट ने इस प्रकार मजदूरों के लिये बहुत कुछ किया है । लेकिन इन कानूनों के अन्दर कुछ खामियां हैं जिनका नतीजा यह होता है कि सरकार जो मजदूरों को इन्साफ दिलाना चाहती है वह उन्हें नहीं मिल पाता बल्कि दूसरे पूंजीपति लोग उनसे नाजायज फायदा उठा लेते हैं । हमें यह बात हाउस के ध्यान में लानी चाहिये । हमारे विरोधी साथियों का भी यह काम है कि वे ऐसी बातें गवर्नमेंट के सामने लायें । लेकिन हम गवर्नमेंट की हिटलर और मसोलिनी

[श्री रा० क० वर्मा]

से तुलना करे यह कहां तक ठीक है। यह एक विचारणीय चीज़ है। ऐसा मालूम होता है कि उनको यह परवाह नहीं है कि मजदूरों के साथ इन्साफ हुआ या नहीं लेकिन वह तो मजदूरों का गवर्नमेंट से झगड़ा कराने के लिये तैयार हैं। हमको गांधी जी ने यह सिखाया था कि मजदूरों को यह सिखाओ कि अगर तुम उन्नति करना चाहते हो तो तुम्हें गवर्नमेंट और आम जनता दोनों को सहानुभूति प्राप्त करनी चाहिये लड़ने का काम मजदूरों का नहीं है। अगर उनकी उन्नति होनी है तो वह लड़ाई झगड़े से नहीं बल्कि समानता के आधार पर काम करने से होगी। ट्रेड यूनियन इस लिये काम कर सकते हैं कि उनमें बारगेनिंग कैपेसिटी होती है। अगर किसी ट्रेड यूनियन में बारगेनिंग कैपेसिटी नहीं है तो वह मजदूरों को इन्साफ नहीं दिलवा सकती। आज यह हो रहा है कि एक तरफ मिल मालिक को गाली दी जाती है और दूसरी तरफ गवर्नमेंट को। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा जो ट्रेड यूनियन ऐक्ट है उसमें बड़ी भारी खामी यह है कि कोई भी सात आदमी मिल कर दस्तखत करके रजिस्ट्रार को दे दें तो यूनियन रजिस्टर हो जायेगा और लोग बिना लाइसेंस के लीडर बन जायेंगे। आज हिन्दुस्तान में और सब कामों के लिये लाइसेंस लेना पड़ता है लेकिन लीडरी के लिये कोई लाइसेंस नहीं है। जिसने खड़े होकर सरकार को कुछ गालियां दे दीं वही लीडर हो गया। यह कोई नहीं देखता कि इस यूनियन के कितने मजदूर मेम्बर बनते हैं। हो यह रहा है कि अगर कोई आदमी रास्ते पर खड़ा हो जाता है और मजदूरों से कहता है कि हम तुमको बोनस दिलवायेंगे तुम दस्तखत कर दो। उस कागज को रजिस्ट्रार के पास ले जाते हैं और रजिस्ट्री हो जाती है। यह कोई नहीं देखता कि कागज पर किसके नाम लिखे हुए हैं। यह तरीका ठीक नहीं है।

दूसरी बात है एग्रीमेंट और सैटिलमेंट के बारे में। आजकल हो यह रहा है कि कोई भी श्रीमान चले जाते हैं कंसिलियेशन आफिसर के पास और एग्रीमेंट, सैटिलमेंट कर डालते हैं और मजदूरों का बड़ा नुकसान करा देते हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कंसिलियेटर को यह हिदायत होनी चाहिये कि वह ऐसा एग्रीमेंट सैटिलमेंट न कराये जिसमें मजदूरों का नुकसान होता हो। मैं आप से दिल्ली की बात कहना चाहता हूं। यहां पर चार कपड़ा मिलें हैं। गवर्नमेंट ने एक यह सिद्धान्त ठहराया है कि एक ही सेंटर में एक ही इंडस्ट्री में काम करने वालों को अलग अलग वेतन नहीं होना चाहिये उनका समान वेतन होना चाहिये क्योंकि एक ही इंडस्ट्री है, काम करने का प्रोसेस भी एक ही है। इस लिये जो वेतन एक आदमी को मिलता है वही वैसा काम करने वाले दूसरे आदमी को भी मिलना चाहिये। दिल्ली में चार कपड़ा मिलें हैं, बिड़ला मिल, स्वतंत्र भारत मिल, अयोध्या मिल और दिल्ली क्लाथ मिल। यहां पर मिनिमम वेज ३० रुपया है पर कम्युनिस्टों ने अयोध्या मिल से २८ रुपये का समझौता कर लिया और यह भी समझौता कर लिया कि बोनस की मांग नहीं करेंगे और डियरनेस एलाउंस दूसरी मिलों से सात रुपया कम मिलेगा। अभी हाल में एक समझौता बिड़ला मिल के अन्दर हो रहा था। उसी रोज मैं भी जा पहुंचा। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि हमारे जोशी साहब जो कि कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर हैं वह समझौता लिये खड़े थे जो कि कैंटीन वर्कस के बारे में था। यहां पर डियरनैस एलाउंस ५९ रुपया मिलता था और वेतन २६ रुपया। अब आप टोटल लगा लीजिये कि कितना होता है। लेकिन जोशी साहब कैंटीन वर्कर्स के लिये समझौता करते हैं जिस में लिखा है: "दिल्ली बिड़ला मिल्स के केनटीन वर्कर्स का समझौता।"

१. केनटीन में काम करने वाले कर्मचारी दो गरुप्स में बांटे जायेंगे। जून १९५६ तक जो कर्मचारी काम पर लग चुके हैं वे ग्रुप १ में होंगे। जो इसके बाद काम पर लगे हैं वे कर्मचारी ग्रुप २ में होंगे।

ग्रुप १ में आने वाले कर्मचारियों की कुल तनख्वाह इस प्रकार होगी:

"बेसिक पे और महंगाई भत्ता कुल मिला कर ५७ रुपये माहवार होगा"।

श्रीमान्, ५९ रुपये डीयरनेस एलाउंस है, और मिनिमम वेज ३० रुपये है, लेकिन उनका डीयरनैस एलाउंस और मिनिमम वेतन कुल मिला कर ५७ रुपये होगा, यानी जो डीयरनैस एलाउंस मिलता है, उससे भी दो रुपये कम होगा। हमारे कम्यूनिस्ट भाईयों के ये समझौते हैं। और रजिस्ट्रार साहब उसको रजिस्टर कर देते हैं और उसको अमली रूप दे देते हैं।

इस के साथ साथ आगे लिखते हैं--

"प्राविडेंट फ़ंड १-१०-५७ से काटना शुरू होगा।"

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि प्राविडेंट फंड एक्ट, १९५२ में अमल में आया और जितने भी मिलों कारखानों में काम करने वाले मजदूर हैं, तमाम का प्राविडेंट फंड १९५२ से कट रहा है, लेकिन हमारे कम्यूनिस्ट बरादरान समझौता करते हैं कि १-१०-५७ से प्राविडेंट फ़ंड कटना शुरू होगा। क्या बात है उन बेचारे मजदूरों को पांच साल पीछे ले जा कर अलग डाल दिया गया है।

फिर यह तय किया गया है ——

"जिन कर्मचारियों को ३० रुपये माहवार व खुराक पर रखा गया है, उन की तन्ख्वाह और महंगाई भत्ता ५७ रुपये नैट, बिना खुराक के, होगा।"

अर्थात्, जो मिलता है, उस में से भी कट कर दिया गया है। यह भी समझौता किया गया है कि:

"सालाना बोनस १९५६ तक की जो बंट चुकी है, वह इन कर्मचारियों पर लागू नहीं होगी और नहीं दी जायेगी।"

श्रीमन्, यहां पर ये लोग आई० एन० टी० यू० सी० को बड़ी बड़ी गालियां देते हैं, न मालूम क्या क्या कहते हैं, लेकिन ये लोग स्वयं कर्म क्या करते हैं, यह मैं इस हाउस को बताना चाहता हूं। मेरे सामने एक नहीं, ऐसे बहुत से केस हैं कि जो यूनियनें संगठित हैं, जो यूनियनें कुछ कर रही हैं, उन को ये गालियां देंगे और जहां मजदूर असंगठित हैं, वहां ये मिल मालिकों के साथ बैठेंगे और न मालूम किस तरह के समझौते करेंगे, जिन का कुछ पता नहीं लगता है। यह इन लोगों के बारे में मेरा अनुभव है।

अभी परसों इन्होंने भोपाल में समझौता किया है। भोपाल और इन्दौर में १२० मील का फ़र्क है। भोपाल में हमारी यूनियन नहीं है। इन्दौर में हमारी युनियन है। इन्दौर में ये भूख हड़ताल करते हैं। क्यों भूख हड़ताल करते हैं? इसलिये कि इन्दौर में बड़ा जुल्म हो रहा है। क्यों जुल्म हो रहा है? इसलिये कि वहां पर कांग्रेस का मिनिस्टर है। उन का कहना है कि मिनिस्ट्री कांग्रेस की रहे, लेकिन लेबर मिनिस्टर कम्यूनिस्ट रहे। यह कैसे हो सकता है? मजदूरों को इन्दौर में ज्यादा मिल रहा है, इस लिये ज्यादा नहीं मिलना चाहिये। क्योंकि उन को ज्यादा मिल रहा है, इस लिये हम उन में असंतोष नहीं भड़का सकते, हड़ताल नहीं करा सकते और हमारी पार्टी कामयाब नहीं हो सकती, इस प्रकार ये लोग सोचते हैं। इन का उद्देश्य यह है कि कम से कम दिलाना और मजदूरों में गवर्नमेंट के प्रति असंतोष पैदा करना। यह उनकी लेबर मूवमेंट है। मैंने अभी बताया है कि परसों उन्होंने भोपाल में समझौता किया है। उस रोज मैं वहां पर था। वहां के कम्यूनिस्ट नेता शाकिर अली खां साहब हैं। उन्होंने स्पिनिंग के अन्दर मिल मालिक के साथ समझौता किया कि ९२० आदमियो में से २८० आदमी कम कर दिये जायें। वहां मिनिमम वेज २६ रुपये है। उन्होंने समझौता केवल इस बात के लिये किया कि उन के आठ आदमियों ने मिल में मजदूरों को पीटा था और मजदूरों को चोट आई थी। मिल मालिक ने डिसिप्लिनरी एक्शन ले कर उन आठ आदमियों को निकाल दिया। गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकी और वे लोग वापस मिल में नहीं जा सके। उन्होंने इस तरह के काम

[श्री रा० क० वर्मा]

किये थे, मजदूरों को पीटा था। यह कोई मजदूरों और मिल मालिक का झगड़ा नहीं था—यह तो मजदूरों और मजदूरों का झगड़ा था। कम्यूनिस्टों ने मजदूरों को पीटा, इस लिये उन को निकाल दिया गया। चूंकि आठ मजदूर मिल में नहीं आ सकते, इसलिये उन्होंने मिल मालिक के साथ यह समझौता किया कि ९२० आदमियों में से २८० आदमी हम कम करा देंगे, हमारे इन आठ आदमियों को मिल में दाखिल कर लो। मिल मालिक ने कहा कि २८० जाते हैं और आठ आते हैं, ऐसा समझौता तो हम रोज़ाना करने के लिये तैयार हैं। जब कोई मजदूर कार्यकर्ता सही बात रखने लिये जाता है, तो वे चेलों को छोड़ कर गुरु के पास जाते हैं और गुरु को गालियां देना शुरू कर देते हैं। इसको यह पार्लियामेंट कभी बर्दाश्त नहीं करने वाली है। उस ने तो सच्चाई के आधार पर देश का उत्थान और मज़दूरों का कल्याण करना है। इसलिए मैंने ये दो शब्द पार्लियामेंट के सामने रखे हैं। मुझे आशा है कि यह हाउस इस पर विचार करेगा।

मुझे इतना ही निवेदन करना है।

श्री ब्रजराज सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, बड़े दुख के साथ यह कहना पड़ता है, सिर्फ पच्चीस तीस लाख जो संगठित मजदूर हैं सिर्फ उन्हीं के सम्बन्ध में इस सदन का और श्रम मन्त्रालय का ध्यान जाता है। जो असंगठित मज़दूर इस मुल्क में हैं—खास तौर से खेतिहर मज़दूर और ऐसे दूसरे लोग, जो कि संगठित नहीं हैं—उनकी तरफ़ न तो श्रम मन्त्रालय का ध्यान जाता है और न ही इस सदन का ध्यान जा पाता है। यह बड़े दुख का विषय है कि श्रम मन्त्रालय की तरफ से उन के लिए न अब तक कुछ किया गया है और न आगे ही करने की कोई योजना है।

पहले आप खेतिहर मजदूरों के सवाल को लें। उन में करोड़ों लोग ऐसे हैं, जिन को आठ आने रोज़ से ज्यादा मज़दूरी नहीं मिलती है—पन्द्रह रुपए माहवार से ज्यादा मज़दूरी नहीं मिलती है और साल में सात आठ महीने से ज्यादा काम नहीं मिलता है। मैं पूछना चाहता हूं श्रम मन्त्री महोदय से कि खेतिहर मज़दूरों की दशा पर भी विचार करने की उन की कोई योजना है और अगर कोई योजना है, तो क्या वह कोई कमीशन बिठा कर यह जांच पड़ताल करना चाहते हैं कि खेतिहर मज़दूरों के बारे में उनकी मज़दूरी वगैरह के बारे में कानून बनाया जाय।

सदन में अभी आई० एन० टी० यू० सी० के बारे में बड़ी बड़ी बातें कही गईं। अभी पूर्ववक्ता महोदय ने उसकी निष्पक्षता को जतलाने की कोशिश की। मैं कांग्रेस और कम्यूनिस्टों के झगड़े में नहीं पड़ना चाहता, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि जब खुद पूर्ववक्ता महोदय मानते हैं कि सिर्फ कागज पर मजदूरों का नम्बर लिखा जाता है और उससे रजिस्ट्रार महोदय जांच करते हैं कि किसी संस्था की—यूनियन की रिप्रेज़ेन्टेटिव कैपेसिटी क्या है, तो इतना ज़रूर मानना पड़ेगा कि जिस आई० एन० टी० यू० सी० को नौ लाख मज़दूरों की संस्था कहा जाता है, उसको कारखानेदारों का सहयोग और उनकी हमदर्दी प्राप्त है। नौ लाख मजदूर वाकई उस में नहीं हैं। आज देश में बार बार यह बात कही जाती है कि आई० एन० टी० यू० सी० के साथ पक्षपात होता है। उसका जन्म कब हुआ? जन्म के बाद उस की ताकत दूसरी सेंट्रल—केन्द्रीय मज़दूर संगठनों से इतनी बढ़ जाती है, तो मैं तो कहूंगा कि ज़रूर दाल में कुछ काला है। इसलिए आप को इस बात पर विचार करना चाहिए कि जब तमाम लोग इस बात को कहते हैं कि आई० एन० टी० यू० सी० के साथ पक्षपात होता है, तो वह कोई हंस कर उड़ा देने की बात नहीं है, बल्कि उस पर विचार करना चाहिए। इस सम्बन्ध में मैं कहूंगा कि आप को एक स्पष्ट मज़दूर नीति निर्धारित करनी चाहिए। बार बार यह कहा जाता है कि इन संगठनों पर राजनीति का असर न हो। ठीक है, राजनीति का असर नहीं होना चाहिए। लेकिन यह तथ्य है कि

आई० एन० टी० यू० सी० पर भी कांग्रेस पार्टी का असर होता है और यह कहने की कोशिश की जाती है कि वह उस पार्टी से सम्बन्धित है, तो मैं समझता हूं कि वह एक निष्पक्ष नीति का परिचायक नहीं है ।

इस सम्बन्ध में हमारा यह भी निवेदन है कि हम जो कुछ करना चाहते हैं, जो हमारे उद्देश्य हैं, अगर किन्हीं कानूनी दिक्कतों की वजह से उन उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो पाती, तो सरकार को उस सम्बन्ध में कुछ कार्यवाही करनी चाहिए । अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो फैसला हुआ, उससे श्रमजीवी पत्रकारों की समस्या हल नहीं हो पाई । मैं बड़े ज़ोरदार शब्दों में कहना चाहूंगा कि सरकार को इस ओर तुरन्त ध्यान देना चाहिए । आखिर पन्द्रह बीस लोग मुल्क में ऐसे हैं, जो कि फोर्थ एस्टेट के नाम से पुकारे जाते हैं—अखबार वाले बड़े बड़े लोग । अगर हज़ारों श्रमजीवी पत्रकारों की दशा को न सुधारा जाये और सरकार जो कुछ करना चाहती है, उस में कानूनी रुकावटें आ जायें, तो इस विषय में शान्ति के साथ बैठने से काम नहीं चल सकता है । मैं निवेदन करूंगा कि श्रमजीवी पत्रकारों की दशा को सुधारने के लिए सरकार जल्दी से जल्दी कुछ कार्यवाही करे ।

अब मैं रोज़गार के सम्बन्ध में कुछ निवेदन करूंगा । इस पंचवर्षीय योजना में ८० लाख लोगों को रोज़गार देने की योजना है । हम सभी जानते हैं कि करीब २० लाख नौजवान कालिजों, यूनिवर्सिटियों और स्कूलों से हर वर्ष निकलते हैं, जिन्हें नौकरी की ज़रूरत होती है । इस तरह पांच साल में एक करोड़ ऐसे नौजवान हो जायेंगे जिन्हें नौकरी की ज़रूरत होगी । इस पंचवर्षीय आयोजन के खत्म होने के बाद बीस लाख और ऐसे लोग मौजूद हो जायेंगे, जिनको नौकरी की ज़रूरत होगी । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी जो नीति है, उस में क्रान्तिकारी परिवर्तन की ज़रूरत है । हमारे यहां पन्द्रह हज़ार की पूंजी लगाने के बाद एक आदमी को कारोबार में लगाने की योजना में परिवर्तन करना होगा । हिन्दुस्तान जैसे पिछड़ी अर्थ-व्यवस्था वाले मुल्क में पन्द्रह हज़ार रुपए से एक आदमी का कारोबार मिल सके, यह कोई उचित बात नहीं है । यहां पर एक ऐसी नीति निर्धारित करनी होगी, जिस में आप हज़ार, आठ सौ रुपए की पूंजी लगा कर एक आदमी को रोज़गार दिला सकें । तब हम देखेंगे कि हम ८० लाख लोगों के बजाय बारह करोड़ लोगों को रोजगार दिला सकेंगे । मेरी मंशा है कि हम छोटे उद्योगों, गृह उद्योग की तरफ चलें ।

थोड़ी पूंजी लगा कर लोगों को रोज़गार दिलाने की कोशिश आपको करनी चाहिये । एम्पलायमेंट एक्सचेंजिस कायम कर देने से ही काम नहीं चल सकता है । जैसा कि माननीय उपमन्त्री महोदय ने कहा है कि रोज़गार दिलाने वाले दफ्तरों का काम यह ही नहीं है कि वे रोज़गार दिला दें तो ऐसी सूरत में हमें यह देखना पड़ेगा कि किस तरह से लोगों को रोज़गार पर लगाया जा सकता है । इसके लिये आपको कोई नीति निर्धारित करनी पड़ेगी और वह यह हो सकती है कि कम पूंजी लगा करके लोगों को रोज़गार दिलाने की व्यवस्था की जाए । जब आपने ऐसा किया तभी रोज़गार की जो समस्या है वह हल हो सकेगी ।

आप रोज़गार की समस्या को तब तक हल नहीं कर सकते जब तक आप यह कहते हैं कि बहुत अधिक पूंजी लगा कर ही एक आदमी को रोज़गार पर लगाया जा सकता है । आप इस मामले में यूरोप और अमरीका की नकल करते हैं जो कि हम से बहुत आगे हैं । वे इंडस्ट्रियली बहुत एवांस्ड हैं और वहां पर उद्योगों में बहुत अधिक पूंजी लगी हुई है । उनकी नकल करके हम इस मुल्क में नहीं चल सकते हैं और न ऐसा करके हम बेकारी की समस्या को ही हल कर सकते हैं । हमारे यहां पर हर साल पचास लाख नए मुंह पैदा हो जाते हैं और उनके लिए भी हम को रोज़गार का प्रबन्ध करने का फिक्र करना है । आपकी इस सम्बन्ध में जो पालिसी रही है, उसमें मौलिक रूप से परिवर्तन किया जाना चाहिये । प्लान में यह सोचा गया है कि १५,००० की पूंजी लगाने के बाद एक आदमी को रोजगार मिलेगा । मैं समझता हूं आप १,००० या ८०० की पूंजी लगा करके भी एक आदमी को रोज़गार पर लगा सकते हैं ।

[श्री ब्रजराज सिंह]

जब आपने ऐसा किया तभी मैं समझता हूं कि यह बेकारी की समस्या हल हो सकेगी। हमें यह देखना होगा कि कम से कम पूंजी लगा कर के लोगों को किस प्रकार रोज़गार पर लगाया जा सकता है और जब आपने इसका कोई हल निकाल लिया तभी हमारी जो बढ़ती हुई बेरोज़गारी की समस्या है उसको हल किया जा सकेगा।

†**श्री ओझा** (झालावाड़) : इंदौर के माननीय सदस्य ने इस आरोप का बड़ा सुन्दर उत्तर दे दिया है जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि भारतीय राष्ट्रीय कार्मिक संघ कांग्रेस को सरकार से बढ़ावा मिलता है। मैं भी इस सम्बन्ध में उनके कथन की पुष्टि करता हूं कि ऐसा नहीं है। हम जानते हैं कि १९४७ से बहुत पहले भी औद्योगिक विवादों को शांति से सफलतापूर्वक सुलझाया जाता था। जब कि सरकार मालिक आदि कोई भी इस की ओर सहानुभूति पूर्ण भावनायें नहीं रखते थे। अब तो सरकार द्वारा बहुत सी विधियां अधिनियमित भी कर दी गई हैं तथा सरकार भी लोकतंत्रीय है इसलिये मैं नहीं जानता कि इस संघ को सरकार की मदद की या किसी बाहरी संस्था की मदद की क्यों ज़रूरत हो। यह संस्था, भारतीय राष्ट्रीय कार्मिक संघ कांग्रेस एक शक्तिशाली संस्था है और इसे अन्य दलों या संस्थाओं की तरह किसी बाहरी सहायता की आवश्यकता नहीं।

वाद-विवाद में भाग लेने वाले सदस्यों ने देश की आज के औद्योगिक सम्बन्धों के बारे में चिन्ता प्रकट की और यह चिन्ता ठीक भी थी यद्यपि औद्योगिक मज़दूरों की संख्या बहुत कम है लेकिन चूंकि ये आवश्यक वस्तुओं के निर्माण-कार्य में लगे होते हैं इसलिये इनके काम का बड़ा महत्व है। मैं समझता हूं कि यदि औद्योगिक सम्बन्धों में सुधार हो जाये तो उत्पादन का जो हमारा लक्ष्य है वह आसानी से पूरा किया जा सकता है।

औद्योगिक सम्बन्धों में तीन दलों का सम्पर्क रहता है। मालिक, मज़दूर तथा सरकार। सरकार अपना दायित्व ठीक तरह से निभा रही है और उसके लिये बधाई की पात्र है। मालिकों की स्थिति यह है कि वह विश्व के प्रगतिशील देशों के उद्योगपतियों के मार्ग पर चलना तो चाहते हैं तथा वैज्ञानिकन करना तो चाहते हैं, परन्तु जब देश में औद्योगिक सम्बन्धों को ठीक करने का प्रश्न आता है तो प्रगतिशील देशों का अनुकरण नहीं करते। उन्हें इस प्रकार की मनोवृत्ति को छोड़ देना चाहिये तथा आपसी भेदभाव छोड़ कर औद्योगिक सम्बन्धों में सुधार करने का प्रयत्न करना चाहिये। मज़दूरों का यह कहना है कि उन्हें प्रबन्ध में स्थान मिलना चाहिये वह जानना चाहते हैं कि उन्हें बताया जाये कि कच्चा माल कहां से खरीदा जाता है वस्तुओं को कहां पर बेचा जाता है आदि। जब वह इस पर जोर देते हैं तो मालिकों को अपना दृष्टिकोण डालना चाहिये और इस प्रकार का बर्ताव उनके साथ करना चाहिये जिससे औद्योगिक सम्बन्धों में सुधार हो सके।

अब मैं रोज़गार के बारे में कुछ कहूंगा। यदि हम काम दिलाऊ दफ्तरों के आंकड़े देखें तो पता लगता है कि प्राविधिक कार्य चाहने वाले केवल ८.३ प्रतिशत अभ्यर्थी ही आते हैं। २९ प्रतिशत क्लर्की चाहने वाले और ४.४ प्रतिशत अध्यापन कार्य चाहने वाले होते हैं और ५३.५ प्रतिशत अप्रवीण लोग होते हैं। इससे पता लगता है कि अधिकांश लोग क्लर्की या अप्रवीण कार्य चाहने वाले होते हैं। हमें इस समय प्रविधिक व्यक्तियों की बड़ी आवश्यकता है। शायद दूसरी योजना में प्रविधिक स्कूल और दस्तकारी के केन्द्र खोलने की व्यवस्था है। इस

---

†मूल अंग्रेजी में

कार्य में हमें तेज़ी लानी चाहिये। हमें स्कूलों में ऐसा प्रबन्ध करना चाहिये जिससे बढ़ईगिरी, लुहारगीरी, फिटर्स आदि का प्रशिक्षण स्कूलों में कराया जा सके। हम अपनी आवश्यकतायें तभी पूरी कर पायेंगे जब प्रविधिक शिक्षा प्राप्त बहुत से विद्यार्थी स्कूलों से निकलेंगे।

†**श्रम और रोज़गार तथा योजना मंत्री (श्री नन्दा)** : गत वर्ष जब इसी प्रकार के विवाद का उत्तर देने के लिये मैं खड़ा हुआ था उस समय इस मंत्रालय से मेरा सम्बन्ध बहुत थोड़े समय का था और इसीलिये मैं उस समय भविष्य के बारे में ही बता सकता था कि हम किन दायितों को सम्हालने को तैयार हैं, हम क्या करना चाहते हैं और समस्याओं को किस प्रकार हल करना चाहते हैं।

परन्तु आज मैं आपको यह बताने के लिये खड़ा हुआ हूं कि हमने प्रगति के लिये क्या कार्यवाहियां कीं तथा कितनी प्रगति की। गत वर्ष के कार्यों को देख कर यह कहा जा सकता है कि श्रम मंत्रालय ने संतोषजनक कार्य किया है। कुछ देर हुई अनुशासन संहिता के बारे में बताया गया जिसको अब सभी केन्द्रीय श्रम संगठनों तथा मालिकों के सभी मुख्य संगठनों ने स्वीकार कर लिया है। इसको एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम समझा गया है। यह सही है कि इसको ठीक रूप में कार्यान्वित करने पर ही इसकी सफलता निर्भर करेगी। परन्तु जो आश्वासन मुझे दिया गया है उससे मुझे यह कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि हमें इस मामले में पर्याप्त सफलता मिल सकेगी और इससे सामान्य क्रान्ति से भिन्न प्रकार की क्रांति आ सकती है। उदाहरणतः मज़दूरों द्वारा प्रबन्ध में भाग लेने की शुरुआत हो गई है। स्वयं सेवी आधार पर यह सुन्दर प्रारम्भ माना जा सकता है। मैं समझता हूं कि जो कुछ भी कार्य यहां प्रारम्भ किये जायेंगे उनमें सभी दल उचित सहयोग देंगे और हम अपने लक्ष्य की ओर सफलता से अग्रसर हो सकेंगे।

हमने मज़दूरों में शिक्षा बढ़ाने का कार्य प्रारम्भ कर दिया है। हमने मज़ूरी समस्या का अध्ययन करने के लिये एक एक कर्णधार दल बना दिया है। इसमें सभी दलों के प्रतिनिधि होंगे जो आपसी सहयोग के द्वारा कार्य करेंगे।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

यह उससे बिल्कुल भिन्न है जो इंग्लैंड में कोहेन समिति के प्रतिवेदन के पश्चात् किया गया था और जिसके परिणाम अच्छे नहीं निकले थे। वहां पर इसे दलों पर थोप दिया गया था और उनको मज़दूरों का समर्थन प्राप्त नहीं था। इसीलिये हम प्रारम्भ से ही यह प्रयत्न कर रहे हैं कि मजदूर तथा मालिक सभी का पूरा सहयोग प्राप्त हो जाये जिससे भविष्य में हमें कोई कठिनाई न उठानी पड़े।

मेरे इस कथन से यह समझना नहीं चाहिये कि मैं अपने कार्यों की कमियों को नहीं जानता हूं। मेरा यह कहना नहीं है कि जो कुछ भी किया गया वह ठीक प्रकार से ही किया गया है। परन्तु जब मैं विरोधी पक्ष की बातों पर विचार करता हूं तो ऐसा मालूम होता है कि जो कुछ उन्होंने कहा ठीक नहीं था। चर्चा के दौरान में बहुत से मामलों पर प्रकाश डाला गया। जिनके बारे में श्रम उपमंत्री बहुत कुछ बता चुके हैं। हम समय की बचत के लिये उन पर व्यक्तिगत रूप से विचार करेंगे। बहुत सी बातें ऐसी कही गईं जो राज्यों के अधीन आती हैं। इसलिये उन पर सभा में चर्चा उठाना ठीक नहीं होगा। मुझे खेद है कि मैं इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कर सकता हूं क्योंकि एक तो वह सच ही नहीं है दूसरे मेरे क्षेत्राधिकार के बाहर है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री नंदा]

राज्यों को हम विभिन्न तरीकों से सहायता दे सकते हैं और उन पर एक प्रकार से प्रभाव डाल सकते हैं। श्रम मंत्रियों के सम्मेलन के द्वारा और भारतीय श्रम सम्मेलन के द्वारा हम ऐसा कर सकते हैं।

अब मैं बाद-विवाद में की गई मुख्य आलोचनाओं के बारे में कुछ कहूंगा। सबसे पहले मैं श्रम मंत्रालय के सामान्य प्रशासन के बारे में कही गई बातों को लूंगा। मैं समझता हूं कि श्री प्रभात कार ने जो आलोचना की वह उन्होंने अपने व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर इतनी नहीं की जितनी कि उन्होंने अपनी कल्पना के आधार पर की है।

सामान्य प्रशासन के बारे में जो बातें कहीं गई थीं उसमें कुछ व्यक्तिगत स्तर पर भी बातें कहीं गईं। श्रम उपमंत्री पर व्यक्तिगत रूप से आक्षेप किया गया था जिसका यह अर्थ हुआ कि यह आक्षेप मुझ पर भी था। यह कहा गया कि मेरे विचार तो बहुत अच्छे हैं। मैं कार्मिक संघ का बड़ा अच्छा कार्यकर्त्ता हूं और मैं बड़े सुन्दर प्रयत्न कर रहा हूं परन्तु मुझे ग़लत रास्ते पर ले जाया जा रहा है। मैं समझता हूं कि यदि ये बातें ठीक होतीं तो मेरे लिये एक दिन भी मंत्री पद पर रहना उचित नहीं था। मैं अपने काम को करने में अपनी योग्यता को जानता हूं; मैं श्रम मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों को निभाता हूं। मेरे साथी, माननीय श्रम उपमंत्री, बहुत योग्य हैं और बफादारी के साथ अपना कर्त्तव्य पालन कर रहे हैं। यह कहा गया कि राजनैतिक आधार पर उन्होंने किसी प्रकार का पक्षपात किया है। मैं समझता हूं कि जब तक पूरी स्पष्ट बात नहीं बताई जाये कोई भी अपनी राय नहीं दे सकता है। हो सकता है कि जब आप तथ्यों को देखें तो आपको इसका उचित स्पष्टीकरण मिल सकता है। खैर, मैं इस विषय पर ज्यादा नही कहना चाहता।

इसके पश्चात् यह बताया गया कि हमारे प्रशासन में, पदाधिकारियों में और मंत्रियों में पक्षपात की प्रवृत्ति आ गई है। और यह प्रवत्ति श्रमिकों के प्रति विरोधी रवैये और अन्य संगठनों के प्रति कठोर रवैये के रूप में काम कर रही हैं। पदाधिकारियों के सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय बता चुके हैं उनके बारे में कुछ कहना उचित नहीं है। परन्तु मैं बता देना चाहता हूं कि श्रम मंत्रालय के पदाधिकारी बहुत योग्य हैं तथा अपना काम योग्यता से, सभी कठिनाइयों का सामना करते हुये, चलाते आ रहे हैं। उन्हें बड़े उलझे हुये काम करने पड़ते हैं और श्रम विरोधी बातों के बारे में आज पहली बार मैंने सुना है। मुझे तो इन पदाधिकारियों की यह आलोचना सुननी पड़ी है कि यह मज़दूरों के हितों के लिये बहुत काम करते हैं तथा पूरा उत्साह उनकी भलाई के कामों के लिये दिखाते हैं। मैं समझता हूं कि उनका कर्त्तव्य भी यही है और यदि श्रम मंत्रालय का यह रवैया मुझे बताया जाये जिसने अपने २५ से ३० वर्ष मज़दूर संघों के काम में व्यतीत किये हैं, तो मैं इसके उत्तर में कुछ नहीं कह सकता।

पक्षपात के बारे में दो बातें स्पष्ट रूप से कही गईं। एक तो यह कि मालिकों तथा उद्योगपतियों के प्रतिनिधियों की हमारे पास तक पहुंची है परन्तु मज़दूरों के प्रतिनिधियों की नहीं। यह मुझे एक बड़ी अजीब बात लगी। मैं बताना चाहता हूं कि जहां तक इस मंत्रालय के कार्यों का सम्बन्ध है मैं उद्योगपतियों से तो केवल एक दो बार ही मिला हूं जब कि मजदूरों से सौ बार मिल चुका होऊंगा।

†**श्री प्रभात कार :** माननीय मंत्री पर कोई भी दोषारोपण नहीं किया गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री नन्दा : इसके लिये मैं धन्यवाद देता हूं। लेकिन, मेरे मंत्रालय पर तो दोषारोपण किया ही गया है। मैं मंत्रालय से अलग जो नहीं हूं। मैं इन अधिकारियों को जानता हूं। तो मैंने उनके जितने भी मजदूरों को भेजा है, उनकी बात सुनी गई है। ये अधिकारी मज़दूरों की आवश्यकताओं और दशाओं में बड़ी दिलचस्पी लेते हैं। यदि कोई विशेष मामला हो, तो मुझे बता दिया जाये। मंत्रालय पर भी जो दोषारोपण किया गया है, तथ्यों को देखते हुये उसे सही नहीं कहा जा सकता।

मंत्रालय के पक्षपात के सम्बन्ध में भी कहा गया है। कहा गया है कि दो संशोधन मज़दूरों के हितों के विरुद्ध पड़ते हैं। सम्भव है कि किसी अधिनियम की कोई बात अव्यावहारिक सिद्ध हो या उनके कुछ गम्भीर परिणाम निकलें। उसको किसी न किसी ढंग से संशोधित करना पड़ेगा। लेकिन यह कहना तो एक बिलकुल ही दूसरी बात है कि इस सभा ने श्रम मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत की गई जितनी भी विधियां पारित की हैं, उन सभी को संशोधित किया गया है। माननीय सदस्य इसे भली भांति जानते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले औद्योगिक विवाद अधिनियम को संशोधित किया गया था। पहले तो उसके संशोधन के लिये एक अध्यादेश प्रख्यापित किया गया था, और बाद में उसके स्थान पर एक विधेयक पारित किया गया था। यह तभी आवश्यक हुआ था जब कि उच्चतम न्यायालय ने निर्णय कर दिया था कि कुछ श्रेणियों के मज़दूरों को छंटनी प्रतिकर पाने का अधिकार नहीं है। उसका निर्णय था कि सदाशयपूर्ण मिल बन्दी के मामलों में छंटनी प्रतिकर नहीं दिया जाना चाहिये। लेकिन मज़दूरों के प्रति हमारा भी एक कर्तव्य और दायित्व है। उसी के विचार से, हमने, बिना कोई समय गंवाये, एक अध्यादेश प्रख्यापित कर दिया था। यह तो केवल एक ही उदाहरण है। समयाभाव के कारण मैं अन्य उदाहरण नहीं दूंगा।

प्रशासन के खिलाफ़ एक दूसरी शिकायत यह की गई है कि उसने विवादों का निबटारा कराने में मज़दूरों का साथ नहीं दिया और उसमें बहुत विलम्भ किया है। एक-दो ऐसे मामलों का उल्लेख किया गया है जिनमें प्रशासन ने कई बार यही उत्तर दिया था कि मामला अभी विचाराधीन है। ऐसे भी मामले होते हैं जिनमें महीने-दो महीने से भी अधिक समय लग जाता है। अधिक समय लगने का मतलब यह नहीं होता कि उसमें कोई प्रगति ही नहीं हो रही है। यह तो इस पर निर्भर करता है कि शिकायत किस प्रकार की है।

मैं इन दो मामलों के सम्बन्ध में माननीय सदस्य के पास सूचना भेज दूंगा। उन मामलों में कोई और उत्तर देना सम्भव भी नहीं था। उच्चतम न्यायालय उन मामलों से सम्बन्धित किसी बात पर विचार कर रहा था। इसीलिये, हम अब पहलक़दमी कर रहे हैं।

माननीय सदस्यों को याद होगा कि कोयला उद्योग के लिये एक पंचाट हुआ था, और उसे उच्चतम न्यायालय में भेजने के कारण उसकी कार्यान्विति रोक दी गई थी। वह मामला अब भी उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है, और यदि हम चुप बैठे रहते तो कोयला उद्योग के मज़दूरों को तनख्वाहें ही न मिल पातीं। लेकिन हमने मालिकों और मज़दूरों के साथ बैठकर उनका समझौता करा दिया है और अब उन्हें तनख्वाहें मिल रही हैं।

उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन अन्य मामले के सम्बन्ध में हम कुछ भी नहीं कर सके। इसका मुझे खेद है। लेकिन हमसे यह आशा तो नहीं ही की जा सकती कि जहां भी मज़दूरों के नेता कोई ग़लती कर बैठें और संविहित प्रक्रिया का अनुसरण किये बिना हड़तालें कर दें, वहां हम

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री नन्दा]

हर ऐसे विवाद में हस्तक्षेप करते चले जायें। हम ऐसा नहीं करेंगे। हमने उनमें हस्तक्षेप नहीं किया है, और न करेंगे। लेकिन, ऐसे मामले सामने आयें ही तो क्यों? सभी प्रकार के विवादों के लिये एक पूरी प्रक्रिया और विभिन्न स्तरों पर एक व्यवस्था निश्चित कर ही दी गई है। लोग उसका पालन क्यों नहीं करते?

गत वर्ष कार्यान्विति करने और न करने के बारे में एक प्रश्न उठाया गया था। मैंने उससे सम्बन्धित पूरी स्थिति का सर्वेक्षण किया था। सचमुच स्थिति बड़ी असंतोषजनक थी। मैं उसे ठीक करने के लिये प्रयत्नशील हूं। अभी उसका कोई परिणाम इसलिये स्पष्ट नहीं दिख रहा है कि उसमें काफी समय लगेगा। लेकिन हमने कार्य करने का जो तरीका अपनाया है उससे हमें काफ़ी आशा है। हमने अपने मंत्रालय में एक नया विभाग—कार्यान्विति का मूल्यांकन विभाग—बना दिया है। हमने राज्यों से भी कहा है कि वे भी इसी प्रकार के विभाग अपने यहां बना कर इसी ढंग से कार्य करें। इस विभाग ने बड़ी मुस्तैदी से काम करना शुरू किया है। उसने सभी मालिकों और राज्यों और मजदूरों के संगठनों के पास एक प्रश्नावली भेजी है। उसने सभी दिशाओं में अपनी सक्रियता आरम्भ की है। मैंने संसद्-सदस्यों के पास भी एक पत्र भेजा था। हम जानना चाहते थे कि इस सम्बन्ध में वास्तविक स्थिति क्या है और कार्यान्वित न करने, या समझौतों और पंचाटों के उल्लंघन के मामले कहां-कहाँ हुये हैं। लेकिन आश्चर्य तो यह है कि कुछ संगठनों से सम्बद्ध माननीय सदस्यों ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। हिन्द मज़दूर सभा ने मेरे पास उत्तर प्रदेश, बिहार, और कुछ अन्य स्थानों के ऐसे कई मामले भेजे हैं। आल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने भी मेरे पास कुछ मामले भेजे हैं। वे हम से सहयोग कर रहे हैं। हम कई ढंग से उन पर कार्यवाही भी कर रहे हैं।

यदि इस अनुशासन संहिता का कोई मतलब है, कोई मूल्य है, तो इन सभी चीज़ों का दायित्व उसे लेना ही पड़ेगा। यदि कोई मालिक या कोई व्यावसायिक संस्था कार्यान्विति से इन्कार करती है या नहीं करती, तो हम विधि द्वारा संविहित ढंग तो कार्यवाही कर ही सकते हैं, साथ ही हम उनके प्रतिनिधियों से कार्यान्विति करने के लिये जोर दे कर भी कह सकते हैं; और उन्हें करना पड़ेगा। अन्यथा, वे मजदूरों से उत्पादन वृद्धि या किसी अन्य चीज़ की आशा कैसे कर सकते हैं? और जो लोग इस प्रकार की संहिता की उपेक्षा करते हैं और स्वयं अपने संगठनों का भी कोई सम्मान नहीं करते, हमें उनके लिये, यदि वे कार्यान्विति नहीं करते, अपना विधान संशोधित करना पड़ेगा, जिससे कि उन्हें कोई अधिक भयोत्पादक दण्ड दिया जा सके।

इस कार्यान्विति के सम्बन्ध में हम कई ढंग की कार्यवाही कर रहे हैं और हमें आशा है कि हम इस समस्या को प्रभावशाली ढंग से सुलझाने में सफल होंगे। अभी तो मैं यह नहीं कहता कि कार्यान्विति न करने के कोई मामले ही नहीं हैं, लेकिन कुछ महीनों में अवश्य ही इस बुराई को काफी हद तक कम कर दिया जायेगा।

आरम्भिक चर्चा में विभेद और पक्षपात का भी उल्लेख किया गया था। हमने हर वर्ष इसकी एक प्रथा सी बना ली है। (**अन्तरबाधा**) विरोधी दल के सदस्य दोषारोपण करते हैं और सरकार उसके उत्तर में कुछ तथ्य और आंकड़े पेश करती है। हर वर्ष एक ही प्रकार के तथ्य और आंकड़े पेश किये जाते हैं। वही तथ्य और आंकड़े रहते हैं और वही आरोप। लेकिन वास्तविक स्थिति क्या है?

इस आरोप के दो-तीन पहलू हैं। एक तो यह कि औद्योगिक सम्बन्धों के लिये की जाय वाली व्यवस्था एक समान ढंग से कार्य नहीं करती, निष्पक्ष ढंग से कार्य नहीं करती; और

विशेष तौर पर इन्टक के अलावा अन्य संगठनों द्वारा भेजे जाने वाले न्याय-निर्णयन के प्रार्थना-पत्रों पर सहानुभूति पूर्वक विचार नहीं किया जाता। इन्टक के साथ पक्षपात किया जाता है। मैं इस सम्बन्ध में आंकड़े प्रस्तुत कर सकता हूं, लेकिन वह तो उसी प्रथा पर चलना होगा।

मैं कहता हूं कि इन्टक (भारतीय रा ट्रीय कार्मिक संघ कांग्रेस) की अपेक्षा आल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस और हिन्द मज़दूर सभा द्वारा भेजे जाने वाले मामले कहीं अधिक संख्या में न्याय-निर्णयन के लिये भेजे जाते हैं। मैं आंकड़े प्रस्तुत नहीं करूंगा क्योंकि उनकी ओर कोई ध्यान ही नहीं देता। लेकिन वास्तविक स्थिति यही है।

†**श्री फीरोज़ गांधी** (रायबरेली) : लेकिन अन्तिम आंकड़े तो बता ही दीजिये।

†**श्री नन्दा** : १९५६-५७ में 'इंन्टक' के ४१·२ प्रतिशत मामले न्याय-निर्णय के लिये सौंपे गये थे, जब कि उसके ३६ प्रतिशत मामले पिछले वर्ष और ४७ प्रतिशत उससे पिछले वर्ष सौंपे गये थे। ए० आई० टी० यू० सी० (आल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस) के ४२ प्रतिशत मामले न्याय-निर्णयन के लिये सौंपे गये थे, और हिन्द मज़दूर सभा के ४७ प्रतिशत मामले सौंपे गये थे। उनका अनुपात बढ़ता जा रहा है। यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस के ५५ प्रतिशत मामले न्याय-विनिर्णयन के लिये सौंपे गये थे।

†**श्री नौशीर भरुचा** (पूर्व-खानदेश) : इसमें एक ग़लत धारणा यह है कि ए० आई० टी० यू० सी० मजदूरों के हितों के लिये अधिक लड़ती है, और 'इन्टक' इतना नहीं लड़ती.....

†**श्री नन्दा** : यह संख्या के नहीं, बल्कि अनुपात के आंकड़े हैं।

†**सरदार अ० सिं० सहगल** (जन्जगीर) : उनकी धारणा यह है कि 'इन्टक' की अपेक्षा अन्य संगठनों ने अधिक मामले भेजे हैं।

†**श्री नन्दा** : जी, नहीं।

मैं आपको आंकड़े सुनाता हूं। पहले वर्ष में, १९५४-५५ में 'इन्टक' ने २,२४३, ए० आई० टी० यू० सी० ने १,७६९, हिन्द मज़दूर सभा ने १,०७७ और यूनाइटेड यूनियन कांग्रेस ने २७४ मामले न्याय-निर्णयन के लिये भेजे थे।

†**श्री एन्थनी पिल्ले** : यह इस बात का स्पष्टीकरण तो नहीं है कि सच्चे मामले ही अधिक लिये गये थे।

†**श्री नन्दा** : मैं औद्योगिक सम्बन्धों के प्रश्नों को बहुत अधिक महत्व देता हूं। यह सही होते हुये भी कि इनमें काफ़ी सुधार हुआ है, मैं यह मानता हूं कि इनकी ओर अधिक परीक्षा करने और इसके सम्बन्ध में संयुक्त रूप से कार्यवाही करने के लिये काफ़ी गुजाइश है। मई में ही भारतीय श्रम सम्मेलन का दूसरा सत्र हो रहा है, और उसमें औद्योगिक सम्बन्धों के प्रश्न पर चर्चा की जायेगी। उस समय हम अधिक विस्तार से इसकी परीक्षा कर सकेंगे। मैं चाहता हूं कि सभी लोग संतुष्ट हो सकें। केवल न्याय-निर्णयन नहीं ही, अन्य बातों के सम्बन्धों में भी विभेद करने का आरोप लगाया गया है।

यहां कई बार उसका उत्तर दिया जा चुका है। वे कहते हैं कि विभिन्न समितियों में विभिन्न संगठनों को प्रतिनिधित्व देने के बारे में सरकार इन्टक को अधिक वरीयता देती है। मैं इसके लिये तैयार हूं कि माननीय सदस्यों की कोई समिति आये और इन आंकड़ों की जांच कर ले। हमने

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री नन्दा]

इन सभी मामलों के सम्बन्ध में अपने अधिकारियों को निश्चित अनुदेश दिये हैं कि उन्हें पूरी तौर से निष्पक्ष रहना चाहिये । मैं 'इन्टक' से सम्बन्धित अवश्य हूं, पर एक मेरी मंत्री होने के नाते मुझे सभी संगठनों के साथ समान और उचित व्यवहार करना चाहिये । इन अनुदेशों का पालन भी हो रहा है ।

हम जो प्रतिनिधित्व देते हैं वह विभिन्न कार्मिक संघों की सदस्य-संख्या के आधार पर होता है । उसमें एक बात का और ध्यान दिया जाता है कि सबसे अधिक शक्तिशाली संगठनों की अपेक्षा कम शक्तिवाले संगठनों को कुछ अधिक प्रतिनिधित्व दिया जाये । इसीलिये कहीं-कहीं 'इन्टक' को बिलकुल भी प्रतिनिधित्व नहीं मिलता । हम कई समितियों और समूहों में उनको समतुल्यता देते हैं---एक प्रतिनिधि 'इन्टक' का और एक किसी अन्य संगठन का ।

†**श्री केशव** (बंगलौर नगर) : और केरल में क्या होता है ?

†**श्री नन्दा :** मैं ने स्वयं केरल की परिस्थिति का अध्ययन किया है, पर वह यहां संगत नहीं है ।

अन्तर्राष्ट्रीय समितियों में प्रतिनिधित्व देना हमारे स्वयं विवेक पर निर्भर नहीं रहता हमें कुछ निदेशों के मुताबिक चलना पड़ता है ।

लेकिन एक शिकायत यह भी की गई थी कि सत्यापन का कार्य भी उचित ढंग से नहीं किया जाता ; अर्थात् सदस्यता का सत्यापन किया जाता है और उसके आंकड़ों की बिना पर फैसला किया जाता है । मैं इसका एक साफ सा जवाब दे चुका हूं । यह तो एक प्रक्रिया विशेष के प्रशासन का प्रश्न है । यदि उस प्रक्रिया में कोई त्रुटि दिखाई दे तो हमें उस पर विचार करके उसे ठीक कर लेना चाहिये । जहां तक वर्तमान प्रक्रिया का सम्बन्ध है, उसका पालन उचित रूप में किया जा रहा है । अभी कल ही मैंने विरोधी दल के एक माननीय सदस्य से सत्यापन की इस प्रक्रिया के सम्बन्ध में टेलीफोन पर बात की थी । मैंने उनसे पूछा था कि क्या उनकी दृष्टि से इसे अधिक संतोषपूर्ण बनाने के लिये उनके पास कोई सुझाव है । उन्होंने एक-दो सुझाव दिये थे, और मैं उन पर विचार कर रहा हूं । इस प्रक्रिया को यथा सम्भव अधिकतम संतोषपूर्ण बनाया जायेगा । हम इसमें सभी दृष्टिकोणों को ध्यान में रखेंगे ।

हमारे देश के कार्मिक संघों के कार्यकर्त्ताओं में एकता नहीं है और उसका नतीजा यह है कि वे कमजोर हैं । उनमें ऐसी क्षमता और ऐसी शक्ति नहीं है जो मज़दूरों के भले और देश की प्रगति के लिये उपयोगी सिद्ध हो सके । मज़दूर वर्ग में जो ये महान् सम्भावनायें मौजूद हैं, उनका पूरा-पूरा उपयोग नहीं किया जा रहा है : यह एक बड़ी चिन्ता की बात है, हालांकि नेतृत्व की त्रुटियां भी हैं । मैं तो यह चाहता हूं कि मज़दूरों की पांतों में जो कोई विभाजन हो गये हैं वे किसी तरह ख़तम हों और उनका संगठन बन जाये । लेकिन इसमें मुश्किल यह है कि सभी राजनीतिक दल कार्मिक संघों का उपयोग अपने हित-साधन के लिये करते हैं ।

यदि राजनीतिक दल इनके जरिये अपने हित-साधन न करें, कार्मिक संघों का शोषण न करें, तो हमारी बहुत सी कठिनाइयां दूर हो जायेंगी । इसमें कुछ समय तो लगेगा ही । मैंने विभिन्न संगठनों को लिखा है कि वे दूसरे संगठनों के समीप आने का प्रयास करें, आपस में एक प्रकार का

---

†मूल अंग्रेजी में

समझौता करने का प्रयास करें ठीक उसी तरह जिस तरह हमने मजदूरों और मालिकों के लिये अनुशासन बना दिया है। यह अनुशासन मजदूरों पर ही नहीं, मालिकों पर भी लागू होता है। यदि ये सभी संगठन अपने बीच में एक समझौता सा करलें, तो मज़दूरों और उद्योग के हितों के लिये हानिकारक कार्यों से बचा जा सकता है। यह सम्भव भी है। मैंने उनको लिखा है कि इस कार्य में मंत्रालय भी यथासम्भव सहायता करेगा। मैं देश में कार्मिक संघों की एकता स्थापित करने के लिये प्रयत्नशील रहूंगा।

माननीय सदस्यों ने इसका उल्लेख किया था। और एक माननीय सदस्य का भाषण सुनने के बाद तो लगता था जैसे यह एकता करना असम्भव है। उन्होंने दूसरे पक्ष के लोगों को हिटलर और बर्बर तक कहा था। लेकिन मैं आश्वस्त हो गया हूं कि वह माननीय सदस्य हिन्द मज़दूर सभा तक का प्रतिनिधित्व नहीं करते।

मैं उनके साथ सम्पर्क बनाये हुये हूं। मैंने उसके सभापति को लिखा है कि वे आकर मुझ से कुछ विषयों के सम्बन्ध में बातें करलें। कुछ माननीय सदस्यों ने कुछ शंकायें भी प्रकट की हैं। मैं उनका स्पष्टीकरण करूंगा।

मैंने कहा है कि औद्योगिक सम्बन्धों के सम्बन्ध में एक बड़ी चिन्तनीय बात यह है कि कार्मिक संघों में फूट पड़ी हुई है। दूसरी चिन्तनीय बात यह है कि इस व्यवस्था के कार्यकरण में विलम्ब होता रहा है। हमने मंत्रालय में ऐसी व्यवस्था की है कि हमारी ओर से यथा शीघ्र इनका निबटारा किया जाये, प्रत्येक अवस्था में कार्यवाही अधिक शीघ्रता से की जा सके। इस सम्बन्ध में कुछ अनुदेश जारी किये गये हैं और आदर्श नियम बना कर राज्यों के पास भेज दिये गये हैं।

लेकिन इन चीज़ों की प्रगति एक और ढंग से भी रोकी जा सकती है। हम तो अपनी तरफ से बड़ी तत्परता और शीघ्रता से कार्य कर सकते हैं, लेकिन हम कुल लोगों को संविधान मूलभूत अधिकार देने से तो नहीं रोक सकते। मैं श्रमजीवी पत्रकारों सम्बन्धी उच्चतम न्यायालय के निर्णय के गुण-दोषों की विवेचना नहीं करना चाहता। यह मेरा काम नहीं है। संविधान के अन्तर्गत प्रदान किये गये अपने अधिकारों का प्रयोग तो प्रत्येक नागरिक कर ही सकता है।

इसका प्रभाव केवल श्रमजीवी पत्रकारों पर ही नहीं पड़ेगा। यह केवल उच्चतम न्यायालय की ही बात नहीं है। उच्च न्यायालय भी तो हैं। कई मामले उच्च न्यायालय में भी तो जाते हैं। हां, गत वर्षों में इन न्यायालयों में कुछ कम मामले भेजे गये हैं।

अभी इसी समय मैं यह तो नहीं बता सकता कि सामान्यतया इसका हल किस ढंग से किया जायेगा। लेकिन यह एक बड़ी भर्त्सनीय परिस्थिति तो है ही। यह कोई सम्पत्ति का मामला तो है नहीं कि वर्षों बाद, बीस वर्ष बाद ही सही, जब कि निर्णय होगा वह सम्पत्ति उत्तराधिकारियों को मिल जायेगी। इस मामले का सम्बन्ध तो श्रमिकों से है जिन्हें नित्य-प्रति की चक्की में पिसना पड़ता है। और यदि इसमें विलम्ब हो, तो फिर सद्भावना का वातावरण कैसे बना रह सकता है। डेढ़-दो साल तो इन मामलों में औसतन लग ही जाते हैं। (**एक माननीय सदस्य** : इससे भी ज्यादा।) यह कोई व्यवहार प्रक्रिया का मामला तो है नहीं। यह तो दण्ड प्रक्रिया के स्तर का मामला है।

लेकिन, इसे सुलझाने का तरीक़ा क्या है? हम अन्य संभावनाओं और तरीकों की जांच तो कर ही रहे हैं कि किस प्रकार संविधान की सीमा में रहते हुये इन विलम्बों को कम किया जा सकता है। लेकिन, इसके लिये एक तरीक़ा तो हम अपना ही सकते हैं। अधिकांशतया मालिक ही न्यायालयों की शरण लेते हैं। यदि मालिक चाहते हैं कि मज़दूर उत्पादन बढ़ायें,

[श्री नन्दा]

अनुशासन कायम रखें और भी कई बातें करें, तो उन्हें भी अपनी ओर से मज़दूर वर्ग को इस बात का आश्वासन देना पड़ेगा कि वे छोटी-छोटी बातों के लिये न्यायालयों की शरण नहीं लेंगे। केवल बड़े-बड़े मामलों को ही न्यायालयों में भेजने की अनुमति दी जानी चाहिये। हम अपनी अगली बैठक में ऐसी एक प्रथा बनाने के बारे में विचार करेंगे।

न्यायालय भी संविधान के अन्तर्गत कार्य करते हैं, इसलिये उनके सम्बन्ध में कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ऐसे रास्ते भी तो निकाले जा सकते हैं कि न्यायालयों में इन मामलों के निर्णय में विलम्ब न हो।

†**श्री प्रभात कार :** यह तो हम अभी भी कर सकते हैं। यदि श्रम मंत्रालय उच्चतम न्यायालय के कार्यालय से इसके बारे में बात चलाये, तो इन मामलों की सुनवाई में जल्दी भी की जा सकती है।

†**श्री नन्दा :** मैं भी ठीक यही सोच रहा था। ऐसे मामलों के लिये एक विशेष न्यायाधीश वर्ग नियुक्त किया जा सकता है। कई तरीके निकाले जा सकते हैं।

श्रमजीवी पत्रकारों का मामला एक विशेष प्रकार का मामला है। यह मामला काफी अरसे से चल रहा है। मेरे विचार में प्रेस आयोग १९५२ में नियुक्त हुआ था, और इसके बाद सारी बातें हुईं यानी प्रेस आयोग का प्रतिवेदन आया और यहां अधिनियम पारित किया गया, फिर मजूरी बोर्ड की नियुक्ति हुई और फिर यह निर्णय हुआ। इसके पश्चात् हुआ कुछ भी नहीं। अब निश्चित रूप से मामला असह्य हो गया है। मैं श्रमजीवी पत्रकारों को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने बड़े धैर्य से काम लिया है। अतः अब उन्हें अधिक नहीं दबाना चाहिये और इस सीमा तक उनके धैर्य की परीक्षा नहीं ली जानी चाहिये।

अतः यदि एक रास्ता साफ़ नहीं होगा तो दूसरा रास्ता निकालने की कोशिश की जाती है। एक प्रयत्न यह हो सकता है कि हम एक बार पुनः प्रयत्न करके दोनों पक्षों को यह समझायें कि इस से काम नहीं चलेगा उच्चतम न्यायालय ने हमारी बहुत सेवा की है। मैंने बड़े ध्यानपूर्वक उच्चतम न्यायालय के निर्णय का अध्ययन किया है। कई ढंगों से उसने मामला स्पष्ट किया है। उसने उन सभी रास्तों को बन्द कर दिया है जिनके आधार पर अन्य लोग पुनः उच्चतम न्यायालय में जाने के लिये तैयार हो सकते थे। उसने इस बात पर भी प्रकाश डाला है कि किस प्रकार उसके क्षेत्राधिकार में रथक रहा जा सकता है। इन सब बातों से हमें लाभ उठाना चाहिये।

दोनों पक्षों में शीघ्र ही समझौता करा दिया जायेगा। उच्चतम न्यायालय का निर्णय आने के दूसरे दिन ही हमने दोनों पक्षों को शीघ्रातिशीघ्र मिलने के लिये बुलाया। दोनों पक्षों ने १०, १२ दिन का समय मांगा है। इसलिये १०, १२ दिनों की ही बात है। आशा करनी चाहिये कि दोनों पक्ष समझदारी से काम लेंगे और इन चर्चाओं से कुछ ऐसा हल निकल आयेगा जो कि ठीक होगा और सभी उससे सन्तुष्ट होंगे। हमसे पूछा जा सकता है कि हम एक बार असफल हो चुके हैं और यदि इस बार भी असफल रहे तो क्या होगा ? इसका उत्तर हम कुछ नहीं देंगे। हम पुनः प्रयत्न करने जा रहे हैं। मैंने श्रमजीवी पत्रकारों को और मालिकों से उसी समय कह दिया था कि यदि किसी प्राविधिक आधार पर उच्चतम न्यायालय ने मजूरी बोर्ड का निर्णय रद्द कर दिया, तो यह हमारा नैतिक कर्तव्य है कि जितनी शीघ्र हो सके, संसद् की

†मूल अंग्रेजी में

इच्छा को कार्यान्वित करने के लिये हम कुछ न कुछ कार्यवाही अवश्य करें। मतलब यह था कि मजूरी बोर्ड की स्थापना की जाये और पत्रकारों की मांगों का ठीक ढंग से निर्णय हो। परन्तु यह आशायें पूरी नहीं हो सकी हैं और श्रमजीवी पत्रकारों से भी इस सम्बन्ध में काफी निराशा है; मुझे इसका पूरा अनुभव है। इसलिये हमारा कर्त्तव्य है कि हम कोई दूसरा रास्ता निकालें। हम चाहे राष्ट्रीय न्यायाधिकरण नियुक्त करें अथवा दूसरा मजूरी बोर्ड स्थापित करें। हो सकता है कि शायद ये बातें भी आपत्तिजनक हों और इनसे भी देर हो। अतः हमें कोई ऐसा रास्ता निकालने का प्रयत्न करना चाहिये जिसमें विलम्ब न हो। मैं समझता हूं कि इस मामले को यहीं छोड़ दिया जाये।

विलम्ब के प्रश्न के बारे में मैं प्रकाश डाल चुका हूं। मेरा कहना है कि सामान्यतः औद्योगिक सम्बन्ध व्यवस्था ने अच्छा काम किया है। काफी संख्या में फैसले किये गये हैं। आधे से अधिक संख्या में मामलों का निर्णय न्याय-निर्णयन के लिये जाये बिना ही, हो गया है। न्याय-निर्णयन के लिये बहुत ही कम मामले गये। जहां तक औद्योगिक शान्ति का सम्बन्ध है गत दो तीन वर्षों में स्थिति काफी सुधर गई है पर मैं उस सुधार से बिल्कुल सन्तुष्ट नहीं हूं। विभिन्न विधानों की सहायता से जैसे अनुशासन संहिता आदि—यदि उनका कुछ भी उपयोग है—हमें औद्योगिक असन्तोष, हड़तालें, तथा तोड़ फोड़ की घटनाओं में काफी कमी करना चाहिये। अपनी नयी दिशा—कर्मचारियों द्वारा भाग लिया जाना—के बारे में हमने दोनों पक्षों को साफ बता दिया है। केवल इरादा करने से ही काम नहीं चलेगा। हमें बड़ी शीघ्रता से सभी मामलों में आगे बढ़ना चाहिये। आगामी लगभग एक वर्ष में हमें जो कुछ हुआ है, उससे बहुत कुछ अधिक करना है।

विलम्ब तथा औद्योगिक शान्ति की जटिल समस्याओं के विभिन्न पहलुओं पर मैं प्रकाश डाल चुका हूं। अब मैं रोजगार और बेरोजगारी की कठिन समस्या का उल्लेख करना चाहता हूं। बहुत से माननीय सदस्यों ने अपने भाषणों में इसका उल्लेख किया है। मैं इस सम्बन्ध में कोई विशेष विवरण प्रस्तुत नहीं कर सकूंगा। जो अवस्था है उससे मैं स्वयं भी असन्तुष्ट हूं। इसका यह अर्थ कदापि नहीं कि जो कुछ संभव है वह नहीं किया जा रहा है। जो कुछ संभव है उतना ही पर्याप्त नहीं है। रोजगार बढ़ रहा है, परन्तु साथ ही बेरोजगारी भी बढ़ रही है। कारण यह है कि जितने लोगों के लिये रोजगार की व्यवस्था करना है उनकी संख्या बहुत अधिक है। भूमि पर जनसंख्या का बोझ बहुत बढ़ गया है अतः यदि किसी को खेती से हटा कर उद्योगों में लगाया जाये तो उद्योग के लिये हजारों रुपये की पूंजी की आवश्यकता है। यह पूंजी १५,००० रु० तक हो सकती है। हमें परामर्श दिया गया था कि यदि प्रति व्यक्ति के हिसाब से थोड़ी पूंजी लगायें तो अधिक व्यक्तियों को रोजगार मिल सकता है। पर इसमें पूंजी का औसत ६,००० रुपये तक आयेगा। परन्तु सवाल यह है कि क्या हम अपने इस्पात के कारखाने न बनायें? क्या हम अपने भारी उद्योग न चलावें? यदि अधिक लोगों को काम देने के लिये हम विनियोजन में कमी कर दें, तो क्या होगा? सारा विकास का कार्य रुक जायेगा। आज इन भारी उद्योगों और इस्पात के कारखानों में कितनी पूंजी लगाई जा रही है? गत दो वर्षों में इसी कारण रोजगार की संभावना कम हुई है। परन्तु बाद में रोजगार की संभावना बढ़ जायेगी। क्योंकि अब जो पूंजी विनियोजित की गई है उससे अधिक रोजगार बढ़ेगा। इन दो वर्षों में हमने सरकारी क्षेत्र में १,५०० करोड़ रुपये का विनियोजन किया है और आगे अधिक विनियोजन किया जायेगा। गत दो वर्षों का विनियोजन प्रथम योजना के अन्तिम वर्ष से अधिक रहा है। इस योजना के कार्यान्वित किये जाने के सम्बन्ध में कठिनाइयां अनुभव की जा रही हैं। मित्रों में बड़ी उत्सुकता है कि यह योजना पूर्ण रूप से कार्यान्वित होनी चाहिये। अधिक

[श्री नन्दा]

से अधिक जो कुछ हो सकता है, किया जा रहा है। परन्तु इसके बावजूद भी यदि बेरोजगारी है, तो इसका अर्थ यह है कि इस समस्या के हल होने में कुछ समय लगेगा। इस समस्या का विशेष अंग शिक्षित वर्ग की बेरोजगारी है। परन्तु इसका एक कारण है कि प्रति वर्ष मैट्रिक पास करने वालों और स्नातकों की संख्या में विनियोजन की गति व रोजगार की संभावना की वृद्धि की अपेक्षा तीव्र गति से वृद्धि हो रही है। इस कारण यह कठिनाई है। पर हमें स्थिति को ठीक करना पड़ेगा। शिक्षित व्यक्तियों के रोजगार के सम्बन्ध में कुछ कदम उठाये जा रहे हैं और उनसे कुछ सीमा तक सफलता भी मिली है। नये-नये प्रशिक्षण केन्द्रों, और उत्पादन तथा अन्य योजनाओं से स्थिति में अभी बहुत अधिक सुधार नहीं हो पाया है परन्तु हमने परीक्षण किया है और हमें आशा है कि किसी सीमा तक स्थिति को सुधारा जा सकता है। इस सम्बन्ध में मेरा कहना है कि श्रम मंत्रालय की जिम्मेदारी रोजगार के मामले में बहुत सीमित है। यह काम आर्थिक विकास की सारी योजनाओं का है कि वे रोजगार की व्यवस्था करें। श्रम मंत्रालय का काम तो रोजगार और बेरोजगारी की स्थिति का अनुमान लगाना और यह देखना है कि इस दिशा में योजना में कितनी प्रगति हो रही है साथ ही किस ओर, और किस क्षेत्र में स्थिति तुलनात्मक दृष्टि से कैसी है। इस सम्बन्ध में जो जानकारी मिली है उससे पता लगता है कि हमारी स्थिति सुधर रही है। दिल्ली और अन्य स्थानों पर रोजगार संभावना जानकारी सम्बन्धी योजनायें चल रही हैं।

जब श्री सोमानी ने रोजगार और मिलों में तालाबन्दी के प्रश्न का उल्लेख किया मुझे आश्चर्य हुआ। मैं उनसे सहमत हूं। वह इस मामले से काफी घबराये हुये हैं और चाहते हैं कि इस सम्बन्ध में कुछ किया जाये। मेरे विचार में हम दोनों मिल कर इस समस्या का मुकाबला करें तो इसे हल कर लेंगे। कई मामलों में कुप्रबन्ध इत्यादि के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि तालाबन्दी हो जाती है। कारण मुख्य यह होता है कि संयत्र की हालत बहुत खराब हो जाती है और वह काम नहीं करता। अतः उसे चलाने से कोई लाभ नहीं होता और उसे बन्द करना पड़ता है। ऐसी हालत में, इस संयंत्र की सहायता करने से बड़ी बड़ी समस्यायें पैदा हो जाती हैं। प्रश्न यह होता है रुपया कौन दे, और कितने समय में वह रुपया वापिस आयेगा? कई मामलों में इसी कारण संयंत्र बन्द पड़े हैं। इसलिये इस समस्या का हल क्रांतिकारी ढंग से करना होगा। इस प्रकार के अलाभदायक कारखाने या संयंत्र कई बार सामान्य आर्थिक व्यवस्था पर एक भार बन जाते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि मजूरी निर्धारण की बात को लिया जाये, तो उत्पादन होने की अवस्था में श्रमिकों की मांग की क्या स्थिति होगी?

अतः इस समस्या को हल करना है। इसके अध्ययन के लिये एक विशेषज्ञ दल नियुक्त कर दिया गया है। इस दिशा में कुछ काम हो भी चुका है। सब से प्रथम यह देखना चाहिये कि इस मामले में राज्य द्वारा अधिक सक्रिय भाग लिया जाये। उद्योग विकास विनियमन अधिनियम है जिसे जांच के प्रयोजन के लिये लगभग आठ बार प्रयोग किया जा चुका है। जब कोई विशेष संस्थापन कठिनाई में होता है तो हम उसकी जांच का आदेश देते हैं। इससे अतिरिक्त और भी कार्यवाही की जा सकती है। परन्तु इससे कुछ अधिक लाभ नहीं हुआ है। इसलिये हमारी जिम्मेदारी दो अवस्थाओं पर है। प्रथम तो यह है। केवल नियोजक पर ही सारी जिम्मेदारी नहीं थोपी जा सकती क्योंकि इससे हजारों श्रमिकों तथा उत्पादन और यहां तक कि सामुदायिक हितों पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। अतः उत्पादन के अन्य सामुदायिक साधनों पर हमें कड़ी नजर रखनी चाहिये। यह नहीं हो सकता कि गैर सरकारी उपक्रमों में परिणामों

का ध्यान रखे बिना मनमाने ढंग से काम होता रहे। अतः कोई ऐसा ढंग निकाला जाना चाहिये जिससे समय पर कार्यवाही की जा सके और पूर्वोपाय किये जा सकें ताकि उस संस्था की हालत इतनी खराब न होने पाये। ऐसी हालत में कारखाने या संस्था को भंग करने के लिये आवश्यक कार्यवाही करने में भी काफी लम्बा समय लग जाता है। और इस बीच के समय में सारी स्थिति अस्पष्ट रहती है। अतः हमें इस प्रकार के कानून बनाने चाहियें, जिनकी सहायता से हम कारखाने या संस्था का शीघ्रता से हस्तान्तरण कर सकें या उस पर कब्जा कर सकें या कुप्रबन्ध के कारण उस पर जो भार व ऋण है उनका भुगतान कराया जा सके। इसके बाद भी यदि उस कारखाने की भौतिक आस्तियां सही सलामत हों, मशीनरी इत्यादि ठीक हों, तो कर्मचारियों को काम फिर मिल सकता है और उद्योग भी फिर से निर्विघ्न चलाया जा सकता है। इसी ढंग से हम इस समस्या को हल करने की कोशिश में हैं और हमें आशा है कि इन मामलों के लिये हम समुचित ढंग ढूंढ ही निकालेंगे।

†**श्री सोनावाने** (शोलापुर-रक्षित-अनुसूचित जातियां) : माननीय मंत्री ने अभी कहा कि शोलापुर स्पिनिंग और वीविंग मिल के सम्बन्ध में जांच के लिये आदेश दिया गया था। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस जांच के पूर्ण होने में कितना समय लगेगा? छः मास व्यतीत होने पर अभी कुछ नहीं हुआ। क्या मैं पूछ सकता हूं कि इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी?

†**श्री नन्दा** : मैं स्वयं इस मामले पर ध्यान दे रहा हूं। मैंने मालिकों और कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से बातचीत की थी। बेरोजगारी सहायता और मिल के कार्य-संचालन के सम्बन्ध में भी कुछ निर्णय किये गये थे। यह कुछ दिन पूर्व की बात है। मैं स्वयं इस ओर ध्यान दे रहा हूं।

अब मैं श्रमिक वर्ग और उद्योग के सबसे अधिक महत्वपूर्ण पहलू अर्थात् मजूरी के प्रश्न को लेता हूं। मेरे समक्ष मजदूरों का वह मांग पत्र है जिसका कि उल्लेख किया गया था और जो मांग पत्र प्रधान मंत्री तथा विभिन्न राज्यों के मुख्य मंत्रियों के भी पास भेजा गया था। पहली मांग यह है कि कम से कम अन्तरिम कदम के रूप में २५ प्रतिशत मजूरी तो बढ़ा ही देनी चाहिये क्योंकि सभी संगठित उद्योगों में समुचित मजूरी का वादा बहुत पहले से किया जाता रहा है। दूसरी मांग यह है कि मंहगाई भत्ते को मूल वेतन में तुरन्त मिला दिया जाय और तीसरी मांग यह है कि अत्यावश्यक वस्तुओं की कीमतों पर नियंत्रण लागू कर दिया जाये।

यह तीन बातें एक साथ हैं। सब से अधिक महत्वपूर्ण मांग पहली है कि मजूरी २५ प्रतिशत बढ़ा दी जाये। इस बात पर दो परस्पर विरोधी मत हैं। एक विचार यह है कि देश के आर्थिक विकास, विनियोजन की आवश्यकता तथा अन्य मुद्रा स्फीति प्रभावों को देखते हुये श्रमिकों को इस समय कुछ धैर्य से काम लेना चाहिये और अभी मजदूरों के लिये कुछ भी किये जाने की आवश्यकता नहीं है। यहां तक कि जब कुछ समय हुआ हमने मजूरी बोर्ड नियुक्त किया था तो श्रमजीवी पत्रकारों ने मुझसे पूछा, कि ऐसी स्थिति में आप मजूरी बोर्ड की स्थापना कर रहे हैं क्या इससे मुद्रास्फीति नहीं होगी और कीमतों का संकट नहीं पैदा होगा? मैं योजना की सफलता चाहता हूं और यह भी नहीं चाहता कि मजूरी न बढ़ाई जाये। पर इसका क्या मतलब है? पंच-वर्षीय योजनायें तो चलती ही रहेंगी और यह प्रभाव कम नहीं होंगे। और विनियोजन की आवश्यकता कभी भी कम नहीं होगी। तो क्या इस कारण श्रमिकों के जीवन स्तर को सुधारने के लिये कुछ न किया जाये? यदि यही प्रश्न है तो मेरा उत्तर "नहीं" है। कर्मचारियों की मजूरी बढ़ाने

†मूल अंग्रेजी में

[श्री नन्दा]

से ही तो मुद्रास्फीति नहीं बढ़ती । परन्तु यह बात समझ में नहीं आती कि बिना कुछ सोचे समझे २५ प्रतिशत की वृद्धि की मांग कर देना कहां तक उचित है ।

योजना में भविष्य का एक स्वरूप प्रस्तुत किया गया है । योजना में श्रमिक वर्ग के लिये क्या लक्ष्य रखा गया है ? उसमें कहा गया है कि वास्तविक मजूरी बढ़नी चाहिये । हम भी यही चाहते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में लोगों की वास्तविक मजूरी बढ़ती रहे । परन्तु हम यह नहीं चाहते कि आज तो कुछ तरक्की दे दी गई और कल पुनः शोलापुर वाली स्थिति पैदा हो जाये और कर्मचारी दो-तिहाई मजूरी भी स्वीकार करने को मजबूर हो जायें । दोनों स्थितियां पैदा हो सकती हैं । उचित मजूरी के साथ साथ रोजगार का भी प्रश्न हमारे सामने है । हमारा उद्देश्य यही नहीं है कि केवल इन्हीं कर्मचारियों की ही स्थिति सुधारी जाय बल्कि हम देश के अधिक से अधिक लोगों को लाभ पहुंचाना चाहते हैं । यही हमारी समस्या है और हमारा कार्यक्रम है । मेरा विचार है कि मांग करने वालों की बात ठीक है । उनका कहना है कि जिस अनुपात से जीवन की आवश्यक वस्तुओं के दाम बढ़े हैं उसके अनुसार मजूरी की वृद्धि नहीं हुई । और जो वृद्धि हुई है वह उत्पादन वृद्धि के अनुपात के अनसार नहीं है, और न ही यह राष्ट्रीय आय की वृद्धि के अनुपात से है । मैं उनकी यह बातें मानता हूं फिर भी आंकड़ों को देख कर आप नहीं कह सकते कि उनकी २५ प्रतिशत की वृद्धि की मांग किसी हालत में भी उचित है ।

वास्तविक आय का अनुमान सकल आय और परिवर्तनों के समायोजन को ध्यान में रख कर लगाया जाता है । अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य देशनांक में इस सम्बन्ध में आंकड़े दिये हुये हैं । १९४७ को यदि आधार माना जाये तो आंकड़ों से पता लगता है कि वास्तविक आय में २० प्रतिशत की वृद्धि हुई है । इसका अर्थ यह है कि जीवन व्यय की गुंजाइश है । अब उत्पादन की तुलना कीजिये, उत्पादन भी नाम मात्र को ही बढ़ा है । अतः इस मामले में कुछ जान नहीं है । १९३९ से १९४७ तक के समय में जब वास्तविक मजूरी का स्तर गिरा तो बहुत ही नीचे आ गया । इसलिये यदि हम उस काल को लें तो हमें पता लगेगा कि मजदूरों की पहले के मुकाबले स्थिति अच्छी है ; इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी अथवा अन्य कल्याणकारी विधानों से कुछ अन्य लाभ भी उन्हें प्राप्त हुये हैं । यह स्पष्ट है कि इन बातों के आधार पर वे इसकी मांग नहीं कर सकते । क्या वे कहेंगे कि कोयले जैसे उद्योग में जहां केवल गत वर्ष ही इतनी वृद्धि हुई है उन्हें २५ प्रतिशत मिलना चाहिये । यही तो वह नहीं चाहते । श्री डांगे ने अखिल भारतीय कार्मिक संघ कांग्रेस में कहा था कि यह सुझाव ऐसा नहीं है कि इसमें परिवर्तन नहीं हो सकता । इसका अभिप्राय यह है कि यह प्रत्येक उद्योग की स्थिति के अनुसार होना चाहिये ।

जहां तक आय का सम्बन्ध है क्या राष्ट्रीय आय में, १८ प्रतिशत, प्रति व्यक्ति आय में ११ प्रतिशत और उपभोग में ७ या ८ प्रतिशत वृद्धि हुई है ? इसकी तुलना इससे कीजिये कि श्रमिकों को क्या मिला है ? उन्हें अधिक मिला है । क्या सारे भारत में उपभोग में वृद्धि हुई है ? संभवतः वे सोच रहे हैं कि इस २५ प्रतिशत का सम्बन्ध उस २५ प्रतिशत से है जो योजना द्वारा ५ वर्ष में उत्पादित होना है । किन्तु यह तो अभी होना है । अतः उन्हीं के मानदण्डों के आधार पर इसे इस ढंग से नहीं करना चाहिये । दूसरा ढंग अपनाने में मैं उनके साथ हूं । हमें प्रत्येक उद्योग के सभी दावों को देखना चाहिये । इसीलिये मजूरी बोर्ड बनाये गये हैं ।

कुछ ने यह शिकायत की थी कि सभी उद्योगों के लिए एक साथ मजूरी बोर्ड क्यों नहीं बनाये गये। इसमें समय लगता है। इसके लिए कुछ प्रारम्भिक कार्य करना पड़ता है। हमने तीन उद्योगों में बोर्ड स्थापित कर दिये हैं। क्योंकि एक मामला उच्चतम न्यायालय को भेजा गया था इस कारण हमें यह कार्य थोड़ी देर के लिए स्थगित करना पड़ा इसका बुरा प्रभाव पड़ा। किन्तु यह नहीं समझ लेना चाहिये कि किसी उद्योग में बोर्ड स्थापित नहीं किया गया तो वहां के श्रमिक अपने न्यायोचित दावों का निबटारा भी नहीं करवा सकते। उनके लिए न्यायाधिकरण की प्रक्रिया तो है ही। गत वर्ष मजूरी के प्रश्न पर सैंकड़ों पंचाट दिये गये हैं। अतः यदि मजूरी के लिए कोई न्यायपूर्ण मांग होती तो कोई बात नहीं थी। किन्तु उसके आन्दोलन किये जारहे हैं जलूस निकाले जाते और डायरेक्ट एक्शन की धमकियां दी जाती हैं। किन्तु यदि हमने बैठ कर समझौता किया तो हमें पता लग जायेगा कि क्या करना सम्भव है और क्या नहीं। रास्ता मिल जाने पर किसी की भी इच्छा दीवार से टकराने की नहीं होती वरन प्रगति के मार्ग पर बढ़ जाता है। किन्तु जो कुछ हो रहा है उस से कुछ हानि अवश्य होगी। श्रमिकों को कुछ आशाएं दिलाई गई हैं और जो प्रभाव उन पर डाले गये हैं सम्भवतः वे पंजीभूत हो जायें। अच्छा तो यही है कि वे ऐसी कार्यवाही न करें। किन्तु कुछ संगठन श्रमिकों में अपने प्रभाव पैदा करने के लिए प्रयत्नशील हैं किन्तु अपनी मांग पूरी करवाने के और अच्छे ढंग भी हैं। जब कोई संगठन दुर्बल हो जाता है तो ऐसे हथकंडों को अपनाता है। हिन्दू महासभा ने इसे आरम्भ किया था। किन्तु अखिल भारतीय कार्मिक संघ ने उसे संयत करते हुए कहा कि प्रतीक हड़ताल न कीजिए पहले हमें मांग प्रस्तुत करनी चाहियें। जिस प्रकार के विक्षोभ का प्रदर्शन यहां किया गया है उस से भी संगठन की दुर्बलता लक्षित होती है। इस प्रकार के ढंग से उन्हें कोई लाभ नहीं होगा।

†**श्री नौशीर भरूचा** : माननीय मंत्री ने कहा था कि २५ प्रतिशत उचित है।

†**श्री नन्दा** : मांग की बात अलग है। हर एक को २५ प्रतिशत तुरन्त दिया जाए, यह एक पृथक बात है मैं कहता हूं कि मैं इन मांगों का स्वागत करता हूं किन्तु उनकी उचित जांच तो होनी चाहिये। सरकार कुछ और कार्य भी कर सकती है। यदि कोई उद्योग अधिक मजूरी देने की क्षमता नहीं रखता तो आधुनिकीकरण और उस उद्योग का उत्पादन बढ़ाने के लिए अन्य प्रकार की सहायता देकर उसकी क्षमता बढ़ाने की कार्यवाही की जा सकती है और श्रमिक भी इस कार्य में भाग ले सकते हैं। यह तुरन्त तो नहीं हो सकता किन्तु हम जो कुछ कर रहे हैं हैं उससे उत्पादन क्षमता बढ़ सकती है और जो बात आज सम्भव नहीं वह कल सम्भव हो सकती है।

†**डा० राम सुभग सिंह** : स्थानीय निकायों और लाइट रेलवे के कर्मचारियों को निकाला जा रहा है। क्यों उन्हें गत चार पांच मास से वेतन नहीं मिल रहा ?

†**श्री नन्दा** : मुझे दिया गया समय तो पूरा हो गया है किन्तु मैं अन्त में यह कहना चाहता हूं कि गत वर्ष मुझे नियोजकों और श्रमिकों से जो सहयोग और सहायता मिली है उससे मुझे बहुत उत्साह मिला है। शान्तिपूर्ण स्थिति पैदा करने और अनुशासन आदि के पारस्परिक दायित्वों के सम्बन्ध में सहमत होने पर मैं श्रमिकों को बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि उन्हें इसका अच्छा फल मिलेगा क्योंकि जैसा कि विरोधी पक्ष के सदस्यों ने भी कई बार कहा है हमारा सब का लक्ष्य योजना की सफल कार्यान्विति है और इन सब बातों के परिणामस्वरूप हम इसमें निश्चय ही सफल होंगे।

†**अध्यक्ष महोदय** : अब मैं कटौती प्रस्तावों को मतदान के लिये रखूंगा।

अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

---

†मूल अंग्रेजी में

अध्यक्ष महोदय द्वारा श्रम और रोजगार मंत्रालय की अनुदानों की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिये रखी गईं तथा स्वीकृत हुईं ।

मांग संख्या	शीर्षक	मांग की राशि
		रुपये
७२.	श्रम और रोजगार मंत्रालय	१६,०१,०००
७३.	खानों के मुख्य निरीक्षक . . .	२२,१२,०००
७४.	श्रम और रोजगार मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा अन्य व्यय .	८,०६,८२,०००
१२६.	श्रम और रोजगार मंत्रालय का पूंजी व्यय .	१०,५९,०००

इस के पश्चात् लोक सभा बुधवार, ९ अप्रैल, १९५८ के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

दैनिक संक्षेपिका

[मंगलवार, ८ अप्रैल, १९५८]

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		४१४३—६७
तारांकित प्रश्न संख्या		
१५१५	रूस के साथ व्यापार	४१४३—४५
१५१६	औद्योगिक बस्ती, बटाला (पंजाब)	४१४५
१५१७	सीमेंट का मूल्य	४१४५—४७
१५१८	पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्ति	४१४७—४९
१५१९	सरकारी होस्टल	४१४९–५०
१५२०	शोलापुर स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लिमिटेड	४१५०–५१
१५२१	पश्चिमी बंगाल में चटाई उद्योग	४१५१–५२
१५२२	भारत का राज्य व्यापार निगम (प्राइवेट) लिमिटेड	४१५२–५३
१५२४	पटसन का सामान	४१५२–५४
१५२५	पाकिस्तान में भारतीय नज़रबन्द	४१५४–५५
१५२६	दावों का सत्यापन	४१५६
१५२७	काफी का निर्यात	४१५६–५७
१५३०	फैनी नदी	४१५७–५८
१५३३	प्रधान मन्त्री की तिब्बत यात्रा	४१५८–५९
१५३६	हिमाचल प्रदेश में हस्त शिल्प	४१५९
१५३८	जंगपुरा में फ्लैटों का दिया जाना	४१५९–६०
१५३९	बर्मा में भारतीय	४१६०–६३
१५४०	क्रोम अयस्क का निर्यात	४१६३
१५४२	भूदृश्य समिति रिपोर्ट	४१६३–६४
१५४३	न्यूज़ीलैण्ड में भारतीय	४१६४—६६
१५४४	दिल्ली में औद्योगिक प्रशिक्षण	४१६६–६७
प्रश्नों के लिखित उत्तर		४१६७—४२०३
तारांकित प्रश्न संख्या		
१५२३	आकाशवाणी में नये कलाकार	४१६७
१५२८	द्वितीय पंचवर्षीय योजना का 'मुख्य भाग'	४१६८
१५२९	निष्क्रान्त सम्पत्ति पर अनधिकृत कब्जा करने वाले शरणार्थी	४१६८

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर (क्रमशः)		
तारांकित प्रश्न संख्या	**(क्रमशः)**	
१५३१	सिंगरेनी कोयला खान श्रमिक संघ, कोठागुदियम . .	४१६८
१५३२	"मैच फैक्टरीज़ एसोसियेशन आफ साउथ इंडिया" . .	४१६८–६९
१५३४	आयात तथा निर्यात नियन्त्रक	४१६९
१५३५	दक्षिण अफ्रीका में जाति-भेदभाव . . .	४१६९
१५३७	कपड़े का स्टाक	४१६९–७०
१५४१	फास्फोरस बैक्टरीन का निर्माण . .	४१७०
अतारांकित प्रश्न संख्या		
२१२०	केन्द्रीय रेशम बोर्ड . . .	४१७०
२१२१	कास्टिक सोडे का उत्पादन . .	४१७१
२१२२	कई मंजिला भवन	४१७१
२१२३	सरकारी मकान	४१७१–७२
२१२४	भवन निर्माण के बारे में गवेषणा . .	४१७२
२१२५	सरकारी अतिथिशाला	४१७२–७३
२१२६	डोलोमाइटिक चूने का निर्माण . . .	४१७३
२१२७	खादी की खरीद	४१७३–७४
२१२९	इंडिया सप्लाई मिशन, वाशिंगटन . . .	४१७४
२१३०	खान विभाग में निरीक्षक	४१७४–७५
२१३१	राजस्थान के लिये खान श्रमिक कल्याण निधि सलाहकार समिति	४१७५
२१३२	बाल मन्दिरों में काम करने वाले कार्यकर्त्ताओं का प्रशिक्षण .	४१७५–७६
२१३३	बाल मन्दिर	४१७६
२१३४	कोयला खानों में स्नानागार	४१७६–७७
२१३५	बिहार तथा आन्ध्र के कोयला क्षेत्रों में मलेरिया . .	४१७७
२१३६	फरीदाबाद विकास बोर्ड .	४१७७–७८
२१३७	औद्योगिक उपक्रम . .	४१७८
२१३८	यूरेनियम अयस्क . . .	४१७८–७९
२१३९	दियासलाई का उत्पादन . .	४१७९
२१४०	निष्क्रांत सम्पत्ति . .	४१८०
२१४१	निष्क्रांत सम्पत्ति . . .	४१८०
२१४२	आसाम के चाय बागान . .	४१८०
२१४३	कपड़ा बनाने की मशीनें . .	४१८०
२१४४	भेषज्य निर्माण . .	४१८१
२१४५	कोल-तार उत्पाद . . .	४१८१–८२
२१४६	मुद्रण उद्योग	४१८२
२१४७	सुगन्धित रसायनों का निर्माण	४१८३
२१४९	औषधि और भेषज्य निर्माण कारखाने . . .	४१८३
२१५०	औषधि और भेषज्य कारखाने	४१८३–८४

प्रश्नों के लिखित उत्तर (क्रमशः)	विषय	पृष्ठ
अतारांकित		
प्रश्न संख्या (क्रमशः)		
२१५१	हिन्दुस्तान एण्टीबायोटिक्स (प्राइवेट) लिमिटेड, पिम्परी	४१८४
२१५२	हिन्दुस्तान एण्टीबायोटिक्स (प्राइवेट) लिमिटेड, पिम्परी	४१८४
२१५३	भारतीय मानक सम्मेलन	४१८४–८५
२१५४	भारतीय मानक संस्था	४१८५
२१५५	चमड़ा उद्योग	४१८५–८६
२१५६	केल्शियम कारबाइड	४१८६
२१५७	माइकानाइट	४१८६
२१५८	सीमेंट	४१८७
२१५९	दौड़ों में भाग लेने वाले घोड़ों का आयात	४१८७
२१६०	पश्चिमी बंगाल में कुटीर उद्योग	४१८८
२१६१	कपड़ों का निर्यात	४१८८
२१६२	चीन में भारतीय व्यापार प्रदर्शनी	४१८९
२१६४	हिमाचल प्रदेश में खेल के सामान का निर्माण	४१८९
२१६५	जापान को लौह अयस्क का निर्यात	४१९०
२१६६	चाय सुखाने वाली और सी० टी० सी० मशीनें	४१९०
२१६७	विदेशी उच्च पदधारियों की भारत यात्रा	४१९०–९१
२१६८	कूचा नटवां (दिल्ली)	४१९१
२१६९	अंश पूंजी	४१९१
२१७०	लेखक	४१९२
२१७१	बागान श्रमिक गृह-निर्माण योजना	४१९२
२१७२	यहूदियों का इजरायल को प्रव्रजन	४१९२
२१७३	भविष्य-निधि की राशि का गबन	४१९३
२१७४	काफी के विकास सम्बन्धी कार्यक्रम	४१९३
२१७५	अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस	४१९३–९४
२१७६	होसुर (मद्रास) की रेशम-कृमि पालन संस्था	४१९४
२१७७	डिफेन्स कालोनी	४१९४–९५
२१७८	उत्तर प्रदेश में विस्थापित व्यक्ति	४१९५
२१७९	हथकरघा उद्योग	४१९५
२१८०	सिंगरेनी कोयला खान समवाय के श्रमिकों के लिये क्वार्टर	४१९६
२१८१	सिलाई की मशीनों का निर्यात	४१९६
२१८३	मनीपुर में विस्थापित व्यक्ति	४१९६–९७
२१८४	उड़ीसा की द्वितीय पंचवर्षीय योजना	४१९७
२१८५	कर्मचारी राज्य बीमा योजना	४१९७–९८
२१८६	नांगल फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल (प्राइवेट) लिमिटेड	४१९८
२१८८	पंजाब में हथकरघे	४१९८–९९
२१८९	पंजाब में विस्थापित व्यक्तियों के लिये मकान	४१९९
२१९०	पंजाब में कृमि-पालन का विकास	४१९९–४२००
२१९१	पंजाब में चमड़ा सहकारी समितियां	४२००

प्रश्नों के लिखित उत्तर (क्रमश:)	विषय	पृष्ठ
अतारांकित प्रश्न संख्या (क्रमश:)		
२१९२	कागज मिलें	४२००
२१९३	पंजाब में बुनकर सहकारी समितियां	४२००
२१९४	पंजाब को केन्द्रीय सहायता	४२०१
२१९५	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवार	४२०१
२१९६	रेशमी वस्तुओं का निर्यात	४२०१
२१९७	जूते बनाने का उद्योग	४२०१–०२
२१९८	पोलैंड के साथ व्यापार	४२०२
२१९९	छोटे-पैमाने के उद्योगों के उत्पादों के लिये थोक डिपो .	४२०२
२२००	ग्राम्य-भवन निर्माण परियोजनायें	४२०२–०३
सभा पटल पर रखा गया पत्र--		४२०३
काफी नियम, १९५५ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक २९ मार्च, १९५८ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १८४ की एक प्रति ।		
प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन--		४२०३
श्री बलवन्तराय गोपालजी मेहता ने "भारतीय रेलों का कार्य संचालन" और "रेलवे द्वितीय पंचवर्षीय योजना" के बारे में क्रमश: सत्रहवें और अट्ठारहवें प्रतिवेदनों (पहली लोक-सभा) में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में प्राक्कलन समिति छठा और सातवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया ।		
श्रम उपमंत्री द्वारा वक्तव्य--		४२०३–०४
कर्मचारी राज्य बीमा निगम के वार्षिक प्रतिवेदनों, लेखा-परीक्षित लेखे तथा आय व्ययक सम्बन्धी प्राक्कलनों के लोक-सभा के पटल पर रखे जाने के बारे में श्रम उपमन्त्री (श्री आबिद अली) ने एक वक्तव्य दिया ।		
अनुदानों की मांगें--		४२०४–५९
अनुदानों की मांग संख्या ७२ से ७४ और १२६ पर, जिनके लिये श्रम और रोजगार मन्त्रालय उत्तरदायी है, चर्चा समाप्त हुई ।		
अट्ठासी कटौती प्रस्ताव--जिनमें मांग संख्या ७२ पर छियालीस, मांग संख्या ७३ पर चार और मांग संख्या ७४ पर अड़तीस थे--प्रस्तुत किये गये और अस्वीकृत हुए । मांगें पूरी पूरी स्वीकृत हुईं ।		
बुधवार, ९ अप्रैल, १९५८ के लिये कार्यावलि--		
वैदेशिक-कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा		